



विनियोग लेखे

2016-2017



मध्यप्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2016-2017

मध्यप्रदेश सरकार

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रस्तावना	iv-v
विनियोग लेखे का सार	vi-xix
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	xx-xxi
अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	
भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	1-2
भारित विनियोग-लोक ऋण	3-4
01. सामान्य प्रशासन	5-11
02. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	12-13
03. पुलिस	14-24
04. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	25-28
05. जेल	29-30
06. वित्त	31-35
07. वाणिज्यिक कर	36-40
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	41-44
09. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	45-46
10. वन	47-53
11. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	54-56
12. ऊर्जा	57-63
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	64-72
14. पशुपालन	73-79
15. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	80-85
16. मछली पालन	86-88
17. सहकारिता	89-92
18. श्रम	93-95
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	96-101
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	102-108
21. लोक सेवा प्रबन्धन	109-111
22. नगरीय विकास एवं पर्यावरण	112-120
23. जल संसाधन	121-127

	पृष्ठ
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	128-131
25. खनिज साधन	132-133
26. संस्कृति	134-138
27. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	139-142
28. राज्य विधान मंडल	143-145
29. विधि और विधायी कार्य	146-151
30. ग्रामीण विकास	152-155
31. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	156-158
32. जनसंपर्क	159-161
33. आदिम जाति कल्याण	162-165
34. सामाजिक न्याय	166-170
35. पुनर्वास	171
36. परिवहन	172-173
37. पर्यटन	174-177
38. आयुष	178-181
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	182-184
40. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	185-191
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	192-216
42. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	217-218
43. खेल और युवक कल्याण	219-221
44. उच्च शिक्षा	222-228
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	229-231
46. विज्ञान और टेक्नालॉजी	232-233
47. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	234-237
48. नर्मदा घाटी विकास	238-245
49. अनुसूचित जाति कल्याण	246-247
50. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	248-251
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	252-253
52. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	254-261
53. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	262-266
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	267

	पृष्ठ
55. महिला एवं बाल विकास	268-272
56. ग्रामोद्योग	273-278
57. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	279-280
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	281-287
59. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	288
60. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	289-290
61. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	291-292
62. पंचायत	293
63. अल्प संख्यक कल्याण	294-295
64. अनुसूचित जाति उपयोजना	296-316
65. विमानन	317
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण	318-321
67. लोक निर्माण कार्य-भवन	322-328
68. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	329-330
69. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	331-332
70. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	333
71. सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	334-335
72. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	336-338
73. चिकित्सा शिक्षा	339-343
74. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	344-350
75. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	351-353
76. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	354-355
परिशिष्ट:	
परिशिष्ट-I अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	358-359
परिशिष्ट-II शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण	360

प्रस्तावना

वर्ष 2016-17 के लिये मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

- “मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
 “पूरक” पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
 “पुनर्वि.” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।
 प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अंकों में दर्शाया गया है।

मध्यप्रदेश लोक लेखा समिति द्वारा दिनांक 14.09.2004 को अनुमोदित निम्नलिखित पुनरीक्षित मापदण्ड विनियोग लेखे पर टिप्पणियों हेतु मान्य किये गए हैं।

बचत के प्रकरणों में टिप्पणी दी जावे यदि:

1. किसी अनुदान में कुल प्रावधान पांच प्रतिशत या इससे अधिक बचत हो।
2. किसी उपशीर्ष में कुल प्रावधान का दस प्रतिशत या अधिक की कुल बचत उपशीर्ष में होने पर टिप्पणी दी जावे यदि बचत कि राशि:-
 - क. बचत की राशि 40 लाख ₹ से कम नहीं हो और कुल प्रावधान 30 करोड़ ₹ से अधिक हो।
 - ख. बचत की राशि 20 लाख ₹ से कम नहीं हो और कुल प्रावधान 10 करोड़ ₹ से 30 करोड़ ₹ के मध्य हो।
 - ग. बचत की राशि 10 लाख ₹ से कम नहीं हो और कुल प्रावधान 10 करोड़ ₹ से कम हो।
3. अनुदान में भारित व्यय के अन्तर्गत कुल बचत 10 लाख ₹ से कम नहीं हो।

आधिक्य के प्रकरणों में विनियोग लेखे पर टिप्पणी दी जावे यदि:

1. उन सभी प्रकरणों में जहाँ किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो।
2. किसी उपशीर्ष के कुल प्रावधान में उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य 10 लाख ₹ और दस प्रतिशत से अधिक हो।
3. ऐसे सभी प्रकरणों में जहाँ किसी उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य उस उप शीर्ष के कुल प्रावधान के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है टिप्पणी दी जावे यदि:-
 - क. एक उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान 30 करोड़ ₹ से अधिक है और आधिक्य 40 लाख ₹ से अधिक है।
 - ख. एक उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान 10 करोड़ ₹ से 30 करोड़ ₹ के मध्य है और आधिक्य 20 लाख ₹ से अधिक है।
 - ग. एक उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान 10 करोड़ ₹ से कम है और आधिक्य 10 लाख ₹ से अधिक है।

विनियोग लेखे का सार

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना
				बचत आधिक्य
		(हजार ₹ में)		
	भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा राजस्व- <i>प्रभारित</i>	1,02,33,38,03	90,79,49,11	11,53,88,92
	भारित विनियोग- लोक ऋण पूँजीगत- <i>प्रभारित</i>	91,05,63,16	49,25,41,34	41,80,21,82
01.	सामान्य प्रशासन राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i> पूँजीगत- दत्तमत	3,98,48,20 63,79,30	3,23,35,14 46,69,69	75,13,06 17,09,61
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व- दत्तमत	54,31,16	78,08,16	00 23,77,00 (23,77,00,188)
03	पुलिस राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i> पूँजीगत- दत्तमत	52,36,34,36 1,54,00	46,84,18,29 1,42,25	5,52,16,07 11,75
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i> पूँजीगत- दत्तमत	83,28,24 3,00	44,69,19 00	38,59,05 3,00
05	जेल राजस्व- दत्तमत	20,01 3,42,35,82	00 3,03,48,32	20,01 38,87,50

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
06	वित्त			
	राजस्व-			
	दत्तमत	1,13,05,93,22	89,53,12,34	23,52,80,88
	प्रभारित	17,28,40	10,22,89	7,05,51
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	1,79,81,01	10,17,02	1,69,63,99
07	वाणिज्यिक कर			
	राजस्व-			
	दत्तमत	26,12,11,65	17,09,28,05	9,02,83,60
	प्रभारित	10,60	00	10,60
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	1	00	1
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन			
	राजस्व-			
	दत्तमत	12,72,45,09	9,69,25,50	3,03,19,59
	प्रभारित	6,55,11	5,06,01	1,49,10
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	89,55,00	71,66,20	17,88,80
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय			
	राजस्व-			
	दत्तमत	57,64,94	41,23,41	16,41,53
	प्रभारित	50	00	50
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	17,22,00	00	17,22,00
10	वन			
	राजस्व-			
	दत्तमत	17,56,85,09	14,94,45,14	2,62,39,95
	प्रभारित	80,00	76,54	3,46
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	4,45,73,00	3,60,18,17	85,54,83
11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार			
	राजस्व-			
	दत्तमत	17,54,58,10	17,10,55,52	44,02,58
	प्रभारित	63,79	57,04	6,75
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	20,25,49,07	20,20,33,16	5,15,91

विनियोग लेखे का सार—जारी

12	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
12	ऊर्जा				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1,29,52,86,60	1,24,38,45,49	5,14,41,11	
	प्रभारित	3,13,13,35	3,13,13,35	00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,02,03,14,05	73,55,96,94	28,47,17,11	
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
	राजस्व-				
	दत्तमत	41,61,21,92	30,47,25,35	11,13,96,57	
	प्रभारित	13,85	1,33	12,52	
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	1	00	1	
14	पशुपालन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	7,70,18,30	6,18,34,26	1,51,84,04	
	प्रभारित	10,00	00	10,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	21,09,26	15,23,77	5,85,49	
15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
	राजस्व-				
	दत्तमत	32,35,85,91	24,73,27,60	7,62,58,31	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,13,48,75	2,61,33	1,10,87,42	
16	मछली पालन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	83,83,45	58,72,75	25,10,70	
	प्रभारित	3,00	2,62	38	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	20,00	20,00	00	
17	सहकारिता				
	राजस्व-				
	दत्तमत	15,31,12,53	10,00,81,97	5,30,30,56	
	प्रभारित	1,50	00	1,50	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	9,34,21,53	9,00,97,34	33,24,19	
18	श्रम				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1,70,00,97	1,48,02,53	21,98,44	
	प्रभारित	1,00	00	1,00	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ	
				व्यय की तुलना बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत	43,28,65,99	34,37,48,96	8,91,17,03	
	प्रभारित	60,30	3,28	57,02	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	57,52,25	55,02,21	2,50,04	
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राजस्व-				
	दत्तमत	5,59,03,32	4,92,11,81	66,91,51	
	प्रभारित	1,00,00	25,86	74,14	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	8,54,74,15	4,18,33,38	4,36,40,77	
21	लोक सेवा प्रबन्धन राजस्व-				
	दत्तमत	1,31,62,52	45,16,48	86,46,04	
	प्रभारित	8,62	8,62	00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	10,00,00	8,00,92	1,99,08	
22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण राजस्व-				
	दत्तमत	36,48,49,44	22,02,38,83	14,46,10,61	
	प्रभारित	1,00	00	1,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	6,59,78,18	1,89,46,61	4,70,31,57	
	प्रभारित	10,00,00	00	10,00,00	
23	जल संसाधन राजस्व-				
	दत्तमत	8,96,96,16	7,28,88,33	1,68,07,83	
	प्रभारित	12,85	00	12,85	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	50,62,57,29	50,27,03,57	35,53,72	
	प्रभारित	1,00,00	62,30	37,70	
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल राजस्व-				
	दत्तमत	16,78,92,06	12,05,84,15	4,73,07,91	
	प्रभारित	10,00	5,81	4,19	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	34,95,97,21	34,77,61,27	18,35,94	
	प्रभारित	50,00,00	29,55,67	20,44,33	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
25	खनिज साधन राजस्व— दत्तमत प्रभारित	38,60,58 6,35,05,52	29,59,58 5,77,24,10	9,01,00 57,81,42
26	संस्कृति राजस्व- दत्तमत पूँजीगत- दत्तमत	1,80,53,69 35,30,03	1,57,55,80 20,65,70	22,97,89 14,64,33
27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) राजस्व- दत्तमत प्रभारित पूँजीगत- दत्तमत	74,29,20,96 1,71	59,93,91,06 00	14,35,29,90 1,71
28	राज्य विधान मंडल राजस्व- दत्तमत प्रभारित	87,16,25 57,28	69,07,61 38,66	18,08,64 18,62
29	विधि और विधायी कार्य राजस्व- दत्तमत प्रभारित पूँजीगत- दत्तमत	9,22,21,44 1,24,24,25 50,00	7,03,76,36 88,19,91 00	2,18,45,08 36,04,34 50,00
30	ग्रामीण विकास राजस्व- दत्तमत प्रभारित पूँजीगत- दत्तमत	7,08,10,27 3,00 22,03,00,00	6,46,70,81 00 20,88,83,11	61,39,46 3,00 1,14,16,89
31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी राजस्व- दत्तमत	2,84,48,38	94,30,99	1,90,17,39
32	जनसंपर्क राजस्व- दत्तमत	3,99,82,44	3,82,49,23	17,33,21
33	आदिम जाति कल्याण राजस्व- दत्तमत प्रभारित	17,57,41,71 10,00	13,56,62,26 4,81	4,00,79,45 5,19

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
34	सामाजिक न्याय राजस्व-				
	दत्तमत	2,70,15,13	1,89,17,84	80,97,29	
	प्रभारित	3,00	00	3,00	
35	पुनर्वास राजस्व-				
	दत्तमत	77,25	30,17	47,08	
	प्रभारित	50	00	50	
36	परिवहन राजस्व-				
	दत्तमत	81,64,53	63,34,36	18,30,17	
	प्रभारित	4,00	00	4,00	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	61,76,00	52,43,60	9,32,40	
37	पर्यटन राजस्व-				
	दत्तमत	1,48,56,21	1,34,40,05	14,16,16	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	1,15,00,00	1,12,13,81	2,86,19	
38	आयुष राजस्व-				
	दत्तमत	3,70,40,05	3,11,06,05	59,34,00	
	प्रभारित	10,00	50	9,50	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	42,17,60	16,18,91	25,98,69	
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण राजस्व-				
	दत्तमत	15,89,75,44	15,51,15,95	38,59,49	
	प्रभारित	1,60	63	97	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	3,71,09,01	3,57,68,57	13,40,44	
40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) राजस्व-				
	दत्तमत	20,68,87,83	16,29,72,22	4,39,15,61	
	प्रभारित	60,00	14,64	45,36	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	1,58,50,01	48,35,02	1,10,14,99	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना राजस्व-				
	दत्तमत	67,38,59,18	45,14,48,13	22,24,11,05	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	59,61,47,66	33,30,52,00	26,30,95,66	
	प्रभारित	15,00	8,32	6,68	
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल पूँजीगत-				
	दत्तमत	11,19,97,17	6,70,66,77	4,49,30,40	
43	खेल और युवक कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत	79,50,25	68,89,90	10,60,35	
	प्रभारित	2	00	2	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	36,45,00	32,58,24	3,86,76	
44	उच्च शिक्षा राजस्व-				
	दत्तमत	22,10,75,91	16,41,55,59	5,69,20,32	
	प्रभारित	20,00	25	19,75	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,58,93,01	1,07,69,73	51,23,28	
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य राजस्व-				
	दत्तमत	1,60,70,00	1,37,89,03	22,80,97	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	7,87,07,11	7,35,72,56	51,34,55	
	प्रभारित	10,00	6,55	3,45	
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी राजस्व-				
	दत्तमत	2,31,53,70	2,17,37,77	14,15,93	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	5,00,00	5,00,00	00	
47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राजस्व-				
	दत्तमत	5,81,70,89	4,70,76,94	1,10,93,95	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,00,86,04	96,64,92	4,21,12	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
48	नर्मदा घाटी विकास राजस्व-				
	दत्तमत	28,33,81	20,04,55	8,29,26	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	19,08,66,64	15,81,42,37	3,27,24,27	
	प्रभारित	20,00	00	20,00	
49	अनुसूचित जाति कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत	1,00,13,19	77,54,44	22,58,75	
	प्रभारित	1	00	1	
50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण राजस्व-				
	दत्तमत	6,84,06,38	4,98,63,85	1,85,42,53	
	प्रभारित	1,00	00	1,00	
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व राजस्व-				
	दत्तमत	1,55,93,36	1,41,29,27	14,64,09	
	प्रभारित	30	00	30	
52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व-				
	दत्तमत	52,88,58,88	43,68,95,64	9,19,63,24	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	64,85,00	1,47,85	63,37,15	
53	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व-				
	दत्तमत	10,47,40,78	6,67,89,38	3,79,51,40	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	2,01,46,56	00	2,01,46,56	
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा राजस्व-				
	दत्तमत	1,64,13,02	1,63,63,00	50,02	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ	
				व्यय की तुलना बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
55	महिला एवं बाल विकास राजस्व-				
	दत्तमत	26,18,81,26	25,00,79,98	1,18,01,28	
	प्रभारित	16,51	1,60	14,91	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	2,15,14,46	2,03,81,27	11,33,19	
56	ग्रामोद्योग राजस्व-				
	दत्तमत	2,74,10,11	1,82,82,15	91,27,96	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	5,18,24	1,49,97	3,68,27	
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	35,54,02	22,12,71	13,41,31	
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय राजस्व-				
	दत्तमत	42,75,09,66	38,93,77,00	3,81,32,66	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	3,00,00	00	3,00,00	
59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1	00	1	
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय राजस्व-				
	दत्तमत	34,97,86	34,66,81	31,05	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	4,25,97,47	3,34,22,28	91,75,19	
61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय राजस्व-				
	दत्तमत	72,38,12	71,96,89	41,23	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,40,40,12	1,19,61,56	20,78,56	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
62	पंचायत राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	1,80,02,12 2,40	1,38,11,10 00	41,91,02 2,40
63	अल्प संख्यक कल्याण राजस्व- दत्तमत	25,01,82	16,88,59	8,13,23
64	अनुसूचित जाति उपयोजना राजस्व- दत्तमत पूँजीगत- दत्तमत	47,14,91,95 47,01,85,68	36,86,76,75 26,92,22,05	10,28,15,20 20,09,63,63
65	विमानन राजस्व- दत्तमत पूँजीगत- दत्तमत	26,27,82 2	21,85,40 00	4,42,42 2
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i> पूँजीगत- दत्तमत	9,29,87,22 20 7,73,72	7,58,48,83 00 7,12,38	1,71,38,39 20 61,34
67	लोक निर्माण कार्य-भवन राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i> पूँजीगत- दत्तमत	6,62,73,15 1,30,00 2,86,92,63	4,98,45,27 70,48 1,90,14,67	1,64,27,88 59,52 96,77,96
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व- दत्तमत	1,15,85,98	53,00,08	62,85,90
69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण राजस्व- दत्तमत पूँजीगत- दत्तमत	18,98,07 1,76,44	9,21,29 1,03,51	9,76,78 72,93

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ	
				व्यय की तुलना बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
70	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं राजस्व-				
	दत्तमत	6,28,55	6,11,67	16,88	
71	सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय राजस्व-				
	दत्तमत	5,89,54,93	5,22,79,49	66,75,44	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	50,00,00	50,00,00	00	
72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राजस्व-				
	दत्तमत	1,05,72,86	83,53,94	22,18,92	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	5,55,02	2,01,71	3,53,31	
73	चिकित्सा शिक्षा राजस्व-				
	दत्तमत	6,83,04,66	6,25,94,75	57,09,91	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,90,85,06	1,68,17,54	22,67,52	
74	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व-				
	दत्तमत	2,05,77,85,99	1,74,20,70,15	31,57,15,84	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	50,01	50,00	1	
75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व-				
	दत्तमत	73,05,10,20	70,15,94,91	2,89,15,29	
	प्रभारित	3,90,25,10	3,85,17,79	5,07,31	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	20,49,35	6,95,93	13,53,42	

विनियोग लेखे का सार-जारी

76	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1,74,00,60	2,13,32	1,71,87,28	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	10,00,00	00	10,00,00	
	योग-				
	राजस्व:				
	दत्तमत	13,62,22,89,50	11,20,54,63,78	2,41,92,02,72	23,77,00
	प्रभारित	1,17,92,24,60	1,05,09,77,77	12,82,46,83	00
	पूँजीगत:				
	दत्तमत	4,43,36,30,04	3,35,72,72,89	1,07,63,57,15	00
	प्रभारित	91,67,08,16	49,55,74,18	42,11,33,98	00
	महायोग-				
	राजस्व	14,80,15,14,10	12,25,64,41,55	2,54,74,49,55	23,77,00
	पूँजीगत	5,35,03,38,20	3,85,28,47,07	1,49,74,91,13	00

विनियोग लेखे का सार-जारी

निम्नलिखित अनुदान संख्या एवं अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है:-

अनुदान संख्या और नाम	अनुभाग
02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व दत्तमत

विनियोग लेखे के सार में दर्शित व्यय से राजस्व अनुभाग में 13,35.00 लाख ₹ (दत्तमत), कुल राशि 13,35.00 लाख ₹ 31 मार्च 2017 को आहरित कर शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा कर दी गई है। इस प्रकार की निधियों के अंतरण का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशि के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2016-17 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दिया गया है।

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(हजार ₹ में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	11,20,54,63,78	1,05,09,77,77	3,35,72,72,89	49,55,74,18
घटाइये-वसूलियों का जोड़	29,93,54,46	33,50,24	13,73,81,69	00
वित्त लेखे की विवरण संख्या-11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	10,90,61,09,32	1,04,76,27,53	3,21,98,91,20	49,55,74,18

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-I** में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान में दस प्रतिशत से अधिक बचत निम्नलिखित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अंतर्गत हुई:-

[क] दत्तमत अनुदान

- (i) राजस्व-अनुदान संख्या 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76
- (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 67, 69, 72, 73, 75, 76

[ख] प्रभारित विनियोग

- (i) राजस्व-अनुदान संख्या ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, 01, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49, 50, 51, 55, 62, 66, 67
- (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या लोक ऋण, 22, 23, 24, 41, 45, 48

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हे एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन है जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यप्रदेश सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

दिनांक: 23.03.2018

स्थान: नई दिल्ली

भारित विनियोग—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
2049-ब्याज अदायगियां			
राजस्व:	1,02,33,38,03	90,79,49,11	(-)11,53,88,92
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>नगण्य</i>
<i>(31 मार्च 2017)</i>			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 11,53,88,92 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को नगण्य राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2049-01-101-5059-7.65 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2016	15,30.00	0.00	(-)15,30.00
(2) 2049-01-101-6957-7.77 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2015	32,48.18	0.00	(-)32,48.18
(3) 2049-01-101-6958-7.39 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2015	21,63.42	0.00	(-)21,63.42
(4) 2049-01-101-6960-7.61 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2016	22,83.00	0.00	(-)22,83.00
(5) 2049-01-101-7887-5.85 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	46,79.75	0.00	(-)46,79.75
(6) 2049-01-101-9124-8.27 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	1,24,06.00	0.00	(-)1,24,06.00
(7) 2049-01-123-5042- भारत सरकार को रा.अ.ब. निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां पर ब्याज	24,00,00.00	18,93,36.66	(-)5,06,63.34
(8) 2049-01-200-3089- भा.रि.बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और केश बैलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज	50,00.00	0.00	(-)50,00.00

भारित विनियोग—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा —समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(9) 2049-01-200-3732- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गए ऋणों पर ब्याज	5,91,00.00	4,80,85.91	(-)1,10,14.09
(10) 2049-01-305-2624- पुराने ऋणों का प्रबंध	1,00,00.00	12,19.00	(-)87,81.00
(11) 2049-04-109-5691- 12 वें वित्त आयोग की सिफरिशों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्जों पर ब्याज	3,60,00.00	2,20,48.26	(-)1,39,51.74
(12) 2049-60-701-6587- अन्य दायित्वों पर ब्याज	80,00.00	10.50	(-)79,89.50

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (9) से (12) के शीर्षान्तर्गत बचत तथा क्रम संख्या (1) से (6) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2049-01-101-5025 मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण	1,00,00.00	1,89,00.00	(+)89,00.00
(2) 2049-01-101-5519-8.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	63,00.00	1,02,48.00	(+)39,48.00
(3) 2049-01-101-5848-6.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2018	40,00.00	51,87.50	(+)11,87.50
(4) 2049-01-101-6763- नया बाजार ऋण	1,00,00.00	1,96,27.00	(+)96,27.00
(5) 2049-04-101-3707- राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	3,50,00.00	4,17,23.87	(+)67,23.87

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2017)।

भारत विनियोग—लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष—			
6003—राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
पूँजीगत	91,05,63,16	49,25,41,34	(-)41,80,21,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत:

(i) 41,80,21.82 लाख ₹ की अत्यधिक बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 6003-105-3731-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से कर्ज	10,90,00.00	9,46,33.38	(-)1,43,66.62
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 6003-106-6961-पॉवर बाण्ड—1 (मोंटेक सिंह अहलूवालिया समिति द्वारा अनुशंसित ऋण)	1,33,19.45	0.00	(-)1,33,19.45
सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(3) 6003-108-3751-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	40,00.00	33,33.27	(-)6,66.73
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(4) 6003-109-6962-हुडको से प्राप्त ऋण	3,98,08.00	0.00	(-)3,98,08.00
(5) 6003-110-0637-उपाय तथा साधन अग्रिम	20,00,00.00	0.00	(-)20,00,00.00
(6) 6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	20,00,00.00	0.00	(-)20,00,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या 1/44¹/₂ से 1/46¹/₂ के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या 1/45¹/₂ एवं 1/46¹/₂ के शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारित विनियोग-लोक ऋण-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(7) 6004-02-101-3052-ब्लॉक कर्जे बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।	3,45,83.06	2,32,90.69	(-)1,12,92.37
(8) 6004-03-800-8437-त्वरित लाभप्रद कार्यक्रम हेतु ऋण	2,70.74	0.00	(-)2,70.74
(9) 6004-04-102-3128-भू एवं जल संरक्षण के लिए उधार	1,54.80	0.00	(-)1,54.80
(10) 6004-04-800-0069-अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए ऋण	53.69	0.00	(-)53.69
(11) 6004-04-800-5236-राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास के लिए उधार	91.91	0.00	(-)91.91
(12) 6004-04-800-6420-माइक्रो मेनेजमेंट हेतु उधार	2,01.55	0.00	(-)2,01.55
(13) 6004-04-800-9098-लघु एवं मध्यम नगरों के एकीकृत विकास हेतु उधार	50.51	0.00	(-)50.51

उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (13) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 6003-111-6835-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	8,72,52.00	12,52,28.00	+3,79,76.00
(2) 6004-02-101-9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेक-टू-बेक ऋण	1,75,00.00	4,17,95.93	+2,42,95.93

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त सरल क्रमांक (2) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी आधिक्य पाया गया था।

(iv) बिना विनियोग के व्यय:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
6003-101-0002- 11.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण-2001	0.00	0.25	+0.25

इस शीर्षान्तर्गत परिलक्षित 0.25 लाख ₹ के बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
2013-मंत्री परिषद्			
2015-निर्वाचन			
2051-लोक सेवा आयोग			
2052-सचिवालय-सामान्य प्रशासन			
2055-पुलिस			
2059-लोक निर्माण विभाग			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	3,75,95,90		
पूरक	22,52,30	3,98,48,20	3,23,35,14 (-)75,13,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (13 जनवरी, 15 फरवरी एवं 30-31 मार्च 2017)			44,02,97
राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में राशि 3,23,35,14,467 ₹ के कुल व्यय में 02.09.2016 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 27,14,992 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।			
प्रभारित-			
मूल	44,30,64		
पूरक	19,48,66	63,79,30	46,69,69 (-)17,09,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30-31 मार्च 2017)			1,71,21
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	29,51,51		
पूरक	सांकेतिक	29,51,51	25,26,66 (-)4,24,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (21 फरवरी 2017)			3,40,11

अनुदान संख्या 01—जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में (2,56.80 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2016 (19,95.50 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 22,52.30 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 75,13.06 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 13 जनवरी, 15 फरवरी एवं 30-31 मार्च 2017 को 44,02.97 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	------------	---------------------------	------------------

(1) 2012-03-102-9060-वैकेकिक अनुदान-

मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)95.45	4.55	4.55
			0.00

समर्पण के रूप में 95.45 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने एवं मितव्ययता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2013-101-3282-मंत्रियों के वेतन-

मूल	1,85.80		
पूरक	3,18.20	5,04.00	1,91.09
			(-)3,12.91

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2015-101-6262-राज्य निर्वाचन

आयोग-

मूल	10,97.29		
पुनर्वि.	(-)1,55.54	9,41.75	9,38.78
			(-)2.97

1,55.54 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,15.28 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,05.53 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 9.75 लाख ₹) एवं 59.74 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मजदूरी, वेतन एवं अन्य भत्ते शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधान कम होने, विद्युत खपत अधिक होने, मंहगाई भत्ते, ग्रेड-पे, मकान किराया भत्ता, वाहन अनुरक्षण में बढ़ोत्तरी एवं राज्य निर्वाचन भवन के उन्नयन के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2015-101-6757-स्थानीय निकायों का

निर्वाचन व्यय-

मूल	42,58.50		
पुनर्वि.	(-)28,19.83	14,38.67	11,50.04
			(-)2,88.63

28,19.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 28,24.83 लाख ₹ की कमी (समर्पण 27,66.84 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 57.99 लाख ₹) एवं 5.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग के कारण हुई (8.70 लाख ₹) जबकि वृद्धि स्थानीय निर्वाचन कार्यक्रम के उद्देश्य से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रमण पर व्यय के कारण हुई। 28,16.13 लाख ₹ की अवशेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(5) 2052-090-4327-सचिवालय-			
मूल	92,03.96		
पूरक	2,00.00		
पुनर्वि.	(-1,14.29	92,89.67	76,88.03 (-)16,01.64

1,14.29 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 7,93.29 लाख ₹ की कमी एवं 6,79.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने के कारण हुई जबकि वृद्धि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में सुनवाई हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता/ अधिवक्ता को फीस का भुगतान, वर्दी, फोटो कॉपियर, फेक्स मशीन, अन्य आकस्मिक व्यय के लंबित देयकों के भुगतान एवं माननीय मुख्यमंत्री की मीटिंग्स पर होने वाले व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 2052-091-0458-आयुक्त मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का कार्यालय-				
मूल	12,26.29			
पूरक	46.80			
पुनर्वि.	(-1,59.08	11,14.01	11,03.23	(-)10.78

1,59.08 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,13.83 लाख ₹ की कमी (समर्पण 67.08 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,46.75 लाख ₹) एवं 54.75 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने, कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटित किये जाने, फर्नीचर क्रय स्थगित किये जाने, म. प्र. भवन के विघटन में विलम्ब, डी.जी.एस. एण्ड डी. के माध्यम से क्रय करने, वित्त विभाग के निर्देशानुसार डी. ए. एरियर्स की राशि का भुगतान न करने, चिकित्सा अग्रिम की मांग न होने, वाह्य स्रोत कर्मचारियों की मजदूरी पुनरीक्षित न होने, चिकित्सा देयकों के भुगतान न होने, गणमान्य अतिथियों के सत्कार व्यय से संबंधित देयकों के भुगतान न होने, बैकलॉग पदों की पूर्ति न होने, मितव्ययता बरतने, 06 पुराने वाहनों को विक्रय किये जाने के कारण बचत हुई। वृद्धि व्यय अनुसार अतिरिक्त राशि की आवश्यकता, ग्रेड-पे में बढ़ोत्तरी, संविदा कर्मचारियों को लंबित मजदूरी के भुगतान, आवश्यकतानुसार शासकीय आवास उपलब्ध न होने, विद्युत देयकों में वृद्धि एवं वर्दी हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई।

(7) 2052-091-1476-राज्य आनंद संस्थान की स्थापना-				
पूरक	2,00.00	2,00.00	1,26.85	(-)73.15
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।				

(8) 2059-80-001-3342-मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली-				
मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	(-)52.48	1,47.52	1,46.37	(-)1.15

52.48 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) म.प्र. भवन का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के कारण, लघु निर्माण कार्य नहीं कराये जाने, ठेकेदार के देयकों से 45.00 लाख ₹ की कटौती एवं मितव्ययता के कारण हुई।

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(9) 2059-80-001-3541-मुख्य

तकनीकी परीक्षक का कार्यालय-

मूल	4,71.52			
पुनर्वि.	(-),1,14.82	3,56.70	3,51.87	(-),4.83

1,14.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,39.32 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,14.82 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 24.50 लाख ₹) एवं 24.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने, मितव्ययता, वित्त विभाग द्वारा क्रय एवं आहरण पर प्रतिबन्ध लगाये जाने एवं जल प्रभार का देयक प्राप्त न होने के कारण हुई। वृद्धि लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान, बजट आवंटन कम होने, यात्रा भत्ता, टेलीफोन देयकों के भुगतान एवं भवन के उन्नयन पर व्यय के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 2070-003-2716-प्रशासन

अकादमी-

मूल	7,92.93			
पूरक	4,27.50	12,20.43	10,64.64	(-),1,55.79

इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा राशि (11.94 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी अंशतः पद रिक्त होने के कारण हुई (0.94 लाख ₹), जबकि वृद्धि अकादमी में पदस्थ अधिकारियों के यात्रा भत्ते पर हुये व्यय के कारण हुई (0.94 लाख ₹)। अवशिष्ट कमी एवं वृद्धि (11.00 लाख ₹ प्रत्येक) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) 2070-104-3844-लोक आयुक्त-

मूल	34,36.82			
पूरक	36.00			
पुनर्वि.	(-),8,82.31	25,90.51	25,91.95	+1.44

8,82.31 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,12.51 लाख ₹ की कमी (समर्पण 8,82.31 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 30.20 लाख ₹) एवं 30.20 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त होने एवं मितव्ययता के कारण हुई (8,82.31 लाख ₹)। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। 30.20 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 2251-090-4327-सचिवालय-

मूल	33,11.40			
पूरक	1,00.00	34,11.40	26,04.00	(-),8,07.40

इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि 51.50 लाख ₹ प्रत्येक की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी पद रिक्त होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि आगामी माहों के वेतन भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(13) 3451-090-4327-सचिवालय-

मूल	25,36.60			
पूरक	1,00.00	26,36.60	21,42.80	(-),4,93.80

अनुदान संख्या 01-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि 85.70 लाख ₹ प्रत्येक की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी पद रिक्त होने के कारण हुई। वृद्धि चिकित्सा एवं वेतन देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2013-102-3282-मंत्रियों के वेतन-			
मूल	2,83.00		
पुनर्वि.	50.00	3,33.00	4,33.90 +1,00.90
50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन चिकित्सा देयकों के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(2) 2013-105-5839-मुख्यमंत्री			
वैकेिक अनुदान	70,00.00	76,04.17	+6,04.17
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।			
(3) 2013-108-3283-मंत्रियों के दौरे			
के समय पेट्रोल पर व्यय	45.00	2,54.15	+2,09.15
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

प्रभारित-

(v) 17,09.61 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30-31 मार्च 2017 को 1,71.21 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2012-03-090-4330-सचिवालय			
(भारित)-			
मूल	3,83.89		
पुनर्वि.	(-)49.92	3,33.97	3,31.27 (-)2.70
49.92 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत विनियोग में 64.42 लाख ₹ की कमी (समर्पण 49.92 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 14.50 लाख ₹) एवं 14.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त होने एवं मितव्ययता के कारण हुई (49.92 लाख ₹), जबकि वृद्धि मंहगाई भत्ते की दर में बढ़ोत्तरी, माननीय राष्ट्रपति महोदय के दौरे पर व्यय की प्रतिपूर्ति एवं सातवाँ वेतनमान लागू किये जाने के कारण हुई। 14.50 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 01-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 2012-03-101-3708-राज्यपाल की			
परिलब्धियां और भत्ते (भारित)-			

मूल	19.93			
पुनर्वि.	(-)14.12	5.81	5.81	0.00
(3) 2012-03-103-9059-घरेलू कर्मचारी (भारित)-				
मूल	422.08			
पूरक	20.00			
पुनर्वि.	(-)80.19	361.89	361.89	0.00
(4) 2012-03-105-1357-चिकित्सा सुविधाएँ (भारित)-				
मूल	40.00			
पुनर्वि.	(-)21.16	18.84	18.84	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 14.12 लाख ₹, 80.19 लाख ₹ एवं 21.16 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने एवं मितव्ययता के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(5) 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग-				
मूल	34,89.79			
पूरक	18,76.16			
पुनर्वि.	(-)48.55	53,17.40	38,37.97	(-)14,79.43

48.55 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत विनियोग में 1,33.40 लाख ₹ की कमी एवं 84.85 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः नये वाहन क्रय किये जाने से, परिवहन व्यवस्था शीर्षान्तर्गत बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि लंबित यात्रा भत्ता देयकों के भुगतान, यात्रा भत्ते के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता, मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी एवं आयोग कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पद पर पदस्थापना होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) 4,24.85 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 21 फरवरी 2017 को केवल 3,40.11 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	अनुदान संख्या 01-समाप्त			
	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)	
4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1341-मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का पुर्ननिर्माण-				

मूल	9,44.98			
पुनर्वि.	(-9,44.98	0.00	0.00	0.00

9,44.98 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण 3,40.11 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6,04.87 लाख ₹) मुख्यतः म.प्र. भवन का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	------------	---------------------------	------------------

(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

6375-म.प्र. लोक सेवा आयोग की नवीन एनेक्सी का निर्माण-

मूल	0.01			
पुनर्वि.	2,84.87	2,84.88	2,00.15	(-)84.73

2,84.87 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन, आयोग के नवीन भवन में एनेक्सी के निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

6605- प्रशासन अकादमी परिसर में प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु भौतिक सुविधाओं का निर्माण-

मूल	3,30.65			
पुनर्वि.	2,96.06	6,26.71	6,26.71	0.00

2,96.06 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,20.00 लाख ₹ की कमी एवं 4,16.06 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यतः निर्माण कार्य हेतु राशि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई (3,20.00 लाख ₹)। 1,20.00 लाख ₹ की कमी एवं 96.06 लाख ₹ की अवशिष्ट वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(3) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7652-प्रशासन अकादमी में स्वीमिंग पुल का निर्माण-

मूल	25.00			
पुनर्वि.	23.93	48.93	48.93	0.00

23.93 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053-जिला प्रशासन			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं			

राजस्व:

मूल	54,30,16			
पूरक	1,00	54,31,16	78,08,16	+23,77,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,00,86

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 23,77,00,188 ₹ के दत्तमत अनुदान से अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) 23,77.00 लाख ₹ के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2016 (सांकेतिक) एवं दिसम्बर 2016 (1.00 लाख ₹) में प्राप्त किया अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(1) 2052-092-8243-मानव अधिकार
आयोग को सहायक अनुदान

6,00.00 5,40.00 (-)60.00

60.00 लाख ₹ की बचत वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत आवंटन विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2070-105-4079-विशेष जांच
आयोग-

मूल 1,63.12

पुनर्वि. (-)1,40.57 22.55 21.89 (-)0.66

1,40.57 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 70.57 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 70.00 लाख ₹) अंशतः पद रिक्त होने के कारण हुई (20.00 लाख ₹)। 1,20.57 लाख ₹ की अवशिष्ट बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 2070-105-6238-सरदार सरोवर परियोजना फर्जी विमुक्त पत्र एवं पुर्नवास स्थल जांच आयोग	1,47.17	0.00	(-)1,47.17
संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

(4) 2070-800-6910-राज्य सूचना आयोग की
स्थापना-

मूल	4,33.84		
पुनर्वि.	(-)43.24	3,90.60	3,40.49 (-)50.11

43.24 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 98.24 लाख ₹ की कमी 1/4समर्पण 8.24 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 90.00 लाख ₹ 1/2 एवं 55.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः सूचना आयुक्त के सेवानिवृत्त होने के कारण हुई (45.50 लाख ₹), जबकि वृद्धि बजट प्रावधान अपर्याप्त होने के कारण हुई। 52.74 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2235-60-200-5710-लोक नायक जय
प्रकाश सम्मान निधि

7,50.00	72.11	(-)6,77.89
---------	-------	------------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	25,00.00	60,36.18	+35,36.18

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 03—पुलिस

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2041-वाहनों पर कर			
2055-पुलिस			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2216-आवास			
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	51,36,62,87		
पूरक	99,71,49	52,36,34,36	46,84,18,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)5,52,16,07 4,73,72,82
<i>प्रभारित.</i>		1,54,00	1,42,25
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			(-)11,75 11,75
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	1,97,03,35		
पूरक	1,71,90,00	3,68,93,35	3,53,38,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)15,54,39 15,00,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में (97,41.48 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2016 (2,30.01 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 99,71.49 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 5,52,16.07 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 4,73,72.82 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2055-003-0195-अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाएँ-			
मूल	93,47.56		
पुनर्वि.	(-)13,97.43	79,50.13	79,13.11 (-)37.02
13,97.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 16,72.74 लाख ₹ (समर्पण 14,18.93 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,53.81 लाख ₹) की कमी तथा 2,75.31 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी व्यय न होने तथा विभाग द्वारा राशि का उपयोग किया जाना संभव न होने, वेतन एवं महंगाई भत्ता मद में बचत होने, पद रिक्त रहने एवं समयमान एवं अन्य एरियर्स का भुगतान न होने के कारण हुई। वृद्धि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को 7वां केन्द्रीय वेतनमान लागू किये जाने से वेतन मद में, लंबित देयकों एवं मकान किराया भत्ते के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2055-003-2632-पुलिस अकादमी सागर-			
मूल	12,92.46		
पुनर्वि.	(-)3,13.21	9,79.25	9,72.52 (-)6.73
3,13.21 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,42.71 लाख ₹ (समर्पण 3,34.41 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 8.30 लाख ₹) की कमी तथा 29.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी विभाग द्वारा राशि का उपयोग किया जाना संभव न होने एवं पद रिक्त रहने के कारण हुई। वृद्धि वेतन, मकान किराया भत्ता तथा महंगाई भत्ता मद में एवं लघु निर्माण कार्य हेतु राशि की आवश्यकता के होने के कारण होना सूचित की गई।			
(3) 2055-101-0270-अपराध अनुसंधान विभाग-			
मूल	1,66,47.96		
पुनर्वि.	(-)21,42.40	1,45,05.56	1,44,55.46 (-)50.10
21,42.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 30,68.80 लाख ₹ (समर्पण 23,86.95 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6,81.85 लाख ₹) की कमी तथा 9,26.40 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी शेष अवधि में व्यय न होने एवं 7वे केन्द्रीय वेतनमान में महंगाई भत्ता वेतन में शामिल होने के कारण वेतन मद में बचत होने के कारण हुई। वृद्धि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को 7वां केन्द्रीय वेतनमान लागू किये जाने से बढ़े हुए वेतन के कारण माह दिसम्बर—2016, जनवरी—2017 एवं फरवरी—2017 का वेतन के भुगतान एवं मूल प्रावधान कम होने एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान में बजट प्रावधान नहीं होने से राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।			
(4) 2055-101-0279-अभियोजन संचालनालय-			
मूल	49,35.85		
पुनर्वि.	(-)25.00	49,10.85	41,16.83 (-)7,94.02

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

25.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,68.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की कमी तथा 1,43.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एडीपीओ एवं सहायक ग्रेड-3 के पद रिक्त रहने के कारण हुई। वृद्धि वेतन, चिकित्सा व्यय, कार्यालय व्यय एवं अन्य भत्तों के लंबित देयको के भुगतान किये जाने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(5) 2055-104-4492-सामान्य व्यय-

मूल	8,90,21.85			
पुनर्वि.	(-)1,34,36.95	7,55,84.90	7,62,88.58	+7,03.68

1,34,36.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,66,15.94 लाख ₹ (समर्पण 1,01,92.10 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 64,23.84 लाख ₹) की कमी एवं 31,78.99 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वित्तीय वर्ष की अन्त में प्रावधानित बजट व्यय न होने, विभाग द्वारा राशि का उपयोग न करने की संभावना से, पद रिक्त रहने, आहरण पर प्रतिबंध होने एवं समयमान वेतन के एरियर्स का भुगतान न होने के कारण हुई। वृद्धि महंगाई भत्ता, चिकित्सा, बिजली, अभिभाषक फीस मद में कम बजट प्रावधान होने से एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के गंभीर बीमारियों के लंबित चिकित्सा देयको को भुगतान करने, श्वान एवं अश्वों के राशन/भोजन मद में बजट कम होने से, फील्ड इकाइयों के लिये टेंट एवं बलवा नियंत्रण सामग्री क्रय हेतु एवं जीर्ण शीर्ष आवासों/ बैरिकों की मरम्मत पर व्यय हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(6) 2055-109-0109-अतिरिक्त पुलिस

संरक्षक, जिनका व्यय निजी कम्पनियों
और व्यक्तियों से वसूल किया जाता है-

मूल	18,76.25			
पुनर्वि.	(-)6,86.95	11,89.30	12,21.91	+32.61

6,86.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,93.45 लाख ₹ (समर्पण 6,87.73 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5.70 लाख ₹) की कमी एवं 6.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी प्रावधानित बजट व्यय न होने, पद रिक्त रहने एवं समयमान वेतन के एरियर्स का भुगतान नहीं होने के कारण हुई जबकि वृद्धि वेतन एवं मकान किराया भत्ता मद में कम बजट प्रावधान होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2055-109-0194-अन्य पुलिस-

मूल	81,71.18			
पुनर्वि.	(-)21,74.06	59,97.12	59,94.42	(-)2.70

21,74.06 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 22,90.04 लाख ₹ (समर्पण 22,75.66 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 14.38 लाख ₹) की कमी एवं 1,15.98 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी प्रावधानित बजट व्यय न होने, पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा दिनांक 15-12-2016 से क्रय पर एवं दिनांक 25-03-2017 से आहरण प्रतिबंध लगाने एवं एरियर्स का भुगतान न होने के कारण हुई जबकि वृद्धि चिकित्सा एवं दूरभाष के लंबित देयको का भुगतान करने, आवासों/बैरिकों की मरम्मत एवं वेतन के भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(8) 2055-109-0343-आकाषवाणी केन्द्र, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इन्दौर-			
मूल	3,10.95		
पुनर्वि.	(-),183.81	1,27.14	1,23.88 (-)3.26
1,83.81 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने, बकाया राशि का भुगतान नहीं करने एवं वेतन मद में बचत होने के कारण हुई।			
(9) 2055-109-1816-डकैती रोधक अभियान-			
मूल	42,08.95		
पुनर्वि.	(-),6,97.12	35,11.83	35,10.30 (-)1.53
6,97.12 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 8,01.62 लाख ₹ (समर्पण 7,00.12 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,01.50 लाख ₹) की कमी एवं 0.95 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वित्तीय वर्ष की अन्त में प्रावधानित बजट व्यय न होने, पद रिक्त रहने एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि कम बजट प्रावधान गंभीर बीमारियों के चिकित्सा देयकों एवं वाहन अनुरक्षण का भुगतान करने के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(10) 2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)-			
मूल	28,15,24.19		
पुनर्वि.	(-),2,70,09.43	25,45,14.76	25,54,86.02 +9,71.26

2,70,09.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,74,93.19 लाख ₹ (समर्पण 1,28,37.42 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,46,55.77 लाख ₹) की कमी एवं 2,04,83.76 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी विभाग द्वारा राशि का उपयोग नहीं किये जाने की संभावना, अन्य योजना मद में वर्तमान में राशि उपलब्ध न होने, पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा क्रय एवं आहरण प्रतिबंध लगाने एवं समयमान वेतन के एरियर्स का भुगतान न होने के कारण हुई। वृद्धि उज्जैन के सिंहस्थ की तैयारी पर कानून व्यवस्था बनाये रखने, वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मजदूरी एवं अन्य मद में अपर्याप्त बजट प्रावधान होने एवं जिला इकाइयों के लंबित देयको का भुगतान एवं मकान किराया भत्ता मद में उपलब्ध बचत का पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(11) 2055-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7186-बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन-			
मूल	64,00.00		
पुनर्वि.	(-)39,53.95	24,46.05	18,06.05 (-)6,40.00
39,53.95 लाख ₹ (समर्पण 27,57.25 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 11,96.70 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः उद्देश्य शीर्ष 51—000 में अधिक बजट प्रावधान होने के कारण हुई (11,96.70 लाख ₹)। अवशेष प्रत्याशित बचत 27,57.25 लाख ₹ के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(12) 2055-111-9258-पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द(रेल पुलिस—इन्दौर विभाग)-			
मूल	31,77.21		
पुनर्वि.	(-)6,17.17	25,60.04	25,76.74 +16.70
6,17.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,91.95 लाख ₹ (समर्पण 6,25.95 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 66.00 लाख ₹) की कमी एवं 74.78 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी व्यय न होने, पद रिक्त रहने एवं वित्त विभाग द्वारा क्रय एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई। वृद्धि वेतन, मकान किराया भत्ता, पी.ओ.एल. एवं अन्य भत्ते मद में भुगतान करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(13) 2055-111-9259-पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस—पश्चिम विभाग)-			
मूल	70,68.04		
पुनर्वि.	(-)9,91.78	60,76.26	60,71.36 (-)4.90
9,91.78 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 13,31.08 लाख ₹ (समर्पण 10,06.48 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 13,24.60 लाख ₹) की कमी एवं 3,39.30 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी व्यय न होने, पद रिक्त रहने एवं वित्त विभाग द्वारा क्रय एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई जबकि वृद्धि महंगाई एवं अन्य भत्ते मद में भुगतान, पी.ओ.एल.देयक, वाहन अनुरक्षण देयक एवं लंबित देयको के भुगतान करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।			
(14) 2055-115-2643-पुलिस कर्मियों का कल्याण-			
मूल	16,73.30		
पुनर्वि.	(-)2,74.59	13,98.71	13,90.07 (-)8.64
2,74.59 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,83.79 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी एवं 9.20 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने एवं वित्त विभाग द्वारा क्रय एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई जबकि वृद्धि कम बजट प्रावधान होने एवं इकाइयों के लंबित देयकों का भुगतान करने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(15) 2055-115-4155-बेतार केन्द्र भोपाल / ग्वालियर-			
मूल	1,27,47.71		
पुनर्वि.	(-)21,35.79	1,06,11.92	1,06,06.64 (-)5.28
21,35.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 30,70.79 लाख ₹ (समर्पण 27,57.29 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,13.50 लाख ₹) की कमी एवं 9,35.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने एवं वित्त विभाग द्वारा क्रय एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई। वृद्धि वेतन एवं अन्य भत्ते मद में अपर्याप्त बजट प्रावधान होने, गंभीर बीमारियों के चिकित्सा देयकों के भुगतान करने एवं वायरलेस सेट तथा सह सामग्री आदि का क्रय करने के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई।			
(16) 2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण-			
मूल	25,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,79.66	22,20.34	22,15.01 (-)5.33
2,79.66 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने एवं वित्त विभाग द्वारा क्रय एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(17) 2055-115-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
7348-अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था-			
पूरक	43,36.16		
पुनर्वि.	(-)20,35.80	23,00.36	22,87.34 (-)13.02
20,35.80 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16 एवं 2014—15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(18) 2055-116-4011-विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला सागर-			
मूल	17,24.40		
पुनर्वि.	(-)2,65.56	14,58.84	14,49.44 (-)9.40
2,65.56 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,17.01 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी एवं 51.45 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने एवं वित्त विभाग द्वारा क्रय एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई। वृद्धि इकाइयों के कर्मचारियों के वेतन एवं लंबित देयकों के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई।			
(19) 2055-800-1416-राज्य सड़क सुरक्षा निधि का गठन-			
पूरक	40,00.00	40,00.00	0.00 (-)40,00.00
संपूर्ण पूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(20) 2055-800-7130-महिला अपराध शाखा का गठन-			
मूल	15,61.22		
पुनर्वि.	(-),2,37.57	13,23.65	13,16.46 (-)7.19
2,37.57 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,66.57 लाख ₹ (समर्पण 2,42.57 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 24.00 लाख ₹) की कमी एवं 29.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वेतन एवं महंगाई भत्ता मद में व्यय न होने एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई। वृद्धि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को 7वां केन्द्रीय वेतनमान लागू किये जाने से बढ़े हुए वेतन के कारण दिसम्बर-2016, जनवरी एवं फरवरी-2017 के वेतन का भुगतान करने के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(21) 2055-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
1418-स्ट्रेन्थिंग होम लेण्ड सिक्यूरिटी-			
पूरक	14,05.31		
पुनर्वि.	(-),3,52.68	10,52.63	10,52.15 (-)0.48
3,52.68 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(22) 2070-107-2710-प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय-			
मूल	55,81.58		
पुनर्वि.	(-),6,93.80	48,87.78	49,17.21 +29.43
6,93.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 16,32.03 लाख ₹ (समर्पण 12,14.63 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4,17.00 लाख ₹) की कमी एवं 9,38.23 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने, देयक प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता एवं दिनांक 25-03-2017 से आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई। वृद्धि मुख्यतः कम बजट प्रावधान होने, यात्रा व्यय का भुगतान करने, सिंहस्थ-2016 की ड्यूटी के दौरान सराहनीय कार्य किये जाने पर नगद इनाम का भुगतान किये जाने, पु.म.नि.के वेतन के एरियर्स के भुगतान करने, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा हेतु वीडियोग्राफी एवं स्टेसनरी आदि पर होने वाले व्यय के कारण हुई (9,08.23 लाख ₹)। अवषे वृद्धि 30.00 लाख ₹ के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(23) 2070-107-4670-स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण-			
मूल	5,76.50		
पुनर्वि.	(-),2,55.10	3,21.40	3,17.45 (-)3.95
2,55.10 लाख ₹ (समर्पण 2,25.10 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 30.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कम व्यय होने एवं वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता तथा दिनांक 25-03-2017 से आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई (2,25.10 लाख ₹)। अवषे प्रत्याशित बचत 30.00 लाख ₹ के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(24) 2070-107-7867-नगर सेना का आधुनिकीकरण-			
मूल	0.01		
पूरक	2,30.00		
पुनर्वि.	(-),1,61.91	68.10	68.10 0.00

1,61.91 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत द्वितीय अनुपूरक अनुमान में राशि प्राप्त न होने एवं सामग्रियों की दर सूची लघु उद्योग निगम में न होने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2055-003-9054-नवगठित एकीकृत प्रशिक्षण संस्थान भौरी-			
मूल	7,65.94		
पुनर्वि.	1,78.33	9,44.27	9,33.05 (-)11.22

1,78.33 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,63.60 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,85.27 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने, लंबित देयको का भुगतान एवं भूमि क्रय करने के कारण हुई। कमी वित्त विभाग द्वारा क्रय एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(2) 2055-108-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

7185-राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल
वाहिनी की स्थापना-

मूल	0.42		
पुनर्वि.	11,49.09	11,49.51	11,33.69 (-)15.82

11,49.09 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 20,72.06 लाख ₹ की वृद्धि एवं 9,22.97 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन एवं भत्ता मद में मूल एवं पूरक बजट प्रावधान न होने के कारण राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(3) 2055-109-6065-थानों का सुदृढीकरण-

मूल	5,06.00		
पुनर्वि.	2,02.25	7,08.25	7,08.22 (-)0.03

2,02.25 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,45.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 42.75 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि व्यापम प्रकरण में सीबीआई के लंबित देयको का भुगतान करने के कारण हुई। कमी क्रय पर प्रतिबंध के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(4) 2055-109-6919-सुरक्षा संबंधी व्यय-

मूल	1,55.50		
पुनर्वि.	2,53.13	4,08.63	4,04.59 (-)4.04

2,53.13 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,56.75 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3.62 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान एवं इकाइयों के लंबित देयको के भुगतान के कारण हुई। कमी आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुई।

(5) 2055-109-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

5555-बड़े शहरों एवं संवेदनशील
स्थानों की सुरक्षा-

मूल	53,69.97		
पुनर्वि.	49,22.22	1,02,92.19	82,24.53 (-)20,67.66

49,22.22 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 50,30.96 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,08.74 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सीसीटीवी योजना में कम बजट प्रावधान होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(6) 2055-003-0783-कम्प्यूटर षाखा -

मूल	7,71.69		
पुनर्वि.	1,27.97	8,99.66	8,97.06 (-)2.60

1,27.97 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,87.75 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,59.78 लाख ₹ (समर्पण 2,14.28 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 45.50 लाख ₹) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन मद में कम बजट प्रावधान होने, सीसीटीएनएस परियोजना के लंबित देयकों एवं गंभीर बीमारियों के चिकित्सा देयकों का भुगतान के कारण हुई। कमी व्यय न होने, पद रिक्त रहने एवं वित्त विभाग द्वारा क्रय एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई।

(7) 2055-800-1309-उच्च न्यायालय एवं
अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा
व्यवस्था-

मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	2,00.00	12,00.00	12,00.00 0.00

2,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कम बजट प्रावधान होने एवं वेतन का भुगतान किये जाने के कारण हुई।

(8) 2055-800-6329-भर्ती एवं पदोन्नति पर व्यय-

मूल	28.00		
पुनर्वि.	2,12.18	2,40.18	2,38.94 (-)1.24

2,12.18 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,52.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,39.82 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सूबेदार, प्लाटून कमाण्डर, उप निरीक्षक एवं आरक्षक की भर्ती परीक्षाओं हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी पद रिक्त रहने एवं वित्त विभाग द्वारा क्रय तथा आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	------------------	---------------------

(लाख ₹ में)

(9) 2055-800-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-7346-केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर
एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र-

मूल	82,86.14			
पुनर्वि.	65,66.21	1,48,52.35	1,33,72.14	(-)14,80.21

65,66.21 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 69,69.04 लाख ₹ की वृद्धि एवं 4,02.84 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि डायल-100 योजना के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी क्रय तथा आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(10) 2059-01-053-2631-पुलिस प्रशासन-

मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	1,97.13	4,97.13	4,27.27	(-)69.86

1,97.13 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2.87 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण न करने एवं आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुई। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(11) 2216-05-053-6395-पुलिस कर्मियों
के आवासों की मरम्मत हेतु-

मूल	13,10.00			
पुनर्वि.	11,99.16	25,09.16	24,71.58	(-)37.58

11,99.16 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 12,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.84 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि पुलिस आवासों की मरम्मत/निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण न करने एवं आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) 15,54.39 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 15,00.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) यद्यपि समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है, निम्न उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित हुए हैं :-

अनुदान संख्या 03—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(अ) बचत:

(1) 4055-207-0270-अपराध अनुसंधान
विभाग-

		10,00.34	9,45.98	54.36
--	--	----------	---------	-------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(2) 4055-800-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-
7352-प्रशासकीय भवनों का निर्माण-

मूल	9,50.00			
पुनर्वि.	(-)9,50.00	0.00	0.00	0.00

(3) 4055-800-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-
7355-पुलिस पारगमन (ट्रॉजिट) भवन
निर्माण-

मूल	50.00			
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00	0.00

(4) 4055-800-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-
7356-पुलिस लाइनों का उन्नयन-

मूल	5,00.00			
पुनर्वि.	(-)5,00.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 9,50.00 लाख ₹, 50.00 लाख ₹ एवं 5,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) मुख्यतः सक्षम वित्तीय समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा दिनांक 15-12-2016 से क्रय पर एवं दिनांक 25-03-2017 से आहरण प्रतिबंध होने के कारण होना सूचित की गई।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2013-मंत्रिपरिषद्			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें			
2216-आवास			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
6235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत-

मूल	41,35,87			
पूरक	41,92,37	83,28,24	44,69,19	(-)38,59,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				35,42,97

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में राशि 44,69,19,209 ₹ के कुल व्यय में क्रमशः 23.06.2016, 10.10.2016 एवं 22.10.2016 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 4,23,01,972 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित

मूल	2,00			
पूरक	1,00	3,00	00	(-)3,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,00

पूंजीगत:

दत्तमत		20,01	00	(-)20,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				20,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 38,59.05 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 41,92.37 लाख ₹ का प्राप्त किया अनुपूरक अनुदान जुलाई 2016 (6,00.47 लाख ₹) अत्यधिक था, जबकि दिसम्बर 2016 में 11,36.90 लाख ₹ एवं मार्च 2017 में प्राप्त किया गया 24,55.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 38,59.05 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल 35,42.97 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 04—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2070-114-3598-मोटर गेरेज-			
मूल	6,58.89		
पूरक	1,31.47		
पुनर्वि.	(-)1,62.17	6,28.19	5,92.90
			(-)35.29

1,62.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,62.57 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,46.98 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 15.59 लाख ₹) एवं 0.40 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति एवं न्यायालयीन प्रकरणों के लंबित रहने के कारण हुई। वृद्धि आवंटित राशि से अधिक व्यय होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2235-60-200-2653-पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान-				
मूल	75.00			
पूरक	8,91.90			
पुनर्वि.	(-)1,18.51	8,48.39	8,17.70	(-)30.69

समर्पण के रूप में 1,18.51 लाख ₹ प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई।

(3) 2235-60-200-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 1338-म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015-				
पूरक	21,80.00			
पुनर्वि.	(-)21,79.01	0.99	0.99	0.00

समर्पण के रूप में 21,79.01 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2235-60-200-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-				
6072-आपदा प्रबंधन संस्थान को अनुदान-				
मूल	10,00.00			
पुनर्वि.	(-)5,00.00	5,00.00	4,92.92	(-)7.08

समर्पण के रूप में 5,00.00 लाख ₹ प्रत्याशित बचत मितव्ययता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(5) 2235-60-200-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7329-राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय-			
मूल	2,79.01		
पुनर्वि.	(-)2,42.73	36.28	44.82
			+8.54

2,42.73 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 1,92.73 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 50.00 लाख ₹) अंशतः वेतन एवं भत्ते शीर्षान्तर्गत संभावित बचत के कारण हुई (50.00 लाख ₹)। 1,92.73 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 2235-60-200-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-				
7330-आपदा सूचना एवं संचार तकनीकी विकास-				
मूल	1,65.00			
पुनर्वि.	(-)1,65.00	0.00	0.00	0.00

1,65.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत (समर्पण 1,59.61 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5.39 लाख ₹) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 3454-01-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-				
7401-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.)-				
पूरक	2,75.00			
पुनर्वि.	(-)2,54.09	20.91	20.91	0.00

समर्पण के रूप में 2,54.09 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
2235-60-200-9262-जिला सैनिक बोर्ड-			
मूल	11,38.03		
पूरक	3,00.00		
पुनर्वि.	4,35.23	18,73.26	17,93.70
			(-)79.56

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

4,35.23 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 6,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,64.77 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,14.77 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 50.00 लाख ₹) का निवल प्रभाव थी। वृद्धि भूतपूर्व सैनिकों का सम्मेलन/शौर्य उत्सव के कारण हुई। कमी अधिकारियों /कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति न होने, शासन द्वारा क्रय पर प्रतिबन्ध होने, मितव्ययता, द्वितीय विश्वयुद्ध के हितग्राहियों की मृत्यु हो जाने एवं क्रय की सीमा पिछले वित्तीय वर्ष से सीमित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

प्रभारित-

(v) 3.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 2.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

4235-60-800-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

7332- आपदा प्रबंधन निर्माण कार्य-

मूल 20.00

पुनर्वि. (-)20.00 0.00 0.00 0.00

20.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

**अनुदान संख्या 05—जेल
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष 2056-जेल			
राजस्व:	3,42,35,82	3,03,48,32	(-) 38,87,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) 38,87.50 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2056-001-2304-निदेशन एवं प्रशासन- मूल	9,13.19		
पुनर्वि.	(-38.00)	8,75.19	7,72.58 (-)1,02.61

38.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 50.00 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन के रूप में) एवं 12.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2056-101-0938-केन्द्रीय तथा जिला जेलें- मूल	3,06,11.60		
पुनर्वि.	(-14,56.26)	2,91,55.34	2,59,05.99 (-)32,49.35

14,56.26 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 27,93.63 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की कमी तथा 13,37.37 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2056-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½ - 5048-बंदियों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण	7,12.20	4,21.13	(-2,91.07)
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

अनुदान संख्या 05—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लेखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय के द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गईः—			
(1) 2056-101-0101- राज्य आयोजना 1/4सामान्य1/2 - 5044-जेलों का आधुनिकरण			
मूल	14,00.51		
पुनर्वि.	14,62.40	28,62.91	26,79.37 (-)1,83.54
14,62.40 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन वॉच टॉवर निर्माण, बैगेज स्कैनर, सायरन, स्पॉट लाइट, हाई मास्ट लाइट आदि सुरक्षा उपकरणों को क्रय करने एवं कंटीले तारों पर विद्युत प्रवाह करने के लिये किया जाना सूचित किया गया है।			

अनुदान संख्या 06—वित्त

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज			
7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
7810-अन्तर्राज्यीय परिशोधन			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	1,13,04,43,21		
पूरक	1,50,01	1,13,05,93,22	89,53,12,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)23,52,80,88 8,96,62
<i>प्रभारित</i>		17,28,40	10,22,89
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-)7,05,51 <i>निरंक</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत		1,79,81,01	10,17,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)1,69,63,99 28,74,45
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 (सांकेतिक) एवं दिसम्बर 2016 (1,50.01 लाख ₹) में प्राप्त किया गया, 1,50.01 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 23,52,80.88 लाख ₹ की उपलब्ध वृहद बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल 8,96.62 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2052-091-4296-संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था-			
मूल	5,13.90		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)2,52.50	2,61.40	2,60.63 (-)0.77
2,52.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,55.01 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,29.50 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 25.51 लाख ₹) एवं 2.51 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मितव्ययता, आवंटन अधिक होने एवं क्रय पर प्रतिबंध होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि मंहगाई भत्ते के अन्तर्गत अपर्याप्त प्रावधान होने एवं आउटसोर्सिंग से नियुक्त दो वाहन चालकों के वेतन भुगतान के कारण हुई।			
(2) 2054-095-2304-निदेशन एवं प्रशासन	14,96.42	8,56.29	(-)6,40.13
(3) 2054-095-4307-संभागीय स्थापना	12,61.81	8,99.01	(-)3,62.80
इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2054-095-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य -			
मूल	23,77.00		
पुनर्वि.	(-)4.56	23,72.44	18,93.87 (-)4,78.57
समर्पण के रूप में 4.56 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2054-097-1026-खजाना स्थापना	71,10.80	53,96.83	(-)17,13.97
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2054-098-4361-बीमा तथा स्थानीय निधि लेखा	61,77.16	30,66.97	(-)31,10.19
पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि ₹ 25.00 लाख प्रत्येक की कमी एवं वृद्धि के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2070-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
0224-अन्य व्यय-			
मूल	6,41,75.03		
पुनर्वि.	(-)6,52.00	6,35,23.03	0.00 (-)6,35,23.03
6,52.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017) इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(8) 2071-01-101-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	52,92,43.40	42,09,96.68	(-)10,82,46.72
(9) 2071-01-105-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	16,41,64.00	11,09,76.10	(-)5,31,87.90
(10) 2071-01-111-9998-मध्यप्रदेश	8,28.75	4,71.38	(-)3,57.37
(11) 2071-01-200-5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	15,45.00	0.00	(-)15,45.00
(12) 2075-800-6576-जिला पेंशन कार्यालय	32,95.57	14,28.88	(-)18,66.69

उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत बचत एवं सरल क्रमांक (11) के शीर्षान्तर्गत संपूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2052-091-6357-जन निजी भागीदारी प्रकोष्ठ-			
मूल	1,32.55		
पुनर्वि.	2,96.44	4,28.99	4,28.99
			0.00
2,96.44 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 6,85.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3,88.56 लाख ₹ की कमी (समर्पण 3,78.56 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 10.00 लाख ₹) का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आई.टी.एम. इंदौर में प्रशिक्षण एवं मुख्यमंत्री कार्यालय अन्तर्गत स्टेट विजन इवेल्यूएशन टीम हेतु नियुक्त सलाहकारों को भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी मितव्ययता एवं व्यावसायिक सेवा हेतु अदायगियों में बचत के कारण हुई।			
(2) 2071-01-102-9998-मध्यप्रदेश	7,02.00	22,91.99	+15,89.99
(3) 2071-01-102-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	14,04.00	20,33.23	+6,29.23
(4) 2071-01-104-9998-मध्यप्रदेश	6,02,33.90	6,09,15.78	+6,81.88
(5) 2071-01-105-9998-मध्यप्रदेश	2,83,24.00	3,05,37.74	+22,13.74
(6) 2071-01-111-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	13,47.70	19,53.72	+6,06.02
(7) 2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना	3,21,47.60	3,36,94.00	+15,46.40

अनुदान संख्या 06-जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

अनुदान व्यय बचत (-)
(लाख ₹ में)

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (7) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (4) से (7) तक 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 2075-797-6857-प्रतिभूति रिडमशन निधि में हस्तांतरण-

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	13,20.72	14,20.72	14,20.72	0.00

13,20.72 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रतिभूति रिडमशन निधि में हस्तांतरण हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

प्रभारित-

(v) 7,05.51 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
2071-01-101-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	14,04.00	0.00	(-)14,04.00

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2071-01-101-5158-सेवानिवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	58.50	1,25.64	+67.14
(2) 2071-01-106-9998-मध्यप्रदेश	12.87	2,73.03	+2,60.16
(3) 2071-01-106-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	64.35	6,24.21	+5,59.86

इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत -

(viii) 1,69,63.99 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 28,74.45 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ix) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 06-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत (-)
-------	------------	---------------	------------------

(लाख ₹ में)

(1) 4070-800-0101-राज्य आयोजना

 $\frac{1}{4}$ सामान्य $\frac{1}{2}$ -5632-जन निजी भागीदारी
अन्तर्गत अद्योसंरचना विकास हेतु
अनुदान -

मूल 48,00.00

पुनर्वि. (-)27,93.95 20,06.05 3,71.20 (-)16,34.85

समर्पण के रूप में 27,93.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत म.प्र. सड़क विकास निगम से व्ही.जी.एफ. राशि की मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों
के समाधान हेतु प्रावधान

50,00.00 0.00 (-)50,00.00

(3) 6075-800-6788-राज्य शासन के
उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं
द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स
के समाधान हेतु प्रावधान

25,00.00 0.00 (-)25,00.00

(4) 6075-800-6842-राज्य शासन के
उपक्रमों की पुर्नसंरचना हेतु ऋण
सहायता

50,00.00 50.00 (-)49,50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत/संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(x) उपरोक्त टिप्पणी (ix) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
7810-800-0122-अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.01	65.32	+65.31

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2020-आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण			
2030-स्टाम्प और पंजीकरण			
2039-राज्य उत्पाद शुल्क			
2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
4070-बिक्री, व्यापार आदि पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत-

मूल	26,07,19,65		
पूरक	4,92,00	26,12,11,65	17,09,28,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)9,02,83,60 25,76,32

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

10,60

00

(-)10,60
निरंक

पूंजीगत:

दत्तमत

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

1

00

(-)1
निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 4,92.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 9,02,83.60 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल 25,76.32 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)आधिक्य +
बचत (-)

(1) 2030-01-001-3561-मुख्यालय

स्थापना -

मूल

6,41.83

पुनर्वि.

(-)31.50

6,10.33

4,20.92

(-)1,89.41

31.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 36.50 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की गई कमी एवं 5.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी जुलाई 2015 से कम्प्यूटराइजेशन के अंतर्गत ई-स्टाम्पिंग का कार्य प्रारंभ होने से विज्ञापन पर कम व्यय होने के कारण हुई। वृद्धि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में दायर प्रकरणों में शासकीय अभिभाषकों को फीस का भुगतान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 2030-01-001-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	15,03.00	9,60.66	(-)5,42.34
(3) 2030-01-101-4612-स्टाम्पों की लागत	4,50.00	9.93	(-) 4,40.07
(4) 2030-01-102-4611-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	3,00.00	1,35.46	(-)1,64.54
(5) 2030-02-101-2456-न्यायिकेत्तर स्टाम्प की लागत	25,00.00	11,03.45	(-)13,96.55
(6) 2030-02-102-2455-न्यायिकेत्तर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय- मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-)4,90.00	55,10.00	9,04.50 (-)46,05.50
(7) 2030-02-797-6001-म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण	1,80,00.00	0.00	(-)1,80,00.00
(8) 2030-02-797-6002-म.प्र. उपकर अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये अतिरिक्त शुल्क का म.प्र. पंचायत भू-राजस्व तथा स्टाम्प शुल्क निधि में अंतरण	4,50,00.00	0.00	(-)4,50,00.00

इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उक्त शीर्षों के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

4,90.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) ई-स्टाम्पिंग का कार्य प्रारंभ होने से स्टाम्प बिक्री पर देय कमीशन की राशि में बचत होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

इन शीर्षों के अन्तर्गत संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान तथा क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि-

मध्य प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 की धारा 74 एवं 75 के अंतर्गत पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि का गठन किया गया था। प्रत्येक भू-धारी तथा सरकारी भूमि के पट्टेदार से ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में उपकर ऐसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व या लगान के 50 पैसे प्रति रूपया या उसके किसी भाग पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये उद्ग्रहीत किया जाता है तथा उन लिखितों पर जो खंड के भीतर स्थावर संपत्ति का दान, विक्रय या बंधक से संबंधित हों, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत की दर से ऐसी संपत्ति के मूल्य या बंधक की दशा में उस रकम पर जो लिखित द्वारा प्रतिभूति की गई है, उद्ग्रहीत कर राज्य की संचित निधि के अंतर्गत शासन की प्राप्तियों में जमा की जाती है। जनपद, ग्राम तथा

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

जिला पंचायतों के कार्यालय व्यय तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु इस निधि का उपयोग किया जाता है। उपकर तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मुख्य शीर्ष 0030-स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस-01-स्टाम्प-न्यायिक एवं 02-स्टाम्प- न्यायिकेत्तर-800-अन्य प्राप्तियां-0035-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत राजस्व में जमा किया जाता है तथा इस अनुदान में उपकर के आगम तथा गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा उगाही गई उपकर एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के समतुल्य राशि मुख्यशीर्ष 2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-02-स्टाम्प-न्यायिकेत्तर-797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को/से अंतरण-6002-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क का पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क में अंतरण के अंतर्गत राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जाकर मुख्य शीर्ष 8229-विकास एवं कल्याण निधि-200-अन्य विकास एवं कल्याण निधियां-पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2016 को निधि का प्रारंभिक शेष 15,17,92.48 लाख ₹ था। वर्ष के दौरान इस निधि में कोई राशि जमा नहीं की गई तथा वर्ष के दौरान निधि को कोई राशि नामे नहीं की गई। 31 मार्च 2017 को निधि में जमा शेष 15,17,92.48 लाख ₹ था।

निधि के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2016-17 के विवरण संख्या 21 एवं 22 में सम्मिलित है।

(9) 2039-001-0123-अधीक्षण-

मूल	14,57,92.43			
पुनर्वि.	(-)41,00.50	14,16,91.93	13,38,48.79	(-)78,43.14

41,00.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 41,01.70 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की कमी तथा 1.20 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः विदेशी मदिरा की विक्री में कमी होने एवं परीक्षा न होने के कारण हुई (1,01.70 लाख ₹)। वृद्धि गृह किराया भत्ते के एरियर का भुगतान करने के कारण होना सूचित की गई है। 40,00.00 लाख ₹ की अवशेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 2039-001-1470-जिला
कार्यपालिक स्थापना -

मूल	1,31,76.06			
पूरक	4,92.00			
पुनर्वि.	1,21.00	1,37,89.06	1,00,06.57	(-)37,82.49

1,21.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,71.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 50.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं होने के कारण हुई (1,21.00 लाख ₹) 50.00 लाख ₹ की अवशेष वृद्धि के साथ ही कमी एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य +
-------	---------------	------------------	----------

(लाख ₹ में)

बचत (-)

(11) 2039-001-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी
कार्य

9,61.50

16.65

(-)9,44.85

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 2040-001-3569-मुख्यालय
स्थापना व्यय-

मूल 21,69.52

पुनर्वि. (-)4,69.38 17,00.14 12,17.99 (-)4,82.15

4,69.38 लाख ₹ (समर्पण 4,09.38 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 60.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(13) 2040-001-7086-वाणिज्यिक कर
अधिकरण

6,19.63

2,54.76

(-)3,64.87

(14) 2040-001-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी
कार्य

2,00.00

0.00

(-)2,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (13) के अन्तर्गत बचत के कारण एवं क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षों के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(15) 2040-001-8808-सूचना
प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य-

मूल 19,66.01

पुनर्वि. (-)1,20.00 18,46.01 17,33.22 (-)1,12.79

1,20.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की कमी तथा 1,80.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हेतु नवीन वेंडर के टेण्डर को स्थगित रखने के कारण हुई। वृद्धि गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स नेटवर्क नई दिल्ली को एडवांस यूजर चार्ज का राज्यांश भुगतान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07-समाप्त

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)आधिक्य +
बचत (-)

(16) 2040-101-1509-जिला स्थापना -

मूल	1,64,27.70			
पुनर्वि.	(-)19,74.99	1,44,52.71	1,27,75.08	(-)16,77.63

19,74.99 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 23,84.99 लाख ₹ (समर्पण 21,54.99 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,30.00 लाख ₹) की कमी एवं 4,10.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः सुरक्षा एजेन्सियों से देयक प्राप्त न होने एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में नई नियुक्तियों में विलम्ब होने के कारण हुई। वृद्धि बिजली एवं जल प्रभार मद के लंबित देयकों के भुगतान होने एवं अधिवक्ताओं की फीस का भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

2039-104-4173-स्परिट की खरीद-

मूल	10.00			
पुनर्वि.	40,00.00	40,10.00	27,65.78	(-)12,44.22

40,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

प्रभारित-

(vi) 10.60 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	----------------	---------------------------------	---------------------

2039-001-1470-जिला कार्यपालिक

स्थापना	10.00	0.00	(-)10.00
---------	-------	------	----------

संपूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2029-भू-राजस्व			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053-जिला प्रशासन			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6401-फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत			
मूल	12,55,74,53		
पूरक	16,70,56	12,72,45,09	9,69,25,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)3,03,19,59 3,95,78
<i>प्रभारित</i>		6,55,11	5,06,01
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			(-)1,49,10 74,53
पूंजीगत:			
दत्तमत		89,55,00	71,66,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)17,88,80 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 16,70.56 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान, जुलाई 2016 (6,70.56 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2016 (10,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,03,19.59 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 3,95.78 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2029-001-0456-आयुक्त भू-अभिलेख तथा बन्दोबस्त का कार्यालय	10,18.88	7,29.07	(-)2,89.81
(2) 2029-001-6846-भू-प्रबंधन	85,77.30	57,19.69	(-)28,57.61
(3) 2029-102-2193-नजूल स्थापना	27,25.35	21,32.16	(-)5,93.19
(4) 2029-102-2503-परिमाणन व्यवस्थापन तथा लेख्य संग्रह संबंधी कार्य	32,36.21	24,97.14	(-)7,39.07
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2029-103-1472-जिला खर्च	4,91,50.75	4,00,64.85	(-)90,85.90
इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (23.00 लाख ₹) प्रत्येक की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि वकील की फीस से संबंधित लंबित देयकों एवं चिकित्सा देयकों के भुगतान के कारण हुई। कमी आवश्यकता अनुसार कम व्यय करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5917-भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार	4,47.00	0.00	(-)4,47.00
संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 9981-लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय- पूरक	6,70.53	6,70.53	71.51
(8) 2029-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	5,00.00	0.87	(-)4,99.13
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(9) 2052-099-3657-राजस्व बोर्ड- मूल पुनर्वि.	6,83.71 (-)2,95.68	3,88.03	3,73.59 (-)14.44

अनुदान संख्या 08-जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

अनुदान व्यय बचत (-)
(लाख ₹ में)

2,95.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,16.89 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,95.68 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 21.21 लाख ₹) एवं 21.21 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त रहने, मितव्ययता के कारण, क्रय एवं आहरण पर प्रतिबंध के कारण, डिजिटलईजेशन कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया स्थगित होने से, देयक देरी/प्राप्त न होने के कारण, अग्रिम भुगतान न होने से, यात्रा व्ययों का भुगतान न होने से एवं ए.सी. क्रय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि विगत 50 वर्षों से निर्णीत विभिन्न प्रकरणों के निर्णयों के मूल आदेशों का लेमिनेशन कराने एवं विद्युत देयकों/पेट्रोल देयकों के भुगतान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 2053-093-1509-जिला स्थापना-

मूल	2,42,81.43			
पूरक	10,00.00			
पुनर्वि.	(-)10,15.00	2,42,66.43	1,90,25.68	(-)52,40.75

10,15.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोग के रूप में) 17,48.34 लाख ₹ की कमी एवं 7,33.34 लाख ₹ की प्रावधान में वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वेतन शीर्ष के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार कम व्यय के कारण हुई, जबकि वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) 2053-094-0441-आदेशिका वाहक

स्थापना-	93,58.70	61,06.67	(-)32,52.03	
----------	----------	----------	-------------	--

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 2053-094-0619-उप संभागीय

स्थापना-

मूल	2,19,49.51			
पुनर्वि.	10,00.00	2,29,49.51	1,78,77.70	(-)50,71.81

10,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन कम बजट प्रावधान होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(13) 2053-094-6924-प्रमुख राजस्व

आयुक्त (स्थापना)	3,98.04	2,45.36	(-)1,52.68	
------------------	---------	---------	------------	--

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(14) 2053-101-0452-आयुक्त-

मूल	23,83.59			
पुनर्वि.	15.00	23,98.59	16,33.02	(-)7,65.57

15.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अपर्याप्त बजट प्रावधान होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08-समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
2053-800-1478-मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग का गठन- पूरक	0.03	0.03	53.18
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

प्रभारित-

(v) 1,49.10 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 74.53 लाख ₹ केवल की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-
शीर्ष

	कुल विनियोग ¹	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2052-099-3657-राजस्व बोर्ड- मूल	1,75.10		
पुनर्वि.	(-)74.53	1,00.57	99.82
74.53 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत माननीय सदस्यों के पद खाली रहने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

(2) 2053-093-1509-जिला स्थापना

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
	75.00	1.19	(-)73.81

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) 17,88.80 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-
शीर्ष

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6664-तहसील, जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	62,00.00	45,77.35	(-)16,22.65
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2075-विविध सामान्य सेवाएँ			
4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	57,64,94	41,23,41	(-)16,41,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
<i>प्रभारित</i>	50	00	(-)50
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत	17,22,00	00	(-)17,22,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 16,41.53 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2058-001-2286-नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यालय	2,40.34	1,43.68	(-)96.66
इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (1.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी बजट अनुमान हेतु प्रस्ताव से अधिक आवंटन प्राप्त होने के कारण हुई जबकि वृद्धि राज्य के वाहर उपचार पर किए गए व्यय राशि की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत हेतु कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2058-103-4202-शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय	50,54.58	35,83.83	(-)14,70.75
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 09—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
पूँजीगत: दत्तमत			
(iii) सम्पूर्ण प्रावधान के रूप में 17,22.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।			
(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-			
4058-103-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
3427-मशीनें और उपकरण, छपाई की मशीनों की खरीद	17,22.00	0.00	(-)17,22.00
सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10—वन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2055-पुलिस			
2216-आवास			
2406-वानिकी तथा वन्य जीवन			
3054-सड़क तथा सेतु			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	17,24,72,09		
पूरक	32,13,00	17,56,85,09	14,94,45,14 (-)2,62,39,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			2,81,76
<i>प्रभारित</i>		80,00	76,54 (-)3,46
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>निरंक</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	4,45,73,00	3,60,18,17	(-)85,54,83 <i>निरंक</i>
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 32,13.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 2,62,39.95 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 2,81.76 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2055-104-3895-वनों की अभिरक्षा हेतु विशेष पुलिस-			
मूल	14,55.33		
पुनर्वि	(-)2,81.76	11,73.57	11,65.96
			(-)7.61
2,81.76 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,85.46 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,81.76 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3.70 लाख ₹) एवं 3.70 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः आवंटित बजट का उपयोग न हो पाने की संभावना के कारण हुई। वृद्धि बजट प्रावधान कम होने एवं लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। शेष कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(2) 2406-01-001-3555-मुख्यालय-			
मूल	43,74.21		
पुनर्वि	36.00	44,10.21	37,80.65
			(-)6,29.56
36.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,36.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग के रूप में 1,00.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः गंभीर बीमारियों से ग्रसित कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों के भुगतान हेतु एवं मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यालय उपकरणों के देयकों के भुगतान के कारण हुई शेष 1,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,00.00 लाख ₹ की कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(3) 2406-01-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
0667-कृषि वानिकी हेतु उपमिशन-			
पूरक	4,20.00		
पुनर्वि	(-)4,20.00	0.00	0.00
			0.00
पुनर्विनियोग के रूप में 4,20.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। 4,20.00 लाख ₹ का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(4) 2406-01-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
5317- गहन वन प्रबंधन-			
मूल	7,70.00		
पुनर्वि	(-)1,58.58	6,11.42	5,64.99
			(-)46.43
1,58.58 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2406-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
2723-प्रशासन का सुदृढीकरण-			
मूल	17,79.68		
पुनर्वि	(-)58.57	17,21.11	15,68.84
			(-)1,52.27

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
58.57 लाख ₹ (पुनर्विनियोग के रूप में) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2406-01-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4462-वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	12,77.92	8,52.34	(-)4,25.58
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2406-01-004-7781-मालिक मकबुजा लकड़ी का क्रय	33,00.00	22,19.65	(-)10,80.35
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(8) 2406-01-101-0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना- पूरक	9,72,00.02		
पुनर्वि	(-)36.00	9,71,64.02	8,13,50.21 (-)1,58,13.81
36.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,00.25 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) कमी एवं 64.25 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण हुई। वृद्धि अंशतः गंभीर बीमारियों से संबंधित चिकित्सा देयकों एवं अधिकारियों के मकान भाड़ा भत्ता का भुगतान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(9) 2406-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7489-आयुष सहित औषधीय पौधों पर राष्ट्रीय मिशन-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि	(-)1,00.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोग के रूप में 1,00.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(10) 2406-01-101-0430-वन विकास निधि- 6699-वन विकास उपकर निधि से व्यय-	50,00.00	39,67.90	(-)10,32.10
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(11) 2406-01-102-1306-वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय-	25,00.00	2,42.06	(-)22,57.94
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(12) 2406-01-102-7680-संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय	50,00.00	39,53.64	(-)10,46.36
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(13) 2406-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2536-वानिकी विस्तार-			
मूल	25,54.47		
पुनर्वि	(-)5,82.72	19,71.75	17,18.06
			(-)2,53.69
5,82.72 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(14) 2406-01-190-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7458-राज्य बांस मिशन-			
मूल	13,00.00		
पुनर्वि	(-)3,00.00	10,00.00	10,00.00
			0.00
3,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोग के रूप में) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(15) 2406-01-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2027-केम्पा योजना राज्य का हिस्सा-			
मूल	2,46.00		
पुनर्वि	(-)2,21.40	24.60	0.00
			(-)24.60
2,21.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(16) 2406-01-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5830-इको टूरिज्म बोर्ड को अनुदान-			
मूल	6,00.00		
पुनर्वि	(-)1,60.00	4,40.00	3,80.00
			(-)60.00
1,60.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष

कुल

वास्तविक

आधिक्य +

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(17) 2406-01-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7462-हरियाली चुनरी- मूल	4,00.00		
पुनर्वि	(-)60.01	3,39.99	2,66.22
(18) 2406-01-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7691-निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना- मूल	2,00.00		
पुनर्वि	(-)91.13	1,08.87	88.87
उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 60.01 लाख ₹ एवं 91.13 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(19) 2406-01-203-0534-वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यावर्तित वन भूमि से वनोपज का विदोहन	3,00.00	1,62.89	(-)1,37.11
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(20) 2406-01-203-0535-इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार- मूल	1,11,75.91		
पुनर्वि	(-)5,00.00	1,06,75.91	71,40.23
5,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,30.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) कमी तथा 30.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पेड़ों को काटने के आदेश प्राप्त न हो पाने के कारण हुई (30.00 लाख ₹) वृद्धि तेल एवं पेट्रोल के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई (30.00 लाख ₹)। शेष कमी (5,00.00 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(21) 2406-01-204-2901-बांस	19,05.00	15,32.62	(-)3,72.38
(22) 2406-01-797-3885-वन विकास निधि में अंतरण	50,00.00	0.00	(-)50,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (21) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 तथा क्रम संख्या (22) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(23) 2406-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5109-ग्रामों के पुर्नवास हेतु मुआवजा- मूल	40,00.00		
पुनर्वि	(-)4,00.00	36,00.00	36,00.00
0.00			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(24) 2406-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6349-संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य प्राणी प्रबंधन-			
मूल	10,52.47		
पुनर्वि	(-)49.77	10,02.70	8,91.25 (-)1,11.45

उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत 4,00.00 लाख ₹ एवं 49.77 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही क्रम संख्या (24) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (24) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2406-01-800-3896-वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति-			
मूल	7,00.00		
पुनर्वि	5,00.00	12,00.00	10,88.27 (-)1,11.73

5,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।

(2) 2406-02-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3730-वन्य जीव पर्यावास का समन्वित विकास-			
मूल	42,67.00		
पूरक	27,93.00		
पुनर्वि	27,04.60	97,64.60	1,73,83.97 +76,19.37

27,04.60 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 35,56.66 लाख ₹ की वृद्धि एवं 8,52.06 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण हुई। कमी हेतु विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।

प्रभारित-

(v) 3.46 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 10-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	------------	---------------------------	------------------

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) 85,54.83 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4406-01-070-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4342-वन अद्योसंरचना का सुदृढीकरण	50,25.00	35,82.12	(-)14,42.88
(2) 4406-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7488-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	25,00.00	4,79.10	(-)20,20.90
(3) 4406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7882-कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन-संरक्षण	3,24,94.00	2,88,85.64	(-)36,08.36
(4) 4406-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6397-नर्सरियों में पौधा तैयारी	45,54.00	30,71.32	(-)14,82.68

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) तक के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2230-श्रम तथा रोजगार			
2851-ग्राम तथा लघु उद्योग			
2852-उद्योग			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
4852-लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज			
6856-पेट्रो-केमिकल उद्योगों के लिये कर्ज			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत-

मूल	13,57,26,05			
पूरक	3,97,32,05	17,54,58,10	17,10,55,52	(-)44,02,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				34,32,52

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में राशि 17,10,55,51,670 ₹ के कुल व्यय में 06.01.2017 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 12,00,000 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित-

मूल	7,01			
पूरक	56,78	63,79	57,04	(-)6,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				6,74

पूंजीगत:

दत्तमत-

मूल	12,24,36,07			
पूरक	8,01,13,00	20,25,49,07	20,20,33,16	(-)5,15,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 44,02.58 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 2,63,18.05 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था एवं दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 1,34,02.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि मार्च 2017 में प्राप्त किया गया 12.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 11—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(ii) 44,02.58 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल 34,32.52 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) यद्यपि 44,02.58 लाख ₹ की समग्र बचत मूल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अन्तर परिलक्षित हुये:-

[अ] बचत:-

(1) 2230-02-001-3795-रोजगार तथा
प्रशिक्षण संचालनालय-

मूल	4,14.17			
पूरक	1,00.00			
पुनर्वि.	(-),1,46.95	3,67.22	2,72.73	(-),94.49

1,46.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,47.65 लाख ₹ की कमी एवं 0.70 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः नवीन भर्ती में बिलम्ब होने, सातवें वेतनमान का लाभ न मिलने एवं नियमित आई.ए.एस. की पदस्थापना न होने के कारण हुई। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(2) 2230-02-101-9147-रोजगार
कार्यालय-

मूल	16,77.36			
पुनर्वि.	(-),5,14.21	11,63.15	11,72.11	+8.96

5,14.21 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,23.61 लाख ₹ एवं 9.40 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने एवं सातवें वेतनमान का लाभ कर्मचारियों को न दिये जाने के कारण हुई, जबकि वृद्धि मुख्यतः बिजली दरों में वृद्धि एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी में कलेक्टर दर में वृद्धि के कारण हुई। अंतिम अधिक के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(3) 2851-101-0725-औद्योगिक संस्थानों
का संधारण-

मूल	8,00.00			
पुनर्वि.	(-),4,86.08	3,13.92	1,77.42	(-),1,36.50

समर्पण के रूप में 4,86.08 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(4) 2851-108-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

7690-पावरलूम बुनकरों को
रियायती दर पर विद्युत प्रदाय/
ब्याज अनुदान-

मूल	16,36.00			
पुनर्वि.	(-),1,38.09	14,97.91	13,33.41	(-),1,64.50

1,38.09 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 11—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(5) 2851-200-1464-जिला उद्योग केन्द्र-			
मूल	55,17.71		
पूरक	1,00.00		
पुनर्वि.	(-15,00.46)	41,17.25	41,14.39
			(-2.86)

15,00.46 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 15,23.07 लाख ₹ की कमी (समर्पण 15,00.46 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 22.61 लाख ₹) एवं 22.61 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुई (22.61 लाख ₹) वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान, स्वरोजगार योजना के लक्ष्य की पूर्ति जिला कार्यालय में व्ही.पी.एन. कनेक्शन के भुगतान एवं डी.ई.ओ. /चौकीदार/भृत्यों के पदों की भर्ती पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण हुई। 15,00.46 लाख ₹ की शेष कमी के विशिष्ट सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(6) 2852-80-001-3370-मध्यवर्ती कार्यालय-				
मूल	13,18.65			
पुनर्वि.	(-2,81.02)	10,37.63	10,34.45	(-3.18)

2,81.02 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,90.48 लाख ₹ की कमी (समर्पण 281.02 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 9.46 लाख ₹) एवं 9.46 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुई (9.46 लाख ₹) वृद्धि संयुक्त संचालक द्वारा लीवर ट्रान्सप्लान्ट कराये जाने एवं लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। 2,81.02 लाख ₹ की शेष कमी के विशिष्ट सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

[ब] आधिक्य:-

(1) 2851-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-				
6927-बीमार लघु उद्योगों के पुनर्जीवन की योजना-				
मूल	0.01			
पुनर्वि.	1,38.09	1,38.10	1,38.10	0.00

1,38.09 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के निर्णय के पालन में एक इकाई को सहायता दिये जाने के कारण हुआ।

(2) 2851-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-				
7390-एम.एस.एम.ई. बिजनेस फेसिलिटेशन सेन्टर-				
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	1,05.00	1,05.00	1,05.00	0.00

1,05.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन एम.एस.एम.ई. बिजनेस फेसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2801-बिजली			
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्जे			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	65,51,04,60		
पूरक	64,01,82,00	1,29,52,86,60	1,24,38,45,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)5,14,41,11 5,09,10,01
प्रभारित-			
मूल	2,50,00,00		
पूरक	63,13,35	3,13,13,35	3,13,13,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	96,40,43,05		
पूरक	5,62,71,00	1,02,03,14,05	73,55,96,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)28,47,17,11 28,47,17,11
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) 5,14,41.11 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में माह जुलाई 2016 एवं दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया क्रमशः 10,00,00.00 लाख ₹ एवं 5,56,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2017 में प्राप्त किया गया 48,45,82.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।			
(ii) 5,14,41.11 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 5,09,10.01 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) यद्यपि 5,14,41.11 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित हुये:-			

अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
[अ] बचत:—			
(1) 2801-80-101-9023- कृषक समृद्धि योजना हेतु अनुदान-			
मूल	50,50.00		
पुनर्वि.	(-)50,50.00	0.00	0.00
50,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2801-80-101-2035-अस्थाई पंप संयोजनों को स्थायी पंप संयोजनों में परिवर्तित करने की योजना-			
मूल	1,30,81.00		
पुनर्वि.	(-)1,30,81.00	0.00	0.00
(3) 2801-80-101-5607- कृषकों को नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु म.प्र. रा.वि.मं./उत्तरवर्ती कम्पनियों को अनुदान-			
मूल	3,97,29.00		
पुनर्वि.	(-)3,77,29.00	20,00.00	20,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 1,30,81.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) एवं 3,77,29.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत, योजना के स्थान पर नवीन योजना (मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन योजना) प्रारंभ होने के कारण हुई।			
[ब] आधिक्य:—			
2801-80-001-5855-म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेणियों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति-			
मूल	20,00,00.00		
पूरक	11,43,94.00		
पुनर्वि.	50,50.00	31,94,44.00	31,95,01.79
50,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अनुमानित दावों के आधार पर अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(iv) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि:-			
2045-103-3218-म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण-			
मूल	2,50,00.00		
पूरक	63,13.35	3,13,13.35	3,13,13.35
0.00			

ऊर्जा विकास निधि का गठन उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिये विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से सरकार द्वारा अधिरोपित ऊर्जा विकास उपकर से किया गया, जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारस्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), अनुसंधान एवं विकास योजनओं में विद्युत की उत्पादन क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वेक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर राजस्व शीर्ष "0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क 800-अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है। तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-3218-मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2016 को 13,09,99.40 लाख ₹ का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान 3,13,13.35 लाख ₹ की राशि जमा की गयी। वर्ष के दौरान निधि में से 65,84.10 लाख ₹ व्यय किया गया। 31 मार्च 2017 को निधि में 15,57,28.65 लाख ₹ के अंतशेष था। इस निधि के लेन-देन मुख्य शीर्ष "8229 विकास एवं कल्याण निधि 110-ऊर्जा विकास निधि के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, जिसका लेखा वित्त लेखे 2016-17 के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में (21,00.00 लाख ₹), दिसम्बर 2016 (5,41,71.00 लाख ₹) एवं मार्च 2017 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया 5,62,71.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4801-02-190-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
1226-सतपुड़ा व श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा आवंटित गोंदबेहरा उझैनी कोल ब्लॉक का विकास-			
मूल	2,90,00.00		
पुनर्वि.	(-),2,11,00.00	79,00.00	79,00.00
समर्पण के रूप में 2,11,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत गोंदबेहरा एवं उझैनी कोल ब्लॉक के विकास हेतु कंपनी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।			0.00
(2) 4801-02-190-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना-			
मूल	3,60,00.00		
पुनर्वि.	(-),1,70,00.00	1,90,00.00	1,90,00.00
			0.00

अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 4801-05-190-0410-ऊर्जा विकास निधि- 7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण- मूल 63,11.00 पुनर्वि. (-)52,31.00	10,80.00	10,80.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 1,70,00.00 लाख ₹ एवं 52,31.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण होना सूचित की गयी। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 4801-05-190-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 0663-मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना- पूरक 4,41,71.00 पुनर्वि. (-)2,22,59.25	2,19,11.75	2,19,11.75	0.00
पुनर्विनियोजन के रूप में 2,22,59.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(5) 4801-05-190-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 2036-स्मार्ट मीटरिंग- मूल 60,00.00 पुनर्वि. (-)60,00.00	0.00	0.00	0.00
(6) 4801-05-190-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 2037-वितरण कंपनियों के ट्रान्सफार्मर की फेल्योर दर घटाने हेतु उन्नयन योजना- मूल 73,00.00 पुनर्वि. (-)73,00.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 60,00.00 लाख ₹ एवं 73,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			
(7) 4801-05-190-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 2051-विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण की राशि का अंश पूंजी में परिवर्तन- मूल 50,00,00.00 पुनर्वि. (-)50,00,00.00	0.00	0.00	0.00
50,00,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन 35,57,00.00 लाख ₹ + समर्पण 14,43,00.00 लाख ₹) उज्ज्वल डिस्कॉम ऐश्वोरेन्स योजना के अन्तर्गत राशि 35,57.00 करोड़ ₹ विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत् ऋण की राशि का अंशपूंजी में परिवर्तित किये जाने एवं योजना के परिवर्तित होने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 12-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + अनुदान
-------	---------------	------------------	--------------------

(लाख ₹ में) बचत (-)

(8) 4801-05-190-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-				
6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण-				
मूल	1,00,00.00			
पुनर्वि.	(-)90,50.00	9,50.00	9,50.00	0.00
(9) 6801-190-5488-विद्युत वितरण कंपनियों को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण-				
मूल	5,00,00.00			
पुनर्वि.	(-)2,00,00.00	3,00,00.00	3,00,00.00	0.00
समर्पण के रूप में 90,50.00 लाख ₹ एवं 2,00,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से सहमति प्राप्त न होने के कारण हुई।				
(10) 6801-190-7632-विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा एकत्रित विद्युत शुल्क तथा उपकर की राशि का सतत ऋण में परिवर्तन – वर्ष 2016–17 तक-				
मूल	16,40,00.00			
पुनर्वि.	(-)1,74,47.40	14,65,52.60	14,65,52.60	0.00
समर्पण के रूप में 1,74,47.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वितरण कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।				
(11) 6801-190-7633-ट्रेडिंग कम्पनी की विद्युत परियोजना के विद्युत देयकों की देनदारियों का सतत ऋण में परिवर्तन वर्ष 2016–17-				
मूल	4,52,00.00			
पुनर्वि.	(-)97,71.74	3,54,28.26	3,54,28.26	0.00
समर्पण के रूप में 97,71.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत सरदार सरोवर परियोजना के अन्तर्गत विद्युत क्रय कम किये जाने के कारण हुई। शीर्ष के अन्तर्गत 2015–16 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(12) 6801-190-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-				
2034-आई.पी.डी.एस. (कंपनी अंश)-				
मूल	84,10.00			
पुनर्वि.	(-)34,10.00	50,00.00	50,00.00	0.00

अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष

कुल

वास्तविक

आधिक्य +

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(13) 6801-190-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण-			
मूल	1,47,24.00		
पुनर्वि.	(-),22,04.00	25,20.00	25,20.00
समर्पण के रूप में 34,10.00 लाख ₹ एवं 1,22,04.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग की सहमति प्राप्त न होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			0.00
(14) 6801-204-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
6869-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना-			
मूल	66,96.00		
पुनर्वि.	(-),22,45.98	44,50.02	44,50.02
(15) 6801-205-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं ¼सामान्य½-			
5523-कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था-			
मूल	2,10,16.00		
पुनर्वि.	(-),41,25.30	1,68,90.70	1,68,90.70
(16) 6801-205-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं ¼सामान्य½-			
6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण-			
मूल	62,68.00		
पूरक	1,00,00.00		
पुनर्वि.	(-),44,33.80	1,18,34.20	1,18,34.20

उपरोक्त क्रय संख्या (14) से (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 22,45.98 लाख ₹ 41,25.30 लाख ₹ एवं 44,33.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वितरण कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत अंशतः प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 12-समाप्त

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(1) 4801-05-190-0410-ऊर्जा विकास निधि-			
0663-मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	2,22,59.25	2,22,59.25	2,22,59.25
2,22,59.25 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			0.00
(2) 4801-05-190-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
0688-मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	35,57,00.00	35,57,00.00	35,57,00.00
35,57,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन योजना के परिवर्तन के कारण हुआ।			0.00

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2401-फसल कृषि कर्म			
2402-मृदा तथा जल संरक्षण			
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	18,77,87,91		
पूरक	22,83,34,01	41,61,21,92	30,47,25,35 (-)11,13,96,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (25 जनवरी, 25 फरवरी एवं 8-21-31 मार्च 2017)			10,42,59,06
<i>प्रभारित</i>	<i>13,85</i>	<i>1,33</i>	<i>(-)12,52</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>12,52</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)		1	00 (-)1

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 11,13,96.57 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2016 (13,31,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि दिसम्बर 2016 (9,52,34.01 लाख ₹) एवं मार्च 2017 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 11,13,96.57 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 25 जनवरी, 25 फरवरी एवं 8-21-31 मार्च 2017 को 10,42,59.06 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2401-001-0119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)-			
मूल	3,22,80.66		
पुनर्वि.	(-)66,26.41	2,56,54.25	2,56,48.59 (-)5.66
66,26.41 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 66,67.91 लाख ₹ (समर्पण 66,26.41 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 41.50 लाख ₹) की कमी एवं 41.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वेतन एवं यात्रा भत्ता मद में बचत होने के कारण हुई (62,51.75 लाख ₹) जबकि वृद्धि कार्यभारित कर्मचारियों को वेतन का एवं उद्देश्य शीर्ष 19-001, 19-003, 19-028 एवं 43- अंशदान के शीर्षान्तर्गत भुगतान करने के कारण होना सूचित की गई। 4,16.16 लाख ₹ की अवशेष कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2401-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
3733-राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-			
मूल	1,02,01.00		
पुनर्वि.	(-)7,25.43	94,75.57	84,55.51 (-)10,20.06
7,25.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 10,02.93 लाख ₹ (समर्पण 7,25.43 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,77.50 लाख ₹) की कमी एवं 2,77.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वेतन, महंगाई एवं यात्रा भत्ता मद में बचत होने के कारण हुई (6,95.07 लाख ₹) जबकि वृद्धि वेतन, ग्रेड वेतन एवं डाक एवं तार व्यय के लिए राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। 3,07.86 लाख ₹ की अवशेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
7497-सब मिशन रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट-			
मूल	40,50.00		
पुनर्वि.	(-)34,18.17	6,31.83	6,31.83 0.00
34,18.17 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई (31,58.94 लाख ₹)। 2,59.23 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(4) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7498-सब मिशन आन फार्म वाटर मैनेजमेंट-			
मूल	19,66.88		
पुनर्वि.	(-)5,03.76	14,63.12	14,63.12
			0.00
5,03.76 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7499-सब मिशन स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट-			
मूल	15,00.10		
पूरक	36,00.00		
पुनर्वि.	(-)41,48.21	9,51.89	9,51.89
			0.00
41,48.21 लाख ₹ की (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत अंशतः टेंडर प्रक्रियाधीन होने से खरीदी संभव नहीं होने के कारण हुई (40,82.23 लाख ₹)। 65.98 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-			
मूल	2,27,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,31,67.80	95,32.20	95,32.20
			0.00
1,31,67.80 लाख ₹ (समर्पण 83,87.80 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 47,80.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत उद्देश्य शीर्ष 42-001 अधोसंरचना/पूँजीगत परिसम्पतियां मद में बचत होने, भारत सरकार द्वारा कम रिलीज प्राप्त होने एवं स्वाइल हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत पुनर्विनियोजन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई (74,08.68 लाख ₹)। 57,59.12 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7717-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-			
मूल	86,35.99		
पुनर्वि.	(-)78,34.70	8,01.29	8,01.29
			0.00
78,34.70 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से कम रिलीज प्राप्त होने के कारण हुई (50,06.46 लाख ₹)। 28,28.24 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(8) 2401-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5647-कृषकों को कृषि यंत्रों/ सिंचाई यंत्रों के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान-			
मूल	27,00.00		
पुनर्वि.	(-)3,16.69	23,83.31	21,13.31
			(-)2,70.00
3,16.69 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः जिला अधिकारियों के द्वारा राषि का उपयोग नहीं करने के कारण हुई (3,00.00 लाख ₹)। 16.69 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2401-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
1227-परंपरागत खेती विकास योजना-			
मूल	41,50.00		
पुनर्वि.	(-)22,08.03	19,41.97	19,41.97
			0.00
22,08.03 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम रिलीज प्राप्त होने के कारण हुई।			
(10) 2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6666-नवीन खाद एवं बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला-			
मूल	6,75.00		
पुनर्वि.	(-)3,36.16	3,38.84	2,71.31
			(-)67.53
3,36.16 लाख ₹ (समर्पण 87.16 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,49.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः वेतन मद में बचत एवं नवीन लैब की अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण हुई (2,96.70 लाख ₹)। 45.46 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।			
(11) 2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7716-सोलर पंप पर टॉप-अप अनुदान-			
मूल	19,50.00		
पुनर्वि.	(-)17,55.00	1,95.00	0.00
			(-)1,95.00
17,55.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत योजना ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(12) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन-			
मूल	56,55.27		
पुनर्वि.	(-)30,09.62	26,45.65	26,45.65
			0.00
30,09.62 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से कम रिलीज प्राप्त होने के कारण हुई (10,91.17 लाख ₹)। 19,18.45 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 2401-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7492-सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा)-			
मूल	54,00.00		
पुनर्वि.	(-)15,65.46	38,34.54	38,34.54
			0.00
15,65.46 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			
(14) 2401-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7494-नेशनल ई गर्वनेंस प्लान -			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(-)5,00.00	0.00	0.00
			0.00
5,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से कम रिलीज प्राप्त होने के कारण हुई (4,35.00 लाख ₹)। 65.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।			
(15) 2401-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7494-सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल-			
मूल	43,87.53		
पुनर्वि.	(-)31,94.67	11,92.86	11,92.86
			0.00
31,94.67 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 32,69.66 लाख ₹ (समर्पण 31,94.57 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 74.99 लाख ₹) की कमी एवं 74.99 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः आवंटित बजट में बचत होने एवं भारत सरकार से कम रिलीज प्राप्त होने के कारण हुई (22,74.75 लाख ₹)। वृद्धि प्रशिक्षण मद में भुगतान होने के कारण हुई। 9,94.81 लाख ₹ की अवशेष कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य +
-------	---------------	------------------	----------

(लाख ₹ में)

बचत (-)

(16) 2401-109-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-7080-कौशल विकास प्रशिक्षण
कार्यक्रमों का संचालन-

मूल 6,75.00

पुनर्वि. (-)6,07.50 67.50 0.00 (-)67.50

6,07.50 लाख ₹ (समर्पण 6,07.48 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 0.02 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत आवंटित बजट में बचत होने एवं योजना बन्द होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।

(17) 2401-109-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

7670-कृषि महोत्सव-

मूल 6,75.00

पुनर्वि. (-)6,07.50 67.50 0.00 (-)67.50

6,07.50 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत कृषि महोत्सव हेतु राषि मण्डी बोर्ड की सुरक्षा निधि से प्राप्त हो जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।

(18) 2401-110-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

8768-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना-

मूल 2,30,47.61

पूरक 21,76,89.00

पुनर्वि. (-)4,31,63.68 19,75,72.93 19,52,68.17 (-)23,04.76

4,31,63.68 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः वेतन मद में बचत एवं राज्यांश प्राप्त होने के कारण हुई (4,31,62.04 लाख ₹)। 1.64 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारणों साथ ही अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(19) 2401-113-0903-कृषि यांत्रिकी
संचालनालय की स्थापना-

मूल 23,40.85

पुनर्वि. (-)92.17 22,48.68 12,73.65 (-)9,75.03

92.17 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारणों साथ ही अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(20) 2401-113-4204-शासकीय मशीन
ट्रेक्टर स्टेशन योजना-

मूल 15,84.70

पुनर्वि. (-)1,52.64 14,32.06 11,44.69 (-)2,87.37

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)आधिक्य +
बचत (-)

1,52.64 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारणों साथ ही अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी

बचत हुई थी।

(21) 2401-113-0701- केन्द्र प्रवर्तित
योजना सामान्य-
5626-राष्ट्रीय कृषि विकास
योजना-

मूल	1,00,00.00			
पुनर्वि.	(-)22,46.88	77,53.12	77,53.12	0.00

22,46.88 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारणों साथ ही अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(22) 2401-113-0701-केन्द्र प्रवर्तित
योजना सामान्य-
7451-कस्टम हाईरिंग सेक्टर की
स्थापना पर अनुदान
(एस.एम.ए.एम)-

मूल	15,00.00			
पुनर्वि.	(-)13,68.31	1,31.69	1,31.69	0.00

13,68.31 लाख ₹ (समर्पण 13,68.30 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 0.01 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।

(23) 2401-113-0701-केन्द्र प्रवर्तित
योजना सामान्य-
7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-

मूल	20,00.00			
पुनर्वि.	(-)4,02.75	15,97.25	7,97.25	(-)8,00.00

(24) 2401-113-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

5647-कृषकों को कृषि यंत्रों/
सिंचाई यंत्रों के लिए विशेष
सहायता टॉप-अप अनुदान-

मूल	15,78.19			
पूरक	10,00.00			
पुनर्वि.	(-)4,49.06	21,29.13	21,29.13	0.00

अनुदान संख्या 13-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(25) 2401-113-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6674-कृषि यंत्रीकरण को			

प्रोत्साहन-

मूल 33,75.00

पुनर्वि. (-)4,47.01 29,27.99 29,27.99 0.00

(26) 2401-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित

योजना सामान्य-

5626-राष्ट्रीय कृषि विकास

योजना-

मूल 93,19.00

पूरक 60,00.00

पुनर्वि. (-)14,81.67 1,38,37.33 1,38,37.33 0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (23) से (26) के शीर्षान्तर्गत क्रमः 4,02.75 लाख ₹, 4,49.06 लाख ₹, 4,47.01 लाख ₹ एवं 14,81.67 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारणों एवं क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (24) से (26) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(27) 2402-102-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)-

3142-भूमि संरक्षण कटावरोधक

बंधान की योजना-

मूल 79,96.00

पुनर्वि. (-)28,06.15 51,89.85 48,41.91 (-)3,47.94

28,06.15 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 31,80.82 लाख ₹ (समर्पण 28,06.15 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,74.67 लाख ₹) की कमी एवं 3,74.67 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वेतन एवं भत्ता मद में बचत होने के कारण हुई (27,73.70 लाख ₹)। वृद्धि महंगाई भत्ता का भुगतान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

(1) 2401-109-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)-

5359-बलराम तालाब-

मूल 0.01

पुनर्वि. 8,78.19 8,78.20 8,78.19 (-)0.01

अनुदान संख्या 13-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

8,78.19 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 8,83.49 लाख ₹ की वृद्धि एवं 5.30 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि उद्देश्य शीर्ष 44-008 अन्य राज सहायता मे मांग होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(2) 2401-113-0701-केन्द्र प्रवर्तित

योजना सामान्य-

7450-ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों
पर अनुदान (एस.एम.ए.एम.)-

मूल	19,00.00			
पुनर्वि.	7,70.24	26,70.24	26,70.24	0.00

7,70.24 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 13,68.30 लाख ₹ की वृद्धि एवं 5,98.06 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार से बजट प्रावधान में उपलब्ध राशि से अधिक राशि प्राप्त होने के कारण उद्देश्य शीर्ष 44-008 अन्य राज सहायता मद में राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2403-पशुपालन			
4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	7,64,18,30		
पूरक	6,00,00	7,70,18,30	6,18,34,26 (-)1,51,84,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (23-31 मार्च 2017)			1,48,66,27
<i>प्रभारित-</i>		10,00	00 (-)10,00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			10,00
पूंजीगत:			
दत्तमत		21,09,26	15,23,77 (-)5,85,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			2,54,13

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 6,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,51,84.04 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 23-31 मार्च 2017 को 1,48,66.27 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 14-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2403-001-1468-जिला एवं संभागीय स्तर -			
मूल	27,85.77		
पूरक	(-5,69.11	22,16.66	22,16.66
			0.00
5,69.11 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 7,12.79 लाख ₹ की कमी एवं 1,43.68 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने, सेवा निवृत्ति, व्ही.ए.एस.एस.सी./एस.टी. के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने, मांग कम होने, क्रय पर प्रतिबंध एवं वेतन भत्तों शीर्षों में बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि अपर्याप्त प्रावधान के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2403-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
7480-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य एवं पशु रोग-			
मूल	23,81.29		
पुनर्वि.	(-14,80.23	9,01.06	9,01.06
			0.00
समर्पण के रूप में 14,80.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त होने एवं भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2403-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6998-पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय-			
मूल	33,55.00		
पुनर्वि.	(-33,55.00	0.00	0.00
			0.00
समर्पण के रूप में 33,55.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महू के सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रगति धीमी होने से भुगतान न किये जाने तथा मशीन एवं संयंत्र के क्रय हेतु निविदा आमंत्रण में विलम्ब के कारण व्यय न होने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2403-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
3786-माता महामारी उन्मूलन -			
मूल	11,39.14		
पुनर्वि.	(-2,39.69	8,99.45	8,99.45
			0.00
2,39.69 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,77.02 लाख ₹ की कमी एवं 37.33 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने, सेवानिवृत्ति, मांग में कमी, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबन्ध लगाये जाने एवं वेतन शीर्ष में बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि अपर्याप्त प्रावधान होने से राशि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 14-जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(5) 2403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2549-पशु चिकित्सालय-			
मूल	1,66,44.61		
पुनर्वि.	(-)23,13.95	1,43,30.66	1,39,97.90 (-)3,32.76

23,13.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 36,66.87 लाख ₹ की कमी एवं 13,52.92 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने, सेवानिवृत्ति, मांग में कमी, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने एवं वेतन शीर्ष में बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि अपर्याप्त प्रावधान होने से राशि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 2403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5007-पशु औषधालय-			
मूल	1,28,01.75		
पुनर्वि.	(-)14,53.83	1,13,47.92	1,13,47.92 0.00

14,53.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 27,04.96 लाख ₹ की कमी एवं 12,51.13 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने, सेवानिवृत्ति, मांग कम होने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने एवं वेतन शीर्ष में बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि व्यय अनुसार राशि की आवश्यकता के कारण हुई।

(7) 2403-102-2567-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र-			
मूल	10,79.35		
पूरक	4,00.00		
पुनर्वि.	(-)3,64.86	11,14.49	11,14.49 0.00

3,64.86 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,78.64 लाख ₹ की कमी एवं 13.78 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने, सेवानिवृत्ति, मांग कम होने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने एवं विस्तृत शीर्ष 11 एवं 31 के अन्तर्गत बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि व्यय अनुसार राशि की अधिक आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 2403-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1108-गहन पशु विकास योजना-			
मूल	1,39,47.51		
पुनर्वि.	(-)20,32.54	1,19,14.97	1,19,14.97 0.00

20,32.54 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 35,72.52 लाख ₹ की कमी एवं 15,39.98 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त होने, सेवानिवृत्ति, मांग कम होने, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने एवं जे.के. ट्रस्ट को भुगतान के बाद बचत होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि जे.के. ट्रस्ट को भुगतान के बाद शेष राशि का समर्पण तरल नाइट्रोजन एवं फ़ोजन सीमेन के लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई।

अनुदान संख्या 14-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(9) 2403-107-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)-

2088-चारा उत्पादन कार्यक्रम-

मूल	10,00.00			
पुनर्वि.	(-)10,00.00	0.00	0.00	0.00

10,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण 8,04.17 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,95.83 लाख ₹) मुख्यतः वित्त विभाग से योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(10) 2403-109-2737-प्रशिक्षण केन्द्र-

मूल	3,82.47			
पुनर्वि.	(-)1,07.16	2,75.31	2,75.31	0.00

1,07.16 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,23.99 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,07.16 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 16.83 लाख ₹) एवं 16.83 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने, सेवानिवृत्ति, मांग की कमी, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने एवं वेतन शीर्ष में बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि माह अक्टूबर में व्यय अनुसार अधिक राशि की आवश्यकता के कारण हुई।

(11) 2403-113-3784-रोग अनुसंधान-

मूल	5,58.59			
पुनर्वि.	(-)2,06.15	3,52.44	3,52.44	0.00

2,06.15 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,07.23 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,06.15 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1.08 लाख ₹) एवं 1.08 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने, सेवानिवृत्ति, मांग की कमी, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने एवं वेतन शीर्ष में बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि माह अक्टूबर में व्यय अनुसार अधिक राशि की आवश्यकता के कारण हुई।

(12) 2403-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित

योजना सामान्य-

5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

मूल	45,00.00			
पुनर्वि.	(-)4,85.68	40,14.32	40,14.32	0.00

समर्पण के रूप में 4,85.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत एफ.एम.डी. कन्ट्रोल प्रोग्राम योजना के तहत रेफ्रीजरेटर्स, क्रय आदेश जारी होने के पश्चात प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(13) 2403-800-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)-

7647-109-चलित पशु कल्याण

सेवायें-

मूल	5,64.92			
पुनर्वि.	(-)5,64.92	0.00	0.00	0.00

समर्पण के रूप में 5,64.92 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (संपूर्ण प्रावधान) योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(14) 2403-800-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)-

8703-दुग्ध उत्पादन एवं

अधोसंरचना -

मूल	8,90.55			
पुनर्वि.	(-),1,66.98	7,23.57	7,23.57	0.00

1,66.98 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,43.81 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,66.98 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 76.83 लाख ₹) एवं 76.83 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने, सेवानिवृत्ति, मांग की कमी, वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने एवं वेतन भत्ते शीर्ष में बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि व्यय अनुसार अधिक राशि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(1) 2403-001-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

5561-पशु चिकित्सा विस्तार
कार्यक्रम-

मूल	6,82.65			
पुनर्वि.	1,26.61	8,09.26	8,09.26	0.00

1,26.61 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,88.77 लाख ₹ की वृद्धि एवं 62.16 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि व्यय हेतु अधिक राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी पद रिक्त होने एवं सेवानिवृत्ति के कारण हुई।

(2) 2403-800-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

2087-आचार्य विद्यासागर दुग्ध धारा
कार्यक्रम-

मूल	11,55.01			
पुनर्वि.	2,99.99	14,55.00	14,55.00	0.00

2,99.99 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.01 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि योजना में राशि की आवश्यकता के कारण हुई।

प्रभारित-

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 14-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	----------------	---------------------------------	---------------------

2403-001-4297-संचालनालय
स्तर-

मूल	10.00		
-----	-------	--	--

पुनर्वि. (-)10.00 0.00 0.00 0.00

समर्पण के रूप में 10.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत न्यायालयीन प्रकरणों में मांग न होने के कारण हुई।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) 5,85.49 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 2,54.13 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5093-पशु चिकित्सालयों का सुदृढीकरण-			
मूल	4,95.00		
पुनर्वि.	(-)1,48.68	3,46.32	2,02.66 (-)1,43.66
समर्पण के रूप में 1,48.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि के आहरण न किये जाने एवं योजना मानक अनुसार निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त राशि न होने के कारण हुई। अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 4403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5561-पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम-			
मूल	3,40.00		
पुनर्वि.	(-)19.80	3,20.20	1,94.15 (-)1,26.05
समर्पण के रूप में 19.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरण न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 4403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6998-पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय-			
मूल	72.00		
पुनर्वि.	(-)72.00	0.00	0.00 0.00
अनुदान संख्या 14—समाप्त			

शीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)

आधिक्य + बचत (-)

समर्पण के रूप में 72.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत सी.पी.डब्ल्यू.डी. से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(4) 4403-800-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)-

7482-गौ अभ्यारण अनुसंधान एवं
उत्पादन केन्द्र-

मूल	9,02.26			
पुनर्वि.	(-)1,69.91	7,32.35	7,32.30	(-)0.05

1,69.91 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 13.65 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 1,56.26 लाख ₹) वित्त विभाग से पुनर्विनियोजन की अनुमति प्राप्त न होने एवं निर्माण एजेन्सियों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

4403-800-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)-

6750-अधोसंरचना विकास-

मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	1,56.26	4,56.26	3,94.65	(-)61.61

1,56.26 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2215-जलपूर्ति तथा सफाई			
2216-आवास			
2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401-फसल कृषि कर्म			
2405-मछली पालन			
2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505-ग्रामीण रोजगार			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2702-लघु सिंचाई			
2851-ग्राम तथा लघु उद्योग			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	19,45,76,82		
पूरक	12,90,09,09	32,35,85,91	24,73,27,60 (-)7,62,58,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (08-31 मार्च 2017)			7,22,84,99
पूंजीगत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	1,13,48,75	2,61,33	(-)1,10,87,42 20,26,87

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 7,62,58.31 ₹ लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, कुल अनुपूरक अनुदान 12,90,09.09 लाख ₹ में से जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया (4,46,67.32 लाख ₹) का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 8,43,41.77 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 7,62,58.31 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 08-31 मार्च 2017 को केवल 7,22,84.99 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 15—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
14-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग			
(1) 2702-02-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 2791-प्राइवेट एजेंसियों, टेकेदार द्वारा कृषकों के खेतों पर सफल नलकूप खनन पर सहायता- मूल पुनर्वि.	6,68.13 (-)1,93.40	4,74.73	4,07.92 (-)66.81
1,93.40 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः जिला अधिकारियों द्वारा राशि का उपयोग न करने के कारण हुई (1,90.00 लाख ₹)। अंतिम बचत (66.81 लाख ₹) वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत मितव्ययता कटौती किये जाने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत (3.40 लाख ₹) साथ ही साथ अंतिम बचत हेतु कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16 एवं 2014—15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
20-स्कूल शिक्षा विभाग			
(2) 2202-02-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5276-अध्यापक/संविदा शाला शिक्षक के वेतन के लिए अनुदान- मूल पुनर्वि.	19,81.52 (-)14,18.58	5,62.94	3,77.28 (-)1,85.66
14,18.58 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) साथ ही अंतिम बचत हेतु कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
22-पंचायत विभाग			
(3) 2515-789-198-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.पी.एस.पी.- 0647-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)- पूरक	8,62.10	8,62.10	7,61.77 (-)1,00.33
(4) 3604-789-198-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	1,38,63.61	1,24,77.25	(-)13,86.36
इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त संख्या क्र. (4) के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 15—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग			
(5) 2225-01-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 4717-अनुसूचित जाति छात्रावास-			
मूल	1,30,00.00		
पूरक	21,54.73		
पुनर्वि.	(-)26,73.61	1,24,81.12	1,11,79.51 (-)13,01.61
26,73.61 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार कम व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2225-01-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5133-अन्य छात्रवृत्तियां-			
मूल	44,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,05.77	41,94.23	37,54.69 (-)4,39.54
(7) 2225-01-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 8805- प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालकों को छात्रवृत्ति-			
मूल	17,50.00		
पुनर्वि.	(-)6,89.12	10,60.88	8,85.88 (-)1,75.00
(8) 2225-01-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 0327-अस्वच्छ धंधे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति-			
मूल	6,40.00		
पुनर्वि.	(-)3,50.67	2,89.33	2,89.38 +0.05
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के अन्तर्गत क्रमशः 2,05.77 लाख ₹, 6,89.12 लाख ₹ एवं 3,50.67 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः आवश्यकतानुसार कम व्यय करने के कारण हुई (49.46 लाख ₹, 3,36.86 लाख ₹ एवं 6,73.84 लाख ₹)। उपरोक्त क्रम संख्या (6), (7) एवं (8) के अन्तर्गत क्रमशः शेष प्रत्याशित बचत 1,56.31 लाख ₹, 13.81 लाख ₹, एवं 15.28 लाख ₹ के लिए साथ ही साथ क्रम संख्या (6) एवं (7) के अन्तर्गत अंतिम बचत हेतु कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (6) के अन्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
58-ग्रामीण विकास विभाग			
(9) 2215-02-789-198-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 5206-निर्मल भारत अभियान-			
मूल	1,23,60.07		
पूरक	4,29,12.00		
पुनर्वि.	(-)2,02,81.47	3,49,90.60	3,49,90.60
2,02,81.47 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।			
(10) 2216-03-789-198-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-			
5131-मुख्यमंत्री अन्तोदय आवास योजना-			
मूल	17,63.40		
पुनर्वि.	(-)8,81.74	8,81.66	7,05.32
8,81.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) प्रभारी अधिकारी द्वारा राशि की मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(11) 2501-02-789-198-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 5770- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटर शेड विकास)-			
मूल	55,00.00		
पुनर्वि.	(-)7,53.87	47,46.13	47,46.13
(12) 2505-01-789-198-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
मूल	6,40,26.55		
पूरक	1,60,00.00		
पुनर्वि.	(-)3,31,49.94	4,68,76.61	4,68,76.61

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(13) 2515-789-198-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना- 6931-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम-			
मूल	1,54,43.41		
पूरक	1,63,11.63		
पुनर्वि.	(-)86,67.37	2,30,87.67	2,30,87.67
			0.00
(14) 2515-789-800-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना एस.सी.एस.पी.- 7886-मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन-			
मूल	20,00.00		
पूरक	6,71.99		
पुनर्वि.	(-)17,61.29	9,10.70	9,10.70
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (14) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 7,53.87 लाख ₹, 3,31,49.94 लाख ₹, 86,67.37 लाख ₹ एवं 17,61.29 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, क्रम संख्या (13) के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-16 तथा क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

59-औद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(15) 2401-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 2807-फल पौधरोपण योजना-				
मूल	5,20.47			
पुनर्वि.	(-)3,89.52	1,30.95	1,30.67	(-)0.28

3,89.52 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में परिवर्तन होने से प्रगति धीमी होने के कारण हुई।

पूँजीगत:

(iv) 1,10,87.42 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल 20,26.87 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

58-ग्रामीण विकास विभाग

4515-789-800-0103-अनुसूचित जाति
उपयोजना-

6084-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं
अवसंरचना योजना-

मूल 1,13,48.75

पुनर्वि. (-)20,26.87 93,21.88 2,61.33 (-)90,60.55

20,26.87 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि आहरित न करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2405-मछली पालन			
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत-

मूल	68,93,45			
पूरक	14,90,00	83,83,45	58,72,75	(-)25,10,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				1,02,87

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में राशि 58,72,75,034 ₹ के कुल व्यय में 21.11.2016 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 4,00,00,000 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित-	3,00	2,62	(-)38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

पूंजीगत:

दत्तमत	20,00	20,00	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 (90.00 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2016 (14,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 14,90.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 25,10.70 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल 1,02.87 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 16—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2405-001-2304-निदेशन एवं प्रशासन	8,02.39	4,19.28	(-)3,83.11
इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (1.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि कार्यभारित/आकस्मिक सेवाओं के कर्मचारियों के लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2405-101-0162-मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला	33,85.43	28,12.45	(-)5,72.98
इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (2.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि ग्रेड-पे में प्रावधान कम होने एवं चौकीदार के हार्ट अटैक को उपचार राज्य के बाहर कराने की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 0665-नील क्रान्ति- पूरक	14,00.00	14,00.00	10,68.00
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(4) 2405-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1450-जलाशयों तथा नदियों में मत्स्योद्योग का विकास- मूल पुनर्वि.	1,44.33 (-)19.30	1,25.03	1,00.57 (-)24.46
समर्पण के रूप में 19.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2405-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3314-मत्स्य बीज उत्पादन- मूल पुनर्वि.	6,30.46 (-)89.81	5,40.65	4,22.07 (-)1,18.58
89.81 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 83.57 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6.24 लाख ₹) मुख्यतः आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई (83.57 लाख ₹)। 6.24 लाख ₹ की शेष बचत के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 2405-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4217-विस्तार और प्रशिक्षण	82.20	37.45	(-)44.75
इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (6.70 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि मंहगाई भत्ता एवं ग्रेड-पे के अन्तर्गत प्रावधान कम होने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(7) 2405-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-			
मूल	13,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,00.00	11,00.00	4,70.70
			(-)6,29.30
2,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,15.00 लाख ₹ की कमी एवं 2,15.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मांग प्राप्त न होने एवं राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्वीकृत न होने के कारण हुई। वृद्धि राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकृति होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 2405-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3321-मत्स्यालय	1,07.67	34.93	(-)72.74
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

प्रभारित-

(iv) 0.38 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2425-सहकारिता			
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425-सहकारिता के लिये कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	6,70,87,53		
पूरक	8,60,25,00	15,31,12,53,	10,00,81,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)5,30,30,56 निरंक
<i>प्रभारित</i>		<i>1,50</i>	<i>00</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>(-)1,50</i> <i>निरंक</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	2,76,65,19		
पूरक	6,57,56,34	9,34,21,53	9,00,97,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)33,24,19 निरंक

पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में राशि 9,00,97,33,711 ₹ के कुल व्यय में 13.06.2016 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 15,00,00,000 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 5,30,30.56 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2016 में 8,60,25.00 लाख ₹ का एवं मार्च 2017 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 5,30,30.56 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2425-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 0123-निदेशन-			
मूल	58,65.36		
पुनर्वि.	0.90	58,66.26	45,21.34 (-)13,44.92
0.90 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन दैनिक वेतनभोगी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन भुगतान के कारण होना सूचित किया गया है।			
(2) 2425-001-0101- राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
2294-निर्देशन	7,52,30	5,60.36	(-)1,91.94
इस शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2425-101-0359-आडिट बोर्ड-			
मूल	41,51.43		
पुनर्वि.	(-)0.90	41,50,53	35,81.53 (-)5,69.00
0.90 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,20.90 लाख ₹ की कमी पुनर्विनियोजन के रूप में एवं 2,20.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी आवंटित बजट के व्यय न होने के कारण हुई। वृद्धि फरवरी 2017 के वेतन भुगतान किये जाने के कारण होना सूचित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9134-प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन कर ब्याज अनुदान-			
मूल	42,50.00		
पूरक	1,38,75.00		
पुनर्वि.	(-)66,52.38	1,14,72.62	35,08.89 (-)79,63.73
66,52.38 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन के रूप में योग्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(5) 2425-107-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान-			
मूल	4,40,00.00		
पूरक	6,03,00.00		
पुनर्वि.	(-)7,58.23	10,35,41.77	6,07,63.93 (-)4,27,77.84

7,58.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन के रूप में आवंटित बजट के व्यय न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 2425-800-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
6965- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना			
मूल	20,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,61.70	17,38.30	17,38.00 (-)0.30

2,61.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन के रूप में आई.सी.डी.पी. परियोजनाओं से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2425-107-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
2091- मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना			
मूल	42,50.00		
पूरक	1,18,50.00		
पुनर्वि.	7,58.23	1,68,58.23	1,68,58.23 0.00
(2) 2425-108-7261-विपणन संघ को प्याज खरीदी में हुई हानि की प्रतिपूर्ति			
पुनर्वि.	66,52.38	66,52.38	66,52.38 0.00

7,58.23 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अनुमान से अधिक मांग होने के कारण होना सूचित किया गया है।

66,52.38 लाख ₹ के निधियों का आवर्धन का कारण सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 17—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 2425-108-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
6678-भण्डार गृह निर्माण हेतु अनुदान-			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	2,61.70	2,71.70	2,60.62 (-)11.08

2,61.70 लाख ₹ के निधियों का आवर्धन बजट प्रावधान में राशि उपलब्ध न होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(v) 1.50 लाख ₹ के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) 33,24.19 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 5,69,64.34 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि दिसम्बर 2016 (सांकेतिक) एवं मार्च 2017 में प्राप्त किया गया 87,92.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) 33,24.19 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) यद्यपि 33,24.19 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उपशीर्ष के अन्तर्गत उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित हुए हैं:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
4425-107-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
6425- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों/म.प्र. राज्य सहकारी बैंक को अंशपूँजी सहायता—			
पूरक	39,00.00	39,00.00	11,94.39 (-)27,05.61

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 18—श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230-श्रम तथा रोजगार			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	1,69,40,97		
पूरक	60,00	1,70,00,97	1,48,02,53 (-)21,98,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (17 जनवरी एवं 30 मार्च 2017)			15,12,92
<i>प्रभारित</i>		1,00	00 (-)1,00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2017)</i>			1,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 एवं दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया क्रमशः 10.00 लाख ₹ एवं 50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 21,98.44 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 17 जनवरी एवं 30 मार्च 2017 को केवल 15,12.92 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2210-01-102-0791-कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय-			
मूल	80,28.30		
पुनर्वि.	(-)9,91.29	70,37.01	70,07.85 (-)29.16
9,91.29 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 10,67.79 लाख ₹ की कमी (समर्पण 8,55.16 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,12.63 लाख ₹) एवं 76.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरणों के क्रय पर प्रतिबन्ध के कारण हुई (3,56.74 लाख ₹) एवं वृद्धि प्रावधान कम होने के कारण हुई। 7,11.05 लाख ₹ की कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 18—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 2210-01-102-2714-प्रशासन—			
मूल	3,43.55		
पुनर्वि.	(-)45.61	2,97.94	2,97.94
45.61 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 70.85 लाख ₹ की कमी (समर्पण के रूप में) एवं 25.24 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबन्ध लगाये जाने एवं फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरणों के क्रय पर प्रतिबन्ध के कारण हुई जबकि वृद्धि शीर्षान्तर्गत प्रावधान कम होने के कारण हुई।			0.00
(3) 2210-01-102-3676-राज्य बीमा अस्पताल—			
मूल	35,85.17		
पुनर्वि.	(-)4,43.11	31,42.06	31,25.59
4,43.11 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत, प्रावधान में 5,54.14 लाख ₹ की कमी (समर्पण 5,54.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 0.14 लाख ₹) एवं 1,11.03 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरणों के क्रय पर प्रतिबन्ध के कारण हुई, जबकि वृद्धि प्रावधान कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।			(-)16.47
(4) 2230-01-001-4268-श्रम आयुक्त—			
मूल	4,21.22		
पुनर्वि.	(-)12.87	4,08.35	3,54.32
12.87 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 25.18 लाख ₹ की कमी (समर्पण 12.87 लाख + पुनर्विनियोजन 12.31 लाख ₹) एवं 12.31 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी रिक्त पदों की पूर्ति न होने, अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति एवं 15.12.2016 से क्रय पर प्रतिबन्ध होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि दिसम्बर 2016 से 7 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की बकाया राशि के भुगतान, प्रावधान कम होने, मैदानी कार्यालयों में लंबित मजदूरी के भुगतान एवं बेकलॉग चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्ती हेतु "व्यापम" को 8.00 लाख ₹ के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			(-)54.03
(5) 2230-01-101-4271-श्रम कानूनों के कार्यन्वयन के लिये अमला-			
मूल	23,65.86		
पुनर्वि.	(-)12.51	23,53.35	19,44.22
12.51 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत, प्रावधान में 1,53.11 लाख ₹ की कमी एवं 1,40.60 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति न होने, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं प्रस्तावित प्रावधान 5.00 लाख ₹ के विरुद्ध 35.00 लाख ₹ बजट अनुमान में आवंटित करने के कारण हुई। जबकि वृद्धि समयमान—वेतन स्वीकृति किये जाने, ग्रेड पे में वृद्धि, लंबित चिकित्सा पूर्ति के देयकों, कार्यालय भवन के किराये, प्रशासनिक अकादमी भोपाल को प्रशिक्षण शुल्क के भुगतान, जिला कार्यालयों में पदाधिकारियों की पदस्थापना एवं लंबित देयकों के भुगतान हेतु आवश्यकता एवं प्रस्तावित राशि के विरुद्ध कम आवंटन प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			(-)4,09.13

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 2230-01-102-5810- औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा			
मूल	6,99.08		
पुनर्वि.	(-3.00)	6,96.08	5,65.48 (-)1,30.60

3.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 17.60 लाख ₹ की कमी एवं 14.60 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी 15 दिसम्बर 2016 से क्रय पर प्रतिबन्ध होने, अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं रिक्त पदों की पूर्ति न होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि प्रावधान कम होने, सहायक संचालक की चिकित्सा विभाग में पदस्थापना होने से नॉन प्रेक्टिस भत्ते एवं अन्य भत्ते के भुगतान एवं दस मृत श्रमिकों के आश्रितों को सहायता के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211-परिवार कल्याण			
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	43,28,65,99		
पूरक	सांकेतिक	43,28,65,99	34,37,48,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (20 फरवरी एवं 31 मार्च 2017)			(-),8,91,17,03 2,80,40,13

<i>प्रभारित</i>		60,30	3,28	(-),57,02
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>				<i>निरंक</i>

पूंजीगत:				
दत्तमत		57,52,25	55,02,21	(-),2,50,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				<i>निरंक</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 8,91,17.03 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 20 फरवरी एवं 31 मार्च 2017 को मात्र 2,80,40.13 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2210-01-001-2283-निदेशन एवं प्रशासन-			
मूल	65,84.56		
पुनर्वि.	(-),1,00.00	64,84.56	44,60.28
			(-),20,24.28

1,00.00 लाख ₹ के प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 2210-01-001-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	1,00.00	7.17	(-)92.83
(3) 2210-01-110-5719-चिकित्सा अवशिष्टों का विनिष्ठीकरण	8,00.00	5,97.24	(-)2,02.76
(4) 2210-01-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5613-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
(5) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 6271-जय प्रकाश अस्पताल का आधुनिकीकरण	1,80.01	39.51	(-)1,40.50
(6) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7880-उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना	8,00.00	5,40.00	(-)2,60.00

उपरोक्त क्रम संख्या ¼2½ से ¼6½ के शीर्षान्तर्गत बचत/संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या ¼6½ के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2210-01-196-1473-जिला / सिविल अस्पताल एवं औषधालय				
मूल	9,61,74.98			
पुनर्वि.	(-)88,50.00	8,73,24.98	7,59,32.27	(-)1,13,92.71

88,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 89,00.00 लाख ₹ की कमी एवं 50.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मांग प्राप्त होने के कारण हुई। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 2210-03-103-2777-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन-				
मूल	8,84,53.32			
पुनर्वि.	(-)1,08,80.00	7,75,73.32	6,52,20.24	(-)1,23,53.08

1,08,80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,09.30 लाख ₹ की कमी एवं 50.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि मांग प्राप्त होने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(9) 2210-03-103-7228-बाल हृदय उपचार संजीवनी योजना	3,00.00	83.19	(-)2,16.81
(10) 2210-03-103-7590-मुख्यमंत्री बाल श्रवण सहायता योजना	50.00	3.90	(-)46.10
(11) 2210-03-103-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	36,29.11	21,36.90	(-)14,92.21
उपरोक्त क्रम संख्या ¼49½ से ¼411½ के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या ¼49½ के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(12) 2210-03-197-5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	51,95.87		
पुनर्वि.	(-)14,29.00	37,66.87	34,37.85
(13) 2210-03-198-9812-उप स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	22,62.86		
पुनर्वि.	(-)10,80.00	11,82.86	9,33.46
(14) 2210-05-105-2502-परिचारिकाओं का प्रशिक्षण-			
मूल	24,40.45		
पुनर्वि.	(-)48.00	23,92.45	21,20.63
(15) 2210-06-003-5989-राज्य स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र-			
मूल	9,38.72		
पुनर्वि.	(-)4,36.20	5,02.52	4,27.04
उपरोक्त क्रम संख्या ¼412½ से ¼415½ के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 14,29.00 लाख ₹, 10,80.00 लाख ₹, 48.00 लाख ₹ एवं 4,36.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या ¼412½ के शीर्षान्तर्गत 2015-16 में एवं क्रम संख्या (13) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(16) 2210-06-003-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
4224-शिक्षा और प्रशिक्षण	1,82.00	58.54	(-)1,23.46

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 19-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(17) 2210-06-101-8150-बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम-			
मूल	2,81,17.08		
पुनर्वि.	(-)33,74.00	2,47,43.08	1,74,98.79 (-)72,44.29
समर्पण के रूप में 33,74.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(18) 2210-06-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
8132-एड्स रोगों की रोकथाम	55,60.00	1.12	(-)55,58.88
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(19) 2210-06-102-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
1070-खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम ¼खाद्य प्रयोगशाला सहित½-			
मूल	22,15.10		
पुनर्वि.	(-)39.93	21,75.17	4,29.54 (-)17,45.63
समर्पण के रूप में 39.93 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(20) 2210-06-102-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	50.00	2.77	(-)47.23
(21) 2210-06-104-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
0750-ड्रग कन्ट्रोल	11,70.09	2,38.96	(-)9,31.13
उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(22) 2210-06-196-4245-मलेरिया-			
मूल	1,96,19.36		
पुनर्वि.	(-)18,03.00	1,78,16.36	1,32,39.04 (-)45,77.32
समर्पण के रूप में 18,03.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(23) 2210-80-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7178-प्रसूति अवकाश सहायता	32,50.00	11,47.38	(-)21,02.62
(24) 2211-001-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य -			
3704-राज्य स्तरीय परिवार कल्याण संगठन	2,56.82	1,94.76	(-)62.06

उपरोक्त क्रम संख्या (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (23) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 दौरान भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
2210-03-103-5868-राज्य स्तरीय रोगी सहायता कोष	65,00.00	71,87.71	+6,87.71

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

प्रभारित:

(iv) 57.02 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2210-01-196-1473-जिला / सिविल अस्पताल एवं औषधालय	46.00	3.28	(-)42.72
(2) 2210-01-800-6105-पेंशन	14.30	0.00	(-)14.30

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः बचत एवं संपूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) 2,50.04 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) प्रावधान में बचत के निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 19-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	------------------	---------------------

(लाख ₹ में)

4210-01-110-0101-राज्य आयोजना
¼सामान्य½-

6882-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप
स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का
भवन निर्माण ¼नाबार्ड½-

मूल	21,00.00			
पुनर्वि.	(-) 3,00.00	18,00.00	15,49.97	(-)2,50.03

3,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

4210-01-110-0101-राज्य आयोजना
¼सामान्य½-

1320-नर्सिंग अधोसंरचना का उन्नयन
एवं सुदृढीकरण-

मूल	4,00.00			
पुनर्वि.	2,00.00	6,00.00	6,00.00	0.00

2,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2215-जलपूर्ति तथा सफाई			
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	4,89,03,32		
पूरक	70,00,00	5,59,03,32	4,92,11,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)66,91,51 41,69,40

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में राशि 4,92,11,80,859 ₹ के कुल व्यय में 07.02.2017 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 8,73,73,294 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित	1,00,00	25,86	(-)74,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

पूंजीगत:

दत्तमत			
मूल	8,54,74,14		
पूरक	1	8,54,74,15	4,18,33,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)4,36,40,77 4,05,47,10

4,18,33.38 लाख ₹ के कुल व्यय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा शीर्ष 4215-01-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-8888 आर्सेनिक/फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल के लिये संयंत्र की स्थापना कार्य के अन्तर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2017 को शीर्ष 8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा को जमा की गई, 13,35.00 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 66,91.51 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2017 में प्राप्त किया गया 70,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 66,91.51 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 41,69.40 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2215-01-001-2294-निर्देशन-			
मूल	31,01.67		
पुनर्वि.	(-)2,50.00	28,51.67	27,11.15 (-)1,40.52
2,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,13.30 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,50.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,63.30 लाख ₹) एवं 1,63.30 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई (1,63.30 लाख ₹) जबकि वृद्धि वाहनों के प्रतिस्थापन एवं संभावित व्यय के आकलन के कारण हुई। 2,50.00 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2215-01-001-2714-प्रशासन-			
मूल	1,33,98.94		
पुनर्वि.	(-)16,00.00	1,17,98.94	1,16,20.81 (-)1,78.13
16,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 20,62.00 लाख ₹ की कमी (समर्पण 6,00.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 14,62.00 लाख ₹) एवं 4,62.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः संभावित बचत के कारण हुई (14,62.00 लाख ₹) जबकि वृद्धि अभिभाषकों की फीस के लंबित देयकों के भुगतान एवं संभावित व्यय के आकलन के कारण हुई। 6,00.00 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2215-01-101-0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण-			
मूल	49,80.70		
पुनर्वि.	(-)6,80.00	43,00.70	40,18.89 (-)2,81.81
6,80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 8,20.85 लाख ₹ की कमी (समर्पण 6,80.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,40.85 लाख ₹) एवं 1,40.85 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई (1,40.85 लाख ₹), जबकि वृद्धि संभावित व्यय के आकलन के कारण हुई। 6,80.00 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(4) 2215-01-102-2219-नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण-			
मूल	2,19,80.50		
पुनर्वि.	(-)42,95.00	1,76,85.50	1,65,94.51 (-)10,90.99
42,95.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 48,25.00 लाख ₹ की कमी (समर्पण 19,95.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 28,30.00 लाख ₹) एवं 5,30.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई (28,30.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को एरियर्स के भुगतान के कारण हुई। 19,95.00 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(5) 2215-01-192-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि- 7297-खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय- मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	(-)1,75.00	1,25.00	1,11.02	(-)13.98
(6) 2215-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2658-पेंचव्हेली जल प्रदाय योजना- मूल	10,00.00			
पुनर्वि.	(-)3,70.00	6,30.00	5,30.00	(-)1,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 1,75.00 लाख ₹ एवं 3,70.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2215-02-107-1249-प्रदेश की
मलजल निकासी योजनाओं की
स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य-

मूल	34,36.31			
पुनर्वि.	(-)50.00	33,86.31	30,78.77	(-)3,07.54

50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,33.00 लाख ₹ की कमी (समर्पण 50.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 83.00 लाख ₹) एवं 83.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई (83.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को एरियर्स के भुगतान के कारण हुई। 50.00 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
2215-01-102-1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण-				
मूल	25.00			
पूरक	70,00.00			
पुनर्वि.	33,00.00	1,03,25.00	99,79.36	(-)3,45.64

33,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन नल जल योजना/हेण्डपम्प के संधारण हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(v) उचंत लेन देन:-

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2016-17 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थाई प्रकृति के लेन-देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि या तो संबंधित निर्माण कार्य के अंतिम व्यय के रूप में समायोजनीय नहीं होते हैं या जिनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रेनीत किया जाता है।

"उचंत" शीर्ष में चार उपभाग हैं, यथा:-

(i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचंत।

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन-देनों का प्रकार और लेखा कार्य-विधि जो अपनाई जाती है, निम्नानुसार स्पष्ट की गई है:-

(1) क्रय- राज्य में 1983-84 से प्रचलित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उपशीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रेनीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार- इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु अधिग्रहीत सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामें शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत- किये गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण कार्य विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, जिनकी वसूली या समायोजन लंबित हैं, इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान अनुदान के अंतर्गत लेखाबद्ध किये गए विभिन्न उचंत उपशीर्षों में उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष नामे + tek (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2017 को अंत शेष नामे + tek (-)
2215-जल पूर्ति तथा सफाई (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-)44,10.17	0.00	0.00	(-)44,10.17
(ii) भण्डार	+ 9,43.73	0.00	0.00	+ 9,43.73
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2,03,09.20	0.00	0.00	+ 2,03,09.20
योग	+ 1,68,42.76	0.00	0.00	+ 1,68,42.76

अनुदान संख्या 20-जारी

(vi) 74.14 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
2215-01-001-2294-निदेशन	1,00.00	25.86	(-)74.14

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(viii) 4,36,40.77 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 4,05,47.10 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4215-01-001-1854-ड्रिलिंग रिग्स का ऑपरेशन/वर्कशाप/एयर कम्प्रेसन-			
मूल	45,24.46		
पुनर्वि.	(-)3,80.00	41,44.46	36,89.88
			(-)4,54.58
3,80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,80.00 लाख ₹ की कमी (समर्पण 3,80.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6,00.00 लाख ₹) एवं 6,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः संभावित बचत के कारण हुई (6,00.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को एरियर्स के भुगतान एवं संभावित व्यय के आकलन के कारण हुई (5,00.00 लाख ₹)। 3,80.00 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(2) 4215-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
3862-लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएँ	17,50.00	12,85.63	(-)4,64.37
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(3) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना-			
मूल	2,69,56.69		
पुनर्वि.	(-)1,57,06.00	1,12,50.69	1,10,77.28
			(-)1,73.41

अनुदान संख्या 20-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

1,57,06.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 1,41,21.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 15,85.00 लाख ₹) मुख्यतः कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई (15,85.00 लाख ₹)। 1,41,21.00 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित
योजना सामान्य-

4379-समस्यामूलक ग्रामों में
पेयजल प्रदाय योजना-

मूल 1,01,13.62

पुनर्वि. (-)44,50.47 56,63.15 56,54.85 (-)8.30

(5) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित
योजना सामान्य-

7162-ग्रामीण शालाओं में जल
प्रदाय-

मूल 18,29.77

पुनर्वि. (-)10,95.08 7,34.69 7,26.65 (-)8.04

(6) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित
योजना सामान्य-

7298-आंगनबाड़ी केन्द्रों में जल
प्रदाय व्यवस्था-

मूल 18,50.57

पुनर्वि. (-)12,35.73 6,14.84 5,65.62 (-)49.22

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 44,50.47 लाख ₹, 10,95.08 लाख ₹ एवं 12,35.73 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(7) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

7386-नर्मदा-क्षिप्रा लिंक
परियोजना आधारित ग्रामीण जल
प्रदाय योजना-

मूल 3,18.00

पुनर्वि. (-)3,18.00 0.00 0.00 0.00

अनुदान संख्या 20-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(8) 4215-01-800-1401-नाबार्ड

(सामान्य)-

7301-पेयजल योजनाओं का जल
निगम द्वारा क्रियान्वयन-

मूल 2,70,00.00

पूरक 0.01

पुनर्वि. (-)1,80,00.00 90,00.01 89,44.22 (-)55.79

(9) 4215-01-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित

योजना सामान्य-

6032-भू-जल संवर्धन कार्यक्रम-

मूल 26,50.00

पुनर्वि. (-)6,73.70 19,76.30 16,09.78 (-)3,66.52

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 3,18.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान), 1,80,00.00 लाख ₹ एवं 6,73.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 4215-01-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित

योजना सामान्य-

7163-सहायक गतिविधियां

30,00.00 17,22.95 (-)12,77.05

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(x) उपरोक्त टिप्पणी (ix) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)आधिक्य +
बचत (-)

4215-01-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय

योजना सामान्य-

8888-आर्सेनिक/फ्लोराईड

प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल
के लिये संयंत्र की स्थापना का
कार्य-

पूरक सांकेतिक

पुनर्वि. 15,85.00 15,85.00 15,47.29 (-)37.71

15,47.29 लाख ₹ के व्यय राशि 13,35.00 लाख ₹ इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2017 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था। 15,85.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन तृतीय अनुपूरक अनुमान में प्रतीक प्रावधान के विरुद्ध मांग की पूर्ति के कारण किया गया।

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-				
2053-जिला प्रशासन				
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
राजस्व:				
दत्तमत—				
मूल		1,26,62,52		
पूरक		5,00,00	1,31,62,52	(-)86,46,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				83,31,06
¼31 ekpZ 2017½				
<i>प्रभारित</i>				
पूरक		8,62	8,62	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक
पूंजीगत				
दत्तमत—				
मूल		6,00,00		
पूरक		4,00,00	10,00,00	(-)1,99,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				93,70
¼31 ekpZ 2017½				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में प्राप्त किया 5,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 86,46.04 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 83,31.06 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 21-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2053-093-6286-लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्रभार का भुगतान-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)45.89	4.11	2.42
समर्पण के रूप में 45.89 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रकरणों का त्वरित निराकरण होने से क्षतिपूर्ति के अन्तर्गत बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			(-)1.69
(2) 2053-093-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें ¼सामान्य½- 7628- सभी परियोजनाओं में सेवा का क्रियान्वयन-			
मूल	38,78.20		
पुनर्वि.	(-)38,78.20	0.00	0.00
समर्पण के रूप में 38,78.20 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत विश्व बैंक से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			0.00
(3) 2053-093-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 6483-अटल बिहारी वाजपेई लोक प्रशासन संस्था			
मूल	7,45.00	6,70.50	(-)74.50
पुनर्वि.			
बचत के कारण सूचित नहीं नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2053-800-7047-लोक सेवा केन्द्रों को अनुदान-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(-)3,50.00	6,50.00	5,50.00
			(-)1,00.00
(5) 2053-800-7364-जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी को अनुदान-			
मूल	11,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,40.00	8,60.00	7,50.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 3,50.00 लाख ₹ एवं 2,40.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			(-)1,10.00
(6) 2053-800-9079-मध्यप्रदेश लोक सेवा अभिकरण की स्थापना-			
मूल	2,60.00		
पुनर्वि.	(-)1,34.00	1,26.00	1,00.00
1,34.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			(-)26.00

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(7) 2053-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9039-ई-डिस्ट्रिक्ट का क्रियान्वयन-			
मूल	37,00.00		
पुनर्वि.	(-)37,00.00	0.00	0.00

समर्पण के रूप में 37,00.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।

पूँजीगत:-

दत्तमत-

(iv) 1,99.08 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 4,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) 1,99.08 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 93.70 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
4059-01-051-6783-लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण-			
मूल	6,00.00		
पूरक	4,00.00		
पुनर्वि.	(-)93.70	9,06.30	8,00.92
			(-)1,05.38

समर्पण के रूप में 93.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2215-जलपूर्ति तथा सफाई			
2216-आवास			
2217-शहरी विकास			
3054-सड़कें तथा सेतु			
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217-शहरी विकास के लिए कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत-

मूल	27,34,95,19		
पूरक	9,13,54,25	36,48,49,44	22,02,38,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)14,46,10,61 14,28,61,78

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में राशि 22,02,38,83,179 ₹ के कुल व्यय में 30.12.2016 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 6,25,000 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित	1,00	00	(-)1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

पूंजीगत:

दत्तमत	6,59,78,18	1,89,46,61	(-)4,70,31,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			4,68,17,75

प्रभारित	10,00,00	00	(-)10,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			10,00,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 9,13,54.25 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2016 (4,91,97.00 लाख ₹), दिसम्बर 2016 (4,21,41.00 लाख ₹) एवं मार्च 2017 (16.25 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 22-जारी

(ii) 14,46,10.61 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 14,28,61.78 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2059-01-053-5464-मण्डल सतपुडा एवं विन्ध्याचल भवन का अनुरक्षण कार्य-			
मूल	4,50.00		
पुनर्वि.	(-51.00	3,99.00	2,77.11 (-)1,21.89
51.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(2) 2059-01-053-6720-कार्यालय भवनों का रख-रखाव व मरम्मत			
मूल	18,40.00		
पुनर्वि.	(-1,75.00	16,65.00	14,40.39 (-)2,24.61
1,75.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः लघु निर्माण कार्य के लिए प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (80.00 लाख ₹)। 95.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(3) 2059-80-001-1899-तीन निर्माण उप संभाग की स्थापना-			
मूल	5,06.87		
पूरक	1,00.00	6,06.87	4,82.55 (-)1,24.32
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(4) 2059-80-001-3296-मण्डल की स्थापना का व्यय (रा.आ.बा.सा.परि.)-			
मूल	24,18.35		
पुनर्वि.	4,16.00	28,34.35	24,22.11 (-)4,12.24
इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (8.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि की गई। वृद्धि कम बजट आबंटन किये जाने के कारण हुई। कमी के विषिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2070-108-0097-अग्निषमन केन्द्र, पीथमपुर-			
मूल	2,66.86		
पुनर्वि.	(-1,04.23	1,62.63	1,58.05 (-)4.58
1,04.23 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

अनुदान संख्या 22-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 2070-108-2633- पुलिस अग्निशामक दल, इन्दौर-			
मूल	7,10.53		
पुनर्वि.	(-),1,14.89	5,95.64	5,91.18 (-)4.46
1,14.89 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,16.19 लाख ₹ (समर्पण 1,14.89 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1.30 लाख ₹) की कमी एवं 1.30 की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विषिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।			
(7) 2215-02-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
8049-म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल हेतु अनुदान-	13,50.00	12,15.00	(-),1,35.00
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(8) 2217-05-001-2020-नगर एवं ग्राम निवेश	19,60.98	16,87.33	(-),2,73.65
इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (1,20.92 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि की गई। कमी मुख्यतः वेतन मद में अधिक बजट प्रावधान होने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदों की पूर्ति न होने, अखिल भारतीय सेवा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में बचत होने एवं उपकरण क्रय पर प्रतिबंध होने के कारण हुई (1,06.92 लाख ₹)। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने, चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति, महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी होने एवं बिजली बिल का भुगतान होने के कारण होना सूचित की गई। 14.00 लाख ₹ की अवषेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(9) 2217-05-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
2621-विकास योजना बनाना, पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण करना-	2,00.00	83.59	(-),1,16.41
इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (18.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि की गई। कमी बाह्य सेवाओं हेतु अभिरूचि प्रस्ताव देरी से प्राप्त होने एवं कार्यालय उपकरण क्रय करने की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। वृद्धि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों वेतन मद एवं दूरभाष व्यय की मद में कम बजट प्रावधान होने से होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(10) 2217-05-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य-	1,89.00	29.59	(-),1,59.41
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(11) 2217-05-800-6148-नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय-			
मूल	10,74.15		
पुनर्वि.	(-)1,33.82	9,40.33	9,47.63 +7.30
1,33.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,13.82 लाख ₹ (समर्पण 1,33.82 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 80.00 लाख ₹) की कमी एवं 80.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मूल प्रावधान में कम बजट आबंटन करने एवं अधिकारियों की पदस्थापना होने के कारण होना सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(12) 2217-05-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-			
6440-शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढीकरण-			
मूल	4,75.20		
पुनर्वि.	(-)3,67.95	1,07.25	1,07.25 0.00
(13) 2217-05-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-			
7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)-			
मूल	50,00.01		
पुनर्वि.	(-)40,00.01	10,00.00	10,00.00 0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 3,67.95 लाख ₹ एवं 40,00.01 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(14) 2217-05-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
1238-अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन-			
मूल	14,77,00.00		
पुनर्वि.	(-)10,27,21.69	4,49,78.31	4,49,78.31 0.00
10,27,21.69 लाख ₹ (समर्पण 10,05,21.69 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 22,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त न होने एवं आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 22-जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

		अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(15) 2217-05-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7705-स्मार्ट सिटी-				
मूल	3,45,00.00			
पूरक	8,91,81.00			
पुनर्वि.	(-3,16,00.00	9,20,81.00	9,20,81.00	0.00
3,16,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।				
(16) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6022-मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्वे-				
मूल	10,44.00			
पुनर्वि.	(-)1,04.40	9,39.60	9,39.60	0.00
(17) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7039-शहरी सुधार कार्यक्रम-				
मूल	14,08.00			
पुनर्वि.	(-)1,86.05	12,21.95	12,21.95	0.00
(18) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7144-मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम-				
मूल	13,20.00			
पुनर्वि.	(-)1,92.98	11,27.02	11,27.02	0.00
(19) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7145-मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम-				
मूल	85,41.00			
पुनर्वि.	(-)8,99.63	76,41.37	76,42.43	+1.06
(20) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7146-मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम-				
मूल	1,70,21.00			
पुनर्वि.	(-)24,71.26	1,45,49.74	1,46,17.28	+67.54

अनुदान संख्या 22-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(21) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7147-लोक परिवहन एवं यातायात सर्वे/अध्ययन-			
मूल	8,00.00		
पुनर्वि.	(-7,25.19	74.81	74.81
(22) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7704-डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड-			
मूल	48,80.02		
पुनर्वि.	(-7,13.02	41,67.00	41,67.00

उपरोक्त क्रम संख्या (16) से (22) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,04.40 लाख ₹, 1,86.05 लाख ₹, 1,92.98 लाख ₹, 8,99.63 लाख ₹, 24,71.26 लाख ₹, 7,25.19 लाख ₹ एवं 7,13.02 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (18) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 एवं क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2059-01-053-9061-नगर एवं ग्राम निवेश-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	95.00	95.00	95.00

95.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आर्वधन स्वराज संस्थान संचालनालय के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण किया जाना सूचित किया गया।

(2) 2217-01-800-9083-षौर्य स्मारक का संचालन एवं संधारण-

मूल	37.00		
पुनर्वि.	1,31.00	1,68.00	1,47.92

1,31.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आर्वधन षौर्य स्मारक का संधारण कार्य, सुरक्षा व्यवस्था, हाउस कीपिंग एवं हॉर्टिकल्चर कार्य के लिए राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित किया गया।

अनुदान संख्या 22-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7707-मुख्यमंत्री शहरी स्वरोजगार योजना-			
मूल	6,33.60		
पूरक	21,36.64	27,70.24	0.00
21,36.64 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 22,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 63.36 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि लक्ष्य की पूर्ति हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई जबकि कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण होना सूचित की गई।			
(4) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9019-षहीदों के परिवारों को भू-खण्ड-			
मूल	0.01		
पुनर्वि.	1,54.99	1,55.00	0.00
1,54.99 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,55.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.01 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि सात षहीदों के परिवारों को म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की योजनाओं में निष्पुलक भूखण्ड प्रदाय किये जाने की बजाय बी.सी. ओ.-1802 से राशि की व्यवस्था कराने के कारण राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(5) 3054-04-337-7320-राजधानी में सड़कों का विकास-			
		17,00.00	+3,64.22
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

प्रभारित-

(v) 1.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) 4,70,31.57 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल 4,68,17.75 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 22-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)- 1262-म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी. यू.एस.ई.पी.)-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(-10,00.00)	0.00	0.00
(2) 4217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)- 2043-मेट्रो रेल-			
मूल	1,52,00.00		
पुनर्वि.	(-1,52,00.00)	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 10,00.00 लाख ₹ एवं 1,52,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत अतिरिक्त कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई।			
(3) 4217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)- 7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)-			
मूल	20,00.00		
पुनर्वि.	(-19,25.00)	75.00	75.00
19,25.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण होना सूचित की गई।			
(4) 4217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)- 7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट-			
मूल	20,00.00		
पुनर्वि.	(-20,00.00)	0.00	0.00
20,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत योजना का कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई।			
(5) 6217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)- 1262-म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी. यू.एस.ई.पी.)-			
मूल	24,80.00		
पुनर्वि.	(-24,80.00)	0.00	0.00

अनुदान संख्या 22—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 6217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)- 2043-मेट्रो रेल-			
मूल	2,00,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,00,00.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 24,80.00 लाख ₹ एवं 2,00,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत अतिरिक्त कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई।

(7) 6217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)- 7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट-			
मूल	40,00.00		
पुनर्वि.	(-)40,00.00	0.00	0.00

40,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत योजना का कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4339-सड़कें और पुल-	15,00.00	21,10.52	+6,10.52

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

प्रभारित-

(ix) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
4217-01-050-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा-			
मूल	10,00.00		
पूरक	(-)10,00.00	0.00	0.00

10,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण विनियोग (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2700-मुख्य सिंचाई			
2701-मध्यम सिंचाई			
2705-कमान क्षेत्र का विकास			
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-	8,96,96,16	7,28,88,33	(-)1,68,07,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			1,48,49,73
<i>प्रभारित</i>	12,85	00	(-)12,85
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			10,00
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	41,47,37,28		
पूरक	9,15,20,01	50,62,57,29	50,27,03,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)35,53,72 9,21,00
<i>प्रभारित</i>	1,00,00	62,30	(-)37,70
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			35,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 1,68,07.83 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 1,48,49.73 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2700-15-101-2894- बांध तथा नहरें- मूल	13,59.70		
पुनर्वि.	(-)1,54.70	12,05.00	9,93.96
(2) 2700-17-101-2894- बांध तथा नहरें- मूल	12,25.60		
पुनर्वि.	(-)1,30.30	10,95.30	9,74.51
(3) 2700-18-101-2894- बांध तथा नहरें- मूल	6,56.98		
पुनर्वि.	(-)25.48	6,31.50	4,55.76
(4) 2700-19-101-2894- बांध तथा नहरें- मूल	4,09.62		
पुनर्वि.	(-)72.02	3,37.60	2,97.27
(5) 2700-32-101-2894- बांध तथा नहरें- मूल	22,61.10		
पुनर्वि.	(-)11,96.60	10,64.50	17,76.58
(6) 2700-80-800-6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था- मूल	21,20.00		
पुनर्वि.	(-)2,70.00	18,50.00	15,03.41
(7) 2701-80-001-0275-Abiyana Establishment- मूल	42,32.17		
पुनर्वि.	(-)11,29.22	31,02.95	29,35.35
(8) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 0814-कार्यपालिक स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)- मूल	15,58.30		
पुनर्वि.	(-)1,22.30	14,36.00	12,50.49

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 1,54.70 लाख ₹, 1,30.30 लाख ₹, 25.48 लाख ₹, 72.02 लाख ₹, 11,96.60 लाख ₹, 2,70.00 लाख ₹, 11,29.22 लाख ₹ एवं 1,22.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के अन्त में भुगतान प्रतिबंधित होने तथा शासन द्वारा 10 प्रतिशत कटौती (राशि रोके जाने) के कारण हुई। इन शीर्षान्तर्गत अन्तिम बचत/ आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 तथा क्रम संख्या (2), (5), (6) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(9) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 0815- कार्यपालिक स्थापना-			
मूल	3,63,57.71		
पुनर्वि.	(-)63,09.25	3,00,48.46	2,87,65.69
समर्पण के रूप में 63,09.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पदों की निरन्तरता के अभाव में राशि के उपयोग नहीं हो पाने के कारण हुई।			(-)12,82.77
(10) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3300- मण्डल स्थापना-			
मूल	40,85.34		
पुनर्वि.	(-)7,52.04	33,33.30	32,79.12
7,52.04 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 7,61.04 लाख ₹ की कमी (समर्पण 7,52.04 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 9.00 लाख ₹) एवं 9.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पदों की निरन्तरता के अभाव में राशि के उपयोग न हो पाने के कारण हुई जबकि वृद्धि वेतन एवं भत्तों के भुगतान के कारण हुई।			(-)54.18
(11) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना यूनिट-एक-			
मूल	76,08.97		
पुनर्वि.	(-)11,60.00	64,48.97	64,44.30
समर्पण के रूप में 11,60.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पदों की निरन्तरता के अभाव में राशि के उपयोग न हो पाने के कारण हुई।			(-)4.67
(12) 2701-80-052-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 0693-औजार और संयंत्र-			
मूल	43,18.00		
पुनर्वि.	(-)6,67.30	36,50.70	33,86.39
6,67.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,72.30 लाख ₹ की कमी (समर्पण 6,67.30 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5.00 लाख ₹) एवं 5.00 लाख ₹ की वृद्धि निवल का प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पदों की निरन्तरता के अभाव में राशि के उपयोग न हो पाने के कारण हुई (6,67.30 लाख ₹)। वृद्धि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मजदूरी के कारण हुई। 5.00 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			(-)2,64.31

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(13) 2701-80-799-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1051-स्टॉक-			
मूल	1,80.00		
पुनर्वि.	(-),1,80.00	0.00	0.00

समर्पण के रूप में 1,80.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(14) 2701-80-800-2250-नहरें तथा तालाब-			
मूल	96,91.25		
पुनर्वि.	(-),13,34.65	83,56.60	83,24.86

समर्पण के रूप में 13,34.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के अन्त में भुगतान पर प्रतिबंध होने एवं दस प्रतिशत मितव्ययता कटौती के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(15) 2705-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
3701-राज्य स्तर पर आयाकट	6,49.26	3,20.38	(-),3,28.88

इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि 2.00 लाख ₹ की कमी एवं वृद्धि हुई थी। कमी पद रिक्त होने के कारण सूचित की गई एवं वृद्धि मशीनों के लंबित अनुरक्षण देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(1) 2700-27-101-1573-सुकता परियोजना-			
मूल	4,97.08		
पुनर्वि.	(-),10.98	4,86.10	8,40.98

10.98 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के अन्त में भुगतान प्रतिबंध होने एवं शासन द्वारा दस प्रतिशत कटौती (राशि रोके जाने) के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 2700-80-005-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9957-कार्यपालिक स्थापना (सर्वेक्षण एवं अन्वेषण)-			
मूल	15,25.04		
पुनर्वि.	(-),59.85	14,65.19	17,23.54

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)आधिक्य +
बचत (-)

59.85 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पदों की निरन्तरता के अभाव में राशि के उपयोग न हो पाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(iv) उचंत लेन-देन:-

“उचंत” के इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2016-17 के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया गया है। अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (iii) में की गई है।

वर्ष 2016-17 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2017 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
2701-मध्यम सिंचाई		(लाख ₹ में)		
(i) क्रय	(-)23,09.78	0.00	0.00	(-)23,09.78
(ii) भण्डार	+ 3,75.27	0.00	0.00	+3,75.27
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 38,33.55	0.00	0.00	+38,33.55
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 6,64.04	0.00	0.00	+6,64.04
योग	+ 25,63.08	0.00	0.00	+25,63.08

प्रभारित-

(v) संपूर्ण विनियोग 12.85 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल 10.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल
विनियोगवास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)आधिक्य +
बचत (-)2701-80-800-5837-भवनों का
अनुरक्षण-

मूल

10.00

पुनर्वि.

(-)10.00

0.00

0.00

0.00

समर्पण के रूप में 10.00 लाख ₹ के संपूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के अन्त में भुगतान पर प्रतिबंध होने के एवं शासन द्वारा 10 प्रतिशत कटौती (राशि रोके जाने) के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23-जारी

शीर्ष

कुल

वास्तविक

आधिक्य +

अनुदान व्यय बचत (-)
(लाख ₹ में)

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) 35,53.72 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 5,00,20.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि दिसम्बर 2016 एवं मार्च 2017 में प्राप्त किया गया क्रमशः 4,15,00.01 लाख ₹ सांकेतिक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(viii) 35,53.72 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 9,21.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ix) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूँजीगत अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2016-17 के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया गया है।

“उचंत” शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (iii) में की गई है।

वर्ष 2016-17 के दौरान इस अनुभाग के विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेनदेन का विश्लेषण प्रारम्भिक तथा अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2017 को अंत शेष नामे + जमा (-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-)22,89.29	0.00	0.00	(-)22,89.29
(ii) भण्डार	+ 40,22.86	0.00	0.00	+ 40,22.86
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 11,77.39	0.00	0.00	+ 11,77.39
(iv) कार्यशाला उचंत	(-)2,11.06	0.00	0.00	(-)2,11.06
योग	+ 26,99.90	0.00	0.00	+ 26,99.90
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
(i) क्रय	(-)12.92	0.00	0.00	(-)12.92
(ii) भण्डार	+ 62.67	0.00	0.00	+ 62.67
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 12.74	0.00	0.00	+ 12.74
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 2.22	0.00	0.00	+ 2.22
योग	+ 64.71	0.00	0.00	+ 64.71

प्रभारित-

(x) 37.70 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 35.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(xi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 23-समाप्त

शीर्ष

कुल

वास्तविक

आधिक्य +

	विनियोग	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
4701-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
1833-डिक्री धन का भुगतान (भारित)			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)35.00	65.00	62.30 (-)2.70
35.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भुगतान हेतु मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
3053-नागर विमानन			
3054-सड़कें तथा सेतु			
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054-सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	16,78,92,06		
पूरक	सांकेतिक	16,78,92,06	12,05,84,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)4,73,07,91 निरंक
<i>प्रभारित</i>		10,00	5,81
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-)4,19 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	25,75,97,01		
पूरक	9,20,00,20	34,95,97,21	34,77,61,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)18,35,94 निरंक
<i>प्रभारित</i>		50,00,00	29,55,67
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-)20,44,33 निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) 4,73,07,91 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 3054-01-337-0134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	29,51.06	8,10.94	(-)21,40.12
(2) 3054-03-337-0134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	3,00,00.00	1,00,54.50	(-)1,99,45.50
(3) 3054-04-337-0134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	6,53,02.00	5,81,51.96	(-)71,50.04
(4) 3054-04-800-7081-मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतिकरण एवं डामरीकरण	4,96,40.00	3,31,66.31	(-)1,64,73.69
(5) 3054-80-001-2418-निष्पादन	30,50.13	19,75.00	(-)10,75.13

उपरोक्त क्रम संख्या 1/41¹/₂ से 1/45¹/₂ के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या 1/41¹/₂] (2) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 तथा क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 3054-80-001-3300-मण्डल स्थापना	21,31.27	16,44.18	(-)4,87.09
------------------------------------	----------	----------	------------

इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (15.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के साथ ही साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16 एवं 2014—15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 3054-80-001-3561-मुख्यालय स्थापना	45,60.30	30,31.45	(-)15,28.85
---------------------------------------	----------	----------	-------------

(8) 3054-80-001-3914-वास्तुकला स्थापना	2,27.27	1,55.29	(-)71.98
--	---------	---------	----------

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 3054-04-337-4557-सुदृढीकरण	1,00,00.00	1,15,31.93	+15,31.93
(2) 3054-80-001-7402-मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कांट्रेक्टर योजना	0.01	61.38	+61.37

अंतिम आधिक्य हेतु कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

प्रभारित-

(iv) 4.19 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

पूँजीगत:

दत्तमत—

18,35.94 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 1,50,00.10 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि दिसम्बर 2016 में 5,00,00.09 लाख ₹ एवं मार्च 2017 में 2,70,00.01 लाख ₹ का प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) 18,35.94 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(1) 5053-02-102-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं
विस्तार

30,00.00

8,34.97

(-)21,65.03

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 5054-04-800-1401-नाबार्ड

¼सामान्य½-

5226-ग्रामीण सड़कों का निर्माण
¼नाबार्ड½-

मूल

3,00,00.00

पूरक

0.11

3,00,00.11

1,36,49.74

(-)1,63,50.37

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 5054-04-800-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

5139-मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन

1,00,00.00

0.00

(-)1,00,00.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(1) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

4149-वृहद पुलों का निर्माण-

मूल

1,00,00.00

पूरक

0.02

1,00,00.02

1,64,95.14

+64,95.12

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 5054-03-337-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 0948-केन्द्रीय सड़क निधि	2,16,70.00	2,91,65.53	+74,95.53
(3) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
5139-मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन-	2,06,25.00	2,70,16.58	+63,91.58

उपरोक्त शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(ix) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता:-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्प्रीट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के अंतर्गत जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि "3054-सड़कें तथा पुल-800'अन्य व्यय", जिसके लिए अनुदान संख्या 24 "लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा "8449"-अन्य जमा केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता को अंतरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा "8449-अन्य जमा केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दिया जाता है। चालू वर्ष के दौरान कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

प्रभारित-

(x) 20,44.33 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(xi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
5054-80-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	50,00.00	29,55.67	(-)20,44.33

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष—			
2853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	37,71,90		
पूरक	88,68	38,60,58	(-)9,01,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2017)			7,70,82
<i>प्रभारित-</i>			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2017)	6,35,05,52	5,77,24,10	(-)57,81,42 71

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 88.68 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 9,01.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2017 को 7,70.82 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2853-02-001-0101-राज्य आयोजना			
1/4सामान्य1/2-			
2294-निदेशन-			
मूल	26,33.44		
पुनर्वि.	(-)5,91.83	20,41.61	20,58.28 +16.67

5,91.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,06.33 लाख ₹ की कमी (समर्पण 5,66.34 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 39.99 लाख ₹) एवं 14.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः खनिज परिवहन हेतु ई.टी.पी. सेवा लागू होने के कारण हुई (12.50 लाख ₹), जबकि वृद्धि क्षेत्रीय एवं जिलों में अधीनस्थ कार्यालयों के लंबित देयकों के भुगतान किये जाने के कारण हुई (12.50 लाख ₹)। अवशिष्ट कमी (5,93.83 लाख ₹) एवं वृद्धि (2.00 लाख ₹) के साथ ही अंतिम आधिक्य के साथ सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 2853-02-101-1010-मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड- 3595-मेसर्स कोल इण्डिया लि. के लिये कोल पूर्वक्षण-			
मूल	1,73.86		
पुनर्वि.	(-)22.91	1,50.95	1,32.59 (-)18.36

22.91 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 30.18 लाख ₹ की कमी एवं 7.27 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः मांग कम प्राप्त होने एवं समयावधि में राशियों का आहरण न होने के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2853-02-102-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 0182-अन्य खनिजों का सर्वेक्षण-			
मूल	9,11.14		
पुनर्वि.	(-)1,51.21	7,59.93	6,41.93 (-)1,18.00

1,51.21 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,77.42 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,66.42 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 11.00 लाख ₹) एवं 26.21 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी खनिज खोज/अन्वेषण कार्य से संबन्धित चार खनिज ब्लॉकों के सर्वेक्षण में एन.एम.ई.टी. फण्ड से किये जाने, मांग कम प्राप्त होने एवं पूर्वक्षण कार्य विभाग द्वारा स्थगित किये जाने के कारण हुई। वृद्धि लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई (8.00 लाख ₹)। 18.21 लाख ₹ की अवशिष्ट वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) 57,81.42 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2017 को 0.71 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2205-कला एवं संस्कृति			
2217-शहरी विकास			
3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	1,39,42,94		
पूरक	41,10,75	1,80,53,69	1,57,55,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)22,97,89 19,75,21

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में राशि 1,57,55,80,523 ₹ के कुल व्यय में क्रमशः 08.08.2016, 21.10.2016 एवं 07.02.2017 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 22,86,20,217 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

पूंजीगत:			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	35,30,03	20,65,70	(-)14,64,33 11,46,42

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 22,97.89 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 41,10.75 लाख ₹ अनुपूरक अनुदान में से जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 10,95.25 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 29,15.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि मार्च 2017 में प्राप्त किया गया 1,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 22,97.89 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 1975.21 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2202-03-103-7981-ललित कला संस्थान-			
मूल	2,74.31		
पुनर्वि.	(-)52.09	2,22.22	2,29.73

52.09 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने, मितव्ययता एवं व्यय न हो सकने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 26—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)	
(2) 2205-102-5753-समारोह के आयोजन हेतु अनुदान- पूरक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।	19,00.00	19,00.00	16,13.42	(-)2,86.58
(3) 2202-03-103-7982-संगीत महाविद्यालय- मूल पुनर्वि. 1,56.17 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत पद रिक्त होने, मितव्ययता एवं विभाग द्वारा व्यय न हो सकने के कारण हुई।	7,38.05 (-)1,56.17	5,81.88	5,73.12	(-)8.76
(4) 2205-102-6379-संस्कृति संचालनालय की स्थापना व्यय- मूल पूरक पुनर्वि. 47.71 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 54.37 लाख ₹ (समर्पण 47.71 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6.66 लाख ₹) की कमी एवं 6.66 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने, मितव्ययता, वेतन मद में व्यय न होने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न होने के कारण हुई। वृद्धि मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने के कारण होना सूचित की गई।	2,02.02 10.00 (-)47.71	1,64.31	1,63.32	(-)0.99
(5) 2205-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6042-रविन्द्र भवन का स्थापना व्यय- मूल पुनर्वि. 2,92.42 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः मितव्ययता, पद रिक्त होने एवं व्यय न हो सकने के कारण हुई (18.46 लाख ₹) 2,73.96 लाख ₹ की अवशेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।	4,39.91 (-)2,92.42	1,47.49	1,19.35	(-)28.14
(6) 2205-103-2304-निदेशन एवं प्रशासन- मूल पुनर्वि. 3,08.36 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,17.36 लाख ₹ (समर्पण 3,08.36 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 9.00 लाख ₹) की कमी एवं 9.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने, मितव्ययता, उपकरण क्रय के प्रस्ताव प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा दिनांक 25.03.2017 से आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई। वृद्धि प्रतिकृति निर्माण हेतु आउट सोर्सिंग के कलाकारों को वेतन भुगतान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।	12,28.61 (-)3,08.36	9,20.25	9,42.06	+21.81

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(7) 2205-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 0758-कंजर्वेशन एवं संवर्धन-			
मूल	7,34.28		
पूरक	1,94.25		
पुनर्वि.	(-),1,48.00	7,80.53	7,55.76 (-)24.77

1,48.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,50.45 लाख ₹ (समर्पण 1,48.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2.45 लाख ₹) की कमी एवं 2.45 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत की कटौती एवं दिनांक 25.03.2017 से आहरण पर प्रतिबंध लगाने, कार्यों की निविदायें कम दरों की प्राप्त होने एवं पद रिक्त रहने के कारण हुई। वृद्धि लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान किये जाने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(8) 2205-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3675-राज्य पुरालेख संचालनालय-				
मूल	2,49.56			
पुनर्वि.	(-),74.47	1,75.09	1,68.62	(-),6.47

74.47 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत पद रिक्त होने, दस प्रतिशत कटौती एवं दुर्लभ ग्रंथों के डिजिटाइजेशन के लिये निविदा की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(9) 2205-107-4283-संग्रहालय-				
पूरक	1,75.50			
पुनर्वि.	(-),1,75.50	0.00	0.00	0.00

1,75.50 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राज्यांश की राशि द्वितीय अनुपूरक अनुमान में स्वीकृत होने एवं निविदा कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण न होने के कारण हुई।

(10) 2205-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4283-संग्रहालय-				
मूल	10,71.41			
पूरक	25.00			
पुनर्वि.	(-),4,14.18	6,82.23	6,91.97	+9.74

4,14.18 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा दिनांक 25.03.2017 से आहरण पर प्रतिबंध लगाने एवं 10 प्रतिशत कटौती करने, कार्यों की निविदाएं कम दरों की प्राप्त होने, जिला पुरातत्व संघों से प्रस्ताव प्राप्त न होने, पद रिक्त रहने एवं फर्नीचर क्रय के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई (3,95.14 लाख ₹)। 19.04 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(11) 2205-800-8458-स्वराज भवन-			
मूल	1,41.62		
पुनर्वि.	(-)44.81	96.81	94.08 (-)2.73

44.81 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 47.08 लाख ₹ (समर्पण 44.81 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2.27 लाख ₹) की कमी एवं 2.27 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण हुई (2.27 लाख ₹)। वृद्धि ग्रेड वेतन के भुगतान के कारण होना सूचित की गई। 44.81 लाख ₹ की अवशेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

पूँजीगत:

(iv) 14,64.33 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 11,46.42 लाख ₹ राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4202-04-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6941-रविन्द्र भवन परिसर का उन्नयन	15,00.00	12,73.55	(-)2,26.45
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(2) 4202-04-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7721-टैगोर कला संकुल विदिशा-			
मूल	9,00.00		
पुनर्वि.	(-)6,84.00	2,16.00	1,24.54 (-)91.46
(3) 4202-04-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7722-टैगोर कला संकुल खण्डवा-			
मूल	9,00.00		
पुनर्वि.	(-)4,62.39	4,37.61	4,37.61 0.00
(4) 4202-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5833-शासकीय संगीत महाविद्यालय उज्जैन में भवन निर्माण-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,00.00	0.00	0.00 0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 6,84.00 लाख ₹, 4,62.39 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) एवं 1,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

4202-04-800-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

7073-म.प्र. संस्कृति

परिषद-विकास अनुदान-

मूल

20.01

पुनर्वि.

99.99

1,20.00

1,20.00

0.00

99.99 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.01 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि म.प्र. संस्कृति परिषद के विभिन्न भवनों तथा मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन के अनुरक्षण कार्य के लिये की गई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा
(प्रारंभिक शिक्षा)

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष			
2202-सामान्य शिक्षा			
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	74,15,75,96		
पूरक	13,45,00	74,29,20,96	59,93,91,06 (-)14,35,29,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,42,52.58
¼31 ekpZ 2017½			
<i>प्रभारित</i>	<i>1,71</i>	<i>00</i>	<i>(-)1,71</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>निरंक</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	3,34,13,32	2,23,76,64	(-)1,10,36,68
¼31 ekpZ 2017½			96,65,02
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 13,45.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 14,35,29.90 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल 2,42,52.58 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना-	68,63.81	57,24.25	(-)11,39.56
इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (40.21 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ()। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16 एवं 2014—15 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 2202-01-001-3930-विकासखण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना- मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	66,66.47	52,90.41	(-)13,76.06
(3) 2202-01-101-3491-माध्यमिक शालायें-	17,00,75.93	13,70,21.51	(-)3,30,54.42
(4) 2202-01-101-4396-सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	27,02,82.67	21,70,44.78	(-)5,32,37.89
(5) 2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	67,30.05	51,86.13	(-)15,43.92
उपरोक्त क्रम संख्या 1/42 ^{1/2} से 1/45 ^{1/2} के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या 1/42 ^{1/2} एवं 1/43 ^{1/2} के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 तथा क्रम संख्या (4) एवं (5) शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना 1/4सामान्य1/2- 6484- आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति- मूल	60,00.00		
पुनर्वि.	(-)40,00.00	20,00.00	20,00.00
समर्पण के रूप में 40,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			0.00
(7) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना 1/4सामान्य1/2- 6716-निःशुल्क गणवेश प्रदाय- मूल	75,00.00		
पुनर्वि.	(-)7,50.00	67,50.00	67,50.00
समर्पण के रूप में 7,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत व्यय में कटौती के कारण हुई।			0.00
(8) 2202-01-102-9948-प्राथमिक शालायें	2,10,00.00	1,26,64.31	(-)83,35.69
(9) 2202-01-102-9949-माध्यमिक शालाओं को सहायक अनुदान	1,15,00.00	61,10.98	(-)53,89.02
(10) 2202-01-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 6344-मदरसा आधुनिकीकरण	39,45.00	11,84.58	(-)27,60.42
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(11) 2202-01-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6809-कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय-			
मूल	52,50.00		
पुनर्वि.	(-)15,10.00	37,40.00	35,00.00
समर्पण के रूप में 15,10.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश से प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			(-)2,40.00
(12) 2202-02-110-3491-माध्यमिक शालायें	2,75,00.00	1,70,98.16	(-)1,04,01.84
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(13) 2202-03-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 4402-सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	4,40.00	62.53	(-)3,77.47
इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (0.35 लाख ₹) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(14) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 2066-सोलर लाइट-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(-)10,00.00	0.00	0.00
समर्पण के रूप में 10,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना के मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना में समाहित होने के कारण हुई।			0.00
(15) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 2067-ड्रिंकिंग वाटर-			
मूल	15,00.00		
पुनर्वि.	(-)15,00.00	0.00	0.00
समर्पण के रूप में 15,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (संपूर्ण प्रावधान) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			0.00
(16) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 2068-इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ स्कूल-			
मूल	20,00.00		
पुनर्वि.	(-)14,67.00	5,33.00	5,33.00
समर्पण के रूप में 14.67.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योजना के मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना में समाहित होने के कारण हुई।			0.00

अनुदान संख्या 27—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(17) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 2072-100 सीटर बालक छात्रावास भवन निर्माण- मूल 10,00.00 पुनर्वि. (-)10,00.00	10,00.00 (-)10,00.00	0.00	0.00
समर्पण के रूप में 10,00.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

प्रभारित-

(iv) 1.71 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) 1,10,36.68 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 96,65.02 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4202-01-201-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8810-सर्वशिक्षा अभियान मूल 2,87,50.00 पुनर्वि. (-)80,00.00	2,87,50.00 (-)80,00.00	2,07,50.00	2,07,50.00
समर्पण के रूप में 80,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 4202-01-201-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7592-शालाओं में शौचालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार- मूल 10,00.00 पुनर्वि. (-)10,00.00	10,00.00 (-)10,00.00	0.00	0.00
समर्पण के रूप में 10,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (संपूर्ण प्रावधान) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(3) 4202-01-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	16,48.30	5,79.46	(-)10,68.84
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मण्डल

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-				
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल				
राजस्व:				
दत्तमत-				
मूल	80,91,25			
पूरक	6,25,00	87,16,25	69,07,61	(-)18,08,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				5,01,89
<i>प्रभारित</i>				
मूल	39,28			
पूरक	18,00	57,28	38,66	(-)18,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				20

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:**दत्तमत-**

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 **esa izklr fd;k x;k** 6,25.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 18,08.64 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल 5,01.89 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2011-02-101-4007-				
विधायक/मंत्री				
मूल	39,52.36			
पूरक	6,00.00			
पुनर्वि.	(-)4,20.37	41,31.99	37,17.35	(-)4,14.64

4,20.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,65.37 लाख ₹ की कमी (समर्पण 3,88.37 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 77.00 लाख ₹) एवं 45.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः सहायक अनुदान के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की सुविधा का लाभ कम सदस्यों के द्वारा लिये जाने के कारण हुई (3,88.37 लाख ₹)। वृद्धि माननीय सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान के कारण होना सूचित की गई। अवशेष कमी 77.00 लाख ₹ के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 2011-02-101-6110-विधायक/मंत्री की निजी स्थापना			
मूल	4,46.00		
पुनर्वि.	12.73	4,58.73	3,38.63 (-)1,20.10
12.73 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 22.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 9.27 लाख ₹ की कमी (समर्पण 7.27 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2.00 लाख ₹ ^{1/2} का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अधिकारियों की विदेश यात्रा पर होने वाले व्यय का एवं संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने के कारण हुई। कमी अंशतः मितव्ययतापूर्वक व्यय करने के कारण हुई (7.27 लाख ₹)। अवशेष कमी 2.00 लाख ₹ के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2011-02-103-4009-विधानसभा सचिवालय-			
मूल	33,47.62		
पूरक	25.00		
पुनर्वि.	(-)10.25	33,62.37	25,94.51 (-)7,67.86
10.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 34.25 लाख ₹ की कमी (समर्पण 22.25 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 12.00 लाख ₹ ^{1/2} एवं 24.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः मितव्ययतापूर्वक व्यय करने के कारण हुई (22.25 लाख ₹)। वृद्धि विज्ञापन तथा प्रचार पर व्यय, सचिवालय के कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति एवं प्रमुख सचिव के विदेश यात्रा पर होने वाले व्यय के भुगतान होने के कारण हुई। अवशेष कमी 12.00 लाख ₹ के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2011-02-103-4312-संसदीय कार्य विभाग -			
मूल	2,29.25		
पुनर्वि.	(-)79.15	1,50.10	1,49.94 0.16
79.15 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 80.76 लाख ₹ की कमी (समर्पण 73.15 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 7.61 लाख ₹ ^{1/2} ,oa 1-61 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मितव्ययतापूर्वक व्यय करने, पद रिक्त रहने, टोकन प्रावधान होने एवं प्रशिक्षण आयोजित न होने के कारण हुई। वृद्धि प्रोग्रामर के वेतन हेतु NICSİ को भुगतान किये जाने के कारण हुई।			
<i>प्रभारित-</i>			
(iv) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 18.00 लाख ₹ अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(v) 18.62 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल 0.20 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-			

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
2011-02-101-0125-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते—			
मूल	39.08		
पूरक	18.00	57.08	38.66
			(-)18.42

इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (2.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के विदेश यात्रा पर होने वाले व्यय के कारण हुई। कमी **ds** कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2014-न्याय प्रशासन			
2015-निर्वाचन			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	8,48,70,51		
पूरक	73,50,93	9,22,21,44	7,03,76,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30-31 मार्च 2017)			(-)2,18,45,08 2,07,77,71

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में राशि 7,03,76,35,959 ₹ के कुल व्यय में 20.10.2016 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 23,94,015 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित-				
मूल	1,16,38,85			
पूरक	7,85,40	1,24,24,25	88,19,91	(-)36,04,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				29,48,99

पूंजीगत:				
दत्तमत		50,00	00	(-)50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				50,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 73,50.93 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2016 (73,25.33 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2016 (25.60 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,18,45.08 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30-31 मार्च 2017 को 2,07,77.71 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2014-102-3337-मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण-			
मूल	9,71.08		
पुनर्वि.	(-)2,73.80	6,97.28	6,95.88 (-)1.40
2,73.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,76.65 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,73.80 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2.85 लाख ₹) एवं 2.85 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वास्तविक व्यय को दृष्टिगत रखते हुये संभावित बचत के कारण हुई (2.85 लाख ₹), जबकि वृद्धि आगामी माहों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 2,73.80 लाख ₹ की अवशिष्ट बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
(2) 2014-105-2410-निर्वाह पत्र तामिल स्थापना-			
मूल	43,39.80		
पुनर्वि.	(-)10,30.50	33,09.30	32,89.75 (-)19.55
समर्पण के रूप में 10,30.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(3) 2014-105-4497-सामान्य स्थापना-			
मूल	5,53,57.45		
पूरक	7.00		
पुनर्वि.	(-)99,65.03	4,53,99.42	4,46,43.83 (-)7,55.59
99,65.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,10,93.03 लाख ₹ की कमी (समर्पण 99,10.03 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 11,83.00 लाख ₹) एवं 11,28.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः रिक्त पदों की पूर्ति न होने कम्प्यूटर हार्डवेयर की सेन्द्रलाइज खरीदी एवं जिला न्यायालयों द्वारा मांग राशि की पूर्ति उपरान्त संभावित बचत के कारण हुई (11,83.00 लाख ₹)। वृद्धि वेतन, अधीनस्थ जिला न्यायालयों के स्टेशनरी फार्मस, मुद्रण सामग्री देयक, संविदा आधार पर कार्यरत कोर्ट मैनेजर एवं सपोर्टिंग स्टाफ के पारिश्रमिक एवं आगामी माहों के वेतन/ मजदूरी के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 99,10.03 लाख ₹ की अवशिष्ट बचत के कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(4) 2014-105-6020-ग्राम न्यायालय-			
मूल	24,47.91		
पुनर्वि.	(-)6,26.48	18,21.43	18,21.43 0.00
6,26.48 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,66.48 लाख ₹ की कमी (समर्पण 6,26.48 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 40.00 लाख ₹) एवं 40.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वास्तविक एवं अनुपातिक व्यय के फलस्वरूप संभावित बचत के कारण हुई (40.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि डी.ए. की बढ़ोत्तरी के कारण हुई। 6,26.48 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(5) 2014-105-6211-केन्द्रीय जांच ब्यूरो हेतु गठित विशेष न्यायालय-				
मूल	6,11.27			
पुनर्वि.	(-)3,82.12	2,29.15	2,21.20	(-)7.95
(6) 2014-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1487-स्केनिंग तथा अंकीकरण				
पूरक	7,25.00			
पुनर्वि.	(-)2,88.61	4,36.39	2,97.65	(-)1,38.74
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 3,82.12 लाख ₹ एवं 2,88.61 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।				
(7) 2014-114-3428-महाधिवक्ता-				
मूल	13,50.18			
पूरक	2,22.32			
पुनर्वि.	(-)5,04.70	10,67.80	10,54.76	(-)13.04
(8) 2014-114-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9069-महाधिवक्ता कार्यालय के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण-				
मूल	3,36.99			
पुनर्वि.	(-)2,62.37	74.62	74.61	(-)0.01
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 5,04.70 लाख ₹ एवं 2,62.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत दस से तीस प्रतिशत कटौती, पद रिक्त होने एवं वित्त विभाग द्वारा क्रय एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(9) 2014-800-7984-परिवार न्यायालयों की स्थापना-				
मूल	49,78.70			
पूरक	35.00			
पुनर्वि.	(-)15,71.60	34,42.10	33,96.20	(-)45.90

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिव्यय + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	----------------------

15,71.60 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 20,01.60 लाख ₹ की कमी (समर्पण 16,26.60 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,75.00 लाख ₹) एवं 4,30.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः अधीनस्थ परिवार न्यायालयों द्वारा किये गये वास्तविक एवं आनुपातिक व्यय के फलस्वरूप संभावित बचत होने के कारण हुई (3,75.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि नवगठित कुटुम्ब न्यायालयों में कम्प्यूटराइजेशन हेतु राशि की आवश्यकता होने एवं मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के कारण हुई। 16,26.60 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 2015-102-2409-निर्वाचन अधिकारी-

मूल	11,87.35			
पूरक	4,46.35			
पुनर्वि.	(-)4,04.83	12,28.87	12,26.83	(-)2.04

4,04.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,19.33 लाख ₹ की कमी (समर्पण 4,11.33 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 8.00 लाख ₹) एवं 14.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मकान किराये भत्ते की प्रतिपूर्ति, मजदूरी एवं चिकित्सा अग्रिम के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) 2015-103-3307-मतदाता सूचियां
तैयार करना एवं मुद्रण-

मूल	40,07.00			
पूरक	37,23.76			
पुनर्वि.	(-)25,29.37	52,01.39	53,27.20	+1,25.81

समर्पण के रूप में 25,29.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिव्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 2015-105-4311-संसद के चुनाव
कराने के प्रभार-

मूल	6,64.15			
पूरक	3,17.50			
पुनर्वि.	(-)4,44.96	5,36.69	4,91.61	(-)45.08

समर्पण के रूप में 4,44.96 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(13) 2015-106-4006-राज्य विधान मण्डल
के निर्वाचन प्रभार-

मूल	7,56.08			
पूरक	1,59.00			
पुनर्वि.	(-)7,27.19	1,87.89	1,66.24	(-)21.65

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(14) 2015-108-9503-मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना-			
मूल	10,03.50		
पुनर्वि.	(-)7,28.07	2,75.43	2,70.92 (-)4.51

उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 7,27.19 लाख ₹ एवं 7,28.07 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 में एवं क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(15) 2052-090-9057-विधि एवं विधायी कार्य-			
मूल	12,90.29		
पुनर्वि.	(-)2,03.08	10,87.21	10,69.89 (-)17.32

2,03.08 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,61.19 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,84.08 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 77.11 लाख ₹) एवं 58.11 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने, दस प्रतिशत से तीस प्रतिशत कटौती एवं वित्त विभाग द्वारा क्रय एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। वृद्धि प्रस्तावित अनुमान से कम आवंटन प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(16) 2052-090-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
9066-विधि विभाग के अन्तर्गत सूचना प्राद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण-			
मूल	2,70.00		
पुनर्वि.	(-)2,48.32	21.68	21.67 (-)0.01

समर्पण के रूप में 2,48.32 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त होने, दस से तीस प्रतिशत कटौती एवं वित्त विभाग द्वारा क्रय एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iv) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जुलाई 2016 में प्राप्त किया 7,85.40 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 36,04.34 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 29,48.99 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 29-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत (-)
-------	-------------	---------------	------------------

(लाख ₹ में)

(1) 2014-102-0573-उच्च न्यायालय (भारित)-

मूल	1,12,08.71			
पुनर्वि.	(-)28,14.01	83,94.70	83,94.70	0.00

28,14.01 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 28,78.71 लाख ₹ की कमी (समर्पण 28,14.01 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 64.70 लाख ₹) एवं 64.70 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी माननीय न्यायाधिपतिगणों के रिक्त पदों की पूर्ति न होने, संविदा आधार पर पदस्थ कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान सिविल एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत सृजित शीर्ष से किये जाने एवं वास्तविक व्यय को दृष्टिगत रखते हुये संभावित (दत्तमत) बचत के कारण हुई (64.70 लाख ₹), जबकि वृद्धि आगामी माहों के व्यय हेतु मांग की पूर्ति एवं लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई।

(2) 2014-102-7702-उच्च न्यायालय में

कम्प्यूटराइजेशन-

मूल	4,10.00			
पुनर्वि.	(-)1,23.12	2,86.88	2,86.88	0.00

समर्पण के रूप में 1,23.12 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017) इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2014-102-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)-

0573-उच्च न्यायालय (भारित)-

पूरक	7,85.40	7,85.40	1,38.33	(-)6,47.07
------	---------	---------	---------	------------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(4) 2015-106-4006-राज्य विधान मण्डल के

निर्वाचन के प्रभार-

मूल	20.10			
पुनर्वि.	(-)11.82	8.28	0.00	(-)8.28

समर्पण के रूप में 11.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

7610-202-9246-न्यायिक सेवा के अधिकारियों
को ऋण-

मूल	50.00			
पुनर्वि.	(-)50.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण के रूप में 50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2215-जल पूर्ति तथा सफाई			
2216-आवास			
2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505-ग्रामीण रोजगार			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
3054-सड़क तथा सेतु			
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	5,83,10,27		
पूरक	1,25,00,00	7,08,10,27	6,46,70,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)61,39,46 56,52,85
<i>प्रभारित</i>		3,00	00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			(-)3,00 2,28
पूंजीगत:			
दत्तमत			
मूल	12,50,10,11		
पूरक	9,52,89,89	22,03,00,00	20,88,83,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)1,14,16,89 9,49,72
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत			
(i) 61,39.46 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 1,25,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।			
(ii) 61,39.46 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 56,52.85 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2501-06-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8774-राज्य स्तर का अमला-			
मूल	5,43.85		
पुनर्वि.	(-1,03.14	4,40.71	4,51.09 +10.38
1,03.14 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,77.98 लाख ₹ ¼समर्पण 1,02.98 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 75.00 लाख ₹ ½ की कमी एवं 74.84 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मांग नहीं/कम प्राप्त होने के कारण वृद्धि ज्यादा मांग प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(2) 2515-001-1033-विकास खण्ड कार्यालय-			
मूल	92,49.42		
पुनर्वि.	(-21,60.04	70,89.38	78,92.62 +8,03.24
21,60.04 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 21,97.34 लाख ₹ (समर्पण 13,06.02 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 8,91.32 लाख ₹) की कमी एवं 37.30 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रावधान थी। कमी मांग नहीं/कम प्राप्त होने के कारण जबकि वृद्धि ज्यादा मांग प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(3) 2515-001-3926-विकास आयुक्त-			
मूल	5,67.64		
पुनर्वि.	(-1,64.76	4,02.88	3,76.19 (-)26.69
1,64.76 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,89.81 लाख ₹ (समर्पण 1,84.81 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5.00 लाख ₹) की कमी एवं 25.05 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रावधान थी। कमी मांग नहीं/कम प्राप्त होने के कारण जबकि वृद्धि ज्यादा मांग प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(4) 2515-001-3927- जिला स्तर पर अमला-			
मूल	6,38.39		
पुनर्वि.	(-1,39.39	4,99.00	4,15.97 (-)83.03
1,39.39 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,69.79 लाख ₹ (समर्पण 1,64.79 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5.00 लाख ₹) की कमी एवं 30.40 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मांग नहीं/कम प्राप्त होने के कारण जबकि वृद्धि ज्यादा मांग प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(5) 2515-001-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 1033-विकास खण्ड कार्यालय-			
मूल	46,38.50		
पुनर्वि.	(-3,99.54	42,38.96	38,57.42 (-)3,81.54
3,99.54 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,00.94 लाख ₹ (समर्पण 3,38.94 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 62.00 लाख ₹) की कमी एवं 1.40 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मांग प्राप्त नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 2515-102-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 1032-कार्यालय भवनों के निर्माण/विद्युतीकरण आदि-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	(-1,20.61	1,79.39	57.23 (-1,22.16
1,20.61 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

(7) 2515-800-1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-			
मूल	62,79.05		
पुनर्वि.	(-25,33.21	37,45.84	35,96.88 (-1,48.96
25,33.21 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 25,37.96 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में) की कमी एवं 4.75 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मांग नहीं होने के कारण जबकि वृद्धि अधिक मांग प्राप्त होने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

(8) 2515-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 6550-निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना-			
मूल	1,25.00		
पुनर्वि.	(-93.57	31.43	2.64 (-)28.79
93.57 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 43.57 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 50.00 लाख ₹) मांग कम/नहीं प्राप्त होने कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा प्रति – संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
2501-02-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 8711-भू-जल प्रबंधन संस्थान कमान क्षेत्र कार्यक्रम-			
मूल	8,00.00		
पुनर्वि.	2,00.00	10,00.00	10,00.00 0.00
2,00.00 लाख ₹ पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।			

प्रभारित-

(v) 3.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 2.28 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 30—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

पूँजीगत:
दत्तमत-

(vi) 1,14,16.89 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 9,52,89.89 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान दिसम्बर 2016 (2,60,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अपर्याप्त था जबकि मार्च 2017 में प्राप्त किया गया 6,92,89.89 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।

(vii) 1,14,16.89 लाख ₹ की उपलब्ध बचत विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 9,49.72 लाख ₹ मात्र की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(1) 4515-800-0420-खनिज क्षेत्र
विकास निधि-

6084-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क
एवं अवसंरचना योजना-

मूल 1,23,75.10

पुनर्वि. (-)28,81.64 94,93.46 30,58.22 (-)64,35.24

28,81.64 लाख ₹ ¼समर्पण 7,00.44 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 21,81.20 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मांग कम प्राप्त होने एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4515-800-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

7251-विकास भवन-

मूल 20,00.00

पुनर्वि. (-)7,44.17 12,55.83 0.00 (-)12,55.83

7,44.17 लाख ₹ ¼समर्पण 1,52.55 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5,91.62 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मांग कम प्राप्त होने एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 4515-800-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

7252-तालाबों का

उन्नयनीकरण-

मूल 1,00.00

पुनर्वि. (-)96.73 3.27 0.00 (-)3.27

96.73 लाख ₹ की ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई।

**अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व:			
मूल	2,84,02,31		
पूरक	46,07	2,84,48,38	94,30,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-),90,17,39 1,79,48,85

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 46.07 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,90,17.39 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 1,79,48.85 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 3451-101-3686-राज्य आयोजना मण्डल	5,20.56	2,64.59	(-),2,55.97
(2) 3451-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 5612-विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढीकरण	5,05.00	86.91	(-),4,18.09
(3) 3451-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7226-योजना प्रकोष्ठ को अनुदान	1,50.00	50.00	(-),1,00.00
(4) 3451-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7309-विकेन्द्रीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु पीठ का गठन	1,50.00	33.00	(-),1,17.00
(5) 3451-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 8906-योजनाओं का अनुश्रवण/ मूल्यांकन/सर्वेक्षण	1,00.00	0.00	(-),1,00.00

अनुदान संख्या 31-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत एवं क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14, क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 3454-02-001-8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय-			
मूल	47,71.43		
पुनर्वि.	(-)12,39.60	35,31.83	35,31.74 (-)0.09
समर्पण के रूप में 12,39.60 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना न होने, समय पर देयक प्रस्तुत नहीं करने, क्रय पर प्रतिबंध, प्रशासनिक अकादमी से समय पर बिल प्राप्त न होने, मितव्ययता बरतने, कार्यभारित कर्मचारी की मृत्यु होने एवं वाहनों को किराये पर लिया जाना स्थगित करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 3454-02-111-1430-जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़ों का संकलन			
मूल	2,93.52		
पुनर्वि.	(-)97.43	1,96.09	1,89.90 (-)6.19
समर्पण के रूप में 97.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, कोषालय में देयक विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं पद रिक्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 3454-02-111-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
8740-जीवनांक संभाग का सुदृढीकरण-			
मूल	2,10.00		
पुनर्वि.	(-)1,86.51	23.49	23.49 0.00
समर्पण के रूप में 1,86.51 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 3454-02-201-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
0512-इण्डियन इकोनोमिक एसोसिएशन-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,00.00	0.00	0.00 0.00
(10) 3454-02-203-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,00.00	0.00	0.00 0.00

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण के रूप में संपूर्ण प्रावधान क्रमशः 2,00.00 लाख ₹ एवं 2,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(11) 3454-02-800-0801-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1286-सांख्यिकी अनुदान-			
मूल	41,29.00		
पुनर्वि.	(-)41,29.00	0.00	0.00
(12) 3454-02-800-0801-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7383-आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढीकरण-			
मूल	66,00.00		
पुनर्वि.	(-)66,00.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 41,29.00 लाख ₹ एवं 66,00.00 लाख ₹ की सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 3454-02-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
1285-आधारभूत सर्वेक्षण (वेस लाइन सर्वे)-			
मूल	40,00.00		
पुनर्वि.	(-)35,00.00	5,00.00	0.00
(14) 3454-02-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
6270-जन अभियान परिषद का गठन-			
मूल	59,75.01		
पुनर्वि.	(-)14,77.01	44,98.00	49,98.00
उपरोक्त क्रम संख्या ¼13½ एवं (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 35,00.00 लाख ₹ एवं 14,77.01 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या ¼14½ के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 32-जनसंपर्क
(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष-

- 2013-मंत्रिपरिषद
 2015-निर्वाचन
 2029-भू-राजस्व
 2039-राज्य उत्पाद शुल्क
 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर
 2041-वाहन कर
 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं
 2051-लोक सेवा आयोग
 2052-सचिवालय-सामान्य प्रशासन
 2053-जिला प्रशासन
 2054-खजाना और लेखा प्रशासन
 2055-पुलिस
 2056-जेल
 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण
 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं
 2075-विविध सामान्य सेवाएं
 2202-सामान्य शिक्षा
 2203-तकनीकी शिक्षा
 2205-कला एवं संस्कृति
 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2215-जल पूर्ति तथा सफाई
 2217-शहरी विकास
 2220-सूचना तथा प्रचार
 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230-श्रम तथा रोजगार
 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं
 2401-फसल कृषि फर्म
 2403-पशु पालन
 2405-मछली पालन
 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2425-सहकारिता
 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 2701-मध्यम सिंचाई
 2702-लघु सिंचाई
 2810-अपारंपरिक उर्जा स्रोत
 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852-उद्योग
 3054-सड़क तथा सेतु
 3452-पर्यटन
 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

अनुदान संख्या 32—जारी

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
राजस्व:			
मूल	2,41,82,44		
पूरक	1,58,00,00	3,99,82,44	3,82,49,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)17,33,21 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 17,33.21 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 1,58,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जो कि जुलाई 2016 (15,00.00 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2016 (1,23,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2017 में प्राप्त किया गया 20,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 17,33.21 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) यद्यपि समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है निम्न शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अन्तर परिलक्षित हुए हैं—

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)आधिक्य +
बचत (-)

[अ] बचत

(1) 2210-80-800-3956-विज्ञापन, बिक्री
और प्रचार व्यय

2,20.00

1,44.56

(-)75.43

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(2) 2220-01-001-2304-निदेशन एवं
प्रशासन-

मूल 1,18,84.92

पूरक 45,63.00

1,64,47.92

1,58,62.57

(-)5,85.35

इन शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि 1/44,25.00 लाख ₹ प्रत्येक) वृद्धि एवं कमी की गई। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(3) 2220-01-105-2822-चलचित्र इकाई
की स्थापना

7,45.00

4,64.45

(-)2,80.55

(4) 2220-01-105-4065-विशेष अवसरों
पर प्रचार-

मूल 26,20.00

पूरक 55,40.00

81,60.00

80,60.46

(-)99.54

अनुदान संख्या 32—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(5) 2220-60-106-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
5620-समन्वित प्रचार प्रसार	8,28.20	5,47.55	(-)2,80.65
(6) 2220-01-001-7437-पत्रकारों को लैपटॉप प्रदाय	1,00.00	22.40	(-)77.60
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			

[ब] आधिक्य

2220-01-001-7248-इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया पर प्रचार-

मूल	25,00.00			
पूरक	36,50.00	61,50.00	61,59.38	+9.38
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।				

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2202-सामान्य शिक्षा			
2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
राजस्व:	17,57,41,71	13,56,62,26	(-)4,00,79,45
दत्तमत-			3,93,33,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			

प्रभारित	10,00	4,81	(-)5,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			5,19

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 4,00,79.45 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 3,93,33.38 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
---------------	------------------------------	---------------------

(1) 2202-01-101-2773-प्राथमिक

शालाएँ-

मूल 5,74,80.21

पुनर्वि. (-)1,57,00.86 4,17,79.35 4,16,97.93 (-)81.42

1,57,00.86 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,57,34.66 लाख ₹ की कमी ¼समर्पण 1,57,00.86 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 33.80 लाख ₹) एवं 33.80 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी प्रदेश के शिक्षकों को सातवां वेतनमान लागू न किये जाने, रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं जिलों द्वारा आहरण न किये जाने से हुई। वृद्धि गंभीर बीमारी के लंबित प्रकरणों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2202-02-109-0364-आदर्श

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-

मूल 10,61.03

पुनर्वि. (-)4,12.09 6,48.94 6,48.94 0.00

4,12.09 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,13.29 लाख ₹ की कमी (समर्पण 4,12.09 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1.20 लाख ₹) एवं 1.20 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी शिक्षकों को सातवां वेतनमान लागू न किये जाने, प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की सेवानिवृत्ति होने, रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं जिलों द्वारा आहरण न किये जाने से हुई। वृद्धि वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 2202-02-109-0581-उच्चतर माध्यमिक शालाएँ-			
मूल	2,80,13.04		
पुनर्वि.	(-)54,41.19	2,25,71.85	2,25,71.90 +0.05
54,41.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 56,49.26 लाख ₹ की कमी (समर्पण 54,41.19 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,08.07 लाख ₹) एवं 2,08.07 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी शिक्षकों को सातवां वेतनमान लागू न किये जाने, प्राचार्यों, व्याख्याताओं एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति न होने से हुई। वृद्धि गंभीर बीमारी के लंबित प्रकरणों चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2202-02-109-2739-प्रशिक्षण शालाएँ-			
मूल	92.78		
पुनर्वि.	(-)78.78	14.00	13.10 (-)0.90
78.78 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत सातवां वेतनमान लागू न किये जाने, प्राचार्यों, व्याख्याताओं एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने, रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं जिलों द्वारा आहरण नहीं किये जाने से हुई।			
(5) 2202-02-109-3496-माध्यमिक शालाएँ-			
मूल	4,68,58.32		
पुनर्वि.	(-)81,87.90	3,86,70.42	3,85,53.51 (-)1,16.91
81,87.90 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 85,55.40 लाख ₹ की कमी ¼समर्पण 81,87.90 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,67.50 लाख ₹) एवं 3,67.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी प्रावधानित राशि में बचत होने, सातवां वेतनमान लागू न किये जाने, प्राचार्यों, व्याख्याताओं एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति न होने के कारण हुई। वृद्धि वित्त वर्ष के चतुर्थ त्रैमास के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता एवं गंभीर बीमारियों के लंबित प्रकरणों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2225-02-001-1481-जिला प्रशासन-			
मूल	93,60.68		
पुनर्वि.	(-)28,95.94	64,64.74	64,63.93 (-)0.81
28,95.94 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 29,12.94 लाख ₹ की कमी ¼समर्पण 28,95.94 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 17.00 लाख ₹) ½ ,oa 17-00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी सातवां वेतनमान लागू न किये जाने से एवं रिक्त पदों की पूर्ति न किये जाने से हुई। वृद्धि गंभीर बीमारियों के लंबित चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(7) 2225-02-001-6130-संचालनालय-			
मूल	24,25.51		
पुनर्वि.	(-)7,37.02	16,88.49	16,80.84
			(-)7.65
7,37.02 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत सातवां वेतनमान लागू न होने, अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने, रिक्त पदों की पूर्ति न होने, अपर आयुक्त (आई.ए.एस.) की पदस्थापना न होने, जिलों द्वारा आहरण न किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा दिनांक 25.03.2017 से आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 2225-02-001-9022-आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं- संचालनालय			
मूल	3,80.91		
पुनर्वि.	(-)1,44.19	2,36.72	2,35.58
			(-)1.14
1,44.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,50.39 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,44.19 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6.20 लाख ₹) एवं 6.20 लाख ₹ वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राज्य स्तर के प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी के पद रिक्त होने के कारण हुई (₹ 6.20 लाख)। वृद्धि सातवां वेतनमान लागू होने के कारण आई.ए.एस. अधिकारी के वेतन तथा एरियर राशि का भुगतान किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अवशेष कमी 1,44.19 लाख ₹ के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।			
(9) 2225-02-102-2744-प्रशिक्षण सह उत्पादन क्षेत्र-			
मूल	3,16.89		
पुनर्वि.	(-)83.23	2,33.66	2,28.86
			(-)4.80
83.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(10) 2225-02-277-0495-आश्रम एवं शालाएँ-			
मूल	80,76.56		
पुनर्वि.	(-)16,34.65	64,41.91	59,50.02
			(-)4,91.89
16,34.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 17,14.94 लाख ₹ की कमी ¼समर्पण 16,34.65 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 80.29 लाख ₹) एवं 80.29 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी सातवां वेतनमान लागू न होने, शिक्षकों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने, रिक्त पदों की पूर्ति न होने, जिलों द्वारा मांग एवं आहरण नहीं करने के कारण हुई। वृद्धि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लंबित मजदूरी, गंभीर बीमारी के लंबित प्रकरणों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति करने, आश्रम/ छात्रावासों के विद्युत देयकों का भुगतान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 33—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(11) 2225-02-277-0762-कन्या शिक्षा परिसर- मूल पुनर्वि.	6,69.60 (-)1,81.61	4,87.99	4,84.78 (-)3.21
1,81.61 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,84.61 लाख ₹ की कमी ¼समर्पण 1,81.61 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3.00 लाख ₹ ¹ / ₂ एवं 3.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी शिक्षकों को सातवां वेतनमान लागू न किये जाने, शिक्षकों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं जिलों द्वारा आहरण नहीं किये जाने से हुई। वृद्धि गंभीर बीमारी के लंबित प्रकरणों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करने के कारण हुई।			
(12) 2225-02-277-1398-छात्रावास/ आश्रमों का संचालन- मूल पुनर्वि.	98,75.36 (-)10,98.25	87,77.11	87,77.11 0.00
10,98.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 18,40.25 लाख ₹ की कमी ¼समर्पण 10,83.25 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 7,57.00 लाख ₹ एवं 7,42.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी शिक्षकों को सातवां वेतनमान लागू न किये जाने, मांग संख्या-41 से जिलों को आवंटन जारी करने, शिक्षकों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने, रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। वृद्धि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की लंबित मजदूरी एवं विद्युत बिलों के भुगतान करने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 2225-02-277-6175-राज्य छात्रवृत्तियां- मूल पुनर्वि.	26,14.00 (-)16,72.96	9,41.04	9,41.04 0.00
16,72.96 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (सितम्बर 2017)।			
(14) 2225-02-800-0334-आदिवासी अन्वेषण संस्था- मूल पुनर्वि.	5,00.88 (-)1,29.64	3,71.24	3,70.59 (-)0.65
1,29.64 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत रिक्त पदों की पूर्ति न होने, अधिकारियों की सेवानिवृत्ति, देयक अप्राप्त होने एवं शासकीय आवास आवंटित होने के कारण हुई।			
(15) 2515-102-2506-परियोजना मुख्यालय- मूल पुनर्वि.	21,80.81 (-)5,38.79	16,42.02	16,40.60 (-)1.42
5,38.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,39.29 लाख ₹ की (समर्पण 5,38.79 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 0.50 लाख ₹) एवं 0.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी सातवां वेतनमान लागू न किये जाने, शिक्षकों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं जिलों द्वारा आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	2,43,00,07		
पूरक	27,15,06	2,70,15,13	1,89,17,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)80,97,29 81,06,92
<i>प्रभारित</i>		3,00	00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			(-)3,00 3,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 (3,15.06 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2016 (24,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 27,15.06 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 31 मार्च 2017 को किया गया 81,06.92 लाख ₹ का अभ्यर्पण, 80,97.29 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2052-091-0101-राज्य आयोजना 1/4सामान्य1/2- 5614-जनश्री बीमा योजना-			
मूल	0.02		
पूरक	19,00.00		
पुनर्वि.	(-)4,50.02	14,50.00	14,50.00
			0.00

4,50.02 लाख ₹ 1/4समर्पण1/2 की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 34-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 2235-02-001-2304-निदेशन एवं प्रशासन-			
मूल	33,42.92		
पुनर्वि.	(-)8,23.95	25,18.97	27,10.96 +1,91.99
8,23.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,01.94 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन 1,82.90 लाख ₹ + समर्पण 7,19.04 लाख ₹) एवं 78.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः रिक्त पद नहीं भरे जाने, वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न होने के कारण हुई (7,19.04 लाख ₹)। 1,82.90 लाख ₹ की अवशेष कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 में भी बचत हुई थी।			
(3) 2235-02-001-6584-अन्त्योदय मेलों का आयोजन-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,58.02	8,41.98	6,64.44 (-)1,77.54
1,58.02 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत मेलों का आयोजन न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 में भी बचत हुई थी।			
(4) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
0073-अंध, मूक बधिर शालाओं को अनुदान-			
मूल	29,83.63		
पूरक	5,00.00		
पुनर्वि.	(-)6,50.57	28,33.06	28,22.70 (-)10.36
6,50.57 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(5) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
0079-दृष्टि श्रवण बाधित शालाएँ तथा संस्थाएँ-			
मूल	16,10.25		
पुनर्वि.	(-)3,42.82	12,67.43	12,61.39 (-)6.04
3,42.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,57.71 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन 10.00 लाख ₹ + समर्पण 4,47.71 लाख ₹) एवं 1,14.90 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः रिक्त पद नहीं भरे जाने एवं वित्त विभाग द्वारा भुगतान पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई (4,47.71 लाख ₹)। वृद्धि अंशतः कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के कारण हुई (10.00 लाख ₹)। अवशेष कमी 10,00 लाख ₹ एवं वृद्धि 1,04.90 लाख ₹ के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 2083-निःशक्तजनों को बी.एड./ बी.पी.एड.-			
मूल	4,74.00		
पुनर्वि.	(-)4,72.42	1.58	1.58
4,72.42 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत हेतु कोई विशिष्ट कारण नहीं बताए गए है।			0.00
(7) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 2084-श्रवण बाधित निःशक्तजनों को आई.टी.आई. प्रशिक्षण-			
मूल	9,73.88		
पुनर्वि.	(-)5,93.70	3,80.18	3,80.18
5,93.70 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत संबंधित विभाग से राशि प्राप्त होने के कारण हुई।			0.00
(8) 2235-02-200-0795-कला पथक-			
मूल	10,05.30		
पुनर्वि.	(-)3,24.74	6,80.56	6,68.27
3,24.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,30.74 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन 6.00 लाख ₹ + समर्पण 3,24.74 लाख ₹) एवं 6.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्त विभाग द्वारा भुगतान पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई (3,24.74 लाख ₹)। अवशेष कमी 6.00 लाख ₹ एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 में भी बचत हुई थी।			(-)12.29
(9) 2235-02-200-1985-दूरदर्शन कार्यक्रम-			
मूल	3,38.83		
पुनर्वि.	(-)78.79	2,60.04	2,61.75
78.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 80.79 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन 2.00 लाख ₹ + समर्पण 78.79 लाख ₹) एवं 2.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्त विभाग द्वारा भुगतान पर प्रतिबंध के कारण हुई (78.79 लाख ₹)। अवशेष कमी 2.00 लाख ₹ एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 में भी बचत हुई थी।			+1.71

अनुदान संख्या 34-जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(10) 2235-02-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 6689-विकास खण्ड हेतु नवीन पदों का सृजन-			
मूल	3,20.00		
पुनर्वि.	(-)3,20.00	0.00	0.00
3,20.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 2,25.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 95.00 लाख ₹) पद रिक्त रहने के कारण हुई।			
(11) 2235-02-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 6692-मुख्यमंत्री निकाह योजना-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(-)6,70.53	3,29.47	3,29.47
6,70.53 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत निकाह की संख्या कम होने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(12) 2235-02-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता-			
मूल	88,04.70		
पुनर्वि.	(-)28,27.31	59,77.39	59,48.64
28,27.31 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा भुगतान पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 में भी बचत हुई थी।			
(13) 2235-60-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 6554-समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम-			
मूल	1,95.00		
पुनर्वि.	(-)1,07.82	87.18	89.95
1,07.82 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा भुगतान पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई (22.82 लाख ₹)। अवशेष बचत 85.00 लाख ₹ के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत मुख्यतः प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-			

अनुदान संख्या 34-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	------------------	---------------------

(लाख ₹ में)

2235-02-800-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

5442-मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा

योजना 2007-

मूल

6.00

पुनर्वि.

1,02.38

1,08.38

1,20.63

+12.25

1,02.38 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,80.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 77.61 लाख ₹ की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि उपयुक्त हितग्राहियों को नये कार्ड बनाने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 35—पुनर्वास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
राजस्व: दत्तमत—			
मूल	77,25		
पूरक	सांकेतिक	77,25	30,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)47,08 निरंक
<i>प्रभारित</i>		50	00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-)50 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 47.08 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
2235-01-001-2709-प्रधान कार्यालय के कर्मचारी वृंद पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के लिये ¼नये½	77.25	30.17	(-)47.08

इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (0.70 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी पुनर्वास आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iii) 0.50 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2041-वाहन कर			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	79,64,53		
पूरक	2,00,00	81,64,53	63,34,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)18,30,17 निरंक

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में राशि 63,34,35,726 ₹ के कुल व्यय में 28.10.2016 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 1,26,39,400 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित	4,00	0.00	(-)4,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

पूंजीगत:				
दत्तमत-				
मूल	52,76,00			
पूरक	9,00,00	61,76,00	52,43,60	(-)9,32,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				62,34

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 2,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 18,30.17 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2041-001-3561-मुख्यालय स्थापना बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।	7,46.74	5,82.97	(-)1,63.77
(2) 2041-101-3561-मुख्यालय स्थापना सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (सितम्बर 2017)।	2,00.00	0.00	(-)2,00.00

अनुदान संख्या 36—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 2041-101-4280-संग्रह प्रभार	30,35.51	20,88.89	(-)9,46.62

इस शीर्ष के अन्तर्गत निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (48.50 लाख ₹) की कमी के साथ ही वृद्धि हुई है। कमी, वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2041-102-0679-उड़नदस्ता एवं चेक पोस्ट की स्थापना	17,54.55	13,79.18	(-)3,75.37
---	----------	----------	------------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 9,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 9,32.40 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को केवल 62.34 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
5055-800-0101-राज्य आयोजना ¼ सामान्य ½-			
1231-म.प्र. इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी-			
मूल	1,00.00		
पूरक	9,00.00		
पुनर्वि.	(-)9,00.00	1,00.00	93.63
			(-)6.37

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-				
3452-पर्यटन				
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय				
राजस्व:				
मूल	1,41,56,21			
पूरक	7,00,00	1,48,56,21	1,34,40,05	(-)14,16,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				14,16,08
पूंजीगत:				
मूल	1,05,00,00			
पूरक	10,00,00	1,15,00,00	1,12,13,81	(-)2,86,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,86,19

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 7,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 14,16.16 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 14,16.08 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 3452-01-101-0101-राज्य आयोजना 1/4सामान्य1/2-			
3240-मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को पर्यटन मनोरंजन मेला उत्सव के लिये अनुदान-			
मूल	6,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,05.00	4,95.00	4,95.00
			0.00

1,05.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत 1/4समर्पण 55.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 50.00 लाख ₹) अंशतः राशि का उपयोग न हो सकने के कारण हुई (50.00 लाख ₹)। शेष बचत (55.00 लाख ₹) के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 37-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 3452-01-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 6580-होटल प्रबंधन संस्थान, इन्दौर-			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,95.00	1,05.00	1,05.00
			0.00
2,95.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 2,75.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 20.00 लाख ₹) पुनर्विनियोजन स्वीकृत न होने एवं राशि का उपयोग न होने के कारण हुई।			
(3) 3452-01-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7150-फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, रीवा-			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि.	(-)1,31.63	18.37	18.37
			0.00
1,31.63 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 130.13 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1.50 लाख ₹) पुनर्विनियोजन स्वीकृत न होने एवं राशि का उपयोग न होने के कारण हुई।			
(4) 3452-01-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7151-फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, जबलपुर-			
मूल	2,50.00		
पुनर्वि.	(-)1,74.16	75.84	75.84
			0.00
1,74.16 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 1,23.72 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 50.44 लाख ₹) पुनर्विनियोजन स्वीकृत न होने एवं राशि का उपयोग न होने के कारण हुई।			
(5) 3452-01-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7152-होटल प्रबंधन संस्थान, भोपाल-			
मूल	1,75.00		
पुनर्वि.	(-)1,31.50	43.50	43.50
			0.00
1,31.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 1,08.50 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 23.00 लाख ₹) पुनर्विनियोजन स्वीकृत न होने एवं अपेक्षित व्यय न होने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 37-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 3452-01-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7857-हवाई उड़ान सेवा के लिए अनुदान-			
मूल	9,00.00		
पुनर्वि.	(-)4,01.47	4,98.53	4,98.53
4,01.47 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन स्वीकृत न होने के कारण हुई।			0.00

(7) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 2529-पर्यटन संचालनालय-			
मूल	2,50.00		
पुनर्वि.	(-)87.83	1,62.17	1,62.17
87.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 69.83 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 18.00 लाख ₹) अंशतः (18.00 लाख ₹) अपेक्षित व्यय न होने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत (69.83 लाख ₹) के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			0.00

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा
अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 1253-पर्यटन निवेश संबर्धन, फिजिविलिटी अध्ययन एवं व्यवसायिक सेवाओं हेतु अनुदान-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	43.00	93.00	93.00
43.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निवेश संबर्धन के देयताओं के भुगतान के लिए की गई।			0.00
(2) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 1271-पूँजीगत अनुदान-			
मूल	10,00.00		
पूरक	7,00.00		
पुनर्वि.	2,09.94	19,09.94	19,09.94
			0.00

2,09.94 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि पर्यटन इकाईयों में निजी निवेशकों को पूँजीगत अनुदान के भुगतान के लिए आवश्यक राशि के कारण हुई।

अनुदान संख्या 37—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
पूँजीगत:			
(v) 2,86.19 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया, 10,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अधिक था।			
(vi) यद्यपि कुल बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम है, फिर भी निम्न शीर्ष के अन्तर्गत विशेष परिवर्तन पाये गये:—			
5452-01-101-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
7404-अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर भोपाल की निर्माण-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(-10,00.00	0.00	0.00
10,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (सम्पूर्ण प्रावधान) (समर्पण 70.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 9,30.00 लाख ₹) हेतु विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

अनुदान संख्या 38—आयुष

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	3,59,95,05		
पूरक	10,45,00	3,70,40,05	(-)59,34,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,10
¼31 ekpZ 2017½			

प्रभारित 10,00 50 (-)9,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि निरंक

पूंजीगत:
दत्तमत- 42,17,60 16,18,91 (-)25,98,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 10,45.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 59,34.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 1.10 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2210-02-101-4194-शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एवं डिपो	7,57.40	6,55.91	(-)1,01.49

इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (25.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध अपर्याप्त प्रावधान होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2210-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित
योजना सामान्य-

1277-राष्ट्रीय मिशन ऑफ आयुष

मेडिसिनल प्लांट सहित

20,77.80 16,07.82 (-)4,69.98

अनुदान संख्या 38—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (4,98.64 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी वास्तविक अनुमान के विरुद्ध प्रावधान अधिक होने के कारण हुई जबकि वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध प्रावधान कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(3) 2210-02-101-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

4286-संचालक आयुर्वेद एवं
प्रशासन-

मूल	6,68.66			
पुनर्वि.	13.00	6,81.66	2,83.66	(-)3,98.00

13.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में 50.15 लाख ₹ की कमी एवं 63.15 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी वास्तविक अनुमान के विरुद्ध प्रावधान, अधिक होने के कारण हुई जबकि वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध प्रावधान कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2210-02-101-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

6638-एलोपैथी चिकित्सालय में
आयुष विंग की स्थापना-

मूल	5,50.00			
पुनर्वि.	(-)40.00	5,10.00	4,37.80	(-)72.20

40.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 42.00 लाख ₹ की कमी एवं 2.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी प्रावधान अधिक होने एवं वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध प्रावधान कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(5) 2210-02-101-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी
कार्य-

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	(-)44.96	55.04	3.20	(-)51.84

पुनर्विनियोजन के रूप में 44.96 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योजना के प्रारंभ नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 2210-02-102-4810-होम्योपैथिक

औषधालय-

मूल	18,25.76			
पूरक	8,00.00	26,25.76	22,73.15	(-)3,52.61

अनुदान संख्या 38—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (4,50.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं वास्तविक अनुमान से प्रावधान अधिक होने के कारण हुई जबकि वृद्धि अपर्याप्त प्रावधान होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2210-02-103-3613-यूनानी फार्मसी	2,72.43	1,80.12	(-)92.31
(8) 2210-02-103-4760-यूनानी अस्पताल एवं औषधालय	8,27.41	5,54.68	(-)2,72.73

उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 में एवं क्रम संख्या (8) शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(9) 2210-02-103-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 8564-भोपाल यूनानी महाविद्यालय-			
मूल	7,93.16		
पूरक	2,45.00		
पुनर्वि.	(-)74.00	9,64.16	7,11.15
			(-)2,53.01

74.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 84.40 लाख ₹ की कमी एवं 10.40 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वास्तविक आवश्यकता से प्रावधान अधिक होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध प्रावधान अपर्याप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 2210-04-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 0465- आयुर्वेदिक एवं अन्य औषधालय-			
मूल	2,06.00		
पुनर्वि.	(-)82.00	1,24.00	1,17.81
			(-)6.19

पुनर्विनियोजन के रूप में 82.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान अधिक होने के कारण हुई।

(11) 2210-05-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 0469-आयुर्वेदिक महाविद्यालय-			
मूल	42,24.06		
पुनर्वि.	48.00	42,72.06	24,61.38
			(-)18,10.68

48.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,87.00 लाख ₹ की कमी एवं 3,35.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं प्रावधान अधिक होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि प्रावधान कम होने एवं छात्र वृत्ति में वृद्धि के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 38-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(12) 2210-05-101-0101-राज्य आयोजना			
------------------------------------	--	--	--

¼सामान्य½-

6736- आयुष महाविद्यालयों में
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1,00.00 49.29 (-)50.71

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 में भी बचत हुई थी।

(13) 2210-05-102-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

8068-शासकीय होम्योपैथिक
महाविद्यालय-

मूल 7,96.58

पुनर्वि. 9.00 8,05.58 2,33.44 (-)5,72.14

9.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 34.40 लाख ₹ की कमी एवं 43.40 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी प्रावधान अधिक होने, जबकि वृद्धि प्रावधान अपर्याप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) 25,98.69 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान भी कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4210-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1277-राष्ट्रीय मिशन ऑफ आयुष मेडिसिनल प्लांट सहित	27,12.20	7,45.00	(-)19,67.20
(2) 4210-02-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 0461-आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण	5,00.00	2,55.43	(-)2,44.57
(3) 4210-04-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 0465- आयुर्वेदिक एवं अन्य औषधालय	5,55.40	1,85.46	(-)3,69.94

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4408-खाद्य, भण्डारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6408-खाद्य, भण्डारण एवं भांडागार के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	11,36,52,70		
पूरक	4,53,22,74	15,89,75,44	15,51,15,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)38,59,49
1/431 ekpZ 2017½			30,40,81
<i>प्रभारित</i>		1,60	63
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-)97
1/431 ekpZ 2017½			37
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	1,09,82,01		
पूरक	2,61,27,00	3,71,09,01	3,57,68,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)13,40,44
1/431 ekpZ 2017½			8,61,28
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) 38,59.49 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 2,66,08.74 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 1,87,14.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।			
(ii) 38,59.49 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 30,40.81 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) यद्यपि 38,59.49 लाख ₹ की समग्र बचत, कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखित अंतर परिलक्षित हुये:-			

अनुदान संख्या 39—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
[अ] बचत			
(1) 2408-01-001-1471-जिला कार्यालय-			
मूल	33,55.80		
पुनर्वि.	(-)6,34.44	27,21.36	26,99.07 (-)22.29
6,34.44 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,34.94 लाख ₹ की कमी ¼समर्पण 6,34.44 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 0.50 लाख ₹) एवं 0.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अन्य भत्ते शीर्षान्तर्गत अपर्याप्त प्रावधान के कारण हुई। 6,34.94 लाख ₹ की कमी के कारणों/विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2408-01-102-9087-खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान-			
मूल	28,00.00		
पूरक	98,76.00		
पुनर्वि.	(-)49,61.48	77,14.52	77,14.52 0.00
49,61.48 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शक्कर की दर कम होने और उपभोक्ता दर में वृद्धि के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2408-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7367-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराइजेशन-			
मूल	11,91.00		
पुनर्वि.	(-)8,32.43	3,58.57	3,58.01 (-)0.56
8,32.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 8,59.43 लाख ₹ की कमी एवं 27.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः मितव्ययता के कारण हुई (27.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि जिलों में अधिकारियों को टेबलेट प्रदाय किये जाने हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 8,32.43 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2408-01-102-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7165- खाद्यान्न भण्डारण हेतु गारंटी योजना-			
मूल	6,00.00		
पूरक	14,38.00		
पुनर्वि.	(-)5,35.46	15,02.54	13,73.53 (-)1,29.01
5,35.46 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼पुनर्विनियोजन 3,00.00 लाख ₹ + समर्पण 2,35.46 लाख ₹) मुख्यतः मितव्ययता के कारण हुई (3,00.00 लाख ₹)। 2,35.46 लाख ₹ की अवशिष्ट बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 39—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(5) 2408-01-102-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7723- शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का सुदृढीकरण-			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि.	(-)3,75.26	8,24.74	6,71.87 (-)1,52.87

3,75.26 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,75.26 लाख ₹ की कमी ,oa 3]00-00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः डी.डी.ओ. द्वारा राशि आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई (1,15.50 लाख ₹), जबकि वृद्धि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर तौल कांटा उपलब्ध कराये जाने हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 5,59.76 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

[ब] आधिक्य:-

2408-01-102-1299- लक्षित
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के
अन्तर्गत परिवहन कमीशन व्यय
की प्रतिपूर्ति-

मूल	4,70,00.00			
पुनर्वि.	49,61.48	5,19,61.48	5,19,61.48	0.00

49,61.48 लाख ₹ की पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि परिवहन व्यय के कमीशन एवं पी.ओ.एस. मशीन के भुगतान के कारण हुई।

प्रभारित-

(iv) 0.97 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 0.37 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) 13,40.44 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 6,45.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2017 में प्राप्त किया गया 2,54,82.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) 13,40.44 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 8,61.28 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई:-

(vii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
6408-02-190-1401-नाबार्ड			
¼सामान्य½-			
7272-गोदामों का निर्माण-			
मूल	6,82.00		
पुनर्वि.	(-)6,82.00	0.00	0.00 0.00

समर्पण के रूप में 6,82.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय

(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2204-खेल तथा युवा सेवाएं			
2205- कला एवं संस्कृति			
4202- शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	20,68,87,81		
पूरक	2	20,68,87,83	16,29,72,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)4,39,15,61 13,22,18
<i>प्रभारित-</i>			
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>		60,00	14,64
			(-)45,36 निरंक

पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	1,23,50,00		
पूरक	35,00,01	1,58,50,01	48,35,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि टीका एवं टिप्पणियां			(-)1,10,14,99 निरंक
राजस्व:			
दत्तमत-			

(i) 4,39,15.61 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 13,22.18 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2202-02-001-9230-संयुक्त संचालक कार्यालयों की स्थापना	15,94.54	12,58.47	(-)3,36.07
(2) 2705-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य-	8,50.00	0.00	(-)8,50.00

इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 2202-02-109-0581-उच्चतर माध्यमिक शालाएं-			
मूल	12,66,95.82		
पुनर्वि.	(-)8,77.30	12,58,18.52	9,67,68.60 (-)2,90,49.92
8,77.30 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2202-02-109-4193-शासकीय विद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यवसायिकरण	87,24.62	60,92.12	(-)26,32.50
(5) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2077-आवासीय खेलकूद सीहोर एवं शासकीय शारीरिक विद्यालय शिवपुरी के रिनोवेशन हेतु	3,00.00	0.00	(-)3,00.00
(6) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2078-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	17,00.00	0.00	(-)17,00.00
(7) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2079-स्कूल भवनों के रिट्रोफिटिंग हेतु	6,00.00	0.00	(-)6,00.00
(8) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2267-निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	49,00.00	39,91.00	(-)9,09.00
(9) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5732-सैनिक स्कूल रीवा को अनुदान	8,00.00	0.00	(-)8,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(10) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन-			
मूल	31,45.00		
पूरक	0.02		
पुनर्वि.	(-)6,00.00	25,45.02	2,06.16
			(-)23,38.86

6,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 15,53.38 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी एवं 9,53.38 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(11) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6968-हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन-			
मूल	36,44.21		
पुनर्वि.	4,28.25	40,72.46	20,74.11
			(-)19,98.35

4,28.25 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान के कारण किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 2202-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1236-केन्द्रीय विद्यालयों को अनुदान-			
मूल	8,50.00		
पुनर्वि.	(-)5,60.00	2,90.00	0.00
			(-)2,90.00

5,60.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(13) 2202-80-001-3858-लोक शिक्षण संचालनालय	25,40.63	21,01.94	(-)4,38.69
---	----------	----------	------------

इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (87.90 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि की गई। वृद्धि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लंबित देयको का भुगतान के कारण हुई। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(14) 2202-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6813-साइकिलों का प्रदाय मूल 90,00.00 पुनर्वि. (-)17,50.00	72,50.00	72,47.48	(-)2.52
17,50.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(15) 2202-80-107-5133-अन्य छात्रवृत्तियां	20,29.20	10,02.88	(-)10,26.32
(16) 2202-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6015-विकासखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों को अनुदान	8,50.00	5,34.28	(-)3,15.72
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(17) 2204-102-3754-राष्ट्रीय सैन्य दल-कनिष्ठ संभाग- मूल 19,09.02 पुनर्वि. (-)3,70.41	15,38.61	9,79.76	(-)5,58.85
3,70.41 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत नियमित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्त एवं असामयिक निधन होने, अंशकालीन एन.सी.सी अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं उनके प्रशिक्षण पर न जाने, छात्रों के द्वारा एन.सी.सी. कैम्पों में हिस्सा न लेने, शासन द्वारा बजट प्रावधान में 10 प्रतिषत कटौती करने एवं दै.वे.भो. कर्मचारियों को अवकाश के दिनों का भुगतान नहीं करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(18) 2204-102-3755-राष्ट्रीय सैन्य दल-वरिष्ठ संभाग- मूल 35,17.07 पुनर्वि. (-)9,51.65	25,65.42	29,71.70	+4,06.28
9,51.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,62.15 लाख ₹ (समर्पण 9,51.65 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 10.50 लाख ₹) की कमी ,oa 10-50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः नियमित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्त एवं असामयिक निधन होने, सितम्बर 2016 से आउटसोर्सिंग सेवा को लागू करने, अंशकालीन एन.सी.सी अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं उनके प्रशिक्षण पर न जाने, छात्रों के द्वारा एन.सी.सी. कैम्पों में हिस्सा न लेने, कार्यालयीन भवन के लघु कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को राशि स्थानांतरण करने, वित्तीय वर्ष के अन्त में कोषालयो से आहरण न होने, शासन द्वारा कार्यालय व्यय शीर्ष में प्रावधान में 10 प्रतिषत कटौती करने एवं दै.वे.भो. कर्मचारियों को अवकाश के दिनों का भुगतान नहीं करने के कारण हुई (9,51.65 लाख ₹)। अवशेष कमी 10.50 लाख ₹ के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

अनुदान संख्या 40-जारी

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय

आधिक्य +
बचत (-)

(लाख ₹ में)

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2202-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1265-प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेपटॉप का प्रदाय -			
मूल	25,50.00		
पुनर्वि.	23,50.00	49,00.00	48,89.29
			(-)10.71
23,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन के साथ अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(2) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन			
	2,25,00.00	2,61,41.48	+36,41.48
आधिक्य के कारण भी सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(3) 2202-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5704-हाई स्कूलों का सुदृढीकरण तथा मिडिल स्कूलों का हाई स्कूल में उन्नयन-			
मूल	7,81.63		
पुनर्वि.	4,49.05	12,30.68	8,62.78
			(-)3,67.90
4,49.05 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन वेतन मद में कम बजट प्रावधान होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(4) 2204-800-1084-खेलकूद तथा गतिविधियों पर व्यय -			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	5,00.00	7,00.00	5,92.78
			(-)1,07.22
5,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन के साथ अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

प्रभारित-

(iv) 45.36 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।

अनुदान संख्या 40—जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	-------------	---------------------------	------------------

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

2202-80-001-3858-लोक शिक्षण
संचालनालय

60.00 14.64 (-)45.36

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 (35,00.00 लाख ₹^{1/2} एवं दिसम्बर 2016 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया 35,00.01 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) 1,10,14.99 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2079-स्कूल भवनों के रिट्रोफिटिंग हेतु	4,00.00	0.00	(-)4,00.00
(2) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2080-कक्षा 9 से 12 हेतु छात्रावास/ अधोसंरचना सी.डब्ल्यू.एस.एन. हेतु- मूल	8,00.00		
पूरक	सांकेतिक 8,00.00	0.00	(-)8,00.00
(3) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5542-शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का सुदृढीकरण	8,50.00	3,00.08	(-)5,49.92
(4) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन-			
पूरक	35,00.00	35,00.00	5,20.08 (-)29,79.92

अनुदान संख्या 40—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(5) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

6970-हायर सेकेण्डरी स्कूलों के
भवनों का निर्माण-

मूल	70,00.00			
पूरक	सांकेतिक	70,00.01	18,76.84	(-)51,23.17

(6) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

7128-संयुक्त संचालक/जिला
शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय
भवन निर्माण

15,00.00 3,90.63 (-)11,09.37

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (3), (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

4202-01-202-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

1498-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा
अंतर्गत अपूर्ण कार्यों से संबंधित व्यय

पूरक	सांकेतिक	सांकेतिक	8,66.48	+8,66.48
------	----------	----------	---------	----------

सांकेतिक प्रावधान के विरुद्ध बिना किसी पुनर्विनियोजन के 8,66.48 लाख ₹ के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2053—जिला प्रशासन
- 2055—पुलिस
- 2059—लोक निर्माण कार्य
- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
- 2217—शहरी विकास
- 2220—सूचना तथा प्रचार
- 2225—अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2230—श्रम तथा रोजगार
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2236—पोषण
- 2250—अन्य सामाजिक सेवायें
- 2401—फसल कृषि—कर्म
- 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
- 2403—पशु-पालन
- 2405—मछली पालन
- 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
- 2408—खाद्य, भंडारण और भांडागार
- 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
- 2425—सहकारिता
- 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- 2801—बिजली
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
- 3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं
- 3452—पर्यटन
- 4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
- 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
- 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
- 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
- 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 41—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
4406—वानिकी एवं वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6408—खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज			
6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	57,51,76,93		
पूरक	9,86,82,25	67,38,59,18	45,14,48,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)22,24,11,05
(25 जनवरी, 25 फरवरी एवं 21-23-31 मार्च 2017)			16,97,41,52
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	52,77,55,81		
पूरक	6,83,91,85	59,61,47,66	33,30,52,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)26,30,95,66
(31 मार्च 2017)			23,93,43,96
<i>प्रभारित</i>		15,00	8,32
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-)6,68 <i>निरंक</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 एवं दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया क्रमशः 8,23,21.38 लाख ₹ एवं 1,63,60.87 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 22,24,11.05 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 25 जनवरी, 25 फरवरी एवं 21-23-31 मार्च 2017 को 16,97,41.52 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

06—धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग

(1) 2250-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-			
2103-धार्मिक सांस्कृतिक आस्था स्थलों का जीर्णोद्धार	13,60.00	3,12.18	(-)10,47.82
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

14—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(2) 2401-796-102-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-				
7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-				
मूल	1,05,00.00			
पुनर्वि.	(-)85,28.67	19,71.33	19,71.33	0.00

85,28.67 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने एवं स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना के लिये पुनर्विनियोजन प्रस्ताव स्वीकृत न होने के कारण हुई (46,78.62 लाख ₹)। 38,50.05 लाख ₹ की शेष बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(3) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-				
7717- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
मूल	19,60.80			
पुनर्वि.	(-)17,51.52	2,09.28	2,09.28	0.00

समर्पण के रूप में 17,51.52 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई (8,20.51 लाख ₹)। 9,31.01 लाख ₹ की शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(4) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-				
7500- नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन-				
मूल	17,09.93			
पूरक	35.45			
पुनर्वि.	(-)10,71.80	6,73.58	6,73.58	0.00

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(5) 2401-796-113-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.- 7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-			
मूल	5,00.00		
पूरक	9,97.76		
पुनर्वि.	(-)13,50.64	1,47.12	1,47.12
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 10,71.80 लाख ₹ एवं 13,50.64 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

15-सहकारिता विभाग

(6) 2425-796-107-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-				
2091- मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना -				
मूल	5,50.00			
पूरक	34,05.00	39,55.00	5,68.14	(-)33,86.86
(7) 2425-796-107-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-				
9134- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन कर ब्याज अनुदान-				
मूल	5,50.00			
पूरक	55,03.00	60,53.00	3,75.45	(-)56,77.55

(8) 2425-796-107-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-				
9254- सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान-				
मूल	51,00.00			
पूरक	34,24.00	85,24.00	58,47.78	(-)26,76.22

उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

17—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(9) 2210-01-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.- 5724- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	4,82,05.00	3,16,38.05	(-)1,65,66.95
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

20—स्कूल शिक्षा विभाग

(10) 2202-01-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5776-सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना -	मूल पुनर्वि.	13,50.00 (-)13,50.00	0.00 0.00	0.00 0.00
(11) 2202-01-796-101-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6484- आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति -	मूल पुनर्वि.	85,00.00 (-)55,00.00	30,00.00 30,00.00	0.00 0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 13,50.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) एवं 55,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत 2015—16 एवं 2014—15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 2202-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.- 6809- कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय-	मूल पुनर्वि.	31,50.00 (-)14,50.00	17,00.00 20,00.00	+3,00.00
समर्पण के रूप में 14,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की राशि के प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।				

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(13) 2202-01-796-101-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.- 8810-सर्वशिक्षा अभियान - मूल 9,71,99.00 पुनर्वि. (-)4,87,39.49	4,84,59.51	4,81,59.51	(-)3,00.00
समर्पण के रूप में 4,87,39.49 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(14) 2202-02-796-109-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन - मूल 50,00.00 पूरक 0.02 पुनर्वि. (-)26,95.00	23,05.02	3,01.95	(-)20,03.07
पुनर्विनियोजन के रूप में 26,95.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 50,54.61 लाख ₹ की कमी एवं 23,59.61 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि उद्देश्य शीर्ष 11, 21, 22, 31 एवं 34 के अन्तर्गत राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
25-आदिम जाति कल्याण विभाग			
(15) 2202-01-796-101-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2773-प्राथमिक शालाएँ- मूल 1,43,38.65 पुनर्वि. (-)14,55.38	1,28,83.27	1,15,47.38	(-)13,35.89
(16) 2202-01-796-101-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3496-माध्यमिक शालाएँ- मूल 1,29,39.98 पुनर्वि. (-)31,04.28	98,35.70	84,76.30	(-)13,59.40
(17) 2202-02-796-109-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 0581-उच्चतर माध्यमिक शालाएँ- मूल 1,28,49.66 पुनर्वि. (-)29,90.49	98,59.17	88,04.39	(-)10,54.78

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (17) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 14,55.38 लाख ₹, 31,04.28 लाख ₹ एवं 29,90.49 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत सातवां वेतनमान लागू न होने, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने, रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं जिला कार्यालयों द्वारा आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 एवं 2013-14 तथा क्रम संख्या (17) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(18) 2202-02-796-109-0102-आदिवासी

क्षेत्र उपयोगना-

5216-हाई स्कूल-

मूल	49,12.16			
पूरक	18,48.42			
पुनर्वि.	(-)23,33.62	44,26.96	42,66.75	(-)1,60.21

23,33.62 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 26,33.62 लाख ₹ की कमी (समर्पण 23,33.62 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,00.00 लाख ₹) एवं 3,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी सातवां वेतनमान लागू न होने से वेतन, भत्तों में बचत, शिक्षकों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने, रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं जिला कार्यालयों द्वारा आहरण न किये जाने के कारण हुई। वृद्धि प्रावधान कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(19) 2225-02-796-001-0802-केन्द्र

क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र
उपयोगना-

5155-योजनाओं का अनुश्रवण और
मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)-

मूल	52,50.00			
पुनर्वि.	(-)51,50.05	99.95	83.27	(-)16.68

समर्पण के रूप में 51,50.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई (42.74 लाख ₹)। 51,07.31 लाख ₹ की शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(20) 2225-02-796-102-0802- केन्द्र

क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र
उपयोगना-

1215-वन बन्धु कल्याण योजना-

मूल	30,00.00			
पुनर्वि.	(-)13,56.87	16,43.13	16,34.76	(-)8.37

समर्पण के रूप में 13,56.87 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(21) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2676- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां- मूल 1,45,42.30 पुनर्वि. (-)16,65.92	1,28,73.38	1,28,64.52	(-)11.86
16,65.92 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः जिलों से मांग प्राप्त न होने एवं लोक शिक्षण द्वारा राशि का उपयोग न करने के कारण हुई (5,66.40 लाख ₹)। 10,99.52 लाख ₹ की शेष कमी के पर्याप्त कारणों साथ ही अंतिम अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(22) 2225-02-796-277-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8832-आश्रमों/छात्रावासों का सुदृढीकरण- मूल 80,99.40 पुनर्वि. (-)10,99.69	69,99.71	69,99.71	0.00
समर्पण के रूप में 10,99.69 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जिला कार्यालयों द्वारा राशि के आहरण न किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(23) 2225-02-796-277-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2676- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां- मूल 1,00,00.00 पुनर्वि. (-)69,07.46	30,92.54	30,92.54	0.00
समर्पण के रूप में 69,07.46 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(24) 2225-02-794-794-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित- 5211- आई.टी.डी.पी. /माडा पॉकेट /क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम- मूल 1,31,55.80 पूरक 1,40,09.16 पुनर्वि. (-)91,94.33	1,79,70.63	1,37,30.92	(-)42,39.71

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

91,94.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,27,94.33 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,27,09.40 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 84.93 लाख ₹) एवं 36,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने एवं आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना से राशि मार्च 2017 के अन्त में प्राप्त होने के कारण हुई (84.93 लाख ₹)। वृद्धि अनुसूचित जाति जनजाति कृषकों के पोषण एवं स्वास्थ्य पर व्यय के कारण हुई। 1,27,09.04 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(25) 2225-02-794-794-0602-आदिवासी

क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत
सरकार से अलावा राशियों से
पोषित-

9819-विशेष पिछड़े आदिवासी समूह
अभिकरण-

मूल	13,04.39			
पुनर्वि.	(-)12,48.53	55.86	55.85	(-)0.01

समर्पण के रूप में 12,48.53 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत सातवां वेतनमान लागू न होने, शिक्षकों / कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं जिला कार्यालयों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने एवं प्रावधान में दस प्रतिशत की कटौती किये जाने के कारण हुई।

(26) 2225-02-794-800-0602-आदिवासी

क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत
सरकार से अलावा राशियों से
पोषित-

7745-कम्यूनिटी लीडरशिप योजना-

मूल	14,00.00			
पुनर्वि.	(-)9,00.00	5,00.00	2,73.87	(-)2,26.13

समर्पण के रूप में 9,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत साथ ही अंतिम बचत के कारणों, साथ ही सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(27) 2225-02-796-800-0702- केन्द्र

प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-

7748-अम्ब्रेला स्कीम-

मूल	59,16.46			
पुनर्वि.	(-)59,16.46	0.00	0.00	0.00

समर्पण के रूप में 59,16.46 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने एवं योजना की शासन स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(28) 2225-02-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6500-विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास-			
मूल	66,00.00		
पुनर्वि.	(-)49,59.89	16,40.11	13,96.91
समर्पण के रूप में 49,59.89 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			(-)2,43.20
(29) 2801-06-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7211-अनु.जाति/जनजाति हेतु विद्युतीकरण योजना-			
मूल	82,00.00		
पुनर्वि.	(-)55,72.64	26,27.36	26,27.36
समर्पण के रूप में 55,72.64 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः जिला कार्यालयों द्वारा राशि के आहरण न किये जाने के कारण हुई (2,48.16 लाख ₹)। 53,24.48 लाख ₹ की शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			0.00

26- सामाजिक न्याय विभाग

(30) 2235-02-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6710-दीनदयाल अन्वयोदय मिशन को आर्थिक सहायता-				
मूल	47,87.91			
पुनर्वि.	(-)17,45.53	30,42.38	30,44.01	+1.63
(31) 2235-60-796-193-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.- 8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-				
मूल	20,00.00			
पुनर्वि.	(-)15,35.95	4,64.05	3,83.83	(-)80.22
उपरोक्त क्रम संख्या (30) एवं (31) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 17,45.53 लाख ₹ एवं 15,35.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई। क्रम संख्या (31) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (30) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।				

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

34—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(32) 2215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.- 1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण-				
मूल	27,20.27			
पुनर्वि.	(-)18,05.00	9,15.27	7,14.32	(-)2,00.95
(33) 2215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.- 8415-ग्रामीण नल जल योजनाओं के संधारण-				
मूल	23,97.45			
पुनर्वि.	(-)15,55.17	8,42.28	6,39.86	(-)2,02.42
इन शीर्षों के अन्तर्गत समर्पण के रूप में 18,05.00 लाख ₹ एवं 15,55.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।				

50—महिला एवं बाल विकास विभाग

(34) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.- 0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना-				
मूल	1,36,16.49			
पुनर्वि.	(-)20,49.17	1,15,67.32	1,14,92.38	(-)74.94
समर्पण के रूप में 20,49.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।				

52—ग्रामोद्योग विभाग

(35) 2851-796-107-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6328-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम-				
मूल	20,49.60			
पुनर्वि.	(-)20,49.60	0.00	0.00	0.00
समर्पण के रूप में 20,49.60 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत दस प्रतिशत मितव्ययता कटौती एवं रेशम उद्योग के लिये प्रतिकूल मौसम के कारण हुई।				

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

59—औद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(36) 2401-796-119-0102- आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

5153-उद्योग संवर्धन नीति अनुसार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास
की योजना-

मूल 12,07.21

पुनर्वि. (-)12,07.21 0.00 0.00 0.00

समर्पण के रूप में 12,07.21 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत योजना बन्द होने के कारण हुई।

(37) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित
योजना टी.ए.एस.पी.-

1288-राष्ट्रीय स्थाई कृषि मिशन-

मूल 42,00.00

पूरक 44,71.90

पुनर्वि. (-)26,13.62 60,58.28 60,58.28 0.00

समर्पण के रूप में 26,13.62 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(38) 2401-796-119-0702- केन्द्र प्रवर्तित
योजना टी.ए.एस.पी.-

5116-राष्ट्रीय उद्योगिकी मिशन-

मूल 17,38.00

पूरक 4,48.96

पुनर्वि. (-)15,47.30 6,39.66 6,39.66 0.00

समर्पण के रूप में 15,47.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत आवेदनों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(39) 2401-796-119-0702- केन्द्र प्रवर्तित
योजना टी.ए.एस.पी.-

5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

मूल 15,75.00

पुनर्वि. (-)12,16.85 3,58.15 3,58.15 0.00

समर्पण के रूप में 12,16.85 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

अनुदान व्यय बचत (-)
(लाख ₹ में)

14—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(1) 2401-796-113-0702- केन्द्र प्रवर्तित
योजना टी.ए.एस.पी.-

7450-ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर
अनुदान (एस.एम.ए.एम.)-

मूल	5,00.00			
पुनर्वि.	1,30.13	6,30.13	6,30.13	0.00

1,30.13 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,98.52 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,68.39 लाख ₹ (समर्पण) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सरकार से केन्द्रांश अधिक प्राप्त होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

20—स्कूल शिक्षा विभाग

(2) 2202-02-796-109-0702-केन्द्र
प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-

6005- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा
अभियान का क्रियान्वयन-

मूल	1,50,00.00			
पुनर्वि.	32,53.00	1,82,53.00	1,82,53.00	0.00

32,53.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

25—आदिम जाति कल्याण विभाग

(3) 2225-02-796-277-0102- आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

0671-एच्छक संस्थाओं को शैक्षणिक
और अन्य कल्याणकारी प्रवर्तियों के
लिये अनुदान-

मूल	15,06.75			
पुनर्वि.	3,03.38	18,10.13	16,87.74	(-)1,22.39

3,03.38 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,05.63 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2.25 लाख ₹ (समर्पण) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को पांचवां वेतनमान स्वीकृत किये जाने के कारण हुई। कमी जिला कार्यालयों द्वारा आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(4) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

8842-विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने
हेतु अनुसूचित जाति जनजाति के
अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति-

मूल	1,10.00			
पुनर्वि.	95.02	2,05.02	1,94.02	(-)11.00

95.02 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,06.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 10.98 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि दस छात्रों के स्थान पर, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति पचास छात्रों को निर्धारित किये जाने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी जिला कार्यालयों द्वारा राशि आहरण न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(5) 2225-02-796-800-0102- आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

8011-सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण
छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन-

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	1,90.53	2,90.53	2,81.35	(-)9.18

1,90.53 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,99.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 8.47 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि जिला कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग होने के कारण हुई। कमी जिला कार्यालयों द्वारा राशि आहरण न किये जाने के कारण हुई।

(6) 2225-02-796-800-0702-केन्द्र
प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-

5191-अनुसूचित जाति/जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत
सहायता/पुर्नवास सहायता-

मूल	8,00.00			
पूरक	7,00.00			
पुनर्वि.	1,67.42	16,67.42	16,67.42	0.00

1,67.42 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,70.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2.58 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत व्यय होने के कारण हुई। कमी जिला कार्यालयों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई।

26-सामाजिक न्याय विभाग

(7) 2235-60-796-193-0702- केन्द्र
प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-

5859-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त
पेशन-

मूल	2,40.00			
पुनर्वि.	(-)1,87.12	52.88	3,13.34	+2,60.46

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)

आधिक्य +
बचत (-)

समर्पण के रूप में 1,87.12 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

29—खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

(8) 2408-01-796-101-0102- आदिवासी

क्षेत्र उपयोगना-

7566-विद्यार्थियों को रियायती दर

पर खाद्यान्न-

मूल

9,20.00

पुनर्वि.

2,76.94

11,96.94

11,96.94

0.00

2,76.94 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन विद्यार्थियों को रियायती दरों पर, वित्तीय वर्ष के शेष माहों के लिये खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई।

35—पशु पालन विभाग

(9) 2403-796-101-0102- आदिवासी क्षेत्र

उपयोगना-

2686-प्रकाशन तथा प्रचार-

मूल

10.00

पुनर्वि.

50.45

60.45

60.45

0.00

50.45 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 50.81 लाख ₹ की कमी एवं 0.36 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रचार एवं प्रसार हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी योजना के क्रियान्वयन पश्चात बचत के कारण हुई।

38—उच्च शिक्षा विभाग

(10) 2202-03-796-103-0102- आदिवासी

क्षेत्र उपयोगना-

7173-छात्राओं का आवागमन सुविधा

65.00

1,20.72

+55.72

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 एवं दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया क्रमशः 3,58,46.24 लाख ₹ एवं 3,25,45.61 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 26,30,95.66 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 23,93,43.96 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)

आधिक्य +
बचत (-)

10-वन विभाग

(1) 4406-01-796-101-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-				
7882- कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन-संरक्षण समूह				
	2,18,59.10	1,65,51.80		(-53,07.30)
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।				

13-ऊर्जा विभाग

(2) 4801-05-796-190-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-				
2051- विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण की राशि का अंश पूंजी में परिवर्तन-				
मूल	15,00,00.00			
पुनर्वि.	(-15,00,00.00)	0.00	0.00	0.00

समर्पण के रूप में 15,00,00.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्णय अनुसार 35,57.00 लाख ₹ के सतत ऋण की राशि का अंश पूंजी में परिवर्तित किये जाने के कारण हुई।

(3) 4801-05-796-190-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-				
6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण-				
मूल	1,00,00.00			
पुनर्वि.	(-90,50.00)	9,50.00	9,50.00	0.00

(4) 6801-796-190-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोगना-				
7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण-				
मूल	1,16,05.00			
पुनर्वि.	(-28,45.60)	87,59.40	87,59.40	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 90,50.00 लाख ₹ एवं 28,45.60 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त न होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(5) 6801-796-190-1202 विदेशी सहायता			

प्राप्त परियोजनाएँ (आदिवासी क्षेत्र
उपयोजना)-

1284-पारेषण प्रणाली का
सुदृढीकरण (ए.डी.बी.-3)-

मूल	60,00.00			
पुनर्वि.	(-60,00.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण के रूप में 60,00.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत राशि विमुक्त हेतु कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(6) 4210-03-796-105-0420-खनिज क्षेत्र
विकास निधि-

1492-खंडवा चिकित्सा महाविद्यालय-

पूरक	50,00.00	50,00.00	32,38.97	(-17,61.03
------	----------	----------	----------	------------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

20-स्कूल शिक्षा विभाग

(7) 4202-01-796-201-0702-केन्द्र
प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-

8810- सर्व शिक्षा अभियान-

मूल	99,90.00			
पुनर्वि.	(-33,93.65	65,96.35	65,96.35	0.00

समर्पण के रूप में 33,93.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण हुई।

23-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

(8) 4515-796-103-0102- आदिवासी क्षेत्र
उपयोजना-

8817-जन भागीदारी योजना-

मूल	96,40.00			
पुनर्वि.	(-15,29.64	81,10.36	79,29.89	(-1,80.47

समर्पण के रूप में 15,29.64 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई (42.87 लाख ₹)। 14,86.77 लाख ₹ की शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

25-आदिम जाति कल्याण विभाग

(9) 4225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय
योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-

7881-आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में
विविध विकास कार्य अनुच्छेद
275(1)-

मूल	1,43,85.00			
पूरक	1,07,06.79			
पुनर्वि.	(-1,77,61.33	73,30.46	99,33.72	+26,03.26

समर्पण के रूप में 1,77,61.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई (29,79.06 लाख ₹)। 1,47,82.27 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 4225-02-796-277-0102- आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

0762-कन्या शिक्षा परिसर-

मूल	30,00.00			
पुनर्वि.	(-)24,80.21	5,19.79	4,80.31	(-)39.48

समर्पण के रूप में 24,80.21 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पी.आई.यू. (लो.नि.विभाग) द्वारा राशि वापिस किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) 4225-02-796-277-0102- आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

0978-क्रीड़ा परिसर-

मूल	10,00.00			
पूरक	40,00.00			
पुनर्वि.	(-)35,28.24	14,71.76	14,71.76	0.00

समर्पण के रूप में 35,28.24 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः पी.आई.यू. (लो.नि.विभाग) द्वारा राशि वापिस किये जाने के कारण हुई (10,61.54 लाख ₹)। 24,66.70 लाख ₹ की अवशिष्ट बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(12) 4225-02-794-800-0602-आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत
सरकार से अलावा राशियों से पोषित-
5211-आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/
क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम-

मूल	56,38.20			
पूरक	45,72.69			
पुनर्वि.	(-)80,51.58	21,59.31	23,06.46	+1,47.15

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

समर्पण के रूप में 80,51.58 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से समय पर आहरण की छूट प्राप्त न होने, आदिम जाति क्षेत्र विकास योजना से राशि मार्च 2017 के अन्त में प्राप्त होने एवं डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई (1,78.64 लाख ₹)। 78,72.94 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत

2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(13) 4225-02-796-800-0102- आदिवासी

क्षेत्र उपयोजना-

4722-अनुसूचित जाति/जनजाति

की बस्तियों का विकास-

मूल

78,00.81

पुनर्वि.

(-)14,97.50

63,03.31

62,71.00

(-)32.31

समर्पण के रूप में 14,97.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जिला कार्यालयों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

27-नर्मदा घाटी विकास विभाग

(14) 4700-43-796-800-0702- केन्द्र

प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-

2884- नहर तथा उससे संबंधित

निर्माण कार्य

81,41.66

52,54.65

(-)28,87.01

(15) 4700-43-796-800-0702- केन्द्र

प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-

6534-इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान-

मूल

7,40.00

पूरक

20,94.00

28,34.00

9,97.00

(-)18,37.00

(16) 4700-45-796-800-0702- केन्द्र

प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-

7369- कमान क्षेत्र विकास

32,50.00

9,75.00

(-)22,75.00

उपरोक्त क्रम संख्या (14) से (16) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(17) 4700-66-796-800-0102- आदिवासी

क्षेत्र उपयोजना-

5091-लोअर गोई परियोजना-

मूल

46,69.74

पुनर्वि.

(-)1,67.84

45,01.90

19,78.34

(-)25,23.56

समर्पण के रूप में 1,67.84 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति धीमी होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(18) 4700-80-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-			
1250- अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना	30,00.00	2.34	(-)29,97.66

(19) 4700-80-796-800-0102-आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

2085-बलवाड़ा माइक्रो सिंचाई
योजना

32,78.00 1,75.00 (-)31,03.00

उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (18) के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

31-जल संसाधन विभाग

(20) 4701-25-796-800-0702-केन्द्र
प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-

3366-मध्यम परियोजनाओं का
निर्माण कार्य-

मूल 65,25.00

पुनर्वि. (-)24,07.00 41,18.00 40,33.19 (-)84.81

(21) 4701-95-796-800-0102- आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

3366-मध्यम परियोजनाओं का
निर्माण कार्य-

मूल 40,00.00

पुनर्वि. (-)28,90.00 11,10.00 11,08.92 (-)1.08

(22) 4701-96-796-800-0102- आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

3366-मध्यम परियोजनाओं का
निर्माण कार्य-

मूल 46,00.00

पुनर्वि. (-)22,81.00 23,19.00 23,18.08 (-)0.92

(23) 4702-796-800-0702- केन्द्र प्रवर्तित
योजना टी.ए.एस.पी.-

6708-ए.आई.बी.पी. योजनाएं-

मूल 97,37.00

पुनर्वि. (-)24,37.00 73,00.00 72,81.13 (-)18.87

उपरोक्त क्रम संख्या (20) से (23) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 24,07.00 लाख ₹, 2890.00 लाख ₹, 22,81.00 लाख ₹ एवं 24,37.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)

आधिक्य +
बचत (-)

34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(24) 4215-01-796-102-0702-केन्द्र
प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.-

2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल

प्रदाय योजना-				
मूल	1,23,37.20			
पुनर्वि.	(-)89,62.44	33,74.76	33,20.79	(-)53.97
(25) 4215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.- 4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना-				
मूल	67,86.86			
पुनर्वि.	(-)45,20.76	22,66.10	22,60.26	(-)5.84
(26) 4215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.- 5350-होस्टल/आश्रम में पेयजल व्यवस्था एवं सेनेटरी कार्य-				
मूल	16,71.55			
पुनर्वि.	(-)15,46.55	1,25.00	0.00	(-)1,25.00
(27) 4215-01-796-800-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उप योजना)- 1323-जायका से प्राप्त ऋण से जल योजनाओं का निर्माण-				
मूल	48,00.00			
पुनर्वि.	(-)48,00.00	0.00	0.00	0.00
(28) 4215-01-796-800-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) 7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन-				
मूल	1,64,00.00			
पुनर्वि.	(-)82,00.00	82,00.00	81,88.31	(-)11.69

उपरोक्त क्रम संख्या (24) से (28) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 89,62.44 लाख ₹, 45,20.76 लाख ₹, 15,46.55 लाख ₹, 48,00.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) एवं 82,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 एवं क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

38—उच्च शिक्षा विभाग

(29) 4202-01-796-203-1202-विदेशी
सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(आदिवासी क्षेत्र उप योजना)-
7464-मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा में
सुधार-

मूल	20,00.00			
पुनर्वि.	(-)20,00.00	0.00	0.00	0.00

समर्पण के रूप में 20,00.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

42—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

(30) 4250-796-201-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-

6952-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण-

मूल	67,85.00			
पुनर्वि.	(-)32,03.79	35,81.21	42,71.29	+6,90.08

32,03.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	------------	---------------------------	------------------

09—खेल एवं युवक कल्याण विभाग

(1) 4202-03-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-

5159-खेल अकादमियों की स्थापना	4,81.00	6,55.90	+1,74.90
-------------------------------	---------	---------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

17—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(2) 4210-01-796-110-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-

1320-नर्सिंग अधोसंरचना का उन्नयन एवं सुदृढीकरण

	1,00.00	3,99.53	+2,99.53
--	---------	---------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	------------	---------------------------	------------------

(3) 4210-03-796-105-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि-

9076-शहडोल चिकित्सा महाविद्यालय-

पूरक	30,00.00		
------	----------	--	--

पुनर्वि. 24,66.70 54,66.70 54,66.70 0.00
24,66.70 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

27—नर्मदा घाटी विकास विभाग

(4) 4700-65-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-
 5090-अपर वेदा परियोजना 3,03.41 4,03.89 +1,00.48
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(5) 4701-11-796-001-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-
 4653-स्थापना (मान परियोजना)-
 मूल 2,36.86
 पुनर्वि. 2,22.96 4,59.82 4,21.98 (-)37.84
2,22.96 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नियमित, कार्य भारित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन भत्ते एवं मजदूरी के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

(6) 4701-45-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-
 5152-हालोन परियोजना-
 मूल 48,49.32
 पुनर्वि. 22,50.68 71,00.00 71,00.12 +0.12
22,50.68 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन भू-अर्जन के भुगतान हेतु राशि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुआ।

(7) 4701-48-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-
 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-
 पूरक सांकेतिक
 पुनर्वि. 24,60.00 24,60.00 24,60.00 0.00
24,60.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन भू-अर्जन के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(8) 4701-97-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य- पूरक सांकेतिक पुनर्वि.	26,90.00	26,90.00	0.00

26,90.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन भू-अर्जन एवं निर्माण कार्य के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

31-जल संसाधन विभाग

(9) 4702-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र
उपयोजना-

3828- लघु सिंचाई योजना-

मूल 1,76,30.00

पूरक 55,31.13

पुनर्वि. 40,41.00 2,72,02.13 2,79,79.62 +7,77.49

40,41.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 44,16.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3,75.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भू-अर्जन एवं निर्माण कार्य के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। कमी निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुसार न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(10) 4705-796-217-0702- केन्द्र प्रवर्तित
योजना टी.ए.एस.पी.-

2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण,
करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी,
ड्रेन एवं अन्य कार्य-

मूल 5,00.00

पुनर्वि. 1,50.00 6,50.00 6,50.00 0.00

1,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

42-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

(11) 4202-02-796-104-0102- आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

9236-एकलव्य पोलीटेक्निक
संस्थाएँ-

मूल 13,00.00

पुनर्वि. 2,19.89 15,19.89 14,79.64 (-)40.25

अनुदान संख्या 41-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

2,19.89 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन शासकीय पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय, हरसूद के मुख्य भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित दायित्वों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(12) 4250-796-201-0102- आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

6477-व्यवसायिक प्रशिक्षण का
सुदृढीकरण एवं विस्तार-

मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	31,87.85	33,87.85	31,74.63	(-),13.22

31,87.85 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 31,88.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.15 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि 26 आई.टी.आई. भवनों के निर्माण के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

58—ग्रामीण विकास विभाग

(13) 4515-796-800-0702- केन्द्र प्रवर्तित
योजना टी.ए.एस.पी.-

7467-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-

मूल	6,00,05.00			
पूरक	1,55,00.00			
पुनर्वि.	1,50,00.00	9,05,05.00	9,05,05.00	0.00

1,50,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि अधिक प्राप्त होने के कारण हुआ।

प्रभारित-

(ix) 6.68 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

**अनुदान संख्या 42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित
लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
5054-सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
मूल	11,19,97,16		
पूरक	सांकेतिक 11,19,97,17	6,70,66,77	(-)4,49,30,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत:

(i) 4,49,30.40 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)

आधिक्य +
बचत (-)

19—लोक निर्माण विभाग

(1) 5054-03-796-101-1402-नाबार्ड ¼आदिवासी क्षेत्र उपयोजना½- 5225-पुलों का निर्माण ¼नाबार्ड½-	30,00.00	22,38.48	(-)7,61.52
(2) 5054-03-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4149-वृहद पुलों का निर्माण-	70,00.00	26,68.87	(-)43,31.13
(3) 5054-03-796-337-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 0948-केन्द्रीय सड़क निधि	1,13,30.00	8,37.65	(-)1,04,92.35
(4) 5054-03-796-337-0102-आदिवासी क्षेत्र योजना- 5139-मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन	1,34,50.00	4,54.51	(-)1,29,95.49
(5) 5054-04-796-800-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उप योजना)- 5226-ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)	1,75,00.00	45,73.63	(-)1,29,26.37

अनुदान संख्या 42—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 5054-04-796-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	2,60,00.00	2,09,46.84	(-)50,53.16
(7) 5054-04-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 4416-सर्वेक्षण	5,00.00	2.36	(-)4,97.64
(8) 5054-80-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा	35,00.00	21,00.00	(-) 14,00.00
(9) 5054-80-796-800-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5701-बी.ओ.टी. मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण	40,50.00	26,29.06	(-)14,20.94

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (9) तक के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (1), (2), (4), (5) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत मुख्यतः प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

(1) 5054-04-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ¼ग्रामीण सड़कों½	4,62.16	54,11.39	(+)49,49.23
---	---------	----------	-------------

इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2204-खेल तथा युवा सेवायें			
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	79,50,25		
पूरक	सांकेतिक	79,50,25	68,89,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-) 10,60,35 निरंक
<i>प्रभारित</i>		2	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-) 2 निरंक
पूंजीगत			
दत्तमत—			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	36,45,00	32,58,24	(-) 3,86,76 21,91

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया (सांकेतिक) अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 10,60.35 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2204-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7567-राजीव गांधी खेल अभियान			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,50.00	2,50.00	0.00
समपर्ण के रूप में 2,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वर्तमान योजना राजीव गांधी खेल अभियान के स्थान पर नयी योजना खेलो इण्डिया भारत सरकार द्वारा प्रारंभ करने से हुई। नयी योजना भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत सहायता प्राप्त है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			(-) 2,50.00

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 2204-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	2,67.62	1,10.47	(-)1,57.15
बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2204-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7116-भोपाल झील महोत्सव का आयोजन			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)90.00	10.00	0.00
			(-)10.00
90.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) झील महोत्सव का आयोजन न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2204-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7269-हॉकी सिन्थेटिक टर्फ	2,50.00	0.00	(-)2,50.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2204-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7455-जिला ओलंपिक/युवा ओलंपिक			
मूल	2,25.00		
पुनर्वि.	(-)2,02.50	22.50	0.00
			(-)22.50
2,02.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) सक्षम वित्तीय व्यय समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत मुख्यतः प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
2204-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
8840-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन-			
मूल	3,83.53		
पुनर्वि.	5,02.50	8,86.03	8,86.00 (-)0.03
5,02.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन रियो ओलंपिक के पदक विजेताओं के पुरुस्कार एवं अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु पुरुस्कार राशि की आवश्यकता हेतु किया गया। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 में भी बचत हुई थी।			

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) 3,86.76 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 21.91 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4202-03-102-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
2050-स्वामी विवेकानन्द स्पोर्ट्स एण्ड फिटनेस सेन्टर-			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	(-1,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
1,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) सक्षम वित्तीय व्यय समिति से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2017)।			

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4202-01-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
6703-स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण			
मूल	17,50.00		
पुनर्वि.	(-)21.91	17,28.09	17,66.56 +38.47
21.91 लाख ₹ की समपर्ण के रूप में प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	22,10,62,91		
पूरक	13,00	22,10,75,91	16,41,55,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)5,69,20,32 4,84,91,09
<i>प्रभारित</i>		20,00	25
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			(-)19,75 18,00
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	1,20,29,01		
पूरक	38,64,00	1,58,93,01	1,07,69,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)51,23,28 51,79,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 13.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 5,69,20.32 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 4,84,91.09 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2202-03-001-3443-महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय-			
मूल	16,83.49		
पुनर्वि	(-)2,40.40	14,43.09	14,12.42
			(-)30.67

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
<p>2,40.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,50.40 लाख ₹ की कमी ¼समर्पण 2,40.40 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 10.00 लाख ₹^{1/2} एवं 10.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः वेतन एवं भत्ता मद में व्यय में कमी महंगाई भत्ता बढ़ने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15, एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(2) 2202-03-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
3753- राष्ट्रीय सेवा योजना-	6,79.88		
मूल	(-)6,30.20	49.68	48.43
पुनर्वि.			(-)1.25
<p>6,30.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण के रूप में^{1/2} योजनांतर्गत केन्द्रीय अनुदान होने एवं वेतन एवं भत्ता मद में बचत होने से हुई।</p>			
(3) 2202-03-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
7599-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निदेशालय की स्थापना-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,95.00	5.00	4.69
			(-)0.31
<p>1,95.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण के रूप में^{1/2} वेतन एवं भत्ता मद में आहरण नहीं होने के कारण हुई।</p>			
(4) 2202-03-102-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य ^{1/2} -			
6938-हिन्दी विष्वविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान			
मूल	27,00.00		
पुनर्वि.	(-)9,13.64	17,86.36	15,66.36
			(-)2,20.00
<p>9,13.64 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में^{1/2} की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।</p>			
(5) 2202-03-103-0798-कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय			
मूल	12,73,08.66		
पुनर्वि.	(-)1,79,17.35	10,93,91.31	10,56,87.88
			(-)37,03.43
<p>1,79,17.35 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के प्रावधान में 1,83,06.95 लाख ₹ ¼समर्पण 1,66,17.35 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 16,89.00 लाख ₹^{1/2} एवं 3,89.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वेतन एवं भत्तों पर व्यय में कमी एवं राषि की आवश्यकता ना होने के कारण हुई। वृद्धि कम प्रावधान होने युवा कार्यक्रम सम्मेलन एवं विद्यार्थी पंचायत के आयोजन, गंभीर बीमारी के प्रकरणों में वृद्धि होने एवं नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।</p>			

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 2202-03-103-6283-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत एरियर्स भुगतान—			
मूल	2,26,50.00		
पुनर्वि.	(-)96,56.52	1,29,93.48	1,25,77.43
			(-)4,16.05
96,56.52 लाख ₹ ¼समर्पण 85,00.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 11,56.52 लाख ₹½ की प्रत्याषित बचत अपेक्षित व्यय में कमी होने, विश्वविद्यालय के एरियर्स की दो किस्तों का भुगतान गत वर्ष होने, एवं अधिक प्रावधान होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2202-03-103-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
7464-म.प्र.उच्च शिक्षा में सुधार			
मूल	1,39,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,39,00.00	0.00	0.00
			0.00
1,39,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की (समर्पण के रूप में) प्रत्याषित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।			
(8) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7134-नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु अनुदान-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,71.50	2,28.50	2,19.27
			(-)9.23
2,71.50 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याषित बचत नवीन महाविद्यालय के वेतन एवं भत्ते योजना शीर्ष-7134 के स्थान पर 0798 में होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(9) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7601-नैक द्वारा मूल्यांकित प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के लिए प्रोत्साहन राशि-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	(-)49.00	1,51.00	94.63
			(-)56.37
49.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याषित बचत महाविद्यालयों द्वारा फण्ड राशि वापिस करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(10) 2202-03-104-3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान-			
मूल	2,65,00.00		
पुनर्वि.	(-)65,68.85	1,99,31.15	1,66,17.39
			(-)33,13.76

65,68.85 लाख ₹ ¼समर्पण 60,00.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5,68.85 लाख ₹ ½ की प्रत्याषित बचत अपेक्षित व्यय में कमी होने एवं विष्वविद्यालय के एरियर्स की दो किस्तों का भुगतान गत वर्ष होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) 2202-03-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-				
7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियोजन योजना का क्रियान्वयन-				
मूल	74,00.00			
पुनर्वि.	(-)5,00.00	69,00.00	65,43.77	(-)3,56.23

5,00.00 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याषित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विषिष्ट कारण सूचित नहीं किये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 2202-05-103-6066-संस्कृत महाविद्यालय-				
मूल	15,76.20			
पुनर्वि.	(-)4,70.00	11,06.20	9,95.64	(-)1,10.56

4,70.00 लाख ₹ की प्रत्याषित बचत ¼समर्पण के रूप में ½ वेतन एवं भत्तों पर व्यय में कमी होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16 एवं 2014—15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2202-03-102-0298-अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा-			
मूल	3,46.00		
पुनर्वि.	82.29	4,28.29	4,28.29
			0.00
(2) 2202-03-102-1437-जबलपुर विश्वविद्यालय -			
मूल	9,02.00		
पुनर्वि.	1,73.97	10,75.97	10,75.97
			0.00

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 2202-03-102-1561-इन्दौर विश्वविद्यालय -			
मूल	8,95.00		
पुनर्वि.	2,19.71	11,14.71	11,14.71
(4) 2202-03-102-1562-जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर-			
मूल	4,18.00		
पुनर्वि.	1,51.49	5,69.49	5,69.49
(5) 2202-03-102-1565-चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय -			
मूल	3,50.01		
पुनर्वि.	1,80.25	5,30.26	5,30.25
(6) 2202-03-102-3178-भोपाल विश्वविद्यालय -			
मूल	5,69.00		
पुनर्वि.	1,35.34	7,04.34	7,04.34
(7) 2202-03-102-3939-विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन-			
मूल	10,86.00		
पुनर्वि.	2,13.47	12,99.47	12,98.47
(8) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
6916- गांव की बेट्टी योजना-			
मूल	13,00.00		
पुनर्वि.	13,00.00	26,00.00	25,60.16

उपरोक्त क्रम संख्या ¼41½ से ¼6½ के शीर्षान्तर्गत क्रमः 82.29 लाख ₹, 1,73.97 लाख ₹, 2,19.71 लाख ₹, 1,51.49 लाख ₹, 1,80.25 लाख ₹ एवं 1,35.34 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन यू.जी.सी. छठवें वेतनमान के एरियर की तृतीय किस्त के भुगतान किये जाने के कारण हुआ।

उपरोक्त क्रम संख्या ¼47½ एवं (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमः 2,13.47 लाख ₹ एवं 13,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन छात्राओं की संख्या में वृद्धि होने एवं बजट प्रावधान कम होने के कारण होना सूचित की गई। क्रम संख्या ¼48½ के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

प्रभारित-

(v) 19.75 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 18.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 38,64.00 लाख ₹ का जुलाई 2016 में (18,64.00 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2016 में (20,00.00 लाख ₹) प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) 51,23.28 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित की गई 51,79.00 लाख ₹ की राशि अत्यधिक थी।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4202-01-203-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ 1/4सामान्य1/2- 7464- म.प्र.उच्च शिक्षा में सुधार- मूल 54,00.00 पुनर्वि. (-)54,00.00	0.00	0.00	0.00
54,00.00 लाख ₹ का सम्पूर्ण प्रावधान (समर्पण 45,00.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 9,00.00) की प्रत्याषित बचत प्रशासकीय स्वीकृति न मिलने एवं म.प्र. उच्च शिक्षा योजना अन्तर्गत अपेक्षित प्रस्ताव न होने के कारण हुई।			
(2) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना 1/4सामान्य1/2- 5870-उच्च शिक्षा उत्कृष्टता मूलक राज्य संस्थान, भोपाल- मूल 5,19.00 पुनर्वि. (-)5,04.00	15.00	0.00	(-)15.00

5,04.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याषित बचत संस्थान के किराया भुगतान संबंधी प्रकरण का निराकरण न होने एवं निर्माण संबंधी कार्यों की एस.एफ.सी. न होने के कारण हुई।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 44—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
6202-01-203-5449-अषासकीय महाविद्यालय पेंशन भुगतान योजना—			
मूल	1,00.00		
पुरक	34,80.00		
पुनर्वि.	9,00.00	44,80.00	44,80.00
			0.00

9,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अषासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के लिये पेंशन का भुगतान करने के कारण होना सूचित किया गया है।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2702-लघु सिंचाई			
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-	1,60,70,00	1,37,89,03	(-)22,80,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			21,70,53
1/431 मार्च 2017 1/2			
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	6,87,06,96		
पूरक	1,00,00,15	7,87,07,11	7,35,72,56 (-)51,34,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			32,45,00
1/431 मार्च 2017 1/2			
<i>प्रभारित</i>	<i>10,00</i>	<i>6,55</i>	<i>(-)3,45</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>निरंक</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

(i) 22,80.97 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 21,70.53 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2702-80-800-0207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य-			
मूल	1,46,12.00		
पुनर्वि.	(-)18,12.53	1,27,99.47	1,27,51.17 (-)48.30

18,12.53 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में अंशतः शासन द्वारा इस प्रतिशत राशि रोके जाने एवं व्यय पर वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 2702-80-800-6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था-			
मूल	14,52.00		
पुनर्वि.	(-3,52.00	11,00.00	10,37.85 (-)62.15

3,52.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iii) 51,34.55 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 1,00,00.15 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2016 (0.08 लाख ₹^{1/2} में प्राप्त किया गया अपर्याप्त था जबकि दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 1,00,00.07 लाख ₹ अत्यधिक एवं मार्च 2017 (प्रतीकात्मक) लिया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iv) 51,34.55 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 32,45.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4702-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
6079- सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना ¼आर.आर.आर.½-			
मूल	60,00.00		
पूरक	0.01		
पुनर्वि.	(-25,45.00	34,55.01	34,09.99 (-)45.02

25,45.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) निर्माण कार्य पूर्ण होने में विलंब के कारण हुई। अंतिम बचत हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।

(2) 4702-101-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

3803-लघु एवं लघुतम सिंचाई
योजनाएँ-

मूल 4,04,71.21

पूरक 1,00,00.06

पुनर्वि. (-)6,76.00 4,97,95.27 4,83,98.90 (-)13,96.37

6,76.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत सर्वेक्षण कार्य न हो पाने (2,57.00 लाख ₹) एवं निर्माण कार्य अपेक्षानुरूप न हो पाने के कारण हुई। (4,19.00 लाख ₹) अंतिम बचत हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 45—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 4702-102-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
6070-संगठन स्थापना ¼भूजल½-			
मूल	3,42.75		
पुनर्वि.	(-)24.00	3,18.75	2,30.56 (-)88.19

24.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

प्रभारित—

(vi) 3.45 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

**अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	1,69,32,08		
पूरक	62,21,62	2,31,53,70	2,17,37,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (27-31 मार्च 2017)			(-)14,15,93 6,84,07
पूंजीगत:	5,00,00	5,00,00	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) 14,15.93 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 62,21.62 लाख ₹ का जुलाई 2016 में (49,97.62 लाख ₹) प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि, दिसम्बर 2016 में (12,24.00 लाख ₹) प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 14,15.93 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 27-31 मार्च 2017 को 6,84.07 लाख ₹ मात्र की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 3425-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
0144-अनुसंधान, योजना तथा विकासीय गतिविधियां-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,30.00	3,70.00	3,20.00
(2) 3425-60-200-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-			
3950-विज्ञान को लोकप्रिय करना, विज्ञान के प्रसार हेतु सहायता-			
मूल	2,17.00		
पुनर्वि.	(-)90.00	1,27.00	1,05.30
			(-)21.70

अनुदान संख्या 46—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 3425-60-200-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 6634-जैव प्रौद्योगिकी उपयोगिता केन्द्र-			
मूल	2,63.00		
पुनर्वि.	(-),1,30.70	1,32.30	1,06.00
(4) 3425-60-200-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7270-गांव सीमांकन और प्रदेश के वास मानचित्रण के लिए भू-स्थानीय प्रौद्योगिकी का उपयोग-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-),90.00	10.00	0.00
(5) 3425-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7609-शासकीय बेवसाईटों की री-डिजाइनिंग / री-डेवलपमेंट परिचालन एवं संधारण (आई.टी./ ई-गवर्नेंस)			
	5,92.00	2,77.00	(-),3,15.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,30.00 लाख ₹, 90.00 लाख ₹, 1,30.70 लाख ₹ एवं 90.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत द्वितीय त्रैमास की राशि चतुर्थ त्रैमास में आहरित करने की स्वीकृति मिलने के कारण, चतुर्थ त्रैमास की राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

**अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष				
2203-तकनीकी शिक्षा				
2230-श्रम तथा रोजगार				
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय				
राजस्व:				
मूल	5,71,19,24			
पूरक	10,51,65	5,81,70,89	4,70,76,94	(-)1,10,93,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				53,36,13
पूंजीगत:				
मूल	90,02,66			
पूरक	10,83,38	1,00,86,04	96,64,92	(-)4,21,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,24,28

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 10,51.65 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,10,93.95 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 53,36.13 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2203-001-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 1869-तकनीकी शिक्षा संचालनालय	12,30.64	5,70.74	(-)6,59.90
इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16 एवं 2014—15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2203-001-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7469-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन-			
मूल	10,07.50		
पुनर्वि.	(-)10,07.50	0.00	0.00
10,07.50 लाख ₹ की पुनर्विनियोजन के रूप में प्रत्याशित बचत (सम्पूर्ण प्रावधान) सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16 में भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 2203-104-0101-राज्य आयोजना 1/4सामान्य1/2- 7385-स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना— मूल 3,00.00 पुनर्वि. (-)21.00	2,79.00	1,05.97	(-)1,73.03
21.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) संस्थानों से इस मद में कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(4) 2203-105-0801-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2667-पॉलीटेक्निक संस्थाएं पूरक	3,64.70	11.71	(-)3,52.99
इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(5) 2203-105-0101-राज्य आयोजना 1/4सामान्य1/2- 2667-पॉलीटेक्निक संस्थाएं मूल 1,50,91.64 पुनर्वि. (-)7,79.00	1,43,12.64	1,26,65.84	(-)16,46.80
7.79.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 8,00.00 लाख ₹ की कमी पुनर्विनियोजन के रूप में तथा 21.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वेतन मद में कर्मचारियों की नियुक्ति न होने से हुई जबकि वृद्धि सिंगरौली में माइनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना हेतु आई.एस.एम. धनबाद को मानदेय के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16 एवं 2014—15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2203-112-0503-इंजीनियरिंग महाविद्यालय	50,05.29	36,68.86	(-)13,36.43
इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2230-03-001-0801-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7490-स्किल डेवलपमेंट मिशन माड्यूलर इम्पलायबल— मूल 3,20.00 पुनर्वि. (-)1,91.97	1,28.03	1,28.03	0.00
1,91.97 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण, वित्त विभाग द्वारा भुगतान पर प्रतिबंध तथा सिर्फ गत वर्ष के लंबित देयकों का भुगतान किये जाने के कारण हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(8) 2230-03-001-0101- राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7491-डेव्हलपमेंट सेन्टर एस.डी. सी.- मूल 5,40.00 पुनर्वि. (-)4,36.00	1,04.00	0.00	(-)1,04.00
4,36.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में कमी (3,86.00 लाख ₹ समर्पण + 50.00 लाख ₹ पुनर्विनियोजन) संचालनालय द्वारा योजना स्वीकृत न करने तथा 50.00 लाख ₹ तकनीकी शिक्षा विभाग को अंतरित करने एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(9) 2230-03-001-0101- राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 9148-प्रशिक्षण संचालनालय- मूल 5,08.29 पुनर्वि. (-)1,22.33	3,85.96	3,69.18	(-)16.78
1,22.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अव्ययित राशि को विमुक्त करने की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(10) 2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1232-आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन- मूल 0.01 पूरक 1,50.00 पुनर्वि. (-)1,50.01	0.00	0.00	0.00
1,50.01 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) 3 आई.टी.आई. संस्थानों का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन, बजट प्रावधान शीर्ष 63-001 के स्थान पर 42-008में किया जाना तथा प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के कारण हुई।			
(11) 2230-03-003-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6640- विश्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना- मूल 1,77.88 पुनर्वि. (-)1,20.95	56.93	56.93	0.00
1,20.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग द्वारा अव्ययित राशि को विमुक्त करने की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने, भुगतान पर प्रतिबंध एवं भेजे गए प्रस्ताव स्वीकृत न होने के कारण हुई।			

इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(12) 2230-03-003-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6951-शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थानों में विकसित किया जाना-	मूल 1,75.00 पुनर्वि. (-)1,68.27	6.73	6.73
0.00	1,68.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) क्रय न किये जाने तथा पुनर्विनियोजन की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त न होने के कारण हुई थी।		
(13) 2230-03-003-0101- राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 0717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-	मूल 1,74,64.39 पुनर्वि. (-)25,60.83	1,49,03.56	1,46,74.12
(-)2,29.44	25,60.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 27,83.83 लाख ₹ की कमी तथा 2,23.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी (समर्पण 24,29.98 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,53.85 लाख ₹)। कमी अंशतः प्रशिक्षण अधिकारियों के पद रिक्त रहने, अव्ययित राशि को विमुक्त करने की स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने एवं आहरण पर प्रतिबंध (₹ 3,41.64 लाख)। वृद्धि अनुपूरक अनुमान में बजट प्रस्ताव मान्य न किये जाने के कारण हुई। शेष कमी 24,42.19 लाख ₹ के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।		
(14) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 6475-fodkl [k.Mksa esa dkS'ky fodkl dsUnzksa dh LFKkiuk&	मूल 9,90.00 पुनर्वि. (-)3,24.89	6,65.11	5,66.11
(-)99.00	3,24.89 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) वित्त विभाग द्वारा विलंब से स्वीकृति की प्राप्ति एवं उद्देश्य शीर्ष पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।		
(15) 2230-03-003-0101- राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7708-म.प्र. काउंसिल ऑफ वोकेशनल शिक्षा एवं ट्रेनिंग की स्थापना-	मूल 3,82.38 पुनर्वि. (-)1,62.64	2,19.74	1,82.80
(-)36.94	1,62.64 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,81.79 लाख ₹ की कमी समर्पण के रूप में तथा 19.15 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राष्ट्रीय स्तर की स्किल समिट का आयोजन न हो पाने		

(1.65.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि अनुपूरक अनुमान में अतिरिक्त मांग मान्य न किए जाने के कारण हुई। 16.79 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2055-पुलिस			
2401-फसल कृषि कर्म			
2405-मछली उद्योग			
2801-बिजली			
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-	28,33,81	20,04,55	(-)8,29,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	15,49,55,08		
पूरक	3,59,11,56	19,08,66,64	15,81,42,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)3,27,24,27 निरंक
<i>प्रभारित</i>	20,00	00	(-)20,00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>निरंक</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 8,29.26 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2055-104-0101-राज्य आयोजना ¼ सामान्य ½ - 4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)-	11,20.65	7,88.06	(-)3,32.59
(2) 2401-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-	10,60.06	6,61.33	(-)3,98.73
(3) 2801-01-001-0101-राज्य आयोजना ¼ सामान्य ½ - 5018-बरगी केनाल बेडपावर हाउस के परिचालन एवं संधारण व्यय-	1,50.00	54.38	(-)95.62

इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (8.20 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि ग्रेड-पे एवं अन्य भत्ते के भुगतान के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iii) 3,27,24.27 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 2,59,11.55 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 1,00,00.01 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iv) 3,27,24.27 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4700-41-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2872-बरगी नहर व्यपवर्तन योजना- मूल	1,88,89.00		
पुनर्वि.	(-)1,61,76.62	27,12.38	15,80.76
			(-)11,31.62

1,61,76.62 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत तकनीकी कारणों से टनल निर्माण कार्य में बिलम्ब होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 4700-43-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	1,83,24.00		
पुनर्वि.	(-),3,53.74	1,79,70.26	75,00.38
3.53.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत परियोजना के स्वीकृत न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(3) 4700-43-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6534-इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान-			
मूल	3,20.00		
पूरक	8,69.00	11,89.00	4,88.49
(-)7,00.51			
(4) 4700-45-001-9091-औंकारेश्वर परियोजना-			
मूल	15,00.00		
पूरक	34,00.00	49,00.00	40,67.96
(-)8,32.04			
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 तथा क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 4700-45-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9091-औंकारेश्वर परियोजना-			
मूल	1,83,59.00		
पूरक	(-)24.41	1,83,34.59	1,26,62.93
(-)56,71.66			
24.41 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
(6) 4700-51-001-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)-			
मूल	21,59.88		
पूरक	30.30		
पुनर्वि.	1,47.64	23,37.82	16,91.48
(-)6,46.34			
1.47.64 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कार्यरत अमले को वेतन, मंहगाई भत्ते के भुगतान एवं चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(7) 4700-51-800-0101-राज्य आयोजना ¼ सामान्य½-			
2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)-			
मूल	7,16.50		
पुनर्वि.	(-)1,25.95	5,90.55	2,84.48
			(-)3,06.07
1,25.95 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(8) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना ¼ सामान्य½-			
2046-चिंकी माइक्रो सिंचाई परियोजना-			
मूल	30,00.00		
पुनर्वि.	(-)27,00.00	3,00.00	0.69
			(-)2,99.31
(9) 4700-80-800-0101-राज्य आयोजना ¼ सामान्य½-			
1406-काली सिंध परियोजना-			
पुनर्वि.	10,00.00		
पूरक	(-)9,00.00	1,00.00	0.00
			(-)1,00.00
(10) 4700-80-800-0101-राज्य आयोजना ¼ सामान्य½-			
7574-सिहाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(-)9,00.00	1,00.00	0.51
			(-)99.49
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 27,00.00 लाख ₹, 9,00.00 लाख ₹ एवं 9,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य से संबंधित एजेंसी का निर्धारण न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(11) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना ¼ सामान्य½-			
5869-नर्मदा कछार के विकास हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना			
	5,45.50	0.00	(-)5,45.50

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(12) 4801-01-206-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
4654-स्थापना (वन प्रकोष्ठ)	9,79.88	6,70.40	(-)3,09.48
उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/ बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(13) 4801-01-206-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
6797-केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट-			
मूल	17,28.19		
पुनर्वि.	(-)3,70.10	13,58.09	1,38.25 (-)12,19.84
3,70.10 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः एन.एच.डी.सी. से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई (3,10.10 लाख ₹)। 60.00 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

(14) 4801-01-235-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
9091-औंकारेश्वर परियोजना-	47,51.50	18,29.99	(-)29,21.51
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(15) 4801-80-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
3561-मुख्यालय स्थापना-			
मूल	25,44.19		
पुनर्वि.	45.95	25,90.14	16,48.17 (-)9,41.97
45.95 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 46.91 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.96 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मकान किराये के भुगतान, वाहनों के क्रय एवं वित्त विभाग की स्वीकृति अनुसार चार वाहनों के क्रय के कारण हुई, जबकि कमी शीर्ष 025 के अन्तर्गत राशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4700-43-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7444-गारलैंडिंग योजना	0.10	1,76.74	+1,76.64
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 4700-51-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
9000-रानी अवन्ती बाई सागर परियोजना जबलपुर, यूनिट—दो-			
मूल	30,55.46		
पुनर्वि.	22,76.62	53,32.08	53,43.10
			+11.02
22,76.62 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन परियोजनान्तर्गत चल रहे कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।			
(3) 4700-80-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
1408-विस्तान उद्हन सिंचाई परियोजना-			
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	18,00.00	18,10.00	4,77.67
			(-)13,32.33
18,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन योजना की मशीनरी एवं चालू देयकों के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(4) 4700-80-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
6399-इंदिरा गांधी परियोजना (यूनिट—एक)-			
मूल	25,00.00		
पुनर्वि.	1,00,00.00	1,25,00.00	1,38,48.24
			+13,48.24
1,00,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन संयुक्त उपक्रम एन.एच.डी.सी. को औंकारेश्वर परियोजना के विशेष पुनर्वास अनुदान के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(5) 4801-80-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
2422-निष्पादन स्थापना (मुख्य अभियंता निचली नर्मदा परियोजना)-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	4,00.00	7,00.00	7,00.00
			0.00
4,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को म.प्र. राज्य के हिस्से के भुगतान के कारण हुआ।			

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 4801-80-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
4406-सरदार सरोवर के डुबान से प्रकाशित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च-			
मूल	96,40.76		
पुनर्वि.	36,78.55	1,33,19.31	1,24,03.81 (-)9,15.50

36,78.55 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 37,37.10 लाख ₹ की वृद्धि एवं 58.55 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सरदार सरोवर परियोजना में माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार न्यायालय में जमा करने एरियर्स एवं नियमित वेतन के भुगतान, कार्यालयीन उपकरणों एवं 10 स्प्लिट ए.सी. के क्रय किये जाने के कारण हुआ। 58.55 लाख ₹ की कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(vii) उचन्त लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) के अंतर्गत किये गए व्यय में "उचन्त" शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान कोई भी राशि व्यय नहीं की गई। "उचन्त" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेख में टिप्पणी (iii) में दी गई है।

वर्ष 2016-17 तक इस अनुदान में विभिन्न उचन्त उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचन्त लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2017 को अंतशेष नामे+ जमा(-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-	(लाख ₹ में)			
(1) भण्डार	+13.47	0.00	0.00	+13.47
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)3.82	0.00	0.00	(-)3.82
योग	+9.65	0.00	0.00	+9.65
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) क्रय	(-)55.08	0.00	0.00	(-)55.08
(2) भण्डार	(-)21,11.65	0.00	0.00	(-)21,11.65
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)1,02.80	0.00	0.00	(-)1,02.80
(4) कार्यशाला उचन्त	(-)2,58.61	0.00	0.00	(-)2,58.61
योग	(-)25,28.14	0.00	0.00	(-)25,28.14
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) भण्डार	+67.09	0.00	0.00	+67.09
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)2,37.78	0.00	0.00	(-)2,37.78
योग	(-)1,70.69	0.00	0.00	(-)1,70.69

प्रभारित-

(viii) 20.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ix) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4700-43-001-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
4641-स्थापना	10.00	0.00	(-)10.00
(2) 4801-80-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
4641-स्थापना	10.00	0.00	(-)10.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
राजस्व:			
दत्तमत	1,00,13,19	77,54,44	(-)22,58,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			22,36,03
<i>प्रभारित</i>	<i>1</i>	<i>00</i>	<i>(-)1</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			<i>1</i>
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) 22,58.75 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 22,36.03 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2225-01-001-1474-जिला तथा परियोजना प्रशासन- मूल पुनर्वि.	16,13.96 (-)3,86.53	12,27.43	12,22.69 (-)4.74
(2) 2225-01-001-2294-निर्देशन- मूल पुनर्वि.	6,34.38 (-)2,21.26	4,13.12	4,10.59 (-)2.53
(3) 2225-01-102-2741-प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र- मूल पुनर्वि.	1,68.23 (-)45.20	1,23.03	1,22.95 (-)0.08

अनुदान संख्या 49—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(4) 2225-01-277-0150-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के लिये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र-			
मूल	51.03		
पुनर्वि.	(-)40.07	10.96	10.88 (-)0.08
उपरोक्त क्रम संख्या 1/41 1/2 से 1/44 1/2 के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 3,86.53 लाख ₹, 2,21.26 लाख ₹, 45.20 लाख ₹ एवं 40.07 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पद रिक्त होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 तथा क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2225-01-277-1398- छात्रावास / आश्रमों का संचालन-			
मूल	68,84.81		
पुनर्वि.	(-)14,40.19	54,44.62	54,35.02 (-)9.60
14,40.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 16,40.19 लाख ₹ की कमी 1/4समर्पण 14,40.19 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,00.00 लाख ₹ 1/2 एवं 2,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। वृद्धि जिला कार्यालयों द्वारा मजदूरी हेतु अतिरिक्त राशि की मांग के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2225-01-277-5903-पोस्ट मेट्रिक शिक्षा-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(-)52.80	4,47.20	4,44.72 (-)2.48
52.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2225-01-800-5762-अनुसूचित जाति कल्याण आयोग का गठन-			
मूल	1,58.26		
पुनर्वि.	(-)48.09	1,10.17	1,07.13 (-)3.04
48.09 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) पद रिक्त होने एवं वित्त विभाग द्वारा व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

कुल अनुदान वास्तविक आधिक्य +

	या विनियोग	व्यय (हजार ₹ में)	बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2401-फसल कृषि कर्म			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	5,02,52,17		
पूरक	1,81,54,21	6,84,06,38	4,98,63,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)1,85,42,53 1,84,32,83
<i>प्रभारित</i>		1,00	00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> <i>(31 मार्च 2017)</i>			(-)1,00 1,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 1,81,54.21 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 69,53.61 लाख ₹ एवं दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 1,12,00.60 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,85,42.53 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 1,84,32.83 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2401-119-0655-संचालनालय और अधीनस्थ कार्यालय-			
मूल	79,98.82		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)12,96.02	67,02.80	67,02.80
			0.00

12,96.02 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1314.77 लाख ₹ (समर्पण 12,96.02 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 18.75 लाख ₹) की कमी एवं 18.75 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि संचालक को गृह भाड़ा भत्ता का भुगतान, संचालनालय तथा संभाग/जिला स्तर से देखरेख, फील्ड सत्यापन संबंधी गतिविधियों में वृद्धि, एवं सूचना तकनीक का उपयोग करने के कारण हुई। कमी हेतु विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य +
-------	---------------	------------------	----------

(लाख ₹ में)

बचत (-)

(2) 2401-119-3902-पौधशाला उद्यान-

मूल 83,67.53

पुनर्वि. (-)18,24.34 65,43.19 65,42.11 (-)1.08

18,24.34 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत अंशतः (0.10 लाख ₹) आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा राशि का आहरण न करने के कारण हुई। शेष बचत (18,24.24 लाख ₹) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2401-119-5153-उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना-

पूरक 16,96.00

पुनर्वि. (-)8,15.00 8,81.00 8,81.00 0.00

8,15.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) हेतु विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(4) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-

1288-राष्ट्रीय स्थाई कृषि मिशन-

मूल 1,26,00.00

पूरक 81,01.60

पुनर्वि. (-)62,12.12 1,44,89.48 1,46,02.06 +1,12.58

62,12.12 लाख ₹ (समर्पण 53,66.12 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 8,46.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई (53,66.12 लाख ₹)। शेष बचत (8,46.00 लाख ₹) के साथ ही साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(5) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-

5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

मूल 34,25.00

पूरक 69,53.61

पुनर्वि. (-)42,95.60 60,83.01 60,83.01 0.00

42,95.60 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 50—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)आधिक्य +
बचत (-)

(6) 2401-119-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

2816-फसल बीमा योजना-

मूल 31,65.81

पुनर्वि. (-)3,16.66 28,49.15 28,49.15 0.00

3,16.66 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत बीमा कम्पनियों द्वारा राज्यांश राशि के कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(7) 2401-119-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

6499-बहुउद्देशीय विश्लेषण

प्रयोगशाला की स्थापना-

मूल 2,00.00

पुनर्वि. (-)2,00.00 0.00 0.00 0.00

2,00.00 लाख ₹ (समर्पण 20.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,80.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः योजना प्रारंभ न होने के कारण हुई (20.00 लाख ₹)। शेष प्रत्याशित बचत (18,00.00 लाख ₹) हेतु कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 2401-119-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

6520-सागभाजी क्षेत्र विस्तार

योजना-

मूल 20,21.83

पुनर्वि. (-)16,41.08 3,80.75 3,79.85 (-)0.90

16,41.08 लाख ₹ (समर्पण 5,00.45 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 11,40.63 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः मार्गदर्शी निर्देशों में संशोधन एवं नई ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण हुई (5,00.45 लाख ₹)। शेष प्रत्याशित बचत (11,40.63 लाख ₹) हेतु विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(9) 2401-119-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

6522-मसाला क्षेत्र विस्तार योजना-

मूल 18,59.77

पुनर्वि. (-)15,98.72 2,61.05 2,61.05 0.00

15,98.72 लाख ₹ (समर्पण 6,42.17 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 9,56.55 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः मार्गदर्शी निर्देशों में संशोधन एवं नई ऑनलाईन प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण हुई (6,42.17 लाख ₹)। शेष प्रत्याशित बचत (9,56.55 लाख ₹) हेतु विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 50—समाप्त

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)आधिक्य +
बचत (-)

(10) 2401-119-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

7370-शासकीय रोपणियों में
प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण-

मूल	11,77.92			
पुनर्वि.	(-)11,41.37	36.55	36.55	0.00

11,41.37 लाख ₹ (समर्पण 3,41.37 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 8,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा राशि आहरित न करने एवं योजना की स्वीकृति अंतिम त्रैमास में मिलने के कारण राशि व्यय नहीं हो सकी (3,41.37 लाख ₹)। के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत (8,00.00 लाख ₹) विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(1) 2401-119-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

6495-मिनीकिट्स प्रदर्शन योजना-

मूल	0.01			
पुनर्वि.	9,90.15	9,90.16	9,90.16	0.00

9,90.15 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 11,06.19 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,16.03 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) कमी का निवल प्रभाव था। कमी जिलों द्वारा अपेक्षित व्यय न करने के कारण हुई। वृद्धि हेतु कारण सूचित नहीं किये गये (सितम्बर 2017)।

(2) 2401-119-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

6497-व्यवसायिक उद्यानिकी
फसलों की संरक्षित खेती की
प्रोत्साहन योजना -

मूल	12,99.88			
पुनर्वि.	7,04.15	20,04.03	20,04.03	0.00

7,04.15 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 9,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,95.85 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः किसानों द्वारा अधिक मांग प्राप्त होने (4,00.00 लाख ₹) जबकि कमी योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण हुई। शेष वृद्धि (5,00.00 लाख ₹) हेतु कारण सूचित नहीं किये गये (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-				
2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ				
राजस्व:				
दत्तमत-				
मूल	1,54,67,45			
पूरक	1,25,91	1,55,93,36	1,41,29,27	(-)14,64,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2,60,54

प्रभारित 30 00 (-)30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
 टीका एवं टिप्पणियां *निरंक*

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 1,25.91 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 14,64.09 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 2,60.54 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
--	---------------	---------------------------------	---------------------

(1) 2250-800-1477- धार्मिक न्यास एवं
धर्मस्व की स्थापना-

मूल	1,25.91			
पुनर्वि.	(-)27.54	98.37	0.00	(-)98.37

27.54 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) व्यय नहीं होने से एवं रिक्त पदों की पूर्ति न किये जाने के कारण हुई।

(2) 2250-800-3611-माफी विभाग-

मूल	1,41.34			
पुनर्वि.	0.37	1,41.71	97.68	(-)44.03

0.37 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन चिकित्सा देयकों के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(3) 2250-800-5805-मंदिरों तथा
धार्मिक स्थलों पर धर्मशाला आदि
का निर्माण-

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	(-)31.97	68.03	19.30	(-)48.73

31.97 लाख ₹ (समर्पण 9.01 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 22.96 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत व्यय नहीं होने एवं डी.डी.ओ. द्वारा आहरण नहीं किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(4) 2250-800-6225- सेवादारों के मानदेय में वृद्धि एवं नेमनुक	10,00.00	7,67.15	(-)2,32.85
(5) 2250-800-6273-तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण की स्थापना	3,00.00	1,00.00	(-)2,00.00

इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 2250-800-6292-शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार-

मूल 12,00.00

पुनर्वि. (-)2,51.53 9,48.47 4,25.62 (-)5,22.85

2,51.53 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत मुख्यतः प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई।

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(हजार ₹ में)

आधिक्य +
बचत (-)

2250-800-6921- अंगकोरवाट एवं सीतामैया-श्रीलंका की यात्रा के लिये अनुदान-

मूल 50.00

पुनर्वि. 50.00 100.00 99.37 (-)0.63

50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन यात्रियों को लंबित राशियों का भुगतान करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 52—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय
पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2215-जल पूर्ति तथा सफाई			
2216-आवास			
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401-फसल कृषि कर्म			
2403-पशुपालन			
2405-मछली पालन			
2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम			
2505-ग्रामीण रोजगार			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2702-लघु सिंचाई			
2851-ग्राम तथा लघु उद्योग			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	38,69,85,79		
पूरक	14,18,73,09	52,88,58,88	43,68,95,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (08-31 मार्च 2017)			(-)9,19,63,24 8,39,15,98
पूंजीगत		64,85,00	1,47,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)63,37,15 9,21,28

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) 9,19,63.24 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 14,18,73.09 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जो जुलाई 2016 (4,13,40.46 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अपर्याप्त था, जबकि दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 10,05,32.63 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 9,19,63.24 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 08-31 मार्च 2017 को 8,39,15.98 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 52—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

14—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(1) 2702-02-796-196-0102-आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

2791-प्राइवेट एजेंसियों, ठेकेदार
द्वारा कृषकों के खेतों पर सफल
नलकूप खनन पर सहायता-

मूल 12,51.25

पुनर्वि. (-)2,86.80 9,64.45 8,39.32 (-)1,25.13

2.86.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः जिलों द्वारा राशि का उपयोग न करने के कारण हुई। 6.80 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

22-पंचायत विभाग

(2) 2515-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित
योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-

1213-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम
योजना

11,80.00 0.00 (-)11,80.00

(3) 3604-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र
उपयोजना-

7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत
सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान
(राज्य करों में हिस्सा)-

1,91,62.88 1,72,46.59 (-)19,16.29

उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

25—आदिम जाति कल्याण विभाग

(4) 2225-02-796-196-0102-आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

0494-आश्रम-

मूल 42,00.00

पुनर्वि. (-)4,65.07 37,34.93 33,16.45 (-)4,18.48

(5) 2225-02-796-196-0102-आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

1392-छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां-

मूल 18,00.00

पुनर्वि. (-)10,08.41 7,91.59 6,11.68 (-)1,79.91

अनुदान संख्या 52—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 2225-02-796-196-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 1398-छात्रावास/आश्रमों का संचालन-				
मूल	44,50.00			
पुनर्वि.	(-)4,11.39	40,38.61	35,93.61	(-)4,45.00
(7) 2225-02-796-196-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 2949-गणवेश का प्रदाय-				
मूल	6,00.00			
पुनर्वि.	(-)1,57.17	4,42.83	3,82.83	(-)60.00
(8) 2225-02-796-196-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 8805-प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालकों को छात्रवृत्ति-				
मूल	8,20.00			
पुनर्वि.	(-)2,79.43	5,40.57	4,58.57	(-)82.00
(9) 2225-02-796-197-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 0494-आश्रम-				
मूल	11,90.00			
पुनर्वि.	(-)3,01.78	8,88.22	7,69.12	(-)1,19.10
(10) 2225-02-796-197-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 1392-छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां-				
मूल	15,00.00			
पुनर्वि.	(-)8,86.24	6,13.76	4,63.76	(-)1,50.00
(11) 2225-02-796-197-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 1398-छात्रावास/आश्रमों का संचालन-				
मूल	13,55.00			
पुनर्वि.	(-)1,83.49	11,71.51	10,36.00	(-)1,35.51

अनुदान संख्या 52—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(12) 2225-02-796-197-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 2949-गणवेश का प्रदाय-				
मूल	4,50.00			
पुनर्वि.	(-)1,67.69	2,82.31	2,37.31	(-)45.00
(13) 2225-02-796-197-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 8805-प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालकों को छात्रवृत्ति-				
मूल	7,50.00			
पुनर्वि.	(-)2,83.04	4,66.96	3,91.96	(-)75.00
(14) 2225-02-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 0494-आश्रम-				
मूल	44,40.00			
पुनर्वि.	(-)4,14.06	40,25.94	35,82.41	(-)4,43.53
(15) 2225-02-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 1392-छात्रवृत्तियां और वृत्तियां-				
मूल	85,13.82			
पुनर्वि.	(-)50,44.07	34,69.75	26,18.52	(-)8,51.23
(16) 2225-02-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 1398-छात्रावास/आश्रमों का संचालन-				
मूल	51,80.00			
पुनर्वि.	(-)12,94.03	38,85.97	33,48.10	(-)5,37.87
(17) 2225-02-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोगना- 2949-गणवेश का प्रदाय-				
मूल	4,25.45			
पुनर्वि.	(-)1,90.48	2,34.97	1,92.43	(-)42.54

अनुदान संख्या 52—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(18) 2225-02-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8805-प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालकों को छात्रवृत्ति-	मूल 13,41.50 पुनर्वि. (-)5,04.71	8,36.79	7,02.64 (-)1,34.15
(19) 2225-02-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 8844-कन्याओं के शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ (कक्षा ग्यारह)	मूल 11,18.77 पुनर्वि. (-)88.79	10,29.98	9,18.10 (-)1,11.88

उपरोक्त क्रम संख्या (4), (6), (7), (9), (11), (12), (14), (16) एवं (17) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 4,65.07 लाख ₹, 4,11.39 लाख ₹, 1,57.17 लाख ₹, 3,01.78 लाख ₹, 1,83.49 लाख ₹, 1,67.69 लाख ₹, 4,14.06 लाख ₹, 12,94.03 लाख ₹ एवं 1,90.48 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जिला अधिकारियों द्वारा आहरण न किये जाने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (5), (8), (10), (13), (15), (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 10,08.41 लाख ₹, 2,79.43 लाख ₹, 8,86.24 लाख ₹, 2,83.04 लाख ₹, 50,44.07 लाख ₹, 5,04.71 लाख ₹ एवं 88.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (4), (6) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 तथा संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

58—ग्रामीण विकास विभाग

(20) 2215-02-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5206-निर्मल भारत अभियान-	मूल 2,55,35.81 पूरक 5,20,40.00 पुनर्वि. (-)1,50,85.37	6,24,90.44	6,24,90.44 0.00
--	---	------------	-----------------

1,50,85.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(21) 2216-03-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5131- मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना-	मूल 10,84.30 पुनर्वि. (-)5,42.11	5,42.19	4,33.76 (-)1,08.43
--	-------------------------------------	---------	--------------------

5,42.11 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत योजना प्रभारी से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के लिए कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 में भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(22) 2501-02-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 5770- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटर शेड विकास)- मूल 80,00.00 पुनर्वि. (-)10,96.53	69,03.47	69,03.47	0.00
10,96.53 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में, भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।			
(23) 2505-01-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मूल 11,34,18.08 पूरक 2,00,00.00 पुनर्वि. (-)5,09,12.13	8,25,05.95	8,25,05.95	0.00
5,09,12.13 लाख ₹ (समर्पण 4,74,39.63 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 34,72.50 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत योजना प्रभारी से मांग कम प्राप्त होने के कारण एवं भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(24) 2515-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6931-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम- मूल 1,86,46.81 पूरक 1,38,35.13 पुनर्वि. (-)33,79.15	2,91,02.79	2,91,02.79	0.00
(25) 2515-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7886-मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन- मूल 30,00.00 पूरक 8,40.07 पुनर्वि. (-)25,18.32	13,21.75	13,21.75	0.00
33,79.15 लाख ₹ एवं 25,18.32 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) उपरोक्त क्रमशः क्रम संख्या (24) एवं (25), भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (24) में 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

59—औद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(26) 2401-796-196-0102-आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

4326-सघन फलोद्यान विकास
योजना-

मूल 4,68.26

पुनर्वि. (-)3,16.21 1,52.05 1,51.32 (-)0.73

3,16.21 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में परिवर्तन की प्रगति धीमी होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2017)।

58—ग्रामीण विकास विभाग

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशत प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(1) 2216-03-796-198-0102-आदिवासी
क्षेत्र उपयोजना-

6255-मुख्यमंत्री आवास मिशन-

मूल 51,30.24

पुनर्वि. 25,00.00 76,30.24 76,30.24 0.00

(2) 2501-06-796-198-0702-केन्द्र
प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र
उपयोजना-

6836-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका
मिशन-

मूल 51,90.52

पूरक 21,47.16

पुनर्वि. 9,72.50 83,10.18 83,10.18 0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 25,00.00 लाख ₹ एवं 9,72.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन योजना प्रभारी से मांग अधिक प्राप्त होने के कारण हुआ।

पूजीगत:

(v) 63,37.15 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 9,21.28 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

22—पंचायत विभाग

4515-796-800-0420-खनिज क्षेत्र
विकास निधि-

6084-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं
अवसंरचना योजना-

मूल 64,85.00

पुनर्वि. (-)9,21.28 55,63.72 1,47.85 (-)54,15.87

9,21.28 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरण न किए जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 में भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 53—अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2217-शहरी विकास			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217-शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व			
मूल	9,28,53,71		
पूरक	1,18,87,07	10,47,40,78	6,67,89,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)3,79,51,40 3,78,63,09
पूंजीगत	2,01,46,56		00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)2,01,46,56 2,01,46,56

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 1,18,87.07 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,79,51.40 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 3,78,63.09 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

18-नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

(1) 2217-05-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-				
6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स-				
मूल	70,00.00			
पुनर्वि.	(-)70,00.00	0.00	0.00	0.00
70,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 36,10.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 33,90.00 लाख ₹) मुख्यतः कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई। (36,10.00 लाख ₹)। 33,90.00 लाख ₹ की शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।				

अनुदान संख्या 53—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)	
(2) 2217-05-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6440-शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढीकरण-	मूल पुनर्वि.	4,60.00 (-),4,60.00	0.00 0.00	0.00 0.00
समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान 4,60.00 लाख ₹ प्रत्याशित बचत योजना का कार्य प्रारंभ न होने के साथ हुई।				
(3) 2217-05-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 7144-मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम-	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-),1,22.00	3,78.00 3,78.00	0.00 0.00
(4) 2217-05-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 7145-मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम-	मूल पुनर्वि.	29,00.00 (-),2,90.00	26,10.00 26,10.00	0.00 0.00
(5) 2217-05-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 7146-मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम-	मूल पुनर्वि.	76,61.20 (-),7,66.12	68,95.08 68,95.08	0.00 0.00
(6) 2217-05-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 7358-शहरी विरासत संरक्षण एवं संवर्धन योजना-	मूल पुनर्वि.	60.00 (-),30.00	30.00 0.00	(-),30.00 0.00

उपरोक्त क्रम संख्या 1/43¹/₂ से 1/46¹/₂ के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,22.00 लाख ₹, 2,90.00 लाख ₹, 7,66.12 लाख ₹ एवं 30.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या 1/45¹/₂ के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(7) 2217-05-789-192-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स- मूल 40,00.00 पुनर्वि. (-)35,70.98	4,29.02	4,29.02	0.00
35,70.98 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 23,92.98 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 11,78.00 लाख ₹) मुख्यतः योजना का कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई (23,92.98 लाख ₹)। 11,78.00 लाख ₹ की शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(8) 2217-05-789-193-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स- मूल 40,00.00 पुनर्वि. (-)26,68.81	13,31.19	13,31.19	0.00
समर्पण के रूप में 26,68.81 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योजना के कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई।			
(9) 2217-05-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 1238-अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन- मूल 2,25,00.00 पुनर्वि. (-)1,34,46.02	90,53.98	90,53.98	0.00
समर्पण के रूप में 1,34,46.02 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।			
(10) 2217-05-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 7705-स्मार्ट सिटी- मूल 55,00.00 पूरक 50,00.00 पुनर्वि. (-)50,00.00	55,00.00	55,00.00	0.00
(11) 2217-05-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 7706-स्वच्छ भारत अभियान- मूल 2,00,00.00 पूरक 68,87.07 पुनर्वि. (-)88,58.83	1,80,28.24	1,80,28.24	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या 1/410 1/2 एवं 1/411 1/2 के शीर्षान्तर्गत प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशत प्रति-संतुलित की गई:-			
2217-05-789-800-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 1237-हाउसिंग फॉर ऑल- मूल	1,00,00.00		
पुनर्वि.	44,87.36	1,44,87.36	0.00
44,87.36 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन लक्ष्य की पूर्ति हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।			

पूँजीगत:

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4217-60-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ ¼अनुसूचित जाति उपयोजना½- 1262-म.प्र. आर्बन सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई. पी.)- मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,00.00	0.00	0.00
(2) 4217-60-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ ¼अनुसूचित जाति उपयोजना½- 2043-मेट्रो रेल- मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(-)10,00.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या ¼1½ एवं ¼2½ के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना का कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई।

(3) 4217-60-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ ¼अनुसूचित जाति उपयोजना½- 7336-एम.पी. आर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)- मूल	27,43.97		
पुनर्वि.	(-)27,43.97	0.00	0.00

समर्पण के रूप में 27,43.97 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 53—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(4) 6217-60-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ ¼अनुसूचित जाति उपयोजना½- 1262- म.प्र. अर्बन सेनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई. पी.)- मूल 9,00.00 पुनर्वि. (-)9,00.00	0.00	0.00	0.00
(5) 6217-60-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ ¼अनुसूचित जाति उपयोजना½- 2043-मेट्रो रेल- मूल 90,00.00 पुनर्वि. (-)90,00.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या ¼4½ एवं ¼5½ के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई।			
(6) 6217-60-789-800-1203- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ ¼अनुसूचित जाति उपयोजना½- 7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)- मूल 64,02.59 पुनर्वि. (-)64,02.59	0.00	0.00	0.00
समर्पण के रूप में 64,02.59 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति न होने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
राजस्व:			
मूल	91,50,02		
पूरक	72,63,00	1,64,13,02	1,63,63,00 (-) 50,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (08-31 मार्च 2017)			45,02

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 50.02 लाख ₹ की अंतिम बचत के प्ररिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 32,83.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 39,80.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 50.02 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 08-31 मार्च 2017 को 45.02 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2236-पोषण			
4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	25,88,69,57		
पूरक	30,11,69	26,18,81,26	25,00,79,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)1,18,01,28 1,16,53,88
<i>प्रभारित</i>		16,51	1,60
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			(-)14,91 13,88
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	1,18,23,96		
पूरक	96,90,50	2,15,14,46	2,03,81,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)11,33,19 10,87,70

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 (19,99.70 लाख ₹), दिसम्बर 2016 (7,75.24 लाख ₹) एवं मार्च 2017 (2,36.75 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 30,11.69 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,18,01.28 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 1,16,53.88 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) यद्यपि 1,18,01.28 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अन्तर परिलक्षित हुये:-

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(अ) बचत:—			
(1) 2059-01-053-5508-महिला एवं बाल विकास के भवनों का रख-रखाव-			
मूल	3,70.00		
पुनर्वि.	(-1,01.51	2,68.49	2,36.58 (-)31.91
समर्पण के रूप में 1,01.51 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशियों का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई (0.01 लाख ₹)। 1,01.50 लाख ₹ की अवशिष्ट बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2235-02-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
9248-किशोरी शक्ति योजना-			
मूल	3,30.00		
पुनर्वि.	(-3,30.00	0.00	0.00 0.00
समर्पण के रूप में 3,30.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना को केन्द्र क्षेत्रीय से केन्द्र प्रवर्तित करने के कारण हुई।			
(3) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6442-अटल बाल आरोग्य मिशन-			
मूल	41,35.00		
पुनर्वि.	(-11,44.67	29,90.33	29,92.25 +1.92
समर्पण के रूप में 11,44.67 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7700-मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास योजना-			
मूल	10,71.65		
पुनर्वि.	(-9,03.23	1,68.42	1,68.42 0.00
9,03.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 1,23.48 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 7,79.75 लाख ₹) मुख्यतः आहरण पर प्रतिबंध होने एवं योजना, महिला सशक्तिकरण संचालनालय को हस्तांतरित किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2235-02-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-			
1422-ग्राम कन्वसर्जेन्स एवं सुविधा सेवा-			
पूरक	2,84.04		
पुनर्वि.	(-2,84.04	0.00	0.00 0.00

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 2236-02-101-9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना-			
मूल	3,37.62		
पुनर्वि.	(-)1,58.33	1,79.29	2,02.66 +23.37

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः समर्पण के रूप में 2,84.04 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) एवं 1,58.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(7) 2236-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-				
1292-मल्टी सेक्टर न्यूट्रीशन कार्यक्रम-				
मूल	1,67,77.00			
पुनर्वि.	(-)1,67,77.00	0.00	0.00	0.00

1,67,77.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन 1,67,76.96 लाख ₹ + समर्पण 0.04 लाख ₹) भारत सरकार से इस योजना में व्यय के निर्देश जारी नहीं किये जाने एवं सामग्री उपार्जन की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ब) आधिक्य:-

(1) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-				
1405-उदिता योजना-				
पूरक	0.01			
पुनर्वि.	3,41.79	3,41.80	3,30.65	(-)11.15

3,41.79 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,43.85 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,02.06 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि उदिता योजना के संचालन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(2) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-				
6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना (सबला)-				
मूल	45,35.60			
पुनर्वि.	78,45.16	1,23,80.76	1,23,80.76	0.00

78,45.16 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 80,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,54.84 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि प्रावधान कम होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(3) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना- मूल 7,19,49.02 पुनर्वि. 85,75.75	8,05,24.77	8,05,22.84	(-)1.93

85,75.75 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 91,78.66 लाख ₹ की वृद्धि एवं 6,02.91 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि भारत सरकार से निर्धारित मानकों के अनुसार राशि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

प्रभारित:-

(iv) 14.91 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 13.88 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) 11,33.19 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 96,90.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2016 (47,42.50 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अपर्याप्त था, जबकि दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 49,48.00 लाख ₹ अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) 11,33.19 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 10,87.70 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(1) 4235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5360-आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण- मूल 1,60.00 पुनर्वि. (-)1,60.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

समर्पण के रूप में 1,60.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा योजना में अनुदान जारी न किये जाने के कारण हुई।

(2) 4235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5360-आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण- मूल 1,14,63.90 पुनर्वि. (-)1,00,58.89	14,05.01	14,05.01	0.00
--	----------	----------	------

1,00,58.89 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 11.89 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,00,47.00 लाख ₹) के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 55—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	------------------	---------------------

(लाख ₹ में)

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-
शीर्ष

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4235-02-102-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 7046-नाबार्ड अन्तर्गत प्री-फेब तकनीक से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण-			
मूल	0.01		
पुनर्वि.	1,29.08	1,29.09	1,29.09 0.00
1,29.08 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,30.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.92 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु एजेन्सी को राशि के भुगतान के कारण हुई (1,30.00 लाख ₹)। 0.92 लाख ₹ की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(2) 4235-02-102-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 5360-आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण-			
मूल	0.01		
पूरक	17,75.00		
पुनर्वि.	5,02.16	22,77.17	22,31.67 (-)45.50
5,02.16 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 14,17.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 9,14.84 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी अंशतः आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि के आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई (4,04.97 लाख ₹)। 5,09.87 लाख ₹ की अवशिष्ट बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(3) 4235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना-			
मूल	0.01		
पूरक	77,00.00		
पुनर्वि.	84,99.99	1,62,00.00	1,62,00.00 0.00
84,99.99 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 85,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.01 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि आई.सी.डी.एस. मिशन के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 56-ग्रामोद्योग
(सभी दत्तमत)

कुल वास्तविक आधिक्य +

	अनुदान	व्यय (हजार ₹ में)	बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2851-ग्राम तथा लघु उद्योग			
4851-ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	2,71,04,31		
पूरक	3,05,80	2,74,10,11	1,82,82,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)91,27,96 75,82,83
पूंजीगत	5,18,24	1,49,97	(-)3,68,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			3,41,85

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 (3,05.80 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2016 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 91,27.96 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 75,82.83 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2851-103-2542-पर्यवेक्षक कर्मचारीवृन्द ¼क्षेत्रीय कार्यालय½-			
मूल	9,44.00		
पुनर्वि.	2.80	9,46.80	6,90.74
			(-)2,56.06

2.80 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन नवीन फर्नीचर क्रय/फर्नीचर, कम्प्यूटर, बिजली उपकरणों की रिपेयरिंग, टोनर क्रय एवं सी.ए. को भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	------------------	---------------------

(लाख ₹ में)

(2) 2851-103-0101-राज्य आयोजना

 $\frac{1}{4}$ सामान्य $\frac{1}{2}$ -

7571-मुख्यमंत्री स्वरोजगार/

आर्थिक कल्याण योजना-

मूल 76,82.54

पुनर्वि. (-)46,18.43 30,64.11 28,48.31 (-)2,15.80

46,18.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 46,42.28 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन 37,91.76 लाख ₹ + समर्पण 8,50.52 लाख ₹) एवं 23.85 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मुख्य: बजट आवंटन आवश्यकता से अधिक होने, उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने, दस प्रतिशत कटौती एवं आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई (43,10.12 लाख ₹)। वृद्धि योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई (23.85 लाख ₹)। 3,32.16 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(3) 2851-105-0101-राज्य आयोजना

 $\frac{1}{4}$ सामान्य $\frac{1}{2}$ -

1068-खादी बोर्ड के स्थापना व्यय

हेतु अनुदान-

मूल 14,67.64

पुनर्वि. (-)1,50.00 13,17.64 9,56.34 (-)3,61.30

1,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत बजट आवंटन अधिक होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(4) 2851-107-3778-रेशम उद्योग की

योजनाओं का क्रियान्वयन-

20,68.71

16,83.99

(-)3,84.72

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2851-107-0101-राज्य आयोजना

 $\frac{1}{4}$ सामान्य $\frac{1}{2}$ -

2731-प्रशिक्षण अनुसंधान-

मूल 5,76.05

पुनर्वि. (-)3,84.33 1,91.72 1,80.68 (-)11.04

3,84.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत 10 प्रतिशत कटौती एवं योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 2851-107-0101-राज्य आयोजना

 $\frac{1}{4}$ सामान्य $\frac{1}{2}$ -

3777- रेशम उद्योग का विकास

कार्य-

मूल 32,95.76

पुनर्वि. (-)14,92.87 18,02.89 17,57.63 (-)45.26

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्ययआधिक्य +
बचत (-)

(लाख ₹ में)

समर्पण के रूप में 14,92.87 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अत्यधिक पाला पडने से कृषिपालन कार्य प्रभावित होने, दस प्रतिशत कटौती किये जाने एवं लक्ष्य प्राप्ति न होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2851-107-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

6328-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम-

मूल	40,32.75			
पुनर्वि.	(-) 40,32.75	0.00	0.00	0.00

समर्पण के रूप में 40,32.75 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत वित्त वर्ष 2016-17 में सी.डी.पी. योजना की स्वीकृति राज्य शासन से प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 2851-107-0101राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

6794-उद्यमियों/स्व सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग-

मूल	5,08.70			
पुनर्वि.	(-)4,86.55	22.15	22.15	0.00

समर्पण के रूप में 4,86.55 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत वर्ष के दौरान (2016-17) गतिविधि प्रारंभ न होने एवं दस प्रतिशत कटौती किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	------------	---------------------------	------------------

(1)2851-103-4765-हाथकरघा (कपास)

योजनाएं प्रशिक्षण केन्द्र-

मूल	1,33.25			
पुनर्वि.	1,27.20	2,60.45	2,27.23	(-)33.22

1,27.20 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अंशतः फर्नीचर क्रय/फर्नीचर, कम्प्यूटर, बिजली रिपेयरिंग, टोनर क्रय तथा सी.ए. से संबंधित भुगतान की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 56-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य +
-------	------------	---------------	----------

(लाख ₹ में)

बचत (-)

(2) 2851-104-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

4750-हस्तशिल्प में राज्य पुरस्कार योजना-

मूल 50.00

पुनर्वि. 1,05.00 1,55.00 1,55.00 0.00

1,05.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन, अतिरिक्त राशि के प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(3) 2851-104-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

6524-कालीन पार्क योजना

1,00.00

3,13.00

+2,13.00

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(4) 2851-104-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

8110-विकास सह संग्रहण केन्द्रों की स्थापना-

मूल 4,85.00

पुनर्वि. 1,00.00 5,85.00 5,85.00 0.00

1,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन वेतन ऐरियर की राशि के भुगतान एवं अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(5) 2851-104-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

9062-हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को स्थापना हेतु अनुदान-

मूल 2,54.85

पुनर्वि. 2,00.00 4,54.85 4,54.85 0.00

2,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन वेतन ऐरियर की राशि के भुगतान एवं अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(6) 2851-104-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

9201-प्रदर्शनी, प्रचार एवं प्रसार-

मूल 80.00

पुनर्वि. 50.75 1,30.75 1,30.75 0.00

50.75 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 56—जारी

शीर्ष

कुल

वास्तविक

आधिक्य +

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(7) 2851-105-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7571-मुख्यमंत्री स्वरोजगार/ आर्थिक कल्याण योजना-			
मूल	7,00.00		
पुनर्वि.	29,80.00	36,80.00	36,80.00
			0.00

29,80.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन अतिरिक्त राशि की आवश्यकता एवं अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(8) 2851-106-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-				
6279-माटीकला प्रचार-प्रसार योजना-				
मूल	8.00			
पुनर्वि.	1,39.20	1,47.20	1,47.20	0.00

1,39.20 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,40.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 00.80 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि माटीशिल्प पंचायत के आयोजन पर होने वाले व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(9) 2851-106-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-				
7571-मुख्यमंत्री स्वरोजगार/ आर्थिक कल्याण योजना-				
मूल	3,67.79			
पुनर्वि.	1,50.00	5,17.79	4,81.01	(-)36.78

1,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

पूँजीगत:

(v) 3,68.27 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 3,41.85 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 56—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य +
-------	---------------	------------------	----------

(लाख ₹ में)

बचत (-)

4851-107-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

6336-रेशम केन्द्रों पर सिंचाई
सुविधाएँ एवं अन्य निर्माण कार्य

मूल

4,68.24

पुनर्वि.

(-)3,31.09

1,37.15

1,09.88

(-)27.27

समर्पण के रूप में 3,31.09 लाख ₹ की प्रत्याशित डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण न किये जाने एवं योजनान्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
मूल	23,04,02		
पूरक	12,50,00	35,54,02	22,12,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)13,41,31
1/431 मार्च 2017 1/2			10,66,50

पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में राशि 22,12,70,761 ₹ के कुल व्यय में 23.04.2016 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 7,79,59,286 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

टीका एवं टिप्पणियां
पूंजीगत:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 12,50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 13,41.31 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 10,66.50 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-
शीर्ष

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4700-01-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) - 6258-डेम रिहवीलिटेशन एण्ड इम्प्रुवमेन्ट प्रोजेक्ट-			
मूल	19,04.00		
पुनर्वि.	(-)12,27.52	6,76.48	5,98.63
(2) 4700-57-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 2344-निर्माण कार्य-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,35.00	65.00	63.27

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 12,27.52 लाख ₹ (समर्पण 7,76.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4,51.52 लाख ₹) एवं 2,35.00 लाख ₹ (समर्पण) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य के अपेक्षानुरूप पूर्ण न होने के कारण हुई। अंतिम बचत में कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 57—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
4700-64-800-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) -			
6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार—जल संसाधन विभाग-			
मूल	50.00		
पूरक	12,50.00		
पुनर्वि.	4,04.59	17,04.59	15,14.38 (-)1,90.21

4,04.59 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,51.52 लाख ₹ की वृद्धि एवं 46.93 लाख ₹ की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों में लंबित बिलों एवं म.प्र. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना से संबंधित माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार राशि के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी निर्माण कार्य से संबंधित मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(v) उचंत लेन—देन—

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में "उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे के अन्तर्गत टिप्पणी (iii) में की गई है।

2016—17 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन—देनों का विश्लेषण प्रारंभिक और अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2017 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
1	2	3	4	5
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
				(लाख ₹ में)
(1) भंडार	(-) 0.27	0.00	0.00	(-) 0.27
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2.21	0.00	0.00	+ 2.21
योग	+ 1.94	0.00	0.00	+ 1.94
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) क्रय	(-) 1,94.83	0.00	0.00	(-) 1,94.83
(2) भंडार	+ 11,80.11	0.00	0.00	+ 11,80.11
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 8,01.70	0.00	0.00	+ 8,01.70
(4) कार्यशाला उचंत	+ 49.66	0.00	0.00	+ 49.66
योग	+ 18,36.64	0.00	0.00	+ 18,36.64

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	23,99,24,66		
पूरक	18,75,85,00	42,75,09,66	38,93,77,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)3,81,32,66
			2,37,49,48
पूंजीगत	3,00,00		00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)3,00,00
			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 3,81,32.66 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 18,75,85.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,81,32.66 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 2,37,49.48 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2245-01-101-0096-अग्नि पीड़ितों को राहत-			
मूल	40,00.00		
पुनर्वि.	(-)17,35.51	22,64.49	26,66.66
			+4,02.17
17,35.51 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही, अंतिम आधिक्य के साथ सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2245-01-101-8874-सूखा राहत एवं रोजगार के लिए अतिरिक्त प्रावधान-			
मूल	38,50.00		
पुनर्वि.	(-)34,65.00	3,85.00	2.63
			(-)3,82.37

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 2245-01-102-2661-शहरी क्षेत्रों में पेयजल परिवहन-			
मूल	44,00.00		
पुनर्वि.	(-)24,33.97	19,66.03	15,26.02
(4) 2245-01-102-6434-ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन-			
मूल	38,50.00		
पुनर्वि.	(-)30,08.75	8,41.25	4,57.24
(5) 2245-01-103-5496-सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पोषण आहार-			
मूल	3,30.00		
पुनर्वि.	(-)2,31.00	99.00	0.00
(6) 2245-01-800-5497-सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अन्य कार्य-			
मूल	3,30.00		
पुनर्वि.	(-)81.00	2,49.00	0.00
(7) 2245-02-101-2018-नगद दान-			
मूल	2,75,00.00		
पुनर्वि.	(-)39,63.74	2,35,36.26	2,12,24.82
(8) 2245-02-193-5498-बाढ प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों एवं अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता-			
मूल	22,00.00		
पुनर्वि.	(-)15,39.59	6,60.41	0.41
(9) 2245-80-102-6436-आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(-)5,35.70	4,64.30	14.98

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (9) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 34,65.00 लाख ₹, 24,33.97 लाख ₹, 30,08.75 लाख ₹, 2,31.00 लाख ₹, 81.00 लाख ₹, 39,63.74 लाख ₹, 15,39.59 लाख ₹ एवं 5,35.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त/विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (2), (3), (4), (7) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(10) 2245-80-102-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 2065-14 th वां वित्त आयोग, क्षमता वृद्धि- मूल 46,00.00 पुनर्वि. (-)22,20.29	23,79.71	26,13.59	+2,33.88
समर्पण के रूप में 22,20.29 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत उपकरण क्रय की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने, दस प्रतिशत कटौती, रेस्क्यू वाहन के क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण न होने, बल संख्या अनुसार वर्दी क्रय किये जाने एवं बल संख्या अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ¼flrEcj 2017½A			
(11) 2245-80-800-5504-राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता- मूल 55,00.00 पुनर्वि. (-)99.26	54,00.74	33,57.77	(-)20,42.97
समर्पण के रूप में 99.26 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ¼flrEcj 2017½A			
(12) 2245-80-800-7021-पाला से क्षति पर राहत- मूल 2,75,00.00 पुनर्वि. (-)2,47,34.79	27,65.21	15.21	(-)27,50.00
2,47,34.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 7,34.79 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 2,40,00.00 लाख ₹½ के पर्याप्त/विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 2245-80-800-7249-कीट प्रकोप से फसल को क्षति- मूल 77,00.00 पुनर्वि. (-)64,52.27	12,47.73	4,77.73	(-)7,70.00
64,52.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 52.27 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 64,00.00 लाख ₹½ के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(14) 2245-80-800-7250-वन्य प्राणियों द्वारा फसल क्षति- मूल 8,80.00 पुनर्वि. (-)6,88.99	1,91.01	1,13.89	(-)77.12
6,88.99 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 88.99 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 6,00.00 लाख ₹½ के पर्याप्त/विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ¼सितम्बर 2017½।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(15) 2245-80-800-8030-पुनः स्थापना के लिए सहायता अन्य कार्य हेतु-			
मूल	3,00,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,69,91.55	30,08.45	8.44 (-)30,00.01

2,69,91.55 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 91.55 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 2,69,00.00 लाख ₹½ के पर्याप्त/विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ¼सितम्बर 2017½। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2245-01-101-6422-सूखा फसल क्षति सहायता-			
मूल	66,00.00		
पुनर्वि.	4,95,82.21	5,61,82.21	5,59,44.75 (-)2,37.46

4,95,82.21 लाख ₹ की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में 5,20,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 24,17,79.94 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सूखा से हुई फसल क्षति की लंबित मांग की पूर्ति एवं तात्कालिक मांग के कारण हुई। कमी मुख्यतः ओला प्रभावितों को राहत मांग की पूर्ति के कारण हुई (12,00.00 लाख ₹)। 12,17.79 लाख ₹ की शेष बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ¼सितम्बर 2017½।

(2) 2245-02-101-0747-ओला पीड़ितों को राहत-			
मूल	1,59,50.00		
पुनर्वि.	49,10.06	2,08,60.06	1,88,80.85 (-)19,79.21

49,10.06 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,64,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,14,89.94 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि ओला से हुई फसल की क्षति की लंबित मांग की पूर्ति एवं ओला प्रभावितों को राहत के कारण हुई (1,64,00.00 लाख ₹)। 1,14,89.94 लाख ₹ की कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2245-80-800-6097-सर्पदंश पर आर्थिक सहायता-			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि.	2,05.74	14,05.74	22,51.65 +8,45.91

2,05.74 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,94.26 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि जहरीले जन्तुओं के काटने से मृत्यु के प्रकरणों की मांग की पूर्ति के कारण हुई। 1,94.26 लाख ₹ की कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

(v) अकाल राहत निधि:-

2245-05-101-0474-आरक्षित निधियों और
जमा लेखाओं को अन्तरण अकाल
राहत निधि

0.01 0.00 0.00 (-) 0.01

यह निधि बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई हैं। निधि में किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।

वर्ष के दौरान कोई भी राशि मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि-101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-राज्य आपदा मोचन निधि को नामे कर मुख्य शीर्ष 8223 अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि के अंतर्गत निधि लेखा में जमा नहीं की गई।

31 मार्च 2017 को शेषों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

विवरण	1 अप्रैल 2016 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2017 को अंत शेष नामे + जमा (-)
(1) 101-निधि लेखा	(-)5,92.81	0.00	0.00	(-)5,92.81
(2) 102-निवेश लेखा	(-)5.34	0.00	0.00	(-)5.34
कुल	(-)5,98.15	0.00	0.00	(-)5,98.15

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2016-17 के विवरण संख्या-21 में मुख्य शीर्ष 8223-अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि तथा 102-अकाल राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत सम्मिलित है।

(vi) राज्य आपदा मोचन निधि:-

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यह निधि (पुनरीक्षित प्रशासकीय निर्देशों सहित) "आपदा राहत निधि" जो कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक प्रवर्तनशील थी, के स्थान पर 14 दिसम्बर 2010 से प्रभाव में आई। सभी प्राकृतिक आपदायें जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ओलावृष्टि, अग्नि, भू-स्खलन, हिम खण्डों का स्खलन, बादल फटना तथा कीटों का आक्रमण आदि इस योजना के अंतर्गत राहत के लिए विशेषित हैं और वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत तक यह योजना प्रवर्तनशील थी। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2016-17 हेतु निधि का अंशदान 9,21,00.00 लाख ₹ निश्चित किया गया, जिसका 75 प्रतिशत (6,90,75.00 लाख ₹) केन्द्र सरकार द्वारा आयोजनेत्तर अनुदान के रूप में दिया गया। अंशदान लेखा शीर्ष 1601-केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान-01-आयोजनेत्तर अनुदान-109-राज्य आपदा मोचन निधि को अंशदान हेतु अनुदान" के अंतर्गत प्रथमतः जमा किया गया और शेष 25 प्रतिशत (2,30,25.00 लाख ₹) का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया गया। कुल अंशदान इस अनुदान के मुख्य शीर्ष "2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत-05-आपदा राहत निधि 101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-आपदा राहत निधि" के अंतर्गत इन उद्देश्यों हेतु प्रावधान निर्मित करने के पश्चात् लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि" के अंतर्गत अथवा यदि निधि का निवेश करना संभव न हो तो लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-115-प्राकृतिक विपत्ति और अव्ययित मार्जिनल मुद्रा" के अंतर्गत इस शीर्ष को अंतरित कर किया जाता है। सहायता या राहत पर व्यय प्रथमतः इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामे किया जाता है और समान राशि वर्ष का लेखा बंद करने से पूर्व निधि को

अनुदान संख्या 58—जारी

अंतरित की जाती हैं। 1 नवम्बर 2000 से मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् मुख्य शीर्ष "8235- सामान्य

एवं अन्य आरक्षित निधियां-111-आपदा राहत निधि" के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2000 को 1,02,46.44 लाख ₹ का अंतिम शेष भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा में व्यपगत नहीं किया गया एवं अनंतिम रूप से मध्य प्रदेश में ही रखा गया। यह राशि मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य एवं आरक्षित निधियां-111-आपदा राहत निधि से मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित की गई क्योंकि 14 दिसम्बर 2010 से राष्ट्रीय आपदा राहत निधि अस्तित्व में नहीं रह गई थी, यह राशि वित्त लेखे 2016-17 के विवरण संख्या-21 में मोटे अक्षरों में दर्शित की गई है। 1 अप्रैल 2016 को मुख्य शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत जमा शेष 6,68,00.00 लाख ₹ था। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245-05-101-0475-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-प्राकृतिक आपदा अनखर्चित मार्जिन मुद्रा निधि-अकाल राहत निधि" में 9,21,00.00 लाख ₹ एवं मुख्य शीर्ष 2245-80-103-6949-राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को 18,75,80.00 लाख ₹ नामे कर, मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि में 27,96,80.00 लाख ₹ की राशि जमा की गई।

वर्ष के लेखे बन्द होने से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया 27,96,80.00 लाख ₹ का व्यय इस निधि के नामे किया गया। 31 मार्च 2017 को निधि लेखा में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत शेष 6,68,00.00 लाख ₹ था। जबकि निधि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत वर्गीकृत हो तो निधि में जमा राशि को कोषालय बिल, भारत सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण-पत्रों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं सहकारी बैंकों में निवेशित करना चाहिये था। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनियमन योजना के अंतर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध-वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049-ब्याज अदायगी-05-आरक्षित निधियों पर ब्याज-105-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" को नामे किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया और निधि में ब्याज की कोई राशि भी जमा नहीं की गई।

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2016-17 के विवरण संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

पूँजीगत:

(vii) 3,00.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई।

*वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में कुल राशि 10,11,99.00 लाख ₹ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्य शासन को स्वीकृत कर प्रदाय किये गये थे। राज्य शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षांत में उक्त राशि प्राप्त होने के कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त राशि आरक्षित निधि से स्थानान्तरित करने हेतु प्रावधान किया जाना संभव नहीं था। इस कारण उक्त राशि एवं वर्ष 2016-17 में राज्य शासन को स्वीकृत 8,63,81.00 लाख ₹ के लिए कुल प्रावधान 18,75,80.00 लाख ₹ रखा गया।

अनुदान संख्या 58-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
6245-01-800-2750-प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जल की कमी के निवारण हेतु ऋण	3,00.00	0.00	(-)3,00.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष- 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
राजस्व वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ¼31 ekpZ 2017½	1	00	(-)1 1

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	18,48,00		
पूरक	16,49,86	34,97,86	34,66,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)31,05
¼31 ekpZ 2017½			27,53
पूंजीगत:			
मूल	2,26,03,84		
पूरक	1,99,93,63	4,25,97,47	3,34,22,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)91,75,19
¼31 ekpZ 2017½			1,18,43,56

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 31.05 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 27.53 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत:

(ii) 91,75.19 लाख ₹ की अन्तिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 1,99,93.63 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(iii) 91,75.19 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पित की गई 1,18,43.56 लाख ₹ की राशि अत्यधिक एवं अवास्तविक थी।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4515-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
5111-नवाचार को प्रोत्साहन-	3,00.00	1.39	(-)2,98.61
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 60—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 4515-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
8284-म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना-			
पूरक	1,99,93.63		
पुनर्वि.	(-)6,92.58	1,93,01.05	1,35,24.41 (-)57,76.64

6,92.58 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं करने के कारण हुई (6,83.67 लाख ₹)। अवशेष प्रत्याशित बचत 8.91 लाख ₹ के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(3) 4515-800-0101-राज्य आयोजना
¼सामान्य½-

6378-जनभागीदारी से
क्रियान्वित जिला योजनाओं में
शासन का अंशदान-

मूल	92,32.00			
पुनर्वि.	(-)32,21.59	60,10.41	63,76.87	+3,66.46

32,21.59 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई (71.23 लाख ₹)। अवशेष प्रत्याशित बचत 31,50.36 लाख ₹ के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
4515-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
8284-म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना-			
मूल	1,14,73.00		
पुनर्वि.	(-)78,53.43	36,19.57	1,19,87.25 +83,67.68

78,53.43 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई (1,28.02 लाख ₹)। अवशेष प्रत्याशित बचत 77,25.41 लाख ₹ के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2401-फसल कृषि कर्म			
2403-पशु पालन			
2405-मछली पालन			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2700-मुख्य सिंचाई			
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
4406-वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय			
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	12			
पूरक	72,38,00	72,38,12	71,96,89	(-)41,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				40,98
¼31 ekpZ 2017½				

पूंजीगत:

मूल	72,00,12			
पूरक	68,40,00	1,40,40,12	1,19,61,56	(-)20,78,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				20,84,69
¼25 tuojh ,oa 31 ekpZ 2017½				

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 41.23 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 40.98 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत:

(ii) 20,78.56 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 68,40.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(iii) 25 जनवरी एवं 31 मार्च 2017 को किया गया 20,84.69 लाख ₹ का अभ्यर्पण, 20,78.56 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

अनुदान संख्या 61—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6080-भण्डार तथा विपणन- पूरक	48,40.00		
पुनर्वि.	(-)12,88.16	35,51.84	35,58.06
12,88.16 लाख ₹ प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) अंशतः भारत सरकार द्वारा कम रिलीज प्राप्त होने के कारण हुई (9,86.90 लाख ₹)। 3,01.26 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			+6.22
(2) 4406-01-070-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 5110-बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास- मूल	20,00.00		
पुनर्वि.	(-)7,96.49	12,03.51	12,03.50
7,96.49 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			(-)0.01

अनुदान संख्या 62—पंचायत

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष- 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
राजस्व:			
दत्तमत वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	1,80,02,12	1,38,11,10	(-)41,91,02 निरंक
प्रभारित वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	2,40	00	(-)2,40 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 41,91.02 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2515-101-2468-पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था	1,08.18	67.68	(-)40.50
(2) 2515-101-2474-पंचायती राज्य संस्थाओं से संबंधित प्रभार	1,73,62.85	1,32,71.27	(-)40,91.58
(3) 2515-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
2467-पंचायत संचालनालय	1,74.34	1,12.16	(-)62.18

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 वं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
2515-101-2467-पंचायत संचालनालय	3,09.75	3,12.99	+3.24

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

**अनुदान संख्या 63—अल्प संख्यक कल्याण
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
राजस्व:	25,01,82	16,88,59	(-)8,13,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 8,13.23 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2225-03-800-6609-पोस्ट मैट्रिक अल्प संख्यक कन्या छात्रावास	78.63	32.96	(-)45.67
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)			
(2) 2225-03-800-8244-अल्प संख्यक आयोग	1,56.94	74.01	(-)82.93
इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि (1.00 लाख ₹ प्रत्येक) की वृद्धि एवं कमी की गई। कमी वित्तीय वर्ष में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई। वृद्धि फर्नीचर की मरम्मत पर व्यय होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2225-03-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2082-अल्प संख्यकों को / मदरसा / शिक्षा प्रदान करना	3,30.00	0.00	(-)3,30.00
(4) 2225-03-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5617-अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम-	5,50.00	4,71.35	(-)78.65
(5) 2225-03-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	50.00	0.00	(-)50.00

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 2225-03-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½			
6626-अल्प संख्यक सेवा राज्य पुरस्कार	53.00	0.00	(-)53.00
(7) 2225-03-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½			
6629-मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना	4,00.00	3,60.00	(-)40.00
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जाति उपयोजना
(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष-

2053-जिला प्रशासन

2055-पुलिस

2059-लोक निर्माण कार्य

2202-सामान्य शिक्षा

2203-तकनीकी शिक्षा

2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं

2205-कला एवं संस्कृति

2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2215-जल पूर्ति तथा सफाई

2220-सूचना तथा प्रचार

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

2230-श्रम तथा रोजगार

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2236-पोषण

2250-अन्य सामाजिक सेवाएं

2401-फसल कृषि-कर्म

2403-पशु पालन

2405-मछली पालन

2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी

2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार

2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

2425-सहकारिता

2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2801-बिजली

2851-ग्राम तथा लघु उद्योग

3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ

3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय

4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 64—जारी

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
5054-सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6408-खाद्य, भंडारण एवं भांडागार के लिए कर्ज			
6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			

राजस्व:

मूल	42,01,74,55			
पूरक	5,13,17,40	47,14,91,95	36,86,76,75	(-)10,28,15,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (25 जनवरी एवं 08-21-31 मार्च 2017)				6,69,26,17

पूंजीगत:

मूल	43,90,52,18			
पूरक	3,11,33,50	47,01,85,68	26,92,22,05	(-)20,09,63,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				18,14,67,75

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 5,13,17.40 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2016 (4,61,11.72 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2016 (52,05.68 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 10,28,15.20 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 25 जनवरी एवं 08-21-31 मार्च 2017 को 6,69,26.17 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

02—गृह विभाग

(1) 2055-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित
योजना एस.सी.एस.पी.-

5172-अनुसूचित जाति/जनजाति के
थानों की स्थापना-

मूल 53,46.30

पुनर्वि. (-)13,36.23 40,10.07 39,57.62 (-)52.45

13,36.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) स्वीकृत पद रिक्त रहने, योग्य अधिकारी/कर्मचारी न मिलने से पुरस्कार वितरण नहीं होने, फर्नीचर/उपकरणों की आपूर्ति न होने एवं आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

06—धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

(2) 2250-789-103-0103-अनुसूचित जाति
उपयोजना-

2103-धार्मिक सांस्कृतिक आस्था
स्थलों का जीर्णोद्धार-

मूल 13,60.00

पुनर्वि. (-)9,00.00 4,60.00 3,24.00 (-)1,36.00

9,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत आवश्यकता से अधिक प्रावधान होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

09—खेल एवं युवक कल्याण विभाग

(3) 2204-789-800-0103- अनुसूचित जाति
उपयोजना-

2050- स्वामी विवेकानन्द खेल स्पोर्ट्स
एण्ड फिटनेस सेन्टर-

मूल 12,60.00

पुनर्वि. (-)3,59.80 9,00.20 0.00 (-)9,00.20

3,59.80 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत सक्षम वित्तीय समिति के द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

14—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(4) 2401-789-102-0701- केन्द्र प्रवर्तित
योजना एस.सी.एस.पी.-

7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-

मूल 97,12.27

पुनर्वि. (-)85,29.50 11,82.77 11,82.77 0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
85,29.50 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना के लिए पुनर्विनियोजन प्रस्ताव स्वीकृत न होने के कारण हुई (15,00.00 लाख ₹)। अवशेष प्रत्याशित बचत 70,29.50 लाख ₹ के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।				
(5) 2401-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 7717-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-				
मूल	18,89.20			
पुनर्वि.	(-)17,70.68	1,18.52	1,18.52	0.00
(6) 2401-789-108-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन-				
मूल	14,22.80			
पूरक	3,16.23			
पुनर्वि.	(-)12,91.54	4,47.49	4,47.49	0.00
(7) 2401-789-113-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-				
मूल	5,00.00			
पूरक	5,69.83			
पुनर्वि.	(-)9,96.90	72.93	72.93	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) शीर्षान्तर्गत क्रमशः 17,70.68 लाख ₹, 12,91.54 लाख ₹ एवं 9,96.90 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

15—सहकारिता विभाग

(8) 2425-789-107-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 2091-मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना-				
मूल	2,00.00			
पूरक	15,20.00	17,20.00	7,21.65	(-)9,98.35
(9) 2425-789-107-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 9134-प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान-				
मूल	2,00.00			
पूरक	17,91.00	19,91.00	1,30.64	(-)18,60.36

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(10) 2425-789-107-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान-			
मूल	5,00.00		
पूरक	31,89.00	36,89.00	11,80.51 (-)25,08.49
उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (10) शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
(11) 2210-01-789-110-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 5724-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन			
	4,82,22.00	3,38,72.63	(-)1,43,49.37
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
20-स्कूल शिक्षा विभाग			
(12) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5776-सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण षाला भवनों को पूर्ण किया जाना-			
मूल	11,50.00		
पुनर्वि.	(-)11,50.00	0.00	0.00 0.00
(13) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6484-आर.टी.ई. के तहत अषासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति-			
मूल	75,00.00		
पुनर्वि.	(-)45,00.00	30,00.00	30,31.35 +31.35
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) शीर्षान्तर्गत क्रमशः 11,50.00 लाख एवं 45,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याषित बचत के साथ ही क्रम संख्या (13) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(14) 2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन			
मूल	40,00.00		
पूरक	0.02		
पुनर्वि.	(-)32,15.69	7,84.33	3,30.71
			(-)4,53.62

32,15.69 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 46,93.42 लाख ₹ (समर्पण 8,98.69 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 37,94.73 लाख ₹) की कमी एवं 14,77.73 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

21—विधि एवं विधायी कार्य विभाग

(15) 2225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना	35,24.00	20,67.44	(-)14,56.56
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

26—सामाजिक न्याय विभाग

(16) 2235-02-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6710-दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को वित्तीय सहायता-			
मूल	35,59.40		
पुनर्वि.	(-)13,74.30	21,85.10	21,97.02
			+11.92

13,74.30 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत विवाह कम होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।

29—खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

(17) 2408-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 7749- अनुसूचित जाति/जनजाति के हितग्राही को 5 लीटर की कुप्पी उपलब्ध कराने की योजना-			
मूल	10,70.00		
पुनर्वि.	(-)10,70.00	0.00	0.00
			0.00

10,70.00 लाख ₹ (समर्पण 1,98.00 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 8,72.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः मितव्ययता बरतने, लघु उद्योग निगम द्वारा कुप्पी क्रय किये जाने की दर निश्चित न किये जाने एवं वित्तीय व्यय समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं होने के कारण हुई (8,72.00 लाख ₹)। 1,98.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
34—लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग			
(18) 2215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण-			
मूल	17,60.71		
पुनर्वि.	(-)10,44.00	7,16.71	6,15.87
(19) 2215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 8415-ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण-			
मूल	15,02.28		
पुनर्वि.	(-)10,04.38	4,97.90	3,94.18
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) शीर्षान्तर्गत क्रमशः 10,44.00 लाख ₹ एवं 10,04.38 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

38—उच्च शिक्षा विभाग

(20) 2202-03-789-103-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें (एस.सी.एस.पी.)- 7464-मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा में सुधार-				
मूल	10,00.00			
पुनर्वि.	(-)10,00.00	0.00	0.00	0.00
10,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत योजनांतर्गत प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।				

50—महिला एवं बाल विकास विभाग

(21) 2235-02-789-102-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5643-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय-				
मूल	78,95.96			
पुनर्वि.	(-)14,95.49	64,00.47	64,03.16	+2.69
14,95.49 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।				

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(22) 2235-02-789-103-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5033-वेष्ठा उन्मूलन योजना- मूल	31,57.40		
पुनर्वि.	(-)30,50.07	1,07.33	1,07.33 0.00

30,50.07 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत अव्ययीत राशि को विमुक्त करने की स्वीकृति वित्त विभाग से विलम्ब से प्राप्त होने, आहरण पर प्रतिबंध होने एवं सक्षम वित्तीय समिति द्वारा स्वीकृति की प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण राशि का उपयोग नहीं होने के कारण हुई।

52—ग्रामोद्योग विभाग

(23) 2851-789-107-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6328-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम- मूल	9,79.75		
पुनर्वि.	(-)9,79.75	0.00	0.00 0.00

9,79.75 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

55—अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(24) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 7764-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)- मूल	1,80,00.00		
पुनर्वि.	(-)47,09.65	1,32,90.35	1,29,56.78 (-)3,33.57

47,09.65 लाख ₹ (समर्पण 7,76.07 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 39,33.58 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार व्यय एवं योजनांतर्गत केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने के कारण हुई।

(25) 2225-01-789-277-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना अनुसूचित जाति उपयोजना- 7764-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)- मूल	1,20,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,16.12	1,18,83.88	1,07,17.97 (-)11,65.91

1,16.12 लाख ₹ (समर्पण 78.62 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 37.50 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विषिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(26) 2225-01-789-277-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना एस.सी.एस.पी.- 7765-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)- मूल	30,00.00		
पुनर्वि.	(-)30,00.00	0.00	0.00

30,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान (समर्पण 23,50.00 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 6,50.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई (6,50.00 लाख ₹)। 23,50.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(27) 2801-06-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5230-मजरे/टोलों का विद्युतिकरण- मूल	54,66.20		
पुनर्वि.	(-)41,31.35	13,34.85	7,88.23

(28) 2801-06-793-800-0603-अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित- 5084-अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुंओं तक विद्युत लाईन का विकास- मूल	50,00.00		
पुनर्वि.	(-)30,55.40	19,44.60	19,44.60

उपरोक्त क्रम संख्या (27) एवं (28) शीर्षान्तर्गत क्रमशः 41,31.35 लाख ₹ एवं 30,55.40 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण हुई। क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (27) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (28) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

59-औद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(29) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 1288-राष्ट्रीय स्थाई कृषि मिशन- मूल	32,00.00		
पूरक	29,96.19		
पुनर्वि.	(-)25,18.07	36,78.12	36,78.12

25,18.07 लाख ₹ की (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
(30) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.- 5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन-			
मूल	13,25.00		
पूरक	3,36.72		
पुनर्वि.	(-)12,55.66	4,06.06	4,06.06
12,55.66 लाख ₹ की (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत आवेदन कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।			0.00

(31) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.- 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि.	(-)10,66.81	1,33.19	1,33.19
10,66.81 लाख ₹ की (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई।			0.00

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

09-खेल एवं युवक कल्याण विभाग

(1) 2204-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 5159-खेल अकादमियों की स्थापना-			
मूल	7,73.00		
पुनर्वि.	1,00.00	8,73.00	8,20.62
1,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अकादमी के खिलाड़ियों के लिए भोजन एवं उपकरण मद हेतु पर्याप्त बजट राशि नहीं होने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			(-)52.38

(2) 2204-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 8840-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन-			
मूल	6,87.23		
पुनर्वि.	3,59.80	10,47.03	10,77.51
			+30.48

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

3,59.80 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन रियो ऑलम्पिक 2016 एवं पैरालम्पिक 2016 में पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

14—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(3) 2401-789-113-0703-केन्द्र प्रवर्तित

योजनाएस.सी.एस.पी.-

7450-ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरणों पर

अनुदान (एस.एम.ए.एम.)-

मूल

5,00.00

पुनर्वि.

52.02

5,52.02

5,52.02

0.00

52.02 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,96.08 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,44.06 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार से बजट प्रावधान में उपलब्ध राशि से अधिक राशि प्राप्त होने के कारण राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

20—स्कूल शिक्षा विभाग

(4) 2202-02-789-106-0103-अनुसूचित जाति

उपयोजना-

6813-साइकिलों का प्रदाय-

27,50.00

28,00.02

+50.02

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(5) 2202-02-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित

योजना एस.सी.एस.पी.-

6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

का क्रियान्वन-

मूल

1,20,00.00

पुनर्वि.

29,29.00

1,49,29.00

1,49,30.35

+1.35

29,29.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

26—सामाजिक न्याय विभाग

(6) 2235-60-789-193-0103- अनुसूचित

जाति उपयोजना-

9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-

मूल

5,00.00

पूरक

2,30.00

पुनर्वि.

(-)50.65

6,79.35

12,01.65

+5,22.30

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)

आधिक्य +
बचत (-)

(7) 2235-60-789-193-0703-केन्द्र प्रवर्तित

योजना एस.सी.एस.पी.-

5859-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःषक्त
पेंशन-

मूल	1,60.00			
पुनर्वि.	(-80.10	79.90	4,00.92	+3,21.02

क्रम संख्या (6) एवं (7) शीर्षान्तर्गत क्रमशः 50.65 लाख ₹ एवं 80.10 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

29—खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

(8) 2408-01-789-101-0103- अनुसूचित
जाति उपयोजना-

7566-विद्यार्थियों को रियायती दर पर
खाद्यान्न-

मूल	4,02.00			
पूरक	2,60.00			
पुनर्वि.	1,52.68	8,14.68	8,14.68	0.00

1,52.68 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,07.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,54.32 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि योजनान्तर्गत विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(9) 2408-01-789-190-0103- अनुसूचित
जाति उपयोजना-

9214-आयोडीनयुक्त नमक का वितरण-

मूल	13,07.00			
पुनर्वि.	5,38.68	18,45.68	18,45.68	0.00

5,38.68 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,65.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 26.32 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

53—चिकित्सा शिक्षा विभाग

(10) 2210-01-789-800-0103-अनुसूचित
जाति उपयोजना-

6974-सागर चिकित्सा महाविद्यालय-

मूल	35,00.00			
पुनर्वि.	6,66.00	41,66.00	41,66.00	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

6,66.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 9,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,34.

00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण जबकि कमी पद रिक्त रहने के कारण हुई।

55—अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(11) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित

जाति उपयोजना-

0584-माध्यमिक शिक्षा मण्डल को पुल्क की प्रतिपूर्ति-

मूल 3,00.00

पुनर्वि. 3,21.71 6,21.71 5,91.71 (-)30.00

3,21.71 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,33.58 लाख ₹ की वृद्धि एवं 11.87 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को राषि का भुगतान किए जाने के कारण हुई जबकि कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(12) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित

जाति उपयोजना-

1384-छात्रवृत्ति फार्मों की छपाई-

मूल 50.00

पुनर्वि. 1,03.38 1,53.38 1,33.74 (-)19.64

1,03.38 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 46.62 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सागर में संत रविदास कुम्भ समारोह के आयोजन होने के कारण हुई। कमी वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(13) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित

जाति उपयोजना-

8735-अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय-

मूल 4,00.00

पुनर्वि. 2,36.77 6,36.77 5,96.77 (-)40.00

2,36.77 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 63.23 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रमाण-पत्रों की संख्या में वृद्धि एवं विगत वर्ष की देनदारी होने के कारण जबकि कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)

आधिक्य +
बचत (-)

(14) 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित

जाति उपयोजना-

6102-अनुसूचित जाति सेवा पुरस्कार,
पारितोषक एवं सम्मान-

मूल	1,10.00			
पुनर्वि.	11,19.27	12,29.27	9,53.63	(-),2,75.64

11,19.27 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान मे 11,50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 30.73 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि 14 अप्रैल 2016 को डॉ. अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम हेतु जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(15) 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित
जाति उपयोजना-

7763-अनुसूचित जाति/जनजाति के
विद्यार्थियों को आवास सहायता-

मूल	35,00.00			
पुनर्वि.	17,61.66	52,61.66	49,18.62	(-),3,43.04

17,61.66 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान मे 20,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,38.34 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि जिलों से अतिरिक्त मांग तथा सी.एम. हैल्प लाइन में दर्ज प्रकरणों का निराकरण के कारण जबकि कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(16) 2225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित
योजना एस.सी.एस.पी.-

5191-अनुसूचित जाति/जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत
सहायता/पुनर्वास सहायता-

मूल	31,25.00			
पुनर्वि.	5,70.35	36,95.35	37,04.75	+9.40

5,70.35 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान मे 6,50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 79.65 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अनुसूचित जाति पर अत्याचार होने पर राहत राशि का भुगतान तुरन्त किया जाने के कारण जबकि कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

पूँजीगत:

(v) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 3,11,33.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2016 (2,15,37.36 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2016 (95,96.14 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 64—जारी

(vi) 20,09,63.63 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 18,14,67.75 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

- (1) 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-
2035-अस्थाई पंप संयोजनों को स्थाई पंप संयोजनों में परिवर्तन करने की योजना-

मूल	24,00.00			
पुनर्वि.	(-)24,00.00	0.00	0.00	0.00

24,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत उक्त योजना के स्थान पर नवीन योजना (मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना) प्रारंभ किये जाने के कारण हुई।

- (2) 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-
2051-विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण की राशि का अंशपूँजी में परिवर्तन-

मूल	10,68,00.00			
पुनर्वि.	(-)10,68,00.00	0.00	0.00	0.00

10,68,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत विद्युत वितरण कंपनियों को प्रदाय सतत ऋण में से 35,57.00 करोड़ ₹ को अंश पूँजी में परिवर्तन करने के कारण हुई।

- (3) 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-
6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण-

मूल	60,00.00			
पुनर्वि.	(-)54,00.00	6,00.00	6,00.00	0.00

- (4) 4801-05-789-190-0410-ऊर्जा विकास निधि-
7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण-

मूल	69,34.00			
पुनर्वि.	(-)51,83.50	17,50.50	17,50.50	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	------------	---------------------------	------------------

- (5) 6801-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-
7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण-

मूल	1,61,81.00			
पुनर्वि.	(-)1,20,96.50	40,84.50	40,84.50	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) शीर्षान्तर्गत क्रमशः 54,00.00 लाख ₹, 51,83.50 लाख ₹ एवं 1,20,96.50

लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण हुई। क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 6801-789-190-1203-विदेशी सहायता

प्राप्त परियोजनाएँ (एस.सी.एस.पी.)-

1284-पारेषण प्रणाली का

सुदृढीकरण (ए.डी.बी.-3)-

मूल 70,00.00

पुनर्वि. (-)70,00.00 0.00 0.00 0.00

70,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(7) 6801-789-190-1203-विदेशी सहायता

प्राप्त परियोजनाएँ (एस.सी.एस.पी.)-

5523-कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र

फीडर की व्यवस्था-

मूल 40,00.00

पुनर्वि. (-)40,00.00 0.00 0.00 0.00

40,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत वितरण कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(8) 4210-01-789-110-0103-अनुसूचित

जाति उपयोजना-

7648-अस्पताल और औषधालयों के

भवन निर्माण

65,00.00 30,06.41 (-)34,93.59

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

19-लोक निर्माण विभाग

(9) 5054-03-789-101-0103-अनुसूचित

जाति उपयोजना-

4149-वृहद पुलों का निर्माण-

मूल 40,00.00

पूरक सांकेतिक 40,00.00 20,91.55 (-)19,08.45

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष

कुल
अनुदान

वास्तविक
व्यय
(लाख ₹ में)

आधिक्य +
बचत (-)

(10) 5054-03-789-337-0103-अनुसूचित

जाति उपयोजना-

5139-मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन

81,25.00 1,18.84 (-)80,06.16

(11) 5054-04-789-800-1403- नाबार्ड

(अनुसूचित जाति उपयोजना)-

5226-ग्रामीण सड़कों का निर्माण

(नाबार्ड)-

मूल	74,00.00			
पूरक .	सांकेतिक	74,00.00	53,49.46	(-)20,50.54

इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

20-स्कूल शिक्षा विभाग

(12) 4202-01-789-201-0703-केन्द्र
प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-
8810-सर्व शिक्षा अभियान-

मूल	66,60.00			
पुनर्वि.	(-)36,35.20	30,24.80	30,24.80	0.00

36,35.20 लाख ₹ की (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2017)।

27-नर्मदा घाटी विकास विभाग

(13) 4700-45-789-800-0703-केन्द्र
प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-
7369-कमान क्षेत्र विकास

36,25.00	15,00.00	(-)21,25.00
----------	----------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

31-जल संसाधन विभाग

(14) 4702-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित
योजना एस.सी.एस.पी.-
6708-ए.आई.बी.पी योजनाएं-

मूल	47,87.00			
पुनर्वि.	(-)47,86.50	0.50	0.00	(-)0.50

47,86.50 लाख ₹ की (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत ए.आई.बी.पी. मद के अन्तर्गत योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(15) 4215-01-789-102-0703-केन्द्र
प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-
2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल
प्रदाय योजना-

मूल	90,95.57
-----	----------

पुनर्वि.	(-)51,75.90	39,19.67	23,11.61	(-)16,08.06
(16) 4215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना-				
मूल	35,70.73			
पुनर्वि.	(-)21,31.25	14,39.48	14,41.56	+2.08

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) शीर्षान्तर्गत क्रमशः 51,75.90 लाख ₹ एवं 21,31.25 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याषित बचत के साथ ही क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(17) 4215-01-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (एस.सी. एस.पी.)-				
1323-जायका से प्राप्त ऋण से जल योजनाओं का निर्माण-				
मूल	46,00.00			
पुनर्वि.	(-)46,00.00	0.00	0.00	0.00

(18) 4215-01-789-800-1403-नाबार्ड (एस.सी.एस.पी.)-				
7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन-				
मूल	1,59,00.00			
पुनर्वि.	(-)1,17,07.87	41,92.13	41,91.93	(-)0.20

उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 46,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की पुनर्विनियोजन के रूप में एवं 1,17,07.87 लाख ₹ (समर्पण 21,56.00 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 95,51.87 लाख ₹) की प्रत्याषित बचत के साथ ही क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

38—उच्च शिक्षा विभाग

(19) 4202-01-789-203-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (एस.सी. एस.पी.)-	
7464-म.प्र.उच्च शिक्षा में सुधार-	
मूल	30,00.00

पुनर्वि.	(-)30,00.00	0.00	0.00	0.00
(20) 4202-01-789-203-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.- 7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन-				
मूल	35,00.00			
पुनर्वि.	(-)22,75.00	12,25.00	12,48.22	+23.22

उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 30,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान एवं 22,75.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया के पूर्ण नहीं होने के कारण हुई। क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)

55—अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(21) 4225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-				
8829-अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिए ज्ञानोदय विद्यालय-				
मूल	75,00.00			
पुनर्वि.	(-)31,66.59	43,33.41	40,35.49	(-)2,97.92

31,66.59 लाख ₹ की (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार व्यय होने एवं डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)

(22) 4225-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-				
4722-अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास-				
मूल	1,10,00.00			
पुनर्वि.	(-)24,76.78	85,23.22	77,26.68	(-)7,96.54

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

24,76.78 लाख ₹ की (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाने एवं डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

	अनुदान	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-)
09—खेल एवं युवक कल्याण विभाग			
(1) 4202-03-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-			
5159-खेल अकादमियों की स्थापना	3,44.00	4,52.73	+1,08.73
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
19—लोक निर्माण विभाग			
(2) 5054-04-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-			
2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	1,50,00.51	2,04,90.05	+54,89.54
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
20—स्कूल शिक्षा विभाग			
(3) 4202-01-789-202-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-			
8707-छात्रावास भवनों का निर्माण	2,50.00	4,21.46	+1,71.46
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
27—नर्मदा घाटी विकास विभाग			
(4) 4700-43-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-			
2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	42,20.00	69,46.30	+27,26.30
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

अनुदान संख्या 64—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
42—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग			
(5) 4202-02-789-104-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 9238-डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर पोलीटेकनिक संस्थाएं-			
मूल	13,00.00		
पुनर्वि.	1,80.00	14,80.00	14,81.49 +1.49
1,80.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन षासकीय पालीटेकनिक महाविद्यालय लटेरी के भवन निर्माण के दायित्वों का भुगतान करने के कारण हुआ।			
(6) 4250-789-201-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-			
6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	9,90.43	10,90.43	8,05.53 (-)2,84.90
9,90.43 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान मे 10,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 9.57 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(7) 4250-789-201-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-			
6640-विष्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना			
	1,00.00	1,86.79	+86.79
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
58—ग्रामीण विकास विभाग			
(8) 4515-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना एस.सी.एस.पी.-			
7467-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	2,98,60.00		
पूरक	75,00.00		
पुनर्वि.	1,62,83.12	5,36,43.12	5,36,43.12 0.00
1,62,83.12 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि अधिक प्राप्त होने के कारण होना सूचित किया गया है।			

अनुदान संख्या 65—विमानन
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-				
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ				
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत				
3053-नागर विमानन				
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय				
राजस्व:				
मूल	22,27,82			
पूरक	4,00,00	26,27,82	21,85,40	(-) 4,42,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				4,42,42
पूंजीगत		2	00	(-) 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				2

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 4,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-
शीर्ष

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
2052-091-4043-विमानन संचालनालय-				
मूल	22,27.78			
पूरक	4,00.00			
पुनर्वि.	(-) 4,42.38	21,85.40	21,85.40	0.00

समर्पण के रूप में 4,42.38 लाख ₹ प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,46.23 लाख ₹ की कमी एवं 3.85 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी डी.जी.सी.ए. द्वारा निर्धारित पदों पर नियुक्ति में विलम्ब, आहरण पर प्रतिबन्ध, नियमित पदस्थापना न होने, यात्रा भत्ता देयक समय पर प्राप्त न होने, पायलटों के विदेश प्रशिक्षण स्लॉट अगले वित्त वर्ष (2017-18) में आवंटित होने, शासकीय विमान की उड़ानों की संख्या कम होने, किराये पर लिये विमानों के देयकों की स्वीकृति शासन से चालू वित्त वर्ष (2016-17) में प्राप्त न होने, ईंधन की खपत में कमी होने एवं संधारण से संबंधित देयकों की स्वीकृति शासन से प्राप्त न होने, तीन पायलटों का प्रशिक्षण स्थगित किये जाने के कारण हुई, जबकि वृद्धि हेलीकॉप्टर पायलट के विदेश में प्रशिक्षण के लंबित देयक का भुगतान, एक पायलट को प्रशिक्षण पर भेजे जाने एवं वाहन मरम्मत के लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	9,29,87,22	7,58,48,83	(-)1,71,38,39 1,69,93,55
<i>प्रभारित</i>	20	00	(-)20
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)</i>			20
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	3,00,01		
पूरक	4,73,71	7,73,72	7,12,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)61,34 60,01

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 1,71,38.39 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 1,69,93.55 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
--	---------------	---------------------------------	---------------------

(1) 2225-03-001-1474- जिला तथा
परियोजना प्रशासन-

मूल	14,74.01		
पुनर्वि.	(-)3,56.57	11,17.44	11,19.05
			+1.61

3,56.57 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,69.07 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन 12.50 लाख ₹ + समर्पण 3,56.57 लाख ₹) एवं 12.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने, जिला कार्यालयों द्वारा व्यय न करने, वित्त विभाग द्वारा व्यय की स्वीकृति विलंब से प्राप्त होना एवं वित्त वर्ष के अंतिम सप्ताह में आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने एवं पूरक अनुदान प्रस्ताव स्वीकृत न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 में भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 2225-03-277-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां-			
मूल	1,00,47.00		
पुनर्वि.	(-)40,02.52	60,44.48	60,40.06
समर्पण के रूप में 40,02.52 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जिलों में समय पर कार्यावाही न करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 भी बचत हुई थी।			(-)4.42
(3) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 0496-आश्रम एवं छात्रावास-			
मूल	8,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,78.62	6,21.38	6,21.38
1,78.62 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,82.72 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,78.62 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4.10 लाख ₹) एवं 4.10 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने, जिला कार्यालयों द्वारा व्यय न करने, वित्त विभाग द्वारा व्यय की स्वीकृति विलंब से प्राप्त होना, वित्त वर्ष के अंतिम सप्ताह में आहरण पर प्रतिबंध होने तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरण न करने के कारण हुई। वृद्धि मंहगाई भत्ते का भुगतान बढ़ी हुई दर पर करने के कारण हुई।			0.00
(4) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1385- छात्र गृह योजना-			
मूल	1,51.78		
पुनर्वि.	(-)90.61	61.17	46.23
90.61 लाख ₹ (समर्पण 40.61 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 50.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			(-)14.94
(5) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां-			
मूल	5,86,02.20		
पुनर्वि.	(-)1,27,90.61	4,58,11.59	4,57,99.43
1,27,90.61 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन 24,78.72 लाख ₹ + समर्पण 1,03,11.89 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा कम मांग प्राप्त होने तथा लोक सेवा गारण्टी अधिनियम क तहत लिए गए निर्णय अनुसार पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16 एवं 2014—15 में भी बचत हुई थी।			(-)12.16

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(6) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6890-जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना-			
मूल	9,16.64		
पुनर्वि.	(-)2,84.78	6,31.86	5,45.03 (-)86.83

2,84.78 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने, जिलों द्वारा फर्नीचर क्रय न किये जाने, वास्तविक व्यय के आधार पर बचत, प्रतीक प्रावधान होने से, जिलों द्वारा उपकरण क्रय न किये जाने, वित्त विभाग द्वारा व्यय की स्वीकृति विलंब से प्राप्त होना तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा आहरण न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 में भी बचत हुई थी।

(7) 2225-03-800-8316- मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग-			
मूल	2,20.22		
पुनर्वि.	(-)1,17.63	1,02.59	95.32 (-)7.27

1,17.63 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,19.63 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन 2.00 लाख ₹ + समर्पण 1,17.63 लाख ₹) एवं 2.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी उपकरण क्रय न करने, पद रिक्त रहने, बजट में प्रतीक प्रावधान, कार्यक्रम आयोजित न होने से एवं संधारण कार्य पर व्यय न होने के कारण हुई। वृद्धि शासकीय मुद्रणालय एवं म.प्र. माध्यम के देयकों का भुगतान एवं शासकीय उपयोग के लिए स्टेशनरी सामग्री क्रय करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 में भी बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5181-उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति-			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	97.82	4,97.82	4,97.82 0.00

97.82 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2.18 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण हुई थी। कमी वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5511-छात्र वृत्ति फार्मों का मुद्रण-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	24,07.96	25,07.96	0.00

24,07.96 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आबर्धन प्रावधान में 24,28.72 लाख ₹ की वृद्धि एवं 20.76 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुई। कमी वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) 61.34 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2016 में प्राप्त 4,73.71 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(v) 61.34 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 60.01 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
4225-03-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 5296-मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम-			
मूल	60.00		
पुनर्वि.	(-)60.00	0.00	0.00

60.00 लाख ₹ की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) दायित्व उत्पन्न न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2216-आवास			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	6,51,73,15		
पूरक	11,00,00	6,62,73,15	4,98,45,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)-1,64,27,88 23,98
<i>प्रभारित-</i>		1,30,00	70,48
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-)-59,52 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	2,86,92,62		
पूरक	सांकेतिक	2,86,92,63	1,90,14,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (23 फरवरी, 31 मार्च 2017)			(-)-96,77,96 45,87,82
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 11,00.00 लाख ₹ का जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 1,64,27.88 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 23.98 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			

अनुदान संख्या 67—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2059-01-053-1481-जिला प्रशासन	6,00.00	2,35.41	(-)3,64.59
(2) 2059-01-053-3383-विशेष मरम्मत भवन	20,00.00	14,81.40	(-)5,18.60
(3) 2059-01-053-3387-मरम्मत—विश्राम गृह	7,00.00	3,87.34	(-)3,12.66
(4) 2059-01-053-4608-मुद्रांक एवं पंजीयन	2,00.00	1,03.11	(-)96.89
उपरोक्त क्रम संख्या 1/41½ से 1/44½ के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है। उपरोक्त क्रम संख्या 1/41½ एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2059-01-053-5009-शासकीय महाविद्यालय भवनों का रखरखाव-			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	(-)3.99	2,96.01	1,73.97
			(-)1,22.04
3.99 लाख ₹ (समर्पण के रूप) की प्रत्याषित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2059-01-053-5459-अधीनस्थ न्यायालयों के अनुरक्षण कार्य हेतु	3,00.00	1,99.80	(-)1,00.20
(7) 2059-01-053-5460-पुरातत्व संग्रहालयों का रखरखाव	50.00	0.00	(-)50.00
(8) 2059-01-053-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)			
4220-षिक्षा—चिकित्सा महाविद्यालय			
पुरक	11,00.00	11,00.00	0.00
			(-)11,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(9) 2059-80-001-2418-निष्पादन	1,89,16.58	1,45,99.76	(-)43,16.82
इस शीर्षान्तर्गत पुर्नविनियोग द्वारा समान राशि (24.25 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि की गई। कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(10) 2059-80-001-7246-परियोजना क्रियान्वयन इकाई	98,97.88	40,90.71	(-)58,07.17
(11) 2216-05-053-1316-एफ टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण	1,00,00.00	70,92.20	(-)29,07.80
(12) 2216-05-053-4090-विशेष मरम्मत	15,00.00	7,68.87	(-)7,31.13

उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (12) तक के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2059-01-053-4220-षिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय- मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(-)19.99	4,80.01	10,51.44
			+5,71.43

19.99 लाख ₹ (समर्पण के रूप) की प्रत्याषित बचत बी.सी.ओ. क्रमांक 1902 एवं 1903 के द्वारा राषि वापिस जमा करने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(2) 2059-80-052-7091-विद्युत एवं यांत्रिकी स्थापना	30,97.20	34,09.45	+3,12.25
---	----------	----------	----------

इस शीर्षान्तर्गत पुर्नविनियोग द्वारा समान राषि (2,35.20 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि की गई। कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2059-80-799-4056-विविध-लोक निर्माण पेशगियां	1.00	2,02.95	+2,01.95
--	------	---------	----------

अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(v) उचंत लेन-देन :-

इस अनुदान के अन्तर्गत किये गए व्यय में 2059-लोक निर्माण 'उचंत' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया 2,02.95 लाख ₹ शामिल है। 'उचंत' के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या-20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) की टीप (iii) में की गई हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान इस अनुदान में विभिन्न 'उचंत' उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित 'उचंत' लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

अनुदान संख्या 67—जारी

विवरण	1 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2017 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
2059-लोक निर्माण कार्य (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-)62,89.91	0.00	0.00	(-)62,89.91
(ii) भण्डार	+ 24,86.48	0.00	0.00	+ 24,86.48
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+1,45,78.42	2,02.95	0.00	+1,47,81.37
योग	+1,07,74.99	2,02.95	0.00	+1,09,77.94

प्रभारित-

(vi) 59.52 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2059-80-001-7246-परियोजना क्रियान्वयन इकाई	10.00	0.00	(-)10.00
सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(2) 2059-80-800-1833-डिक्री धन का भुगतान ¼भारित½-	1,20.00	70.48	(-)49.52
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

पूँजीगत:

दत्तमत-

(viii) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया सांकेतिक अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) 96,77.96 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 23 फरवरी एवं 31 मार्च 2017 को 45,87.82 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
1080-खुली जेल की स्थापना	3,79.26	2,62.61	(-)1,16.65
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
1267-वाणिज्यिक कर कार्यालय भवनों का निर्माण	5,00.00	2,06.19	(-)2,93.81

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 6405-जेल भवनों का निर्माण-	4,90.29	3,84.75	(-)1,05.54
(4) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 6739-महानिरीक्षक पंजीयक मुख्यालय भवन निर्माण	3,05.01	1,17.46	(-)1,87.55
(5) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7088-सर्वेक्षण कार्य	2,00.00	1,36.48	(-)63.52
(6) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7382-जिला / उपपंजीयक कार्यालय-भवन निर्माण / विस्तार	17,94.01	4,86.32	(-)13,07.69
(7) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7568-जेलों की सेनीटेशन व्यवस्था में सुधार-	7,19.53	3,11.62	(-)4,07.91
(8) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 8042-विश्राम भवन / गृह का निर्माण / पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापना मूल	10,00.00		
पूरक	सांकेतिक		
(9) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 8167-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का रख रखाव	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
(10) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 9021-राजभवन परिसर भोपाल में स्थित व्ही.आई.पी.गेस्ट हाउस कान्हा भवन का निर्माण	1,00.00	0.00	(-)1,00.00

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(11) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 9071-अधीनस्थ न्यायालयों के भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	1,93.00	0.00	(-)1,93.00
(12) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 9073-महाधिवक्ता कार्यालय का भवन निर्माण एवं उन्नयन	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
(13) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 9074-उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	12,00.00	7,41.12	(-)4,58.88
उपरोक्त क्रम संख्या ¼1½ से ¼13½ के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या ¼2½] (6), (7) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत 2015—16 एवं 2014—15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(14) 4210-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 1211-राज्य कैंसर संस्थान जबलपुर की स्थापना- मूल	1,20.00		
पुनर्वि.	(-)1,20.00	0.00	0.00
1,20.00 लाख ₹ सम्पूर्ण प्रावधान (समर्पण रूप में) प्रत्याषित बचत बी.सी.ओ. क्र. 1902 एवं 1903 के द्वारा राशि का उपयोग न किये जाने के कारण हुई इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(15) 4210-03-105-0101-राज्य अयोजना (सामान्य)- 6591-जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना - मूल	30,00.00		
पुनर्वि.	(-)30,00.00	0.00	0.00
30,00.00 लाख ₹ सम्पूर्ण प्रावधान (समर्पण रूप में) प्रत्याषित बचत पी.एस.सी. की कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण राशि का उपयोग संभव नहीं होने के कारण हुई (सितम्बर 2017)।			
(16) 4210-03-105-0101-राज्य अयोजना (सामान्य)- 7296-चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण मूल	30,00.00		
पुनर्वि.	(-)18,75.00	11,25.00	13,90.59
			+2,65.59

अनुदान संख्या 67—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
18,75.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन रूप में) प्रत्याषित बचत बजट में बचत परिलक्षित होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

(17) 4216-01-106-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना
सामान्य-

6222-न्याय प्रशासन (स्टाफ के आवासगृहों
का निर्माण) -

43,00.00 15,22.34 (-)27,77.66

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15, एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(18) 4853-02-800-0101-राज्य आयोजना
¼सामान्य½-

9276-खनिज अन्वेषण एवं विकास हेतु
भवन निर्माण-

मूल 2,90.46

पुनर्वि. (-)60.00 2,30.46 1,77.53 (-)52.93

60.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याषित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(xi) उपरोक्त टिप्पणी (x) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4059-01-051-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
2450- न्याय प्रशासन	40,00.00	59,06.71	+19,06.71
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7094-जेल सुधारों की योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य	3,00.00	5,35.18	+2,35.18
इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

**अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2217-नगरीय विकास			
राजस्व			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	1,15,85,98	53,00,08	(-)62,85,90 62,85,90
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:- शीर्ष			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2217-05-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना टी.ए.एस.पी.- 1263-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-			
मूल	6,87.48		
पुनर्वि.	(-)4,21.42	2,66.06	2,66.06
			0.00
(2) 2217-05-796-191-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-			
6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स-			
मूल	12,70.00		
पुनर्वि.	(-)12,70.00	0.00	0.00
			0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 4,21.42 लाख ₹ एवं 12,70.00 लाख ₹ 1/4सम्पूर्ण प्रावधान ^{1/2} समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2217-05-796-191-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-			
7144-मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(-) 2,25.74	2,74.26z	2,74.26
			0.00

अनुदान संख्या 68—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(4) 2217-05-796-191-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 7146-मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम- मूल पुनर्वि.	28,17.46 (-),2,81.75	25,35.71	25,35.71 0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2,25.74 लाख ₹ एवं 2,81.75 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण हुई।			
(5) 2217-05-796-193-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स- मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-),29,46.85	10,53.15	10,53.15 0.00
(6) 2217-05-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- 1238-अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन- मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-),10,00.00	0.00	0.00 0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत 29,46.85 लाख ₹ एवं 10,00.00 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

**अनुदान संख्या 69—विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2801-बिजली			
4225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व			
मूल	16,98,07		
पूरक	2,00,00	18,98,07	9,21,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)9,76,78
1/431 मार्च 2017 1/2			53,22
पूंजीगत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	1,76,44	1,03,51	(-)72,93
			निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 2,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 9,76.78 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2017 को 53.22 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2225-01-001-7216-विमुक्त जाति मुख्यालय	1,67.34	40.46	(-)1,26.88
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(2) 2225-01-196-0101-राज्य आयोजना 1/4 सामान्य 1/2-			
5509-प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति-			
मूल	44.00		
पुनर्वि.	(-)20.18	23.82	19.42
			(-)4.40
इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

अनुदान संख्या 69—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 2225-01-196-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7393- विमुक्त जाति छात्रावास	302.00	245.65	(-)56.35
इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(4) 2225-01-196-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
8050-विभिन्न छात्रवृत्तियां-			
मूल	55.90		
पुनर्वि.	(-)24.15	31.75	(-)5.59
24.15 लाख ₹ समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			
(5) 2225-01-277-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7393-विमुक्त जाति छात्रावास-			
मूल	7,23.70		
पूरक	2,00.00	9,23.70	(-)4,61.51
(6) 2225-01-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7168-विमुक्त जाति आवास योजना	3,08.00	1,19.00	(-)1,89.00
(7) 2225-01-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7754-खेल-कूद / सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन	22.00	0.00	(-)22.00
(8) 2801-06-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7756-विमुक्त जाति के किसानों के कुओं तक विद्युत लाईन का विकास	40.00	0.00	(-)40.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) तक शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 में भी बचत हुई थी।			
पूँजीगत:			
(1) 4225-01-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7397- विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास-	1,76.00	1,03.51	(-)72.49
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)।			

**अनुदान संख्या 70—तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2203-तकनीकी शिक्षा			
राजस्व			
मूल	4,81,55		
पूरक	1,47,00	6,28,55	6,11,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)16,88 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) 16.88 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 75.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2017 में प्राप्त किया गया 72.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 16.88 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 71—सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2217-शहरी विकास			
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	2,29,54,93		
पूरक	3,60,00,00	5,89,54,93	5,22,79,49 (-)66,75,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			24,04,15
¼31 ekpZ 2017½			

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में राशि 5,22,79,48,682 ₹ के कुल व्यय में 22.04.2016 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 60,00,00,000 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

पूंजीगत:				
मूल	10,00,00			
पूरक	40,00,00	50,00,00	50,00,00	0.00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में राशि 50,00,00,000 ₹ के कुल व्यय में 22.04.2016 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 40,00,00,000 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 66,75.44 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2016 में प्राप्त किया गया 3,60,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 66,75.44 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 24,04.15 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 71—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7400-सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये-			
मूल	2,29,54.93		
पूरक	3,60,00.00		
पुनर्वि.	(-)24,04.15	5,65,50.78	5,22,79.49 (-)42,71.29

24,04.15 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,31,82.15 लाख ₹ ¼समर्पण 24,04.15 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,07,78.00 लाख ₹½ की कमी एवं 1,07,78.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः सिंहस्थ मेले की व्यवस्था में पूर्णरूप से राशि व्यय न होने के कारण हुई (1,07,78.00 लाख ₹)। वृद्धि सिंहस्थ मेला से संबंधित विभिन्न विभागों के लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण एवं शेष कमी (24,04.15 लाख ₹) समर्पण के रूप में विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 72—भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	1,05,22,49			
पूरक	50,37	1,05,72,86	83,53,94	(-)22,18,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)				45,15

पूंजीगत

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)	5,55,02	2,01,71	(-)3,53,31	69,03
---	---------	---------	------------	-------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 50.37 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 22,18.92 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 45.15 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2210-01-001-0775-कमला नेहरू अस्पताल-			
मूल	18,63.96		
पुनर्वि.	(-)3.30	18,60.66	16,31.03
			(-)2,29.63

3.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,30.63 लाख ₹ की कमी (समर्पण 18.30 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,12.33 लाख ₹) एवं 1,27.33 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं रिक्त पद नहीं भरे जाने के कारण हुई (79.30 लाख ₹)। वृद्धि मुख्यतः आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने से अन्य देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई (94.30 लाख ₹) 51.33 लाख ₹ की अवशेष कमी एवं 33.03 लाख ₹ की अवशेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(2) 2210-01-001-2304-निदेशन एवं प्रशासन-	9,06.21	8,02.15	(-)1,04.06
(3) 2210-01-001-5068-मास्टर लाल सिंह अस्पताल-			
मूल	7,88.02		
पुनर्वि.	10.15	7,98.17	6,62.68 (-)1,35.49
(4) 2210-01-001-5069-गैस राहत चिकित्सालय	4,57.40	3,54.61	(-)1,02.79
उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या 1/42 1/2 के शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2210-01-001-6016-जवाहर लाल नेहरू अस्पताल-			
मूल	17,42.17		
पूरक	19.93		
पुनर्वि.	(-)1.88	17,60.22	12,55.38 (-)5,04.84
1.88 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6.38 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1.88 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4.50 लाख ₹) एवं 4.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2210-01-001-6954-शाकिर अली खान अस्पताल-			
मूल	9,98.17		
पूरक	7.50	10,05.67	7,47.29 (-)2,58.38
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(7) 2210-01-001-7007-पल्मोनरी इकाई-			
मूल	9,05.49		
पूरक	11.19	9,16.68	7,50.36 (-)166.32
इस शीर्षान्तर्गत निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (1.75 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(8) 2210-01-001-8873-इंदिरा गांधी अस्पताल			
मूल	20,55.11		
पुनर्वि.	(-)29.13	20,25.98	15,14.51 (-)5,11.47
29.13 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 98.07 लाख ₹ की कमी (समर्पण 9.13 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 88.94 लाख ₹) एवं 68.94 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः चिकित्सा अधिकारियों के सेवानिवृत्त एवं स्थानान्तरण होने के कारण हुई (79.69 लाख ₹)। वृद्धि मुख्यतः संविदा चिकित्सकों की निरन्तर पदस्थापना के कारण हुई (59.69 लाख ₹) 18.38 लाख ₹ की अवशेष कमी एवं 9.25 लाख ₹ की अवशेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
पूँजीगत:			
(iv) 3,53.31 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को मात्र 69.03 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4210-01-110-0775-कमला नेहरू अस्पताल-	2,35.00	1,04.36	(-)1,30.64
(2) 4210-01-110-7007-पल्मोनरी इकाई-	35.00	0.00	(-)35.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 0775-कमला नेहरू अस्पताल-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)30.90	69.10	17.98
(4) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 8873-इंदिरा गांधी अस्पताल-			
मूल	1,35.00		
पुनर्वि.	(-)7.19	1,27.81	60.31
(5) 4235-01-201-3171-भोपाल गैस दुर्घटना दावा संचालनालय-			
मूल	20.01		
पुनर्वि.	(-)15.93	4.08	4.07
(6) 4235-01-201-6281-गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य-			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	(-)10.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 30.90 लाख ₹, 7.19 लाख ₹, 15.93 लाख ₹, एवं 10.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 एवं क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 73—चिकित्सा शिक्षा
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	6,41,73,36		
पूरक	41,31,30	6,83,04,66	6,25,94,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)57,09,91 4,45,30
पूँजीगत			
दत्तमत-			
मूल	58,11,06		
पूरक	1,32,74,00	1,90,85,06	1,68,17,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)22,67,52 18,19,26

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2016 (6,41.00 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2016 (34,90.30 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 41,31.30 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 57,09.91 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 4,45.30 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2210-01-110-7892-चिकित्सा गारंटी योजना	20,00.00	17,87.71	(-)2,12.29
(2) 2210-03-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7280-मानसिक चिकित्सालय इन्दौर एवं मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर का उन्नयन	66.00	1.06	(-)64.94

अनुदान संख्या 73—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(3) 2210-05-105-0527-इंदौर में परिचर्या महाविद्यालय	4,50.44	2,64.76	(-)1,85.68
(4) 2210-05-105-1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	97.77	0.00	(-)97.77
(5) 2210-05-105-1355- चिकित्सा शिक्षा संचालनालय-			
मूल	6,41.74		
पूरक	65.00	7,06.74	4,67.90 (-)2,38.84
(6) 2210-05-105-1915-दन्त महाविद्यालय-			
मूल	11,95.80		
पूरक	4.30	12,00.10	10,03.85 (-)1,96.25
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या 1/43 ¹ / ₂ के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना 1/4सामान्य1/2-			
2056-चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में गैस्ट्रोलाॅजी विभाग की स्थापना-			
मूल	70.00		
पुनर्वि.	(-)61.68	8.32	8.32 0.00
61.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(8) 2210-05-105-0101-राज्य आयोजना 1/4सामान्य1/2-			
4968-चिकित्सा महाविद्यालय-			
मूल	2,93,10.14		
पुनर्वि.	(-)4,43.90	2,88,66.24	2,48,34.86 (-)40,31.38
4,43.90 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 19,03.90 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन 16,70.00 लाख ₹ + समर्पण 2,33.90 लाख ₹) की कमी तथा 14,60.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी बजट प्रावधान वास्तविक व्यय से अधिक होने से (16,70.00 लाख ₹) तथा पद रिक्त रहने से (2,33.90 लाख ₹) जबकि वृद्धि वास्तविक व्यय से बजट प्रावधान कम होने के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
2210-01-110-0101-राज्य आयोजना 1/4 सामान्य 1/2-			
1353-चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय-			
मूल	2,89,26.13		
पुनर्वि.	1,75.35	2,91,01.48	2,91,01.48
			0.00

1,75.35 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 17,10.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 15,34.65 लाख ₹ (समर्पण 34.65 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 15,00.00 लाख ₹) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वास्तविक व्यय से बजट प्रावधान कम होने के कारण हुई। जबकि कमी पद रिक्त रहने के कारण (34.65 लाख ₹) एवं बजट प्रावधान वास्तविक व्यय से अधिक होने के कारण हुई (15,00.00 लाख ₹)।

पूँजीगत:

दत्तमत -

(v) 22,67.52 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अनुपूरक अनुदान 1,32,74.00 लाख ₹ का जुलाई 2016 (55,74.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अपर्याप्त था जबकि मार्च 2017 में प्राप्त किया गया 77,00.00 लाख ₹ का अधिक सिद्ध हुआ।

(vi) 22,67.52 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 18,19.26 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना 1/4 सामान्य 1/2-			
2052-ट्रामा केयर सेंटर की स्थापना-			
मूल	4,50.00		
पुनर्वि.	(-)2,03.42	2,46.58	46.58
			(-)2,00.00
(2) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना 1/4 सामान्य 1/2-			
2064-टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,00.00	0.00	0.00
			0.00

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
-------	---------------	---------------------------------	---------------------

उपरोक्त क्रम संख्या 1/41 1/2 एवं 1/42 1/2 के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,03.42 लाख ₹ एवं 1,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या 1/41 1/2 के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(3) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना

1/4 सामान्य 1/2-

6457-महाराजा तुकोजीराव अस्पताल,
इंदौर का उन्नयन (वित्त आयोग)-

मूल 5,00.01

पुनर्वि. (-)1,37.96 3,62.05 1,69.03 (-)1,93.02

1,37.96 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(4) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना

1/4 सामान्य 1/2-

6458-चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में
वायरोलॉजी लैब की स्थापना (वित्त
आयोग)-

मूल 5,00.03

पुनर्वि. (-)1,00.04 3,99.99 0.00 (-)3,99.99

(5) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना

1/4 सामान्य 1/2-

6885-चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में
कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना

मूल 1,00.00

पुनर्वि. (-)1,00.00 0.00 0.00 0.00

उपरोक्त क्रम संख्या 1/44 1/2 एवं 1/45 1/2 के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,00.04 लाख ₹ एवं 1,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या 1/44 1/2 के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(6) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना

1/4 सामान्य 1/2-

9080-रतलाम एवं अन्य नवीन चिकित्सा
महाविद्यालय का निर्माण-

मूल 2,00.00

पुनर्वि. (-)2,00.00 0.00 0.00 0.00

2,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2017)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(7) 4210-03-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय-			
मूल	15,00.00		
पुनर्वि.	(-)6,51.79	8,48.21	8,48.21
			0.00

6,51.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 8,51.79 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी एवं 2,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी उपकरणों की दरें निर्धारित न होने के कारण हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(8) 4210-03-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-				
7280-मानसिक चिकित्सालय इन्दौर एवं मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर का उन्नयन				
मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	(-)1,00.00	0.00	0.00	0.00

1,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
4210-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
9080-रतलाम एवं अन्य नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण-			
मूल	17,50.00		
पूरक	1,32,74.00	1,50,24.00	1,54,25.68
			+4,01.68

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2030—स्टाम्प पंजीकरण			
2202-सामान्य शिक्षा			
2215-जलपूर्ति तथा सफाई			
2216-आवास			
2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401-फसल कृषि कर्म			
2403-पशु पालन			
2405-मछली उद्योग			
2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505-ग्रामीण रोजगार			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2702-लघु सिंचाई			
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग			
2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	1,73,00,42,59		
पूरक	32,77,43,40	2,05,77,85,99	1,74,20,70,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-) 31,57,15,84 10,09,22,95
पूंजीगत		50,01	50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-) 1

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) 31,57,15.84 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 32,77,43.40 लाख ₹ का जुलाई 2016 में (15,33,81.41 लाख ₹) प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि दिसम्बर 2016 में प्राप्त किया गया 17,43,61.99 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 31,57,15.84 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 10,09,22.95 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 74—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2202-01-196-8403- अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिये अनुदान	48,35,01.00	32,41,81.07	(-)15,93,19.93
(2) 2202-02-196-8403- अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिये अनुदान	29,87,75.00	26,13,53.83	(-)3,74,21.17
इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(3) 2202-02-196-0101- -राज्य आयोजना (सामान्य)- 6967- माध्यमिक षालाओं का हाई स्कूलों में उन्नयन			
मूल	12,75.00		
पुनर्वि.	(-)10,45.33	2,29.67	1,02.17
(4) 2202-02-196-0101- -राज्य आयोजना (सामान्य)- 6968- हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन			
मूल	25,00.00		
पुनर्वि.	(-)21,32.72	3,67.28	1,66.65
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 10,45.33 लाख ₹ एवं 21,32.72 लाख ₹ की (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(5) 2215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 2219- नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण-			
मूल	49,79.43		
पुनर्वि.	(-)28,43.00	21,36.43	16,11.97
(6) 2215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 7166- हैण्डपम्पां के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों का निर्माण-			
मूल	12,09.01		
पुनर्वि.	(-)9,26.47	2,82.54	1,81.53
(7) 2215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8415-ग्रामीण नल जल योजनाओं के संधारण-			
मूल	45,77.47		
पुनर्वि.	(-)26,51.02	19,26.45	13,36.50

अनुदान संख्या 74—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 28,43.00 लाख ₹, 9,26.47 लाख ₹ एवं 26,51.02 लाख ₹ की (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(8) 2215-02-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5206- निर्मल भारत अभियान-			
मूल	4,83,61.95		
पूरक	9,99,48.00		
पुनर्वि.	(-)1,85,60.12	12,97,49.83	12,97,49.83
			0.00
1,85,60.12 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।			
(9) 2225-01-186-1398-छात्रावास/ आश्रमों का संचालन-			
मूल	4,27.00		
पुनर्वि.	(-)3,35.97	91.03	91.03
			0.00
3,35.97 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार व्यय करने एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई।			
(10) 2225-01-196-5902-माध्यमिक शिक्षा-			
मूल	4,50.00		
पुनर्वि.	(-)4,49.94	0.06	0.06
			0.00
4,49.94 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(11) 2235-60-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 5863-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-			
मूल	1,60,00.00		
पुनर्वि.	(-)16,42.09	1,43,57.91	1,42,66.26
			(-)91.65
16,42.09 लाख ₹ (समर्पण 12,42.09 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई (12,42.09 लाख ₹)। 4,00.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(12) 2235-60-198-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 0075-अंध मूक बधिरों को वृत्तियां-			
मूल	2,50.00		
पुनर्वि.	(-)2,41.31	8.69	44.16
			+35.47

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(13) 2235-60-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-			
मूल	83,92.00		
पूरक	33,25.00		
पुनर्वि.	(-)29,75.42	87,41.58	90,47.60 +3,06.02
उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (13) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,41.31 लाख ₹ एवं 29,75.42 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(14) 2401-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2806-फल पौध रोपण हेतु अनुदान-			
मूल	22,61.09		
पुनर्वि.	(-)7,99.08	14,62.01	14,57.14 (-)4.87
7,99.08 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत योजना क्रियान्वन की प्रक्रिया में परिवर्तन का प्रथम वर्ष होने के कारण हुई।			
(15) 2501-03-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
5770-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरषेड विकास)-			
मूल	1,15,00.00		
पुनर्वि.	(-)14,81.27	1,00,18.73	1,00,18.73 0.00
14,81.27 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।			
(16) 2501-06-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5484-समन्वित आजीविका कार्यक्रम अन्तर्गत जनसहयोग से व्यवसायिक प्रशिक्षण-			
मूल	20,00.00		
पुनर्वि.	(-)18,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
18,00.00 लाख ₹ (समर्पण 8,00.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 10,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मांग कम/नहीं प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(17) 2505-01-197-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
मूल	6,40,00.00		
पूरक	(-)6,40,00.00	0.00	0.00
6,40,00.00 लाख ₹ (समर्पण 43,31.74 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5,96,68.26 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत योजना प्रभारी से मांग प्राप्त नहीं होने एवं भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।			
(18) 2505-01-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
मूल	22,31,17.32		
पुनर्वि.	(-)3,10,35.88	19,20,81.44	19,20,81.44
(19) 2515-198-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 7886-मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन-			
मूल	40,00.00		
पूरक	18,90.40		
पुनर्वि.	(-)36,29.15	22,61.25	22,61.25
(20) 2515-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6931-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम-			
मूल	1,85,09.78		
पूरक	3,90,28.92		
पुनर्वि.	(-)1,19,76.69	4,55,62.01	4,55,62.01
उपरोक्त क्रम संख्या (18) से (20) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 3,10,35.38 लाख ₹, 36,29.15 लाख ₹ एवं 1,19,76.69 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। क्रम संख्या (18) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(21) 2515-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 1329-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु दुग्ध प्रदाय-			
मूल	2,64,00.00		
पुनर्वि	(-)91,94.16	1,72,05.84	1,72,37.87
अनुदान संख्या 74-जारी			

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्ययआधिक्य +
बचत (-)

(लाख ₹ में)

91,94.16 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(22) 2515-800-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

1213-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	30,80.00	0.00	(-)30,80.00
-------------------------------------	----------	------	-------------

संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

(23) 3604-198-4610-अतिरिक्त स्टाम्प
शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान-

मूल	89,13.02			
पूरक	7,44.41			
पुनर्वि.	(-)35,09.19	61,48.24	61,34.22	(-)14.02

35,09.19 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

(1) 2216-03-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित
योजना सामान्य-

5198-इंदिरा आवास योजना-

मूल	5,62,99.73			
पूरक	5,48,00.00			
पुनर्वि.	3,89,01.18	15,00,00.91	15,00,00.91	0.00

3,89,01.18 लाख ₹ पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन योजना प्रभारी द्वारा अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

(2) 2235-60-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित
योजना सामान्य-

7084- राष्ट्रीय परिवार सहायता
योजना-

मूल	37,50.00			
पुनर्वि.	3,99.96	41,49.96	41,34.44	(-)15.52

3,99.96 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.04 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

अनुदान संख्या 74—समाप्त

शीर्ष

कुल
अनुदानवास्तविक
व्ययआधिक्य +
बचत (-)

(लाख ₹ में)

(3) 2501-06-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-					
6836-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-					
मूल	81,14.92				
पूरक	55,00.00				
पुनर्वि.	1,55,50.42	2,91,65.34	2,91,65.34		0.00
(4) 2501-06-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-					
7571- मुख्यमंत्री स्वरोजगार / आर्थिक कल्याण योजना-					
मूल	6,75.00				
पुनर्वि	10,00.00	16,75.00	16,75.00		0.00
(5) 2515-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-					
0660-ष्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन-					
पूरक	5,50.00				
पुनर्वि.	52,16.66	57,66.66	57,66.66		0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,55,50.42 लाख ₹, 10,00.00 लाख ₹ एवं 52,16.66 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन योजना प्रभारी से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।					
(6) 3604-198-8214-सचिवीय व्यवस्था -					
मूल	50,00.00				
पूरक	30,00.00	80,00.00	95,91.69		+15,91.69
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।					

अनुदान संख्या 75—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2215-जलपूर्ति तथा सफाई			
2217-शहरी विकास			
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं का क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217-शहरी विकास के लिये कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	65,71,12,11		
पूरक	7,33,98,09	73,05,10,20	70,15,94,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)2,89,15,29 1,61,24,33
<i>प्रभारित-</i>			
मूल	2,53,06,00		
पूरक	1,37,19,10	3,90,25,10	3,85,17,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)5,07,31 5,01,31
पूंजीगत:			
दत्तमत-		20,49,35	6,95,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2017)			(-)13,53,42 13,53,42
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			
(i) 2,89,15.29 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 7,33,98.09 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2016 (2,50,00.00 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2016 (59,49.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2017 में प्राप्त किया गया 4,24,49.09 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।			
(ii) 2,89,15.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2017 को 1,61,24.33 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) यद्यपि समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित हुए हैं:-			

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
1/4v1/2 cpr :			
(1) 2202-01-192-0101-राज्य आयोजना 1/4सामान्य1/2- 2669-संविदा शिक्षकों के मानदेय	1,50,00.00	1,07,79.45	(-)42,20.55
(2) 2202-02-191-0101-राज्य आयोजना 1/4सामान्य1/2- 2669-संविदा शिक्षकों के मानदेय	2,97,00.00	2,33,85.02	(-)63,14.98
इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या 1/421/2 के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2215-01-101-0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण-			
मूल	1,31,80.00		
पुनर्वि.	4,50.00	1,36,30.00	1,30,60.59 (-)5,69.41
4,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 22,73.50 लाख ₹ dh वृद्धि ,oa 18,23.50 लाख ₹ 1/4पुनर्विनियोजन के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने, अभिभाषक फीस के लंबित देयकों का भुगतान एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में दै.वे.भो. कर्मचारियों को एरियर्स का भुगतान करने के कारण हुई। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(4) 2235-60-193-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 8786- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-			
पूरक	6,85.00	31.41	(-)6,53.59
बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2016)।			
(5) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स-			
मूल	50,00.00		
पुनर्वि.	(-)42,18.31	7,81.69	2,81.69 (-)5,00.00
(6) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स-			
मूल	50,00.00		
पुनर्वि.	(-)45,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00

अनुदान संख्या 75—समाप्त

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 42,18.31 लाख ₹ एवं 45,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)।

¼ब½ आधिक्य :

(1) 2235-02-191-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

9142-सामाजिक सुरक्षा और
कल्याण-

मूल 9,00.00

पुनर्वि. (-)2,67.11 6,32.89 12,49.95 +6,17.06

(2) 2235-02-193-0101-राज्य आयोजना

¼सामान्य½-

9142-सामाजिक सुरक्षा और
कल्याण-

मूल 20,38.02

पुनर्वि. (-)6,66.88 13,71.14 22,20.17 +8,49.03

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,67.11 लाख ₹ एवं 6,66.88 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(iv) 5,07.31 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2017 को 5,01.31 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4217-01-050-3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा-			
मूल	49.35		
पुनर्वि.	(-)49.35	0.00	0.00

49.35 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(2) 6217-60-191-5728-पेयजल पूर्ति के
लिए नगरीय निकायों को कर्जे-

मूल 20,00.00

पुनर्वि. (-)13,04.07 6,95.93 6,95.93 0.00

13,04.07 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 76—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
मुख्य शीर्ष-			
2810-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत			
4810-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के स्रोत पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	1,74,00,60	2,13,32	(-)1,71,87,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
पूंजीगत	10,00,00	0.00	(-)10,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 1,71,87.28 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 2810-02-101-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7312-सौर ऊर्जा पार्क विस्तार	4,00.00	77.80	(-)3,22.20
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2810-02-102-0410-ऊर्जा विकास निधि-			
3220-मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान	1,46,39.96	0.00	(-)1,46,39.96
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2810-03-104-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
7318-पवन ऊर्जा पार्क विस्तार	7,00.00	6.02	(-)6,93.98
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2810-60-600-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½-			
6759-अपरम्परागत ऊर्जा से संबंधित सर्वेक्षण कार्य	3,00.00	0.00	(-)3,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015-16, 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 76—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(5) 2810-60-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 1305—नवकरणीय ऊर्जा का मध्य प्रदेश में ब्रांड बिल्डिंग एवं प्रचार	1,00.00	0.37	(-)99.63
बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (सितम्बर 2017)।			
(6) 2810-60-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 3220—मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान	10,01.00	0.00	(-)10,01.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2015—16, 2014—15 एवं 2013—14 के दौरान भी बचत हुई थी।			

पूँजीगत:

(iii) 10,00.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—
शीर्ष

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-)
(1) 4810-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 1307—नवीन एवं नवकरणीय कार्यालय का विकास	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
(2) 4810-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7629—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा संसाधन केन्द्र की स्थापना	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
(3) 4810-800-0101-राज्य आयोजना ¼सामान्य½- 7631—स्टाम्प शुल्क में छूट तथा व्हीलिंग चार्ज में कमी	7,50.00	0.00	(-)7,50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) तक के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2017)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2015—16 के दौरान भी बचत हुई थी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I
(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xviii पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
			अधिक (+)	कमी (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	
(हजार ₹ में)				
03. पुलिस— राजस्व— दत्तमत	25,00,00	00		(-)25,00,00
10. वन— राजस्व— प्रभारित	50,00,00	33,50,24		(-)16,49,76
12. ऊर्जा— पूंजीगत— दत्तमत	63,11,00	10,80,00		(-)52,31,00
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी— राजस्व— दत्तमत	3,00,00	46		(-)2,99,54
23. जल संसाधन विभाग— राजस्व— दत्तमत	2,67,51,39	1,96,74,00		(-)70,77,39
पूंजीगत— दत्तमत	36,70,14	4,50,51		(-)32,19,63
29. विधि और विधायी कार्य— राजस्व— दत्तमत	75,90,42	00		(-)75,90,42
30. ग्रामीण विकास— पूंजीगत— दत्तमत	1,23,75,10	9,87,83,35		+8,64,08,25
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण— पूंजीगत— दत्तमत	9,00,00	00		(-)9,00,00
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना पूंजीगत— दत्तमत	53,74,00	37,53,60		(-)16,20,40

परिशिष्ट-I-समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
		(हजार ₹ में)	
42. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल पूंजीगत— दत्तमत	2,60,00,00	2,60,00,00	00
48. नर्मदा घाटी विकास— राजस्व— दत्तमत	11,20,65	00	(-)11,20,65
पूंजीगत— दत्तमत	2,26,81,24	00	(-)2,26,81,24
52. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वि ^U kh; lgk;rk पूंजीगत— दत्तमत	64,85,00	55,63,72	(-)9,21,28
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय— राजस्व— दत्तमत	9,21,00,00	27,96,80,00	+18,75,80,00
64. अनुसूचित जाति उपयोजना पूंजीगत— दत्तमत	72,34,00	17,50,50	(-)54,83,50
74. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता— राजस्व— दत्तमत	5,25,00,00	00	(-)5,25,00,00
76. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा— राजस्व— दत्तमत	1,46,39,96	00	(-)1,46,39,96
योग— राजस्व— दत्तमत	19,75,02,42	29,93,54,46	+10,18,52,04
<i>प्रभारित</i>	50,00,00	33,50,24	(-)16,49,76
पूंजीगत— दत्तमत	9,10,30,48	13,73,81,69	+4,63,51,21
egk;ksx राजस्व	20,25,02,42	30,27,04,70	+10,02,02,28
पूंजीगत	9,10,30,48	13,73,81,69	+4,63,51,21

परिशिष्ट-II
(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xviii पर संदर्भित)

शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण

अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूल+पूरक	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800- अन्य जमा में अंतरित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(लाख ₹ में)				
20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0801- 8888-आर्सेनिक/ फ्लोराईड प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल के लिये संयंत्र की स्थापना का कार्य-	15,85.00	15,47.29	13,35.00
योग		15,85.00	15,47.29	13,35.00